द्वादश माला, खंड 7, अंक 18

बुधवार, 23 दिसम्बर, 1998

2 पौष, 1920 (शक)

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र

(बारहवीं लोक सभा)

(खण्ड 7 में अंक 11 से 18 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस॰ गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डा॰ अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्री जे॰ एस॰ वत्स
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

द्वादश माला, खंड–7 तीसरा सत्र 1998/1920 (शक)
अंक 18, बुधवार, 23 दिसम्बर, 1998/2 पौष, 1920 (शक)

विषय		कॉलम
प्रश्नों के लिखित उत्तर		3-310
तारांकित प्रश्न संख्या	341 से 360	3-32
अतारांकित प्रश्न संख्या	3863 से 4092	32-310
सभा पटल पर रखे गये पत्र		312-349
राज्य सभा से सन्देश और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक – सभा पटल पर रखा गया		349
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति		350
बिहार पुनर्गठन विधेयक – पुरःस्थापित		
श्री लाल कृष्ण आडवाणी		350-351
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		
चीनी का आयात		
डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी		351
बिहार पुनर्गठन विधेयक के बारे में		352-357
श्री मुलायम सिंह यादव		
श्री बसुदेव आचार्य		
श्री रघुवंश प्रसाद सिंह		
श्री वारकला राधाकृष्णन		
विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति		
तीसरा प्रतिवेदन – **प्रस्तुत**		358
वित्त संबंधी स्थायी समिति		
ग्यारहवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश – **प्रस्तुत**		358
रेल संबंधी स्थायी समिति		
की गई कार्यवाही संबंधी विवरण– **सभा पटल पर रखे गए**		358-360

विषय		कॉलम
नियम 377 के अधीन मामले	...	360-369
(एक)	सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते की अदायगी के लिए जामनगर शहर को बी–2 श्रेणी का दर्जा प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री चन्द्रेश पटेल	360-361
(दो)	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के पुनरुद्धार के लिए उसका प्रशासनिक नियंत्रण उद्योग मंत्रालय से संचार मंत्रालय को अंतरित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री तपन सिकदर	361
(तीन)	उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ क्षेत्र में आंवला पर आधारित उद्योग की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
	डा. रामविलास वेदान्ती ...	361-362
(चार)	मध्य प्रदेश में आगर मालवा में दिल्ली दूरदर्शन का रिले केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री थावर चन्द गेहलोत ...	362
(पांच)	कर्नाटक में कोलार में वाटर टैंकों से गाद निकालने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री के. एच. मुनियप्पा	362-363
(छह)	औरंगाबाद अथवा पूना से होते हुए नासिक और दिल्ली के बीच विमान सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता	
	श्री माधवराव पाटील	363
(सात)	दिल्ली–कोटा–मुम्बई और दिल्ली–कोटा–इंदौर मार्ग पर विमान सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता	
	श्री राम नारायण मीणा ...	363-364
(आठ)	त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों में राष्ट्र विरोधी विद्रोहियों के सीमा पार से आने–जाने को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
	श्री समर चौधरी	364-365
(नौ)	उत्तर प्रदेश के खीरी जिले में टेलीविजन पर "सिटी हलचल" कार्यक्रम का प्रसारण बंद किए जाने की आवश्यकता	
	श्री रवि प्रकाश वर्मा	365
(दस)	तमिलनाडु में उलुन्दुरपेट के निकट रेल उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
	श्री एम. सी. दामोदरन ...	365-366
(ग्यारह)	कलकत्ता में नहरों/नालों के समुचित रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती कृष्णा बोस ...	366

विषय **कॉलम**

(बारह) देश में बौद्ध स्मारकों की पवित्रता बनाए रखे जाने की आवश्यकता

प्रो॰ जोगेन्द्र कवाडे 366-367

(तेरह) उत्तर प्रदेश में चंदौली–सकलडिहा स्टेशन मार्ग पर रेल उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री आनन्द रत्न मौर्य 367

(चौदह) उत्तर प्रदेश में शिकोहाबाद में बटेश्वर, पर्यटन स्थल के विकास के लिए और अधिक धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रभुदयाल कठेरिया 367

(पन्द्रह) महाराष्ट्र राज्य कपास उत्पादक सहकारी विपणन परिसंघ को कपास की कम से कम 5 लाख गांठों का निर्यात कोटा स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता

श्री अभय सिंह एस॰ भोंसले 367-368

(सोलह) आन्ध्र प्रदेश में हैदराबाद और हैदराबाद शहर के 100 किलोमीटर की परिधि के भीतर उपनगरीय क्षेत्रों के बीच किए जाने वाले कॉलों को स्थानीय कॉल माने जाने की आवश्यकता

श्री एस॰ सुधाकर रेड्डी ... 368

(सत्रह) उत्तर और दक्षिण के बीच एक्सप्रेस हाइवे में केरल को शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री पी॰ सी॰ थामस 368-369

(अठारह) राज्य सरकारों द्वारा सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक सेवा बनाए रखने संबंधी अधिनियम का अक्सर प्रयोग न किए जाने की आवश्यकता

श्री किशन सिंह सांगवान 369

(उन्नीस) पश्चिम बंगाल में सुन्दरवन और निकटवर्ती क्षेत्रों में तेल ब्लाकों की खोज किए जाने की आवश्यकता

श्री सनत कुमार मंडल ... 369

मंत्री द्वारा वक्तव्य ... 366

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना – **सभा पटल पर रखा गया**

श्री राम नाईक 370

राष्ट्र गीत – धुन बजाई गई 371-372

लोक सभा

बुधवार, 23 दिसम्बर, 1998/2 पौष, 1920 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए]*

[हिन्दी]

पूर्वाह्न 11.01 बजे

इस समय श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव, श्री शैलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 341। कर्नल सोना राम चौधरी। कृपया अपने स्थान पर जाइए। यह अच्छा नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर जाइए। यह प्रश्नकाल है। हम आपके विषय को नहीं ले रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर जाइए। आप अपने विषय को तब उठा सकते हैं जब यह चर्चा के लिए आएगी। कृपया इस बात को समझें, अन्यथा मुझे गंभीर कार्यवाही करनी होगी। मुझे आप सभी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करनी होगी जो सभा पटल के निकट फर्श पर आखड़े हुए हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर जाए। अन्यथा मुझे कार्यवाही करनी होगी। हर दिन आप सभा पटल के निकट फर्श पर चले आते हैं। मुझे आप सभी के विरुद्ध कार्यवाही करनी होगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना आसन ग्रहण करिए। यह प्रश्न काल है। कृपया यह समझिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर जाइए। मैं आप सभी के विरुद्ध कार्यवाही करूंगा। मैं सदस्यों को अवज्ञा का दोषी ठहराऊंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया यह समझने की कोशिश करें कि यह प्रश्नकाल है। कृपया अपने–अपने स्थानों पर जाएं। जब आपका विषय सभा के समक्ष आएगा तब आप इसे उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अपने स्थान पर जाने के लिए कह रहा हूं। अन्यथा मैं आपको अवज्ञा का दोषी ठहराऊंगा और मैं इसे गंभीरता से लूंगा।

श्री रूपचन्द पाल : हमें आश्वासन दिया गया था कि सरकार आज इस विधेयक को नहीं लाएगी....*(व्यवधान)*

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : जब तक बोडो लैंड नहीं बन जाता चैन से नहीं बैठेंगे।

पूर्वाह्न 11.07 बजे

इस समय श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बैसीमुथियारी, कृपया अपने स्थान पर वापस जाइए।

(व्यवधान)

श्री बूटा सिंह : महोदय, बोडोलैंड अवश्य बनना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से पुनः अपील कर रहा हूं। यह प्रश्नकाल है। कृपया यह समझिये कि आज हमारे समक्ष बहुत महत्वपूर्ण कार्य है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर वापस जाइये। यह प्रश्न काल है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से एक बार फिर अपील कर रहा हूं। यह प्रश्नकाल है। अब इस विधेयक को अभी नहीं ले रहे हैं। कृपया अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मैं आपसे अपने स्थान पर जाने की अपील करता हूं। अन्यथा मुझे सदस्यों को अवज्ञा को दोषी ठहराना होगा। अध्यक्षपीठ को सदस्यों को अवज्ञा का दोषी ठहराना होगा। कृपया अपने स्थान पर वापस जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूं। यह सही परिपाटी नहीं है। कृपया अपने स्थान पर वापस जाइए।

(व्यवधान)

श्री बूटा सिंह : महोदय, बोडोलैंड अवश्य बनना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, अपने स्थान पर वापस जाइए। मैं आपसे पुनः अपील कर रहा हूं। यह प्रश्नकाल है। कृपया अपना स्थान पर जाएं। कृपया समझने की कोशिश करें।

(व्यवधान)

मैं आपसे और आपके नेताओं से भी अपील
न—अपने स्थानों पर वापस जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अपील कर रहा हूं। मैं सभा में दलों के नेताओं से भी अपील कर रहा हूं। कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाइए। यह प्रक्रिया और उचित तरीका नहीं है। आज हमारे समक्ष कुछ बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। मैं आप सभी से पुनः अपील कर रहा हूं कि अपने—अपने स्थानों पर बैठ जाइए। कृपया यह समझें कि यह प्रश्नकाल है। मैं नेताओं से भी अपील कर रहा हूं। यह उचित तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 12.15 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

भूमिगत जल

***341. कर्नल सोनाराम चौधरी :**

श्री के. पी. मोहन :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के भूमिगत जल संसाधनों की उपलब्धता के ऑकलन हेतु कार्यविधि की समीक्षा करने के लिए कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कृत्रिम रूप से भूमिगत जल भरने की कोई योजना आरंभ की है;

(घ) यदि हां, तो देश में इस योजना के अंतर्गत राज्यवार और स्थानवार विशेष रूप से राजस्थान और तमिलनाडु में, कुल कितने भूमि क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान इस पर राज्यवार कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्र सरकार ने भूजल संसाधनों का ऑकलन करने संबंधी पद्धति की पुनरीक्षा करने तथा समस्त संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए नवम्बर, 1995 में एक समिति का गठन किया था। इस समिति ने जून, 1997 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का सार संलग्न विवरण में दिया गया है। इस समिति की सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और इस रिपोर्ट की प्रतियों को संशोधित पद्धति पर आधारित भूजल संसाधनों के ऑकलन में उपयोग करने के लिए राज्य सरकारों के भूजल संगठनों को भेजा गया था।

(ग) से (ङ) सरकार ने भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी अध्ययन करने के लिए 1994–95 में प्रायोगिक आधार पर आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ में एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम शुरू की थी। ये अध्ययन 3,29,69,676 रुपये की कुल लागत से 1997–98 में पूरे कर लिए गए थे। इन अध्ययनों में किए गए व्यय का राज्यवार एवं वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है। इन अध्ययनों के परिणाम के आधार पर, हाल ही में सरकार ने भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण पर अध्ययन करने संबंधी इन स्कीमों को नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 25 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश के कुछ और क्षेत्रों में लागू करने का निर्णय लिया है।

सरकार ने 101.50 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण में राज्यों को सहायता देने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम तैयार की है। इस स्कीम पर विचार–विमर्श किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण पर एक मैनुअल तैयार किया है और उसे राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को भेजा है ताकि वे किसी क्षेत्र की विशेष कृत्रिम पुनर्भरण स्कीम तैयार कर सकें।

विवरण-I

भूजल संसाधनों के ऑकलन संबंधी समिति (1997) की सिफारिशों का सार

सिफारिश की गई संशोधित पद्धति में भूजल ऑकलन समिति 1984 की सिफारिशों की तुलना में बहुत से परिवर्तन किए गए हैं।

इस पद्धति में कठोर चट्टानी क्षेत्रों में जल विभाजन (वाटरशेड) को ऑकलन यूनिट के रूप में अपनाया गया है। भूजल ऑकलन गैर–कमान और कमान क्षेत्रों के लिए अलग–अलग किया जाएगा और भूजल की खराब गुणवत्ता वाले क्षेत्रों का अलग से सुधार करना होगा। मानसून और गैर–मानसून मौसमों का अलग–अलग भूजल पुनर्भरण ऑकलन करना होगा। शुष्क मौसम में भूजल संतुलन के अनुप्रयोग के आधार पर विशिष्ट प्राप्त (यील्ड) के ऑकलन के लिए वैकल्पिक पद्धति का प्रावधान किया गया है जो कठोर चट्टानी क्षेत्रों के गैर–कम्पन हिस्से में लागू होगी। सिंचाई से वापिसी (रिटर्न) प्रवाह के मानदंड अब सिंचाई के स्रोत अर्थात् भूजल अथवा सतही जल, फसल के प्रकार और भूस्तर से नीचे जल स्तर की गहराई पर निर्भर हैं। जल संरक्षण संरचनाओं के कारण पुनर्भरण पर अब स्पष्ट प्रावधान लागू किया गया है। भूजल स्तरों को भूजल आकलन का एक अभिन्न अंग बनाया गया है और भूजल विकास के क्षेत्रों का वर्गीकरण अब भूजल विकास की अवस्था और इन स्तरों के दीर्घकालिक रुख पर आधारित है।

विवरण-II

भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के अध्ययनों संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम पर किए गए व्यय का राज्यवार एवं वर्षवार विवरण

(राशि रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1994–95	1995–96	1996–97	1997–98	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	–	–	2,12,000	–	2,12,000
2.	कर्नाटक	39,49,459	16,61,957	13,64,690	6,60,265	76,36,371
3.	केरल	–	–	6,88,273	24,35,000	31,23,273
4.	मध्य प्रदेश	–	–	7,12,500	4,64,000	11,76,500
5.	महाराष्ट्र	57,64,000	42,26,260	10,92,933	2,20,802	1,13,04,015
6.	तमिलनाडु	–	–	8,50,000	6,50,000	15,00,000
7.	पश्चिम बंगाल	–	–	99,250	38,250	1,37,500
8.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	2,12,000	35,41,257	28,64,399	5,12,361	71,30,017
9.	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	–	–	2,22,000	5,28,000	7,50,000
		99,25,459	94,29,494	81,06,045	55,08,678	3,29,69,676

[अनुवाद]

उर्वरक की उपलब्धता

***342. श्री तेजवीर सिंह :**

श्री रामपाल सिंह :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि किसान उर्वरकों की अनुपलब्धता के कारण काफी कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं तथा विवश होकर बिना उर्वरक के रोपाई कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए कोई ठोस कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) यूरिया ही एकमात्र ऐसा उर्वरक है जो सांविधिक मूल्य नियंत्रण के अधीन है, और जिसकी मांग पर अनुमान लगाया जाता है और आबंटन किया जाता है। वर्तमान रबी मौसम में यूरिया पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और कहीं से किसी प्रकार की कमी के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है। अन्य उर्वरक नियंत्रण से मुक्त हैं और सरकार उनके वितरण और आवागमन पर नियंत्रण नहीं रखती है। डाई अमोनियाम फास्फेट (डी. ए. पी.) और म्यूरिएट आफ पोटाश (एम. ओ. पी.) जैसे प्रमुख फास्फेट एवं पोटाशयुक्त उर्वरकों की समग्र उपलब्धता भी रबी मौसम की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। तथापि, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के राज्यों से डी. ए. पी. की कुछ कमी के बारे में शिकायतें मिली हैं जिनका मुख्य कारण यह है कि आयातित डी. ए. पी. अक्तूबर और नवम्बर के महीने में एक साथ बन्दरगाह में इकट्ठा हो गया था और गेहूं के बुवाई क्षेत्र में वृद्धि हो जाने के कारण इसकी मांग में तेजी से बढोतरी हो गयी थी। तथापि, इसे त्वरित रूप से भेजने से उपलब्धता बेहतर हुई है।

प्रभावित क्षेत्रों में डी. ए. पी. की उपलब्धता में सुधार लाने हेतु किए गए उपायों में डी. ए. पी. वाले जहाजों को पत्तनों पर उतरने में प्राथमिकता देना, सयंत्रों और पत्तनों से डी. ए. पी. की रेल द्वारा जल्दी ले जाना और 55000 मीटरी टन डी. ए. पी. के आयात को प्राथमिकता देना शामिल है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के माध्यम से रोजगार

***343. प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :**

डा. सुशील इन्दौरा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के अंतर्गत कुटीर और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देकर और उनका संवर्धन करके अधिक से अधिक बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने की [illegible] *

[illegible]ो क्या सरकार ने ऐसे औद्योगिक एकक, [illegible] कुटीर और लघु उद्योग क्षेत्रों में स्थापित किए जाने के लिए कोई संवर्धानात्मक योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) (क) से (ग) सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में रोजगार की अधिक संभावनाओं से अवगत है। इसलिए अधिकांश प्रसंस्कृत खाद्य उद्योगों को लाईसेंस मुक्त करने और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के लिए उत्पाद और सीमा शुल्क में राहतें देने समेत विभिन्न नीतिगत उपाय किए गए हैं।

प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग की वृद्धि, विकास और संवर्धन के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी योजना स्कीमों के तहत आसान शर्तों पर ऋण या सहायता अनुदान के रूप में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना/विस्तार, अनुसंधान एवं विकास, मानव संसाधन विकास, गुणवत्ता नियंत्रण तथा अन्य सवर्धनात्मक कार्यकलापों के वास्ते वित्तीय सहायता देता है।

कुटीर और लघु उद्योग भी इस सहायता का लाभ उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, लघु तथा कुटीर क्षेत्र की यूनिटों को दी जाने वाली सामान्य रियायतें इन क्षेत्रों में स्थित खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक यूनिटों को भी उपलब्ध हैं।

[अनुवाद]

डाक कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

***344. श्रीमती लक्ष्मी पनबाक :**

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपनी मांगें स्वीकार न किए जाने के कारण समस्त डाक कर्मचारियों ने दिसम्बर, 1998 में हड़ताल पर जाने की धमकी दी है;

(ख) यदि हां, तो डाक कर्मचारियों की मांगों का विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उनकी मांगें पूरी करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) ये मांगें सरकार के पास कब से लंबित हैं?

संचार मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) दो डाक कर्मचारी महासंघों और उनकी संबद्ध यूनियनों ने 21 और 22 दिसम्बर, 1998 को हड़ताल करने का नोटिस दिया था। संसद के दोनों सदनों में 17.12.98 को, अतिरिक्त विभागीय डाक एजेंटों को सुविधाओं का पैकेज देने के बारे में, संचार मंत्री द्वारा अपनी ओर से दिए गए वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए, दोनों महासंघों और उनकी संबद्ध यूनियनों ने 18.12.98 को हड़ताल का नोटिस वापस ले लिया।

(ख) से (घ) भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

कृषि को उद्योग का दर्जा

***345. श्री मित्रसेन यादव :**

श्री तथागत सत्पथी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि क्षेत्र को उद्योग का दर्जा प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसके परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र को क्या–क्या सुविधाएं प्रदान की जाएंगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि नीति जिस पर अंतिम रूप से विचार किया जा रहा है में, जहां तक संभव हो सके, कृषि क्षेत्र को उद्योगों को उपलब्ध लाभ के समान लाभ प्रदान करने की परिकल्पना की गई है, जैसे कि ऋण और अन्य आदानों की सहज उपलब्धता, कृषि उत्पादों का मुक्त रूप से आवागमन, कृषि व्यवसाय संबंधी कार्य–कलापों के लिए अवंसरचनात्मक सुविधाएं आदि।

[अनुवाद]

हिन्दी का प्रयोग

***346. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रधान मंत्री द्वारा संयुक्त राष्ट्र को हिन्दी में सम्बोधन करके देश का गौरव बढाने के बाद अनिवासी भारतीयों द्वारा हिन्दी के प्रयोग पर होने वाले खर्च को वहन करने के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र की वैकल्पिक भाषा बनाने के लिये कोई उपाय करने का है;

(ख) क्या अनेक देश इस दिशा में सहयोग करने के इच्छुक हैं और प्रधान मंत्री द्वारा प्रयास किए जाने पर इस दिशा में आवश्यक समर्थन जुटाया जा सकता है; और

(ग) यदि हां, तो भारत द्वारा इस दिशा में अग्रणी भूमिका नहीं निभाये जाने के क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ग) हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में से एक भाषा बनाने का प्रश्न सरकार के ध्यान में आया हैं। इस समय संयुक्त राष्ट्र की अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी, रूसी और चीनी छह अधिकारिक भाषाएं हैं। किसी नई आधिकारिक भाषा की शुरूआत करना संगठन की प्रक्रिया के सुस्थापित नियमों से अधिशासित होता है और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों का बहुमत का अनुमोदन लेना आवश्यक होगा जिसके इस समय 185 सदस्य हैं। इस प्रकार की किसी कार्रवाई के लिए समुचित समर्थन जुटाने में महत्वपूर्ण विचारणीय बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को अतिरिक्त वित्तीय बोझ उठाना पड़ेगा। किसी नई आधिकारिक भाषा की शुरूआत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में से पर्याप्त व्यय होगा जिसका वित्त पोषण इसके सदस्य देशों के निर्धारित अंशदान से ही किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 17 (2) में प्रावधान है कि "संगठन के व्यय को आम सभा द्वारा यथा अभिमाजित सदस्यों द्वारा वहन किया जाएगा।" इस तरह से बजट से इतर साधनों से अंशदान आने की स्थिति में भी नियम इस प्रयोजनार्थ उनके प्रयोग की अनुमति नहीं देते। संयुक्त राष्ट्र के समक्ष वित्तीय संकटों को देखते हुए नई आधिकारिक भाषाओं के प्रस्ताव व्यवहार्य प्रतीत नहीं होंगे। तथापि, संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधियों द्वारा हिन्दी में बोलने की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए सरकार भाषणों का तुरंत हिन्दी अनुवाद उपलब्ध करने की व्यवस्था करती रही है।

इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज

***347. श्री माणिकराव होडल्या गावीत :**

डा. रामविलास वेदान्ती :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सभी पुराने टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंजों में बदलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है;

(घ) इस समय प्रत्येक राज्य में कार्य कर रहे इलैक्ट्रॉनिक और गैर–इलैक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या कितनी है;

(ङ) क्या सरकार ने देश में पुराने टेलीफोन एक्सचेंजों की इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदलने के लिए वर्ष 1998–99 के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(छ) उस पर कितना व्यय होने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं।

(ग) दिसम्बर, 1999 तक।

(घ) से (च) 139 टेलीफोन एक्सचेंजों में से 101 एक्सचेंजों को 1998–99 के दौरान तथा शेष एक्सचेंजों को दिसम्बर 99 तक इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदले जाने की संभावना है। इनके ब्यौरे संलग्न विवरण–II तथा III में दिए गए हैं।

(छ) इसके लिए अलग से कोई निधि आबंटित नहीं की जाती है। तथापि, लगभग 395 करोड़ रुपये का व्यय होने की संभावना है।

विवरण-I

1.4.98 की स्थिति के अनुसार देश में, पुराने टेलीफोन एक्सचेंजों (गैर–इलेक्ट्रॉनिक) के राज्यवार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य	संख्या	क्षमता
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	18	77650
2.	अण्डमान निकोबार	0	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0
4.	असम	0	0
5.	बिहार	0	0
6.	दिल्ली	9	110000
7.	गोवा	0	0
8.	गुजरात (दमन, दिव तथा नगर हवेली सहित)	22	165700
9.	हरियाणा	5	19600
10.	हिमाचल प्रदेश	0	0

1	2	3	4
11.	जम्मू एवं कश्मीर	6	170
12.	कर्नाटक	12	95000
13.	केरल (लक्षद्वीप सहित)	7	43800
14.	मध्य प्रदेश	3	25000
15.	महाराष्ट्र	24	152500
16.	मणिपुर	0	0
17.	मेघालय	0	0
18.	मिजोरम	0	0
19.	नागालैंड	0	0
20.	उड़ीसा	2	9000
21.	पंजाब (चंडीगढ़ सहित)	4	27800
22.	राजस्थान	4	16500
		0	0
	दरी सहित)	15	99100
25.	त्रिपुरा	0	0
26	उत्तर प्रदेश	2	15000
27.	पश्चिम बंगाल	6	47700
		139	904520

विवरण-II

30.11.98 की स्थिति के अनुसार देश में इलेक्ट्रॉनिक/ गैर–इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेजों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य	एक्सचेंजों की संख्या	
		इलेक्ट्रॉनिक	गैर–इलेक्ट्रॉनिक
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	2107	5
2.	अण्डमान निकोबार	29	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	75	0
4.	असम	319	0
5.	बिहार	855	0
6.	दिल्ली	156	3
7.	गोवा	69	0
8.	गुजरात (दमन, दिव तथा नागर हवेली सहित)	1457	16
9.	हरियाणा	791	4
10.	हिमाचल प्रदेश	612	0
11.	जम्मू एवं कश्मीर	249	6
12.	कर्नाटक	2174	7
13.	केरल (लक्षद्वीप सहित)	817	5
14.	मध्य प्रदेश	2732	2
15.	महाराष्ट्र	2900	14
16.	मणिपुर	31	0
17.	मेघालय	46	0
18.	मिजोरम	42	0
19.	नागालैंड	35	0
20.	उड़ीसा	763	1
21.	पंजाब (चंडीगढ़ सहित)	1009	1
22.	राजस्थान	1663	2
23.	सिक्किम	25	0
24.	तमिलनाडु (पांडीचेरी सहित)	1538	4
25.	त्रिपुरा	51	0
26	उत्तर प्रदेश	2208	1
27.	पश्चिम बंगाल	862	2
		23615	73

विवरण-III

देश में पुराने टेलीफोन एक्सचेंजों (गैर–इलेक्ट्रॉनिक) के राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरे, जिन्हें 1998–99 के दौरान बदले जाने की योजना है।

क्र.सं.	राज्य	संख्या	क्षमता
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	17	67650
2.	अण्डमान निकोबार	0	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0
4.	असम	0	0
5.	बिहार	0	0
6.	दिल्ली	9	110000
7.	गोवा	0	0
8.	गुजरात	12	91000
9.	हरियाणा	4	14600
10.	हिमाचल प्रदेश	0	0
11.	जम्मू व कश्मीर	2	50

1	2	3	4
12.	कर्नाटक	7	43000
13.	केरल	6	34800
14.	मध्य प्रदेश	2	15000
15.	महाराष्ट्र	15	97400
16.	मणिपुर	0	0
17.	मेघालय	0	0
18.	मिजोरम	0	0
19.	नागालैंड	0	0
20.	उड़ीसा	1	6000
21.	पंजाब	3	24800
22.	राजस्थान	3	6500
23.	सिक्किम	0	0
24.	तमिलनाडु	13	81100
25.	त्रिपुरा	0	0
26	उत्तर प्रदेश	1	10000
27.	पश्चिम बंगाल	6	47700
		101	649600
संघ राज्य क्षेत्र			
1.	दमन एवं दिव	0	0
2.	नागर एवं हवेली	0	0
3.	लक्षद्वीप	0	0
4.	चंडीगढ़	0	0
5.	पाण्डीचेरी	0	0
		0	0

[हिन्दी]

देश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां

***348. डा. सुशील इन्दौरा :**

डा. चिन्ता मोहन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की शुरूआत से इनके संवर्धन हेतु विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो क्रियान्वित की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) मार्च, 1998 के अंत तक देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की अनुमानित अधिष्ठापित क्षमता कितनी थी; और

(घ) मार्च, 1998 के अंत तक इसमें कुल कितनी राशि का विदेशी निवेश हुआ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्थापना 1988 में की गई थी। यह मंत्रालय प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग की वृद्धि, विकस और संवर्धन के लिए अनेक योजना स्कीमें चला रहा है। मंत्रालय की योजना स्कीमों के तहत गैर सरकारी संगठनों, सहकारिताओं, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र के उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। वित्तीय सहायता के प्रणोद क्षेत्र निम्नलिखित हैं :–

(1) फसलोत्तर बुनियादी सुविधाओं खासतौर पर कोल्ड चेन सुविधाओं की स्थापना।

(2) खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक संपदा/पार्कों की स्थापना।

(3) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण।

(4) अनुसंधान और विकास।

(5) मानव संसाधन विकास।

सहायता आसान शर्तों पर ऋण या अनुदान सहायता के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। अलग–अलग स्कीमों में दी जाने वाली सहायता की मात्रा अलग–अलग होती है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में है इसलिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापित क्षमता से संबंधित सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती।

जुलाई, 1991 में उदारीकरण से लेकर मार्च, 1998 तक खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न क्षेत्रों में अनुमोदित विदेशी निवेश की कुल राशि 8756 करोड़ रुपये है जिसमें से मार्च, 1998 तक देश में लगभग 1750 करोड़ रुपये का वास्तविक विदेशी निवेश किया जा चुका है।

[अनुवाद]

इंटरनेट सुविधा

***349. श्री टी. गोविन्दन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश में इंटरनेट सुविधाएं उपलब्ध कराने की सरकार की नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में इंटरनेट सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार के पास राज्यवार कितने आवेदन लंबित हैं; और

(घ) वर्ष 1998–99 के दौरान किन शहरों को इंटरनेट से जोड़े जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) 26 जनवरी, 2000 ई. तक दूरसंचार विभाग तथा प्राधिकृत इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा सभी जिला मुख्यालयों/स्थानीय प्रभारण क्षेत्रों में इन्टरनेट एक्सेस नोड चालू कर दिये जाएंगे। एक अन्तरिम उपाय के रूप में तथा सभी स्थानीय प्रभारण क्षेत्रों में नोड प्रदान कर दिये जाने तक दूरसंचार विभाग द्वारा स्थानीय काल दरों पर निकटतम इंटनरेट सोडों की अभिगम्यता क्रमिक रूप से प्रदान कर दी जाएगी। बडी संख्या में शहरों तथा कस्बों की इंटरनेट सुविधा से जोड दिया गया है तथा कुछ और [illegible] क्रमिक रूप से जोडा जा रहा है। दूरसंचार विभाग [illegible]ार निगम लि. (वी एस एन एल) के पास [illegible] सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

देश में इंटरनेट सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार के पास लंबित आवेदनों की राज्यवार संख्या

1	2	3
1.	महाराष्ट्र गोवा सहित	1233
2.	जम्मू कश्मीर	30
3.	तमिलनाडु	243
4.	नई दिल्ली	950
5.	गुजरात	114
6.	मध्य प्रदेश	शून्य
7.	उड़ीसा	134
8.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	20
9.	केरल	शून्य
10.	कर्नाटक	253
11.	आंध्र प्रदेश	310
12.	हरियाणा	28
13.	राजस्थान	920
14.	पश्चिमी बंगाल	1
15.	हिमाचल प्रदेश	शून्य
16.	असम	10
17.	अंडमान–निकोबार	शून्य
18.	पंजाब	92
19.	सिक्किम	शून्य
20.	बिहार	423
21.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	50
22.	मेघालय	शून्य
23.	मणिपुर	शून्य
24.	त्रिपुरा	4
25.	अरुणाचल प्रदेश	5
26.	मिजोरम	शून्य
27.	नागालैंड	शून्य

[अनुवाद]

बागवानी पर सम्मेलन

***350. श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1998 में बागवानी पर कोई राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन के दौरान क्या मुख्य सिफारिशें की गईं;

(ग) क्या सरकार ने उस सम्मेलन में की गई सिफारिशों की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो उन पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में क्रियान्वित की जा रही केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों की प्रगति की समीक्षा करने एवं देश में बागवानी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार–विमर्श के लिए राष्ट्रीय बागवानी सम्मेलन दिनांक 20–21 नवम्बर, 1998 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।

(ख) सम्मेलन द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं:–

1. भविष्य में आवधिक अभावों एवं आधिक्य से बचने के लिए प्याज एवं आलू का एक समेकित विकास कार्यक्रम चलाया जाये।

2. भविष्य की योजना के लिए बागवानी पर भरोसेमंद डाटाबेस तैयार किया गया।

3. प्याज एवं आलू सहित शीघ्र नष्ट होने वाली बागवानी फसलों के लिए देश में अतिरिक्त शीतागार क्षमता सृजित की जाए।

4. अच्छी गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए टिशू–कल्चर एवं जैव–प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

5. उत्तर–पूर्वी एवं पहाडी तथा जनजातीय क्षेत्रों के लिए नई पहलें की जानी चाहिए।

6. बागवानी विकास के लिए केन्द्र द्वारा निर्मुक्त धन के उपयोग के लिए राज्यों द्वारा बागवानी में बेहतर प्रगति की जानी चाहिए।

(ग) और (घ) सम्मेलन के निष्कर्षों पर निम्नवत् कार्यवाही की गई है :–

1. नवीं योजना में स्वीकृति के लिए प्याज एवं आलू के समेकित विकास का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

2. कृषि एवं सहकारिता विभाग कुछ चुनिन्दा बागवानी फसलों के उत्पादन अनुमान तैयार करने के लिए एक स्कीम का क्रियान्वयन कर रहा है। नवीं योजना के दौरान इस स्कीम का विस्तार करके इसमें अतिरिक्त फसलों को शामिल किया गया है। पूरे देश में फसल स्थितियों पर निगाह रखने के लिए राष्ट्रीय फसल भविष्यवाणी केन्द्र स्थापित किया गया है।

3. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एवं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम देश में शीतागारों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता पहले ही दे रहे हैं। तथापि, अतिरिक्त शीतागार सुविधाओं, शीतागारों के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं संबद्ध मुद्दों पर विचार के लिए एक अंतर–मंत्रालयी उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है।

4. गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए टिशू कल्चर एवं जैव–प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने के लिए वर्तमान केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का नवीं योजना में स्वीकृति के लिए विस्तार किया गया है।

5. नवीं योजना में स्वीकृति के लिए सिक्किम राज्य सहित उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में समेकित बागवानी विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन एवं जनजातीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में बागवानी विकास के लिए एक नई स्कीम तैयार की गई है।

6. केन्द्र द्वारा पहले ही निर्मुक्त किए गए धन के बेहतर उपयोग के लिए राज्यों को सम्मेलन में तथा उसके बाद लिखित रूप में सलाह दी गई है।

[हिन्दी]

भारत-बंगलादेश वार्ता

***351. श्री अमर पाल सिंह :**

श्री जी. एम. बनातवाला :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अवैध आप्रवासियों के मामले पर बांगलादेश सरकार के साथ कोई वार्ता/समझौता किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा बांगलादेश के साथ अवैध आप्रवासियों के संबंध में किए गए 1990–91 के समझौते को कड़ाई से लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) दोनों देशों के बीच कौन–कौन से तनाव के कारण अभी भी बने हुए हैं; और

(ङ) दोनों देशों के बीच लंबित मुद्दों को समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ङ) गैर कानूनी आप्रवासियों के प्रश्न पर बंगलादेश की सरकार के साथ अनेक अवसरों पर विभिन्न स्तरों पर चर्चा हुई है। यह मामला अभी हाल ही में केन्द्रीय गृह सचिव की 21–23 नवम्बर, 1998 तक की ढाका यात्रा के दौरान हुई बातचीत में उठा था। इस पर 19 और 20 अगस्त, 1998 को संयुक्त कार्यकारी दल की नई दिल्ली में हुई बैठक और सीमा सुरक्षा बल तथा बंगलादेश राइफल्स के बीच 25 से 28 अक्तूबर 1998 तक ढाका में महानिदेशक स्तर पर हुई बातचीत के दौरान भी चर्चा हुई थी। विस्तृत बातचीत के दौरान दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए है कि मार्च 1994 में संयुक्त कार्यकारी दल की पहली बैठक में निर्धारित प्रक्रिया को, संयुक्त कार्यकारी दल की दूसरी बैठक के (अप्रैल, 1995) यथासंशोधित रूप में अमल में लाया जाएगा। दोनों पक्ष इस पर भी सहमत हुए थे कि किसी भी देश में न्यायालयों द्वारा सिद्धदोष व्यक्तियों की राष्ट्रीयता का सत्यापन यथाशीघ्र पूरा किया जाए। ऐसे अनेक मुद्दे हैं तो सुरक्षा संबंधी मसलों सहित सीमा प्रबंध, तस्करी तथा महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार के पहलुओं के बारे में समय–समय पर उठते रहते हैं। मित्र पड़ोसी देशों के रूप में दोनों देश अनसुलझे मसलों को बातचीत के माध्यम से निपटाने के लिए वचनबद्ध हैं। इस प्रयोजन के लिए वर्ष में दो बार संयुक्त कार्यकारी दल की बैठकें और सीमा सुरक्षा बल तथा बंगलादेश राइफल्स के बीच बैठकें आयोजित की जाती हैं। बकाया मसलों पर चर्चा करने के लिए गृह सचिवों की वर्ष में एक बार बैठक होती है।

[अनुवाद]

हाइड्रोजन बम

***352. डा. सुब्रहमण्यम स्वामी** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 जून, 1998 को "फ्रंटलाइन" पत्रिका में "द एच–बाम्ब इश्यू इज् क्रूशल" शीर्षक से और "द हिन्दू" में "साइन्टिस्ट क्वेश्चन डी. ए. ई. क्लेम" शीर्षक से प्रकाशित एक दूसरे लेख की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) इस मुद्दे से संबंधित वास्तविक स्थिति क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) (क) जी, हां।

(ख) इन लेखों में, कई भ्रातिपूर्ण विवरणों के अलावा, कुछ अमरीकी वैज्ञानिकों द्वारा दी गई एक रिपोर्ट का हवाला भी दिया ·· मई, 1998 को किए गए भारतीय परमाणु का कम मूल्यांकन किया गया है और भारत युक्ति के परीक्षण के संबंध में शंका जाहिर की गई है।

विश्लेषण की चार विभिन्न विधियों को, सार्वभौम भूकम्पीय आंकड़ों और सूक्ष्म त्वरण मापनों को काम में लाते हुए, भारतीय वैज्ञानिकों ने स्पष्ट रूप से यह प्रमाणित कर दिया है कि 11 मई को परीक्षित युक्तियों का कुल उत्पाद, घोषित उत्पाद मानों के अनुरूप है, अर्थात्, विखंडन युक्ति के लिए 15 किलो टन और तापनाभिकीय युक्ति के लिए 45 किलो टन। तीसरी युक्ति जो कि 0.2 किलो टन की एक सब–किलो टन युक्ति थी, का उत्पाद कुल उत्पाद में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं करता। यह भी उल्लेखनीय है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य भूकम्पीय अध्ययन किए गए हैं जिन्होंने हमारे वैज्ञानिकों द्वारा घोषित उत्पादों की पुष्टि की है।

खाद्यान्न विकास कार्यक्रम

***353. श्री चन्द्रशेखर साहू** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में चावल के लिए समेकित खाद्यान्न विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार कितनी प्रगति की गई है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के लिए राज्यवार कितनी धनराशि जारी की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) चावल आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों में केन्द्रीय प्रायोजित समेकित अनाज विकास कार्यक्रम को वर्ष 1994–95 से आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, केरल, पूर्वी मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्यों एवं पाण्डिचेरी संघ शासित क्षेत्र में क्रियान्वित किया जा रहा है।

(ख) इस स्कीम के प्रारंभ से चावल के राज्यवार उत्पादन और उत्पादकता को संलग्न विवरण–I में दर्शाया गया है।

(ग) विगत दो वर्षों के दौरन इस स्कीम को क्रियान्वित करने वाले राज्यों को सरकाार द्वारा दिए गए धन को संलग्न विवरण–II में दर्शाया गया है।

विवरण-I

1994–95 से 1997–98 तक चावल के उत्पादन और उत्पादकता का राज्यवार आकलन

राज्य	उत्पादन (हजार टन में)				उत्पादकता (कि./है.)			
	1994–95	1995–96	1996–97	1997–98 (अग्रिम)	1994–95	1995–96	1996–97	1997–98 (अग्रिम)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	9276.7	9014.2	9900.2	7877.0	2550	2441	2494	2412
अरुणाचल प्रदेश	105.8	124.5	140.0	*	967	1049	1146	*
असम	3309.1	3390.0	3328.2	3412.0	1350	1354	1336	1394
बिहार	6297.9	6640.0	7236.4	7089.0	1297	1318	1427	1414
गोवा	133.0	128.1	148.0	*	2486	2394	2761	*
केरल	975.1	953.0	837.8	803.0	1937	2023	1941	2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मध्य प्रदेश	6463.0	5839.1	6200.9	4388.0	1208	1093	1172	812
मणिपुर	478.3	331.8	367.3	*	3010	2149	2211	*
मेघालय	111.5	111.8	120.3	*	1080	1075	1137	*
मिजोरम	100.2	101.5	111.2	*	1498	1543	1719	*
नागालैंड	174.0	185.0	153.0	*	1279	1321	1093	*
उड़ीसा	6353.2	6226.2	4375.5	6351.0	1426	1375	981	1392
तमिलनाडु	7562.8	5290.0	6060.8	7052.0	3394	2712	2672	2987
त्रिपुरा	413.9	465.5	544.8	*	1617	2011	2104	*
उत्तर प्रदेश	10365.0	10362.5	11773.4	12160.0	1859	1862	2121	2148
पश्चिम बंगाल	12235.9	11887.0	12636.8	13290.0	2120	1997	2179	2275
पांडिचेरी	68.2	64.6	65.7	*	2526	2494	2489	*

* इन राज्यों के आंकडों का अभी अलग से आकलन किया जाना है।

विवरण-II

योजना : समेकित अनाज विकास कार्यक्रम चावल

राज्य	आबंटन 1996–97			निमुर्क्ति कुल 1996-97	आबंटन 1997–98			निमुर्क्ति कुल 1997-98	आबंटन 1998–99			निमुर्क्ति कुल 1998-99 अब तक
	योग	के. हिस्सा	रा. हिस्सा		योग	के. हिस्सा	रा. हिस्सा		योग	के. हिस्सा	रा. हिस्सा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आंध्र प्रदेश	1203.80	919.35	284.45	463.97	982.30	736.72	245.58	719.00	913.70	605.20	220.42	674.00
अरुणाचल प्रदेश	60.20	47.90	12.30	5.04	50.10	37.68	12.42	36.00	53.33	40.00	13.33	17.00
असम	238.65	189.30	49.35	0.00	197.70	148.27	49.43	0.00	187.90	141.53	46.37	0.00
बिहार	1026.60	775.20	251.40	181.83	656.60	492.45	164.15	34.00	620.00	471.00	157.00	0.00
गोवा	14.05	11.08	2.97	0.00	40.72	30.54	10.18	7.00	32.95	24.72	8.23	10.00
केरल	141.00	113.80	27.20	94.96	179.70	134.78	44.92	134.00	179.70	134.78	44.92	131.00
मध्य प्रदेश	434.10	337.95	96.15	0.00	398.10	298.50	99.52	29.00	461.00	345.75	115.25	203.00
मणिपुर	42.10	33.25	8.85	24.96	48.00	36.00	12.00	46.00	70.00	52.50	17.50	32.00
मेघालय	43.60	34.32	9.28	22.14	38.95	29.21	9.74	17.00	50.00	37.50	12.50	8.00
मिजोरम	26.60	21.05	5.55	13.53	28.55	21.41	7.14	36.00	40.01	30.00	10.01	18.00
नागालैंड	49.40	38.73	10.67	34.81	63.90	47.92	15.98	41.00	80.00	60.00	20.00	36.00
उड़ीसा	939.70	720.32	219.03	448.03	1185.60	889.20	296.40	998.00	1159.96	869.97	289.99	740.00
तमिलनाडु	903.70	697.05	206.65	750.08	733.40	550.05	183.35	628.00	782.30	586.73	195.57	639.00
त्रिपुरा	46.40	36.00	10.40	22.76	55.10	41.33	13.77	30.00	70.00	52.50	17.50	22.00
उत्तर प्रदेश	1682.80	1286.83	395.97	1180.89	1388.50	1041.38	347.12	1195.00	1366.50	1024.94	341.64	812.00
पश्चिम बंगाल	418.35	330.98	87.37	0.00	411.30	308.48	102.82	144.08	397.68	290.20	99.48	80.00
पांडिचेरी	24.30	24.30	0.00	17.00	33.10	33.10	0.00	20.00	33.10	33.10	0.00	20.00

बाढ़ प्रवण क्षेत्र

***354. श्री अजय मुखोपाध्याय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर देश में बाढ और सूखे के कारण कितनी क्षति हुई;

(ख) क्या प्रत्येक पंचवर्षीय योजना अवधि की समाप्ति पर बाढ़ और सूखा प्रवण क्षेत्रों में वृद्धि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(घ) स्थिति से निपटने के लिए क्या कार्य योजना तैयार की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) (क) से (घ) रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1981–82 के मूल्यों जनावार हुई हानि को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने अनुमान लगाया है कि देश में 40 मिलियन हैक्टेयर बाढ़ प्रवण क्षेत्र है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के उपर्युक्त मूल्यांकन के अनुसार, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से संबंधित आंकडों से वृद्धि का कोई संकेत नहीं मिलता है। लेकिन बाढ प्रभावित क्षेत्र कई कारकों, जैसे वर्षा की तीव्रता, समय और स्थान पर इसका फैलाव, जनसंख्या घनत्व, वनाच्छादन, क्षेत्र–मृदा व स्थलाकृति आदि पर निर्भर करता है। बाढ़ प्रबंध स्कीमों की जांच, आयोजन और क्रियान्वयन संबंधित राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है। केन्द्र सलाह के रूप में सहायता देता है। केन्द्र असम राज्य उत्तरी तथा पूर्वोत्तर भारत के सीमावर्ती राज्यों में महत्वपूर्ण बाढ़ प्रबंध कार्य करने के लिए वित्तीय सहायता भी देता है। बाढ़ रोधी कार्यक्रम चलाने के लिए उत्तर विहार को भी केन्द्रीय सहायता दी जा रही है।

केन्द्रीय जल आयोग और ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय द्वारा सूचना दी गई है कि सुरक्षा क्षेत्र के बारे में ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, वर्ष 1975–82 के दौरान केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, देश में सूखा प्रभावित क्षेत्र 51.12 मिलियन हैक्टेयर है, जो 74 जिलों के 315 तालुकों में फैला हुआ है। सूचनानुसार, सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने तथा राष्ट्र को किसी प्रकार की क्षति से बचाने के लिए सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अधीन प्रयास किए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्यों में वर्ष 1973–74 में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम चला रहा है। इस कार्यक्रम का अनुश्रवण संबंधित राज्यों के साथ समीक्षा बैठकों के जरिए नियमित आधार पर किया जा रहा है। विभिन्न राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले पांच वर्षों के दौरान फसलों को हुए नुकसान का अनुमानित मूल्य इस प्रकार है :

	(लाख रुपये में)
1995–95	8286.00
1995–96	451652.03
1996–97	141055.00
1997–98	44524.95
1998–99	2867.61

विवरण

वर्ष 1953 से 1996 तक के दौरान भारत में बाढ से हुआ नुकसान

(करोड रुपये में)

क्र.सं.	योजनावधि		फसलों, घरों और जनोपयोगी सेवाओं को हुए कुल नुकसान (1981–82 के मूल्यों पर)
1	2		3
1.	प्रथम योजना	(1953–56)	1395.90
2.	द्वितीय योजना	(1956–61)	1525.96
3.	तृतीय योजना	(1961–66)	1109.09
4.	वार्षिक योजना	(1966–69)	1438.77
5.	चतुर्थ योजना	(1969–74)	5344.56
6.	पंचम् योजना	(1974–78)	4974.88
7.	वार्षिक योजना	(1978–80)	3047.68
8.	छठी योजना	(1980–85)	7660.36
9.	सातवीं योजना	(1985–90)	12410.09
10.	वार्षिक योजना	(1990–92)	1678.80
11.	आठवीं योजना	(1992–97)	2623.66

[हिन्दी]

वाई-2 के समस्या

***355. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह :**

श्री अनन्त कुमार हेगड़े :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कम्प्यूटर में वाई–2के समस्या को हल करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में किए गए अनुसंधान का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (ग) जी, हां। वाई–2 के समस्या के निदान के लिए भारत सरकार ने एक कार्य योजना तैयार की है। इसमें वाई–2 के समाधानों पर विशेष प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न संस्थानों को प्रोत्साहन देना, सरकारी विभागों एवं संगठनों तथा निजी क्षेत्र में विभिन्न प्रयोगकर्ताओं को इस समस्या एवं इसके समाधान के लिए समय पर कदम उठाने की आवश्यकता के प्रति जागरूक बनाना शामिल है। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने सभी संबंधित संगठनों को "वर्ष 2000 उत्तर जीविता व्यवसायी गाइड" जारी किया है तथा साफ्टवेयर उद्योग के साथ मिलकर संयुक्त रूप से भारतीय वाई–2के समाधान उपलब्ध–कर्त्ताओं की एक निर्देशिका भी प्रकाशित की है और इंटरनेट के वेब पेज पर वाई–2 के का प्रचार किया है। भारत सरकार ने भारत में वर्ष 2000 समस्या के प्रभाव का प्रबंध करने के लिए सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय सक्षम कार्य दल का गठन किया है।

[अनुवाद]

खारे पानी में मत्स्यपालन

***356. डा. वल्लभभाई कथीरिया** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार देश में विशेष रूप से गुजरात में खारे पानी में मत्स्यपालन के संबंध में केन्द्रीय योजनाओं को क्रियान्वित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्यों में मछली उत्पादन बढ़ाने तथा मछुआरों का जीवन स्तर सुधारने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली अन्य योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय प्रायोजित योजना, "समेकित तटवर्ती जल कृषि का विकास" के अंतर्गत देश के सभी तटवर्ती राज्यों तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में गठित 39 खाराजल मत्स्य पालक विकास एजेंसियों के माध्यम से छोटे स्तर के झींगा पालकों को वित्तीय, तकनीकी तथा विस्तार सहायता का पैकेज प्रदान किया जाता है। गुजरात के वलसाद, भरूच तथा सूरत जिलों में खारा जल मत्स्य पालक विकास एजेंसियां स्थापित की गई हैं। विकासात्मक लागत तथा आदानों के लिए लाभार्थियों को जल क्षेत्र के प्रति हैक्टेयर के लिए 30,000 रुपये की राजसहायता प्रदान की जाती है। प्रतिवर्ष 2–5 मिलियन क्षमता के प्रॉन बीज हैचरियों के लिए एक लाख रुपये प्रति हैचरी अथवा लागत का 10 प्रतिशत, जो भी कम हो, की सहायता प्रदान की जाती है। प्रशिक्षणार्थियों को 25 रुपये प्रतिदिन की दर से वजीफा तथा दो माह के प्रशिक्षण के लिए 140 रुपये तक प्रति प्रशिक्षणार्थी यात्रा भत्ता प्रदान किया जाता है।

(ग) निम्नलिखित केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं जो कि इस समय चालू हैं, वे मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए तथा मछुआरों का जीवन स्तर उठाने के लिए क्रियान्वित होती रहेगी :

1. मत्स्य पालक विकास एजेंसियों के माध्यम से ताजा जल जलकृषि का विकास।
2. मोटरीकरण कार्यक्रम तथा 20 मीटर लंबाई से छोटे मत्स्यन जलयानों को आपूर्तित हाई स्पीड डीजल तेल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति के माध्यम से समुद्री मात्स्यिकी का विकास।
3. छोटे तथा बड़े पत्तनों पर मत्स्यन बंदरगाह की सुविधाएं।
4. प्रशिक्षण तथा विस्तार योजना।
5. मछुआरों का सामूहिक दुर्घटना बीमा, आदर्श मछुआरा गांव का विकास तथा बचत एवं राहत कार्यक्रम के माध्यम से मछुआरों का राष्ट्रीय कल्याण।

[अनुवाद]

पाकिस्तान द्वारा टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र का विकास किया जाना

***357. श्री जयसिंहजी चौहान** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में पाकिस्तान ने अंधकार में भी अपने लक्ष्य पर प्रहार करने की क्षमता वाले "बख्तर शिकन" नामक नए विकसित टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस खतरे से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ग) सरकार ने पाकिस्तानी मीडिया की उन खबरों को देखा है कि जिसमें पाकिस्तान ने नवम्बर, 1998 में रात्रि दृश्य क्षमता टैंक रोधी गाइडिड मिसाइल का परीक्षण किया है। पाकिस्तान द्वारा इसे "बख्तर शिकन" नाम दिया गया है। सरकार पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम के संबंध में सभी घटनाओं पर कड़ी नजर रखे हुए है और उनका निरंतर आकलन कर रही है। सरकार राष्ट्र की सुरक्षा आवश्यकताओं के

बारे में अपने आकलनों के अनुसार देश की सुरक्षा की प्रभाव पूर्ण ढंग से रक्षा करने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है।

[अनुवाद]

साइबर कानून

***358. श्री आर. एस. गवई :**

श्री मगन्ती वेकटेश्वर राव :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इलेक्ट्रॉनिक संचार को वैधता प्रदान करने और साइबर अपराधों से निपटने के लिए व्यापक साइबर कानून बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितने वर्तमान कानूनों में संशोधन किए जाने की संभावना है;

किए जाने वाले कानून की मुख्य विशेषताएं क्या होंगी; और

(ङ) इसे कब तक बनाए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (ङ) एक सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक संसद में प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है।

विधेयक की मुख्य–मुख्य बातें इस प्रकार हैं :

– विधेयक में प्रावधान किया गया है कि, अन्यथा सहमति नहीं होने पर, अनुबंधों की स्वीकृति सचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से व्यक्त की जा सकती है और सूचना के वैधानिक प्रभाव, वैधता और प्रवर्तनीयता को केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रूप में है।

– विधेयक में सरकार, सार्वजनिक एवं निजी दोनों ही क्षेत्रों में सुरक्षित अंकीय हस्ताक्षर से हस्ताक्षरित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के प्रयोग का प्रावधान किया गया है। विधेयक के कम्प्यूटर अपराध जैसे कि कम्प्यूटर डेटा नेटवर्क का अनधिकृत प्रयोग, कम्प्यूटर स्रोत दस्तावेज में हेरफेर आदि की परिभाषा भी दी गई है।

विधेयक में विद्यमान अधिनियमों जैसे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 भारतीय दंड संहिता, 1860, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम तथा बैंकर पुस्तक साक्ष्य अधिनियम, 1891 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।

[हिन्दी]

गुजरात सिद्धांत

***359. श्रीमती सूर्यकांता पाटील** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान सरकार "गुजरात सिद्धांत" में उल्लिखित सिद्धांतों का अनुसरण कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उन सिद्धांतों का किस हद तक अनुसरण किया जा रहा है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) "गुजरात सिद्धांत" हमारी विदेश नीति के सुपरिचित तथा सुस्पष्ट उद्देश्यों पर आधारित है। यह मूलतः एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में भारत की भूमिका तथा नीति पर और अधिक मैत्रीपूर्ण तथा सहयोगी वातावरण में जोर देना है तथा अपने आकार एवं संसाधनों को ध्यान में रखते हुए अपने पड़ोसी देशों के साथ और अधिक मेल–मिलाप करना है। यह सिद्धांत हमारे पड़ोसी देशों में हो रही घटनाओं के फलस्वरूप विदेश नीति में हमारे आधारिक उद्देश्यों और लक्ष्यों के अनुसरण में है। हम अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण, अच्छे और पड़ोसियों जैसे सहयोगी और परस्पर लाभप्रद संबंध बनाए रखना चाहते हैं।

[अनुवाद]

पासपोर्ट कार्यालय

***360. डा. सुगुण कुमारी चलामेला :**

श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मौजूदा पासपोर्ट कार्यालयों/संग्रहण केन्द्रों के आधुनिकीकरण तथा विस्तार हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा पासपोर्ट कार्यालय तथा संग्रहण केन्द्र खोले जाने हेतु किन–किन नये स्थानों का पता लगाया गया है; और

(घ) इन कार्यालयों के कब तक खोले जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (घ) पासपोर्ट सेवाओं की बढ़ती हुई मांग और जनसाधारण को तत्काल और सक्षम सेवा उपलब्ध कराने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार देशभर में पासपोर्ट कार्यालयों और संग्रहण केन्द्रों के नेटवर्क का विस्तार और आधुनिकीकरण करने के लिए सतत् प्रयास करती रही है।

2. इस समय पूरे देश में 28 पासपोर्ट कार्यालय और 12 पासपोर्ट संग्रहण केन्द्र कार्य कर रहे हैं। नए पासपोर्ट कार्यालयों का खोला जाना, मौजूदा कार्यालयों की अवस्थिति, किसी क्षेत्र विशेष से प्राप्त होने वाले आवेदनों की संख्या और विदेश मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति की ये सिफारिशें कि नया पासपोर्ट कार्यालय खोलने के लिए उस क्षेत्र से कम से कम 50,000 आवेदन प्रतिवर्ष प्राप्त होने चाहिए, जैसे कतिपय मानदंडों पर निर्भर करता है। सरकार ने सिद्धांत रूप से 10 और पासपोर्ट संग्रहण केन्द्र खोलने का निर्णय लिया है। जो संबंधित राज्य सरकारों के समन्वय से की जा रही अपेक्षित व्यवस्थाओं के पूरा होते ही कार्य करना शुरू कर देंगे।

3. मौजूदा पासपोर्ट कार्यालयों तथा संग्रहण केन्द्रों के साथ–साथ प्रस्तावित सग्रहण केन्द्रों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

4. सरकार ने पासपोर्ट कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य चरणबद्ध तरीके से शुरू किया है। 28 पासपोर्ट कार्यालयों में से अहमदाबाद, बंगलौर, कलकत्ता, चंडीगढ़, चेन्नई, कोचीन, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, जयपुर, कोजीकोड, लखनऊ, मुंबई, त्रिची और त्रिवेन्द्रम स्थित 15 कार्यालयों को अब तक कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है। कम्प्यूटरीकरण के एक व्यापक कार्यक्रम का भी क्रियान्वयन किया जा रहा है जिसमें आधुनिकतम कम्प्यूटर हार्डवेयर लगाना और साफ्टवेयर तथा उपग्रह पर आधारित ऐसी संचार व्यवस्था लागू करना शामिल होगा जो भारत के सभी पासपोर्ट कार्यालयों को नई दिल्ली में स्थापित किए जाने वाले केन्द्रीय प्रक्रिया कक्ष में जोडेगी। इस कार्यक्रम से पासपोर्ट कार्यालयों की क्षमता और प्रभावकारिता में वृद्धि होने तथा पासपोर्ट आवेदकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार किए जाने की संभावना है।

विवरण

वर्तमान पासपोर्ट कार्यालयों, संग्रहण केन्द्रों और प्रस्तावित संग्रहण केन्द्रों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	पासपोर्ट कार्यालय का स्थान	क्षेत्राधिकार का क्षेत्र
1	2	3
1.	अहमदाबाद	गुजरात राज्य और दीव संघ शासित क्षेत्र
2.	बंगलौर	कर्नाटक राज्य
3.	बरेली	उ.प्र. के 31 जिले
4.	भोपाल	मध्य प्रदेश राज्य
5.	भुवनेश्वर	उड़ीसा राज्य
6.	कलकत्ता	पश्चिम बंगाल, सिक्किम और त्रिपुरा राज्य
7.	चंडीगढ़	पंजाब के 11 जिले, हरियाणा के 14 जिले, हिमाचल प्रदेश राज्य और चंडीगढ़ का संघ शासित क्षेत्र
8.	चैन्नई	तमिलनाडु के 14 जिले और पाडिचेरी संघ शासित क्षेत्र
9.	कोचिन	केरल के 5 जिले और लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र
10.	दिल्ली	दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और हरियाणा के 5 जिले
11.	गाजियाबाद	उत्तर प्रदेश के 4 जिले
12.	गुवाहाटी	असम, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश नागालैंड और मणिपुर के राज्य
13.	हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश के 18 जिले
14.	जयपुर	राजस्थान राज्य
15.	जालंधर	पंजाब के 6 जिले
16.	जम्मू	जम्मू और कश्मीर के 6 जिले
17.	कोजीकोड	केरल के 6 जिले
18.	लखनऊ	उ॰ प्र॰ के 36 जिले
19.	मुम्बई	महाराष्ट्र के 6 जिले और दमन और दादरा एवं नागर हवेली के संघ शासित क्षेत्र
20.	नागपुर	महाराष्ट्र के 14 जिले
21.	पणजी	गोवा राज्य
22.	पटना	बिहार राज्य
23.	पुणे	महाराष्ट्र के 6 जिले
24.	श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर के 8 जिले
25.	थाणे	महाराष्ट्र के 5 जिले
26.	त्रिची	तमिलनाडु के 15 जिले
27.	त्रिवेन्द्रम	केरल के 3 जिले
28.	विशाखापत्तनम	आंध्र प्रदेश के 5 जिले

वर्तमान संग्रहण केन्द्र

क्र.सं.	केन्द्र का स्थान	राज्य
1.	अगरतला	त्रिपुरा
2.	आइजौल	मिजोरम
3.	अमृतसर	पंजाब
4.	औरंगाबाद	महाराष्ट्र

1	2	3
5.	दरभंगा	बिहार
6.	इम्फाल	मणिपुर
7.	कोहिमा	नागालैंड
8.	मदुरै	तमिलनाडु
9.	मंगलौर	कर्नाटक
10.	रांची	बिहार
11.	शिलांग	मेघालय
12.	शिमला	हिमाचल प्रदेश

प्रस्तावित संग्रहण केन्द्र

क्र.सं.	केन्द्र का स्थान	राज्य
1.	आगरा	उत्तर प्रदेश
	[illegible]हाबाद	उत्तर प्रदेश
	[illegible]म्बटूर	तमिलनाडु
4.	गुलबर्ग	कर्नाटक
5.	गुड़गांव	हरियाणा
6.	इटानगर	अरुणाचल प्रदेश
7.	पाण्डिचेरी	पाण्डिचेरी का संघ शासित क्षेत्र
8.	सूरत	गुजरात
9.	तिरूपति	आंध्र प्रदेश
10.	विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश

परिवर्तित पेंशन

3863. श्री अजय कुमार एस. सरनायक : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने 15 वर्ष के स्थान पर 12 वर्ष बाद परिवर्तित पेंशन बहाल करने की पांचवे वेतन आयोग की सिफारिश स्वीकार नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस सिफारिश की पुनरीक्षा करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन): (क) जी हां।

(ख) और (ग) पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने पेंशन के संराशीकरण के बारे में यह सिफारिश की थी कि पेंशन के संराशीकरण की सीमा, पेंशन के एक–तिहाई भाग से बढ़ाकर 40 प्रतिशत तक कर दी जाए तथा संराशीकृत पेंशन की बहाली 12 वर्ष के पश्चात् कर दी जाए। सरकार ने पेंशन के संराशीकरण की सीमा को बढाया जाना तो स्वीकार कर लिया परन्तु संराशीकृत पेंशन की बहाली की अवधि के संबंध में यथास्थिति बनाए रखी, क्योंकि सेवानिवृति की आयु संबंधी मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लिया गया था। सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिए जाने के फलस्वरूप, सरकार इससे पडने वाले प्रभावों का अध्ययन करेगी तथा इस बारे में उपयुक्त निर्णय लेगी।

राष्ट्रीय योजना

3864. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतंत्रता के पचास वर्ष के पश्चात् भी राष्ट्र की योजना सुरक्षित पेयजल, प्रारंभिक शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन की समस्याओं का समाधान करने में असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का उपरोक्त समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) पिछले पचास वर्षों में सभी क्षेत्रों में काफी उन्नति हुई है, हालांकि तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या से लाभ का विस्तार निरुद्ध हुआ है, ग्रामीण गरीबी का प्रभाव क्षेत्र गरीबी के सरकारी आकलनों के अनुसार वर्ष 1973–74 में 56 प्रतिशत से घटकर वर्ष 1993–94 में 37 प्रतिशत हो गया है, खाद्य उत्पादनों में लगभग आत्म–निर्भरता प्राप्त कर ली गई है। साक्षरता दर वर्ष 1950–51 में 18.33 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1990–91 में 52.2 प्रतिशत हो गई है। अशोधित मृत्यु दर वर्ष 1951 में 25.1 से घटकर वर्ष 1996 में 8.9 हो गई है, शिशु मृत्यु दर (आई एम आर) 1951 में 146 से घटकर वर्ष 1996 में 72 हो गई है, जीवन प्रत्याशा वर्ष 1947 में 32 साल में बढ़कर वर्ष 1991–96 में 61.1 वर्ष हो गई है, प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार किए गए तथा कार्यान्वित किए गए थे।

(ग) से (ङ) योजनाओं में गरीबी उन्मूलन तथा मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। वर्ष 1996 में, सुरक्षित पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं सहित सात विशिष्ट क्षेत्रों में निश्चित समय–सीमा के अंतर्गत निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम बुनियादी सेवा (बी एम एस) कार्यक्रम शुरू किया गया था।

चालू वर्ष के दौरान, योजना आयोग ने, नौवीं पंचवर्षीय योजना में पांच क्षेत्रों यानि (1) खाद्य और कृषि, (2) भौतिक आधार संरचना; (3) स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और पेयजल; (4) सूचना प्रौद्योगिकी; और (5) जल संसाधन नीति पर जोर देने के लिए विशेष कार्य योजना (एस ए पी) बनायी है, इन क्षेत्रकों के लिए निश्चित समय–सीमा के साथ सुनिश्चित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

कुवैत से लौटे व्यक्ति

3865. श्री रूपचन्द मुर्मू : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में मारे गये भारतीय नागरिकों की चीजों का दावा करने वाले व्यक्तियों को समय पर नहीं सौंपा जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसे दावों का विदेशों में हमारे दूतावासों के द्वारा विदेश मंत्रालय के वाणिज्यिक प्रभाग को चीजें भेज दिये जाने के बावजूद भी निपटान नहीं किया जाता है; और

(घ) **वर्ष 1995** में और उसके बाद से कुवैत में हमारे दूतावास से भेजी गयी चीजों के संबंध में किये गये उक्त दावों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) सरकार को बड़ी संख्या में बकाया पड़े मामलों की जानकारी नहीं है। सामान्य प्रक्रिया यह है कि विदेशों में मृत भारतीय राष्ट्रिकों के सामान को या तो स्थानीय प्रायोजकों या फिर मुख्तारनामा के अंतर्गत नजदीकी रिश्तेदार द्वारा मृतक की अस्थियों के साथ ही भेजने की व्यवस्था की जाती है। तथापि, जहां मृतक के कानूनी उत्तराधिकारों की पहचान करने में विवाद होता है ऐसे मामलों में सामान भेजने में तब तक देरी हो सकती है जब कि पूरी कानूनी प्रक्रिया से होकर उत्तराधिकारियों की पहचान नहीं कर ली जाती।

(ग) और (घ) विदेश में मृत भारतीय राष्ट्रिक का सामान सामान्यतः विदेश मंत्रालय को नहीं भेजा जाता है बल्कि उपरोक्त (क) और (ख) में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार नजदीकी रिश्तेदार/कानूनी उत्तराधिकारी को भेजा जाता है। 1995 से अब तक ऐसे दो मामले हुए हैं जहां मृतक का सामान विदेश मंत्रालय को भेजा गया जिनमें से एक मामला तो स्पष्ट रूप से भारतीय राष्ट्रिक श्री तोतोकोण्डा का था जिसकी 1993 में कुवैत में मृत्यु हुई थी।

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण

3866. श्री सत्यपाल जैन :

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :

श्रीमती कमल रानी :

श्री पी. शंकरन :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की विभिन्न पीठों में न्यायाधीशों के अनेक पद रिक्त पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पीठ–वार ब्यौरा क्या है और कब से रिक्त पड़े हुए हैं;

(ग) सरकार इन पदों को भरने के लिए क्या उपाय कर रही है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्णयों/निर्देशों का संबंधित विभागों द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में इस समय रिक्त पड़े हुए उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के पदों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ग) उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन, सामान्यतः छःमाही आधार पर आमंत्रित किए जाते हैं। नियुक्ति, प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है।

(घ) और (ङ) ऐसी कोई भी जानकारी, केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती। फिर भी, इस बारे में ऐसे निर्देश पहले ही से विद्यमान हैं जिनके अनुसार केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णयों/निर्देशों का अनुपालन उसके आदेशों में निर्धारित समय–सीमा के अंतर्गत ही अथवा जिन आदेशों में ऐसी कोई समय–सीमा नहीं दर्शायी गई हो, उनके संबंध में आदेश प्राप्ति के छः महीनों के भीतर किया जाना अपेक्षित होता है।

विवरण

1.12.1998 को मौजूद स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के रिक्त चल रहे पदों का ब्यौरा

क्र.सं.	न्यायपीठ का नाम	उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के पदों की रिक्तियों की कोष्ठक में तारीख सहित स्थिति		
		उपाध्यक्ष	प्रशासनिक सदस्य	न्यायिक सदस्य
1	2	3	4	5
1.	प्रधान न्यायपीठ	1 (11.2.1998)	–	–

1	2	3	4	5
2.	अहमदाबाद न्यायपीठ	–	–	1 (25.9.98)
3.	इलाहाबाद न्यायपीठ	1 (26.1.1998)	1 (17.5.1998)	–
4.	लखनऊ न्यायपीठ	–	1 (27.3.1998)	–
5.	मुम्बई न्यायपीठ	–	1 (20.5.1998)	1 (4.1.1998)
6.	कलकत्ता न्यायपीठ	–	1 (1.4.1998)	–
7.	चंडीगढ़ न्यायपीठ	–	2 (20.1.1998 और 4.10.1998)	–
8.	एरणाकुलम न्यायपीठ	–	2 (10.7.1998 और 14.9.1998)	–
9.	जबलपुर न्यायपीठ	1 (15.9.1998)	1 (15.10.1998)	–
10.	जोधपुर न्यायपीठ	–	1 (5.11.1996)	–
11.	जयपुर न्यायपीठ	–	1 (1.4.1998)	–
	[illegible] न्यायपीठ	1 (27.9.1998)	1 (4.2.1997)	–
	[illegible] न्यायपीठ	–	1 (26.9.1998)	–
14.	बंगलौर न्यायपीठ	–	1 (1.12.1998)	–
	कुल	4	14	2

[हिन्दी]

बांध का निर्माण

3867. श्री एच. पी. सिंह : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में विद्युत उत्पादन के लिये बिहार में सोन नदी पर पुल निर्माण का प्रस्ताव स्वीकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर कितना व्यय होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

लघु पन विद्युत केन्द्र

3868. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्वयंसेवी संगठनों अथवा पंचायतों के अधीन ऐसे लघु पन विद्युत केन्द्रों की स्थापना करने की अनुमति देने का है जिनसे पारिस्थितिकी और पर्यावरण को कोई खतरा न हो;

(ख) क्या केरल राज्य में ऐसा कोई विद्युत केन्द्र स्थापित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के अलावा गैर–सरकारी संगठनों, स्थानीय निकायों द्वारा लघु पन विद्युत केन्द्रों की स्थापना को बढ़ावा दे रहा है।

(ख) और (ग) केरल राज्य में, पालक्कड़ जिले में पालक्कड़ जिला पंचायत को मीनवल्लम लघु पन विद्युत परियोजना को कार्यान्वयन के लिए आबंटित किया गया है। कन्नूर, कोजीकोड और मल्लापुरम जिला पंचायतों से लघु पन विद्युत स्कीमों के आबंटन के लिए प्राप्त आवेदनों पर केरल सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। अब तक केरल में ऐसे किसी भी केन्द्र की स्थापना नहीं की गई है।

केन्द्रीय भंडार का सतर्कता विभाग

3869. डा. विजय सोनकर शास्त्री : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय भंडार के कितने कर्मचारी अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त पाए गए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय भंडार में सतर्कता विभाग को सुदृढ़ करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्रीय भंडार से संबंधित सतर्कता विभाग के पास वर्तमान में कितने मामले लंबित हैं, तथा इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) 67 कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई थीं। ये शिकायतें नीचे दर्शाये जा रहे जैसे मामलों से संबंधित थीं :

(i) ग्राहकों से अधिक दाम लिए जाने के बारे में।

(ii) स्टोर द्वारा जारी वस्तुओं के विवरण से संबंधित टिप्पणियों में, अन्तरवेषण/पहले से लिखे गए के ऊपर लिखे जाने (मशकूफी किए जाने) के बारे में।

(iii) स्टॉक में कमी/चोरी।

(iv) राशन संबंधी वस्तुओं के कम तोले जाने के बारे में।

(v) ग्राहकों को बेची गई वस्तुओं का कैश–मीमों में उल्लेख नहीं किए जाने के बारे में दोषी पाए गए कर्मचारियों पर पदच्युति, पदावनति, वार्षिक वेतन–वृद्धि इत्यादि रोक देने की शास्ति लगाई गई थी।

(ग) और (घ) इस बारे में केन्द्रीय भंडार का वर्तमान ढांचा उपयुक्त समझा जाता है।

(ङ) ग्यारह। इन मामलों में जांच–पड़ताल और पूछताछ चल रही है।

[हिन्दी]

टेलीफोन एक्सचेंज

3870. श्री डी. एस. अहिरे : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में नासिक और धुले जिलों के लिए कितने नये टेलीफोन एक्सचेंज स्वीकृत किये गये हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान स्थापित और कार्यरत टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान नई एक्सचेंजों से उक्त जिलों में कितने टेलीफोन कनेक्शन आबंटित किये गये;

(घ) क्या दूरसंचार विभाग ने नई एक्सचेंजों से नये टेलीफोन कनेक्शनों के आबंटन के संबंध में कोई मानदंड निर्धारित किये हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने नई एक्सचेंजों से उक्त जिलों में अधिक टेलीफोन कनेक्शनों के आबंटन के संबंध में कोई अनियमितता नोटिस की है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) सरकार द्वारा दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध क्या कदम उठाये गये हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के नासिक और धुले जिलों के लिए मंजूर टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या इस प्रकार है :

वर्ष	नासिक	धूले
95–96	4	3
96–97	6	8
97–98	19	7

(ख) उक्त अवधि के दौरान स्थापित तथा कार्यरत टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या इस प्रकार है :

वर्ष	नासिक	धूले
95–96	4	3
96–97	6	8
97–98	19	7

(ग) उक्त अवधि के दौरान उक्त जिलों में नए एक्सचेंजों से आबंटित टेलीफोनों कनेक्शनों की संख्या इस प्रकार है :

वर्ष	नासिक	धूले
95–96	12638	2302
96–97	19120	2500
97–98	19129	9005

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च) विभागीय नीति के अनुसार, प्रत्येक श्रेणी के आवेदक की, पंजीकरण की तारीख के अनुसार उसकी बारी आने पर टेलीफोन दिया जाना होता है। इस पद्धति का पालन किया जा रहा है। सिवाय ऐसे मामलों के जिनमें आवेदक तकनीकी रूप से अव्यवहार्य क्षेत्र में आता हो। ऐसे मामलों में बाद में सक्षम अधिकारी की अनुमति से टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाते हैं। इसे अनियमितता नहीं माना जाता है।

(छ) और (ज) उपर्युक्त भाग (ङ) और (च) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

उपरि तुंगा सिंचाई परियोजना

3871. श्री बी. एम. मेनसिंकाई : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य की उपरि तुंगा सिंचाई परियोजना पास स्वीकृत हेतु लंबित है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उक्त परियोजना के लिए विश्व बैंक से सहायता मांगी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस परियोजना पर कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) उपरि तुंगा सिंचाई परियोजना की मंजूरी राज्य सरकारों द्वारा बांध फाटकों तथा नहर डिजाईन सिंचाई आयोजना, पर्यावरणी, निर्माण संबंधी सामग्री और लागत पहलुओं से संबंधित प्रेक्षणों की अनुपालना पर निर्भर करती है।

(ग) और (घ) राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) कर्नाटक के राज्य योजना दस्तावेज के अनुसार इस परियोजना पर आठवीं योजना के दौरान पहले ही कार्य प्रारंभ हो चुका है।

केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय

3872. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का असम के बोडोलैंड स्वायत्त क्षेत्र के कोकराझार में केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) असम के बोडोलैंड स्वायत्त क्षेत्र के अंतर्गत कोकराझार में केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट नामक एक राज्य कृषि विश्वविद्यालय पहले से ही मौजूद है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

टिशू कल्चर

3873. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "टिशू कल्चर" अपनाकर देश में बहुत सी फसलें उगाई जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो इस विधि को अपनाकर कौन-कौन सी फसलें उगाई गई हैं; और

(ग) "टिशू कल्चर" को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) टिशू-कल्चर प्रौद्योगिकी का उपयोग सजावट वाली फसलों एवं पुष्प-कृषि सहित रोपण एवं बागवानी फसलों के बडी मात्रा में उत्पादन के लिए किया जाता है। बागवानी फसलों में केला, इलायची, आलू, अदरक, हल्दी एवं सजावटी पौधे शामिल हैं। टिशू-कल्चर प्रौद्योगिकी का उपयोग गन्ना जैसी नकदी फसलों के अलावा, युकेलिप्टस, बांस, सागौन, पोपलर, लुसियाना प्रजाति के जंगली पेड़ों के उत्पादन के लिए भी किया जाता है।

(ग) केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों, (1) उष्ण, शीतोष्ण एवं शुष्क क्षेत्र फलों के विकास, एवं (2) वाणिज्यिक पुष्प-कृषि के विकास, के अन्तर्गत, निजी क्षेत्र के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र में भी टिशू कल्चर इकाईयों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों के माध्यम से सहायता दी जा रही है। उपर्युक्त स्कीमों को आठवीं योजना के दौरान क्रियान्वित किया गया एवं इन्हें वर्ष 1997-98 के दौरान जारी रखा गया। स्कीमों को वर्ष 1998-99 के दौरान भी जारी रखा जा रहा है।

[अनुवाद]

टेलीफोन-डायरेक्टरियां जारी करना

3874. श्री सी.डी. गामीत :

श्री चन्द्रेश पटेल :

श्री ए. एफ. गुलाम उस्मानी :

श्री नृपेन गोस्वामी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों से दिल्ली में टेलीफोन डायरेक्टरियां जारी नहीं की गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गत कई वर्षों से देश के अन्य शहरों में भी टेलीफोन डायरेक्टरियां जारी नहीं की गयी हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ड.) टेलीफोन–डायरेक्टरियों के समय पर जारी करने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) जी, हां।

(ख) सविदा भंग होने के कारण दिल्ली की टेलीफोन डायरेक्टरी छप नहीं सकी तथा संविदा को समाप्त कर दिया गया। डायरेक्टरी छपवाने के लिए नए टेण्डर मंगवाए गए थे, जिसे अब अंतिम रूप दिया जा चुका है तथा वह मुद्रणाधीन है।

(ग) और (घ) कुछेक अन्य टेलीफोन–जिलों की डायरेक्टरियों की छपाई में भी विलंब हुआ है। ऐसा मुख्यतः पर्याप्त संख्या में निविदाएं प्राप्त न होने तथा संविदा–भंग होने के कारण हुआ है।

(ड.) टेलीफोन–डायरेक्टरी के समय पर प्रकाशन को सुनिश्चित करने हेतु हाल ही में टेलीफोन डायरेक्टरियों की मुद्रण–नीति की समीक्षा की गई है।

महाराष्ट्र में परभनी में आकाशवाणी केन्द्र

3875. श्री सुरेश वरपुडकर : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में परभनी स्थित आकाशवाणी केन्द्र को पूर्ण केन्द्र घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके द्वारा कब तक स्वतंत्र रूप से कार्यक्रम का प्रसारण आरंभ किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या परभनी आकाशवाणी केन्द्र को औरंगाबाद केन्द्र से अलग करने में कोई बाधा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) जी, हां।

(ख) परभनी स्टूडियों में 65 मिनट का कार्यक्रम निर्मित किया जाता है तथा इसे प्रतिदिन प्रसारित किया जाता है।

(ग) और (ड) अपेक्षित स्टाफ की मंजूरी न मिलने के कारण औरंगाबाद से परभणी केन्द्र के डिलिंकिंग को स्थगित रखा गया है। अपेक्षित स्टाफ की मंजूरी के लिए प्रसार भारती द्वारा उक्त मामले पर सक्षम अधिकारी के साथ विचार–विमर्श किया जा रहा है।

[हिन्दी]

राजस्थान में एस.टी.डी. सुविधाएं

3876. श्री रामपाल उपाध्याय : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कितने तालूका और तहसील मुख्यालयों में एस.टी.डी. सुविधाओं सहित टेलीफोन एक्सचेंज हैं;

(ख) उन तालूकाओं की संख्या बताएं जहां यह सुविधा नहीं है; और

(ग) इन तालुकाओं में कब तक एस.टी.डी. सुविधाएं प्रदान किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) राजस्थान में 213 तहसीज मुख्यालय हैं। इन सभी में एस. टी. डी. सुविधा सहित टेलीफोन एक्सचेंज हैं। शब्द "तालूका" का राजस्थान में प्रयोग नहीं किया जाता है।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

(ग) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

[अनुवाद]

समवर्ती सूची में कृषि

3877. श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह कदम कृषि क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए उठाया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों के साथ इस संबंध में परामर्श किया गया है; और

(ड) यदि हां, तो राज्य सरकारों के दृष्टिकोणों का ब्यौरा किया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) वर्तमान में ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ख) से (ङ.) प्रश्न नहीं उठते।

जामनगर में टेलीफोन सलाहकार समिति

3878. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के जामनगर जिले में टेलीफोन सलाहकार समिति गठित नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यह कब तक गठित कर दी जायेगी;

(घ) क्या सरकार को इस समिति को शीघ्र गठित करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(च) समिति का सदस्य मनोनीत करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं;

सरकार को इस समिति में संसद सदस्यों को
क लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सम्बंध में क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी नहीं, जामनगर दूरसंचार जिले के लिए टेलीफोन सलाहकार समिति (टी ए सी) का गठन हो गया है और माननीय संसद सदस्य श्री चंद्रेश पटेल को समिति में मनोनीत कर दिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) टेलीफोन सलाहकार समिति के सदस्यों का नामांकन, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सिफारिशों को ध्यान में रखकर किया जाता है।

(छ) जी, नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

नलकूप

3879. श्री जुआल उराम : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के कई क्षेत्रों में गहरे नल कूपों की खुदाई के माध्यम से केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सिंचाई के उद्देश्य से राज्य में पर्याप्त जल उपलब्ध कराने के लिए सरकार की भावी योजना का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा उड़ीसा में मार्च, 1998 तक 785 बोर होल्स ड्रिल किए। बोर्ड द्वारा उड़ीसा में खोदे (ड्रिल) गए बोर होलों का जिलावार ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इस राज्य के कठोर चट्टानों वाले क्षेत्रों में 80 से 260 मीटर की गहराई तक जिन कुओं को खोदा गया है उनसे प्रति सैकिंड एक से 15.78 लिटर के बीच जल प्राप्त होता है तथा इस राज्य के जलोढ़ क्षेत्रों में 150 से 600 मीटर की गहराई तक खोदे गए कुओं से प्रति सैकिंड दो से 65 लिटर के बीच जल प्राप्त होता है।

(ग) सिंचाई सहित विभिन्न प्रयोजनों के लिए भूजल का विकास तथा उपयोग संबद्ध राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय भूजल बोर्ड राज्य सरकारों की आवश्यकतानुसार भूजल के स्रोतों के स्थान निर्धारण तथा उपयोग के वास्ते उन्हें तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है। इस बोर्ड द्वारा सफलतापूर्वक खोदे गए अन्वेषित कुओं को उपयोग के लिए राज्यों को सौंप दिया गया है।

विवरण

केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा उड़ीसा में मार्च, 1998 तक खोदे गए बोर होल्स का जिलावार ब्यौरा

क्र.सं.	जिला	बोर्ड द्वारा बोर होलों की संख्या
1	2	3
1.	बालासॉर (भद्रक)	69
2.	बोलांगीर	85
3.	कटक	71
4.	धेनकनाल	11
5.	देवगढ़	3
6.	कालाहांडी	82
7.	क्योंझार	54
8.	केन्द्रपाड़ा	6
9.	कोरापुट (नवरंगपुर)	69
10.	मयूरभंझ	64
11.	फुलबनी	30
12.	पुरी	40

1	2	3
13.	सम्बलपुर	101
14.	सुन्दरगढ़	80
15.	गंजम	5
16.	न्योपाडा	7
17.	सुवर्णपुर	8
	कुल	785

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में खराब पड़े टेलीफोन

3880. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) खराब पडे टेलीफोन के संबंध में दर्ज कराई गयी शिकायतों का निपटान कितने दिनों के बाद किया जाता है;

(ख) क्या सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान लखनऊ और उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों में खराब पड़े टेलीफोनों के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) उपभोक्ताओं को हुए वित्तीय घाटे की किस प्रकार क्षतिपूर्ति करने का विचार है; और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) केबल में दोष से सम्बद्व मामलों को छोड़कर टेलीफोन के खराब होने की शिकायतों को शीघ्रता से निपटान किया जा रहा है।

(ख) जी, हां।

(ग) इस तरह की शिकायतों की जांच करवाई गई उन पर कार्रवाई की गई तथा टेलीफोन, शीघ्रता से ठीक कर दिए गए।

(घ) केबल में दोष संबंधी मामलों को छोड़कर प्राप्त/दर्ज/जानकारी में आई शिकायतें, शीघ्र ही निपटा दी जाती हैं। यदि विभागीय कारणों से लगातार 7 दिनों अथवा इससे अधिक समय पर टेलीफोन खराब रहता है; तो उपभोक्ताओं को किराए में छूट दी जाती है।

(ङ) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची

3881. श्री महबूब जहेदी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है;

(ख) 31 नवम्बर, 1998 को राज्य में नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्ति थे;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, जिले–वार कितने टेलीफोन कनेक्शन आबंटित किए गए; और

(घ) राज्य में प्रतीक्षा सूची को निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) और (ख) 30.11.98 की स्थिति के अनुसार पश्चिमी बंगाल की प्रतीक्षा सूची 1.28 लाख है जो कि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र और राजस्थान की प्रतीक्षा सूची से कम है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की जिला–वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) स्विचन क्षमताओं में वृद्धि करने तथा प्रतीक्षा सूची का निपटान करने के लिए मौजूदा एक्सचेंजों का विस्तार तथा नए एक्सचेंजों को खोला जा रहा है। चालू वित्त वर्ष के दौरान पश्चिमी बंगाल में कुल 128241 प्रतीक्षा सूची में से 100153 कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई गई है। शेष प्रतीक्षा सूची का निपटान अगले वित्त वर्ष के दौरान किया जाएगा।

विवरण

पश्चिम बंगाल राज्य में पिछले तीन वर्षों में प्रदान किए गए कनेक्शनों की जिले–वार संख्या

क्र.सं.	जिला	1995–96	1996–97	1997–98
1	2	3	4	5
1.	बंकुरा	1294	1994	2729
2.	वीरभूमि	2123	2132	4999
3.	वरदवान	12614	18225	20957
4.	कूच बिहार	1002	1508	2374
5.	दार्जिलिंग	2631	6504	7958
6.	दिनाजपुर (एन)	1657	1888	2489
7.	दिनाजपुर (एस)	1199	1564	2003
8.	हुगली	1624	2953	4832
9.	हावड़ा	423	620	1202

1	2	3	4	5
10.	जलपाईगुढ़ी	1692	3239	3797
11.	भालदा	1949	3231	5299
12.	मिदनापुर	7148	7570	7781
13.	मुर्शीदाबाद	1397	4380	4248
14.	नाडिया	4541	5827	4771
15.	पुरूलिया	1053	1445	1369
16.	24 परगनाज (एन)	1945	2622	4874
17.	24 परगनाज (एस)	943	1591	1992
18.	कलकत्ता	65107	75176	151588
	कुल	110342	142469	235262

24-परगना में टी.वी. रिले केन्द्रों का दर्जा

3882. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24–परगना में "बसंती" में ...ले केन्द्र की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24–परगना जिले में बंसती में अल्प शक्ति ट्रांसमीटर तकनीकी रूप से तैयार है परन्तु इस अल्प शक्ति ट्रांसमीटर के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए अभी तक स्टाफ स्वीकृत न किए जाने के कारण यह प्रसारण को रिले नहीं कर रहा है।

बिहार में सीतामढ़ी में आकाशवाणी केन्द्र

3883. श्री सीताराम यादव : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में सीतामढ़ी में आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित करने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भूमिहीन किसान

3884. श्री देवेन्द्र बहादुर राय : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य–वार भूमिहीन किसानों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने भूमिहीन किसानों के हितों की रक्षा के लिए कोई विशेष योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्यक्रम को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) कृषि संगणना, 1990–91 के अनुसार भूमिहीन कृषकों की संख्या (पूर्णतः पट्टे की भूमि और/अथवा पूर्णतः अन्यथा प्रचालित भूमि पर खेती करने वाले) दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) सरकार एकीकृत ग्रामीण निकाय कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, ई ए एस, आई ए वाई, इन्दिरा आवास योजना (आई ए वाई) ट्राइसेम, डी डब्ल्यू सी आर ए इत्यादि जैसी कई स्कीमों का क्रियान्वयन कर रही है जिनका उद्देश्य भूमिहीन कृषकों/कृषक मजदूरों सहित ग्रामीण निर्धनों को लाभ पहुंचाना है।

विवरण

कृषि संगणना 1990–91 के अनुसार देश में भूमिहीन कृषकों की राज्यवार संख्या

(संख्या 000 ईकाई में)

क्र.सं.	राज्य/सं.शा. क्षेत्र	पूर्णतः पट्टे की जोतें सं.	पूर्णतः अन्यथा प्रचालित जोतें सं.	भूमिहीन कृषक कालम 3 + कालम 4 सं.
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	4	18	22
2.	असम	67	27	94
3.	बिहार	18	23	41

1	2	3	4	5
4.	गुजरात	2	4	6
5.	हरियाणा	46	6	52
6.	हिमाचल प्रदेश	14	2	16
7.	जम्मू व कश्मीर	12	149	161
8.	कर्नाटक	–	नका.	नका.
9.	केरल	2	25	27
10.	मध्य प्रदेश	14	160	174
11.	महाराष्ट्र	8	15	23
12.	मणिपुर	8	नका.	8
13.	मेघालय	9	9	18
14.	नागालैंड	3	–	3
15.	उड़ीसा	10	22	32
16.	पंजाब	10	–	10
17.	राजस्थान	7	44	51
18.	सिक्किम	7	नका.	7
19.	तमिलनाडु	33	11	44
20.	त्रिपुरा	3	64	67
21.	उत्तर प्रदेश	56	44	100
22.	पश्चिम बंगाल	105	36	141
23.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	नका.	नका.	नका.
24.	अरुणाचल प्रदेश	नका.	–	नका.
25.	चंडीगढ़	नका.	नका.	नका.
26.	दादरा व नागर हवेली	–	–	–
27.	दिल्ली	–	–	–
28.	गोवा	23	4	27
29.	लक्षद्वीप	–	–	–
30.	मिजोरम	–	–	–
31.	पाण्डिचेरी	3	नका.	3
32.	दमन एवं दीव	नका.	नका.	नका.
	योग	464	663	1127

इन्टरनैट्स

3885. श्री देवजीभाई जे. टंडेल : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दमन, दादरा और नागर हवेली, वापी, उमारगांव तथा वालसाड में अनौपचारिक सुविधा प्रदान कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) से (ग) इन सभी स्थानों पर इन्टरनेट सुविधा सुलभ है। दूरसंचार विभाग ने 15.8.98 से उत्तरोत्तर रूप से स्थानीय काल–दर पर निकटतम इंटरनेट नोड में सम्पर्क की अनुमति दी है। उक्त सभी

स्थानों से स्थानीय काल आधार पर दूरसंचार विभाग के निकटतम इंटरनेट नोड (सूरत) में संपर्क स्थापित किया जा सकता है।

1999–2000 के दौरान दूरसंचार विभाग का वलसाड, दमन तथा सिलवासा (दादरा व नागर हवेली) में इंटरनेट नोड स्थापित करने का प्रस्ताव है। उक्त नोड चालू होने के बाद भी, वापी तथा उमरगांव में स्थानीय काल आधार पर इन्टरनेट सुविधा जारी रहेगी।

भारत और पाकिस्तान के बीच बस सेवा

3886. श्री रंजीब बिस्वास : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत और पाकिस्तान के बीच रेल और बस सेवा प्रारंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सभी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं; और

(ग) पाकिस्तान के लिए बस और रेल सेवा कब तक शुरू [illegible]

[illegible] मंत्री (**श्री जसवंत सिंह**) : इस्लामाबाद में 2 और 3 दिसम्बर, 1998 को दोनों देशों के बीच हुई चर्चा के बाद दिल्ली और लाहौर के बीच बस सेवा के लिए एक रूपरेखा तथा प्रचालन तंत्र मुहैया करने से संबद्ध एक करार तथा एक प्रोतोकोल पर 3 दिसम्बर, 1998 को भारत और पाकिस्तान के शिष्टमंडलों के नेताओं ने आद्यक्षर किए। दोनों देशों द्वारा करार पर हस्ताक्षर करने के लिए अब अनुवर्ती कार्रवाई करनी है। यह बस सेवा जनवरी, 1999 के मध्य तक शुरू होने की उम्मीद है।

भारत और पाकिस्तान के बीच रेल सेवा 1976 से चालू है। इस समय समझौता एक्सप्रेस के नाम से चलाई जा रही यह ट्रेन सप्ताह में दो बार लाहौर और अटारी के बीच चलती है।

रियायती टेलीफोन सुविधा

3887. श्री सोमजीभाई डामोर : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभाग के सेवारत कर्मचारियों को भी रियायती टेलीफोन सुविधा प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) और (ख) जी, नहीं।

तथापि, दूरसंचार विभाग के सेवारत कर्मचारियों को, उनके आवास पर या उनके परिवार के अन्यत्र रहने की स्थिति में उनके उपयोग के लिए उस स्थान पर प्राथमिकता आधार पर टेलीफोन प्रदान करने के लिए गैर–औ वाई टी सामान्य सेवारत कर्मचारी डी ओ टी श्रेणी के तहत् उनका पंजीकरण किया जाता है।

[हिन्दी]

यमुना बैराज

3888. श्री भगवान शंकर रावत : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से आगरा में यमुना नदी के आर–पार बैराज निर्माण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास कब से लंबित पड़ा है;

(ग) इस पर अब तक निर्णय नहीं लिए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त प्रस्ताव पर कब तक निर्णय ले लिया जाएगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (घ) केन्द्रीय जल आयोग में अप्रैल, 1996 में 100.01 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली यमुना नदी पर आगरा बैराज परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। केन्द्रीय जल आयोग तथा अन्य केन्द्रीय मूल्यांकन एजेंसियों की टिप्पणियां राज्य सरकार को भेज दी गयी हैं। राज्य सरकार द्वारा इन केन्द्रीय एजेंसियों की टिप्पणियों की अनुपालना में बरती गई तत्परता के आधार पर परियोजना पर निर्णय लिया जाएगा।

[अनुवाद]

शाखा डाकघर

3889. श्री अर्जुन सेठी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण गांवों विशेषतः देश के जनजातीय क्षेत्रों में शाखा डाकघर खोलने के लिए स्वीकृति प्रदान करने हेतु हाल ही में निर्धारित मार्गनिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) चालू वर्ष में उड़ीसा में जिला वार कितने शाखा डाकघर और उप डाकघर स्वीकृत किए जाने की संभावना है; और

(ग) इन लक्ष्यों को किस प्रकार प्राप्त किया जाएगा?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) देश में ग्रामीण/जनजातीय क्षेत्रों में शाखा डाकघर खोलने के लिए मानदंड संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) चालू वार्षिक योजना 1992–99 के दौरान उड़ीसा सर्किल के लिए 10 (दस) अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर तथा 02 (दो) विभागीय उप डाकघर खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध रहें।

(ग) लक्ष्यों की प्राप्ति मानवीय व वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता तथा उपयुक्त स्थान पर निर्भर करती है।

विवरण

डाकघर खोलने के मानदंड

1. नए शाखा डाकघर खोलने के लिए मानदंड

1.1 जनसंख्या

(क) सामान्य क्षेत्रों में :

एक ग्राम समूह की आबादी 3000 (इसमें उन गांवों की आबादी भी शामिल है जहां डाकघर खोला जाना है)

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में :

किसी एक गांव की आबादी 500 अथवा गांवों के एक समूह की आबादी 1000

1.2 दूरी :

(क) सामान्य क्षेत्रों में

नजदीकी डाकघर से न्यूनतम दूरी 3 कि.मी. होगी।

(ख) पहाड़ी जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में

दूरी की सीमा वही होगी सिवाय पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर। निदेशालय द्वारा ऐसे मामलों में न्यूनतम दूरी की सीमा में छूट दी जा सकती है जिनमें विशेष परिस्थितियों के कारण ऐसी छूट अपेक्षित है जिसका प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

1.3 प्रत्याशित आय :

(क) सामान्य क्षेत्रों में :

न्यूनतम प्रत्याशित राजस्व लागत का 33 1/3 प्रतिशत होना चाहिए।

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में :

न्यूनतम प्रत्याशित आय लागत की 15 प्रतिशत होनी चाहिए।

चमड़ा का समर्थन मूल्य

3890. श्री बीर सिंह महतो : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नगदी फसल चमड़ा का समर्थन मूल्य घोषित करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) सरकार किसानों द्वारा उत्पादित प्रमुख कृषि जिंसों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। सरकार द्वारा शेलाक जैसे वन्य उत्पादों, जिनका स्थानीय तौर पर ही उत्पादन होता है, का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं किया जाता है।

समयोपरि भत्ता

3891. डॉ. रवि मल्लू : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के अराजपत्रित कर्मचारी समयोपरि भत्ते का दावा कर सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) संशोधित वेतनमानों में समयोपरि भत्ते के दावे की उच्चतम सीमा का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (ग) मौजूदा आदेशों के अंतर्गत, समयोपरि भत्ता केन्द्र–सरकार के, उन विशिष्ट श्रेणियों के कर्मचारियों को देय है जो केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियमावली, 1986 के अंतर्गत 2200/–रुपये प्रतिमाह तक वेतन ले रहे हैं। पांचवे केन्द्रीय वेतन–आयोग ने केन्द्र सरकार के कार्यालयों में समयोपरि भत्ता दिया जाना बन्द करने की सिफारिश करते हुए यह भी सिफारिश की थी कि स्टाफ कार–चालकों, प्रचालन कर्मचारियों तथा औद्योगिक कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते का भुगतान, उपर्युक्त विषय पर विद्यमान नियमों तथा निर्देशों द्वारा ही शासित किया जाता रहे। यह निर्णय किया गया है कि समयोपरि भत्ते की अदायगी के संबंध में यथा स्थिति, उक्त भत्ते के भुगतान की पात्रता को और अधिक सीमित किए जाने तथा इसे सरकारी कार्य के हित के अनुरूप बनाए जाने की दृष्टि से, इस मामले की पुनरीक्षा किए जाने की शर्त के अधीन कायम रखी जाए। तदनुसार, समयोपरि भत्ते का भुगतान किया जाना इस संबंध में अगले आदेशों के जारी होने तक, मौजूदा आदेशों के अनुसार, संबंधित सरकारी कर्मचारियों को उनके संशोधन पूर्व के वेतनमान/वेतन स्लैब में देय सैद्धांतिक वेतन के आधार पर, जारी रखा गया है।

जम्मू और कश्मीर में टी.वी. ट्रांसमीटर की स्थापना

3892. श्री चमन लाल गुप्त : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जम्मू और कश्मीर हीरानगर तथा रामनगर क्षेत्र में टी.वी. ट्रांसमीटर की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी स्थापना कब तक किये जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) जी, नहीं। वर्तमान में हीरानगर और रामनगर में ट्रांसमीटर स्थापित करने हेतु कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है। तथापि, प्रसार भारती ने जम्मू तथा कश्मीर में अपनी आधारभूत सुविधाओं तथा कवरेज में सुधार करने हेतु विशेष सहायता के लिए एक विशेष योजना तैयार की है। विशेष सहायता स्वीकृत होने पर हीरानगर तथा रामनगर सहित जम्मू तथा कश्मीर में डीडी–1 और डीडी–2 के लिए और अधिक ट्रांसमीटरों की प्रतिष्ठापना संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उच्च श्रेणी-लिपिकों एवं आशुलिपिक वर्ग "घ" के वेतनमान

3893. श्री नृपेन गोस्वामी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा

क्या केन्द्र सरकार उच्च श्रेणी लिपिकों/आशुलिपिक वर्ग "घ" के वेतनमानों में संशोधन करने के बारे में नियुक्त माध्यस्थम बोर्ड ने अपना पंचाट दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किस तिथि से माध्यस्थम बोर्ड ने इस पंचाट को लागू किया है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त पंचाट को लागू कर दिया है; और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसे कब तक लागू कर दिया जाएगा?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व और बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) जी, हां। विवाचन–बोर्ड ने अपने दिनांक 30.07.1998 के आदेश द्वारा 1992 के.सी.ए.–10 में केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय–सेवा के उच्च श्रेणी–लिपिकों के वेतनमान को संशोधित किए जाने की मांग अस्वीकृत कर दी है। विवाचन बोर्ड ने अपने दिनांक 30.07.1998 के आदेश द्वारा 1992 के सी.ए. 11 में केन्द्रीय सचिवालय–आशुलिपिक–सेवा के ग्रेड "घ" आशुलिपिकों के वेतनमान संशोधित किए जाने की मांग स्वीकार कर ली है।

(ग) आशुलिपिक ग्रेड "घ" के वेतनमान का संशोधन दिनांक 06.12.1991 (असहमति दर्ज किए जाने की तिथि) से प्रभावी किया गया है।

(घ) और (ड) पंचाट (अवार्ड) स्वीकृत करने/अस्वीकृत करने से संबंधित कार्रवाई, संयुक्त परामर्शदायी तन्त्र–योजना में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जा रही है। चूंकि इसमें, इसके अन्य संवर्गों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाना भी शामिल है, अतः पंचाट (अवार्ड) की स्वीकृति/अस्वीकृति में लगने वाली निश्चित समय–सीमा बता पाना कठिन है।

महेश्वर सिंचाई परियोजना

3894. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नर्मदा नदी पर महेश्वर परियोजना के निर्माण कार्य की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने समीक्षा के बाद इस परियोजना में थोड़ा संशोधन करने की अनुमति दी है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित महेश्वर परियोजना जल विद्युत परियोजना है और इस परियोजना में कोई सिंचाई घटक नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार ने पुर्नस्थापना और पुनर्वास दृष्टि से परियोजना की पुनरीक्षा करने के लिए कार्य बल गठित किया है क्योंकि इस परियोजना से 13 गांवों (9 पूर्णतः और 4 आंशिक रूप से) में लगभग 2265 परियोजना प्रभावित परिवारों के विस्थापित होने की संभावना है। इस कार्य बल ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

मात्स्यिकी सूचना केन्द्र

3895. श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के तटवर्ती क्षेत्रों और विशेषकर पोरबन्दर में मात्स्यिकी सूचना केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) महासागर विकास विभाग की महासागर सूचना सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत संभावित मत्स्यन क्षेत्रों (पी. एफ. जैड.) के नक्शे पोरबन्दर सहित देश की तट रेखा के साथ लगभग 170 मत्स्यन केन्द्रों के लिए तैयार और वितरित किए जाते हैं। पी. एफ.

जैड. के नक्शे समुद्र की सतह की तापमान सूचना पर सैटेलाइट के आधार पर तैयार किए जाते हैं तथा ये केन्द्रीय रूप से राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी में संसाधित होते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस समय देश में अलग से मत्स्यन सूचना केन्द्र बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की प्रतिशतता

3896. श्री राजो सिंह : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग को बिहार सरकार ने बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की आकलित प्रतिशतता को संशोधित करने के बारे में कोई अभ्यावेदन भेजा है;

(ख) बिहार सरकार द्वारा मांगे गए आकलन का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने बिहार में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की आकलित प्रतिशतता को संशोधित किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस समय बिहार में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों का प्रतिशत क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, नहीं। योजना आयोग, जो गरीबी का आकलन करने के लिए भारत सरकार में नोडल एजेन्सी है, को बिहार सरकार से ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

निर्माताओं को आबंटित कार्यक्रम

3897. श्री जोवाकिम बखला : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998 के दौरान विभिन्न निर्माताओं को कितने कमीशन कार्यक्रम आबंटित किए गए;

(ख) इस संबंध में आबंटित किए गए कमीशन कार्यक्रमों– टेलीफिल्म, धारावाहिक, वृत्तचित्र इत्यादि का श्रेणी–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन निर्माताओं का बैनर सहित ब्यौरा क्या है जिन्हें ये कार्यक्रम आबंटित किए गए;

(घ) क्या उन निर्माताओं को इसके कारणों की सूचना भेज दी गई है जिनके प्रस्तावों का चयन नहीं हुआ/स्वीकृत नहीं हुए; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) दूरदर्शन वर्ष 1998 के दौरान विभिन्न प्रकार के 365 कार्यक्रम कमीशंड किए गए थे।

(ख) ब्यौरा निम्न प्रकार से है:–

टेलीफिल्म	54
धारावाहिक	103
वृत्तचित्र	171
स्पाट्स	2
लघु फिल्में	3
सामायिकी	27
अन्य	5

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) जी, हां। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

(ङ.) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

उन निर्माताओं के नाम तथा बैनरों को दर्शाने वाली सूची जिन्हें वर्ष 1998 के दौरान कमीशन्ड कार्यक्रम दिए गए थे।

श्री संजीव प्रकाश,
मै. वन्दना, 11, टालस्टॉय मार्ग,
नई दिल्ली–110001

श्री के. सेल्वाराजु,
मै. इमेजेज नेटवर्क, 440/ए,
मुनिरका मार्केट, नई दिल्ली–110067

मै. शशि मेहता
मै. सिग्नेट कम्युनिकेशंस,
आर–1/402, पार्क व्यू अपार्टमेन्ट्स
हौज खास इन्क्लेव, नई दिल्ली–110016

श्री सतीश पाण्डे,
मै. लुक्रेटिव आई,
के–1/67, सी.आर. पार्क,
नई दिल्ली–110019

श्री राजीव मेहरोत्रा,
मै. मेडियर्ट फिल्मस,
ए–86, निजामुद्दीन ईस्ट,
नई दिल्ली–110013

श्री दीप्तेन्दु डे,
मै. ईस्ट न्यूज एण्ड फीचर्स
एजेन्सी (प्रा.) लि., कमलालय सेन्टर,
156ए, लेनिन सरणी, आर. एन. 222,
कलकत्ता–700013

श्री संजीव प्रकाश,
मै. ए. एन. आई,
6–जी, वन्दना, 11 टालस्टॉय मार्ग,
नई दिल्ली–110001

श्री के. सेल्वाराजु,
मै. इमेजेज नेटवर्क,
[illegible] 400–ए, मुनिरका मार्केट,
[illegible]0067

[illegible] प्रीतिश नन्दी,
मै. प्रीतिश नन्दी
कम्युनिकेशन्स 206, सेन्टर प्वाइंट, डा. ए. रोड,
मुम्बई–400012

श्री संजीव प्रकाश,
मै. ए. एन. आई.,
6–जी, वन्दना, 11 टालस्टॉय मार्ग,
तथैव–

मै. मनिका गुप्ता,
408, एशिया हाऊस, के.जी. मार्ग,
नई दिल्ली–110001

श्री संजीव प्रकाश
मै. ए. एन. आई.,
11, टालस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली–110001

श्री राजीव मेहरोत्रा,
मै. मेडियर्ट फिल्मस,
ए–86, निजामुद्दीन ईस्ट, नई दिल्ली–110013

श्री प्रीतिश नन्दी,
मै. प्रीतिश नन्दी
कम्युनिकेशन्स 206, सेन्टर प्वाइंट, मुम्बई–400012

श्री संजीव प्रकाश,
मै. ए. एन. आई, 11, टालस्टॉय मार्ग,
नई दिल्ली–110001

श्री जी. एस. चानी, मै. साइडलाइन
वीडियो, चंडीगढ़

श्री ए. के. सेन,
मै. ए पी सी ए, 139 जमरूदपुर
कमर्शियल काम्प्लेक्स जी. के.–1
नई दिल्ली–48

श्री संजीव प्रकाश,
मै. एन आई 6–जी वंदना, 11, टालस्टॉय मार्ग,
नई दिल्ली–110001

मै. पर्सपेक्टिव इंडिया, 117 शेख सराय,
फेज–1, एस एफ एस फ्लैट्स
नई दिल्ली–110017

श्री संजीव प्रकाश,
मै. ए. एन. आई., 11, टालस्टॉय मार्ग,
नई दिल्ली–110001

श्री राजीव मेहरोत्रा,
मै. मेडियर्ट फिल्मस, ए–86,
निजामुद्दीन ईस्ट, नई दिल्ली–110013

सुश्री नीलोफर शर्मा,
मै. एन. एन फिल्म्स नई दिल्ली।

श्री धूव सहगल मै. आकांक्षा फिल्मस
दिल्ली।

श्री प्रमोद राजदान
मै. सम्वाद फिल्म्स, दिल्ली

श्री गोपाल दास,
मै. एन. आर. एम. क्रिएशन्स
दिल्ली

श्री जी. आर. खान,
मै. पियर पांचाल फिल्म्स
श्रीनगर।

श्री सौरभ सिंह
मै. सौरभ प्रोडक्शंस
दिल्ली।

सुश्री नीलम, मै. मीडिया टू नेटवर्क, दिल्ली।

श्री के. संजय, मै. नाथ ब्राह्मण,
दिल्ली।

श्री दिग्विजय मेंहदी, मै. दिग्विजय,
प्रोडक्शन्स, गुवाहाटी।

मै. आरती, मै. कुलदीप फिल्म्स
नई दिल्ली।

श्री संजय चढ्ढा
मै. एस. सी. फिल्मस दिल्ली।

श्री के. दीपक गुलाटी,
मै. अंजु विजुअल्स
दिल्ली।

सुश्री मणिका गोयल, मै. एम. जे. फिल्मस
नई दिल्ली।

श्री अनीस अहमद खां, मै. टी. ए. चलचित्र
दिल्ली।

श्री संजय पंडित,
मै. तुलसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी
जम्मू।

श्री मुस्ताक ए. बाला, मै. डेबोनियर
फिल्मस एंड वीडियो कम्युनिकेशंस
श्रीनगर।

सुश्री शर्मिला बैनर्जी, मै. सुरभि एसोसिएट्स
दिल्ली।

श्री सुनीता रैना, मै. पारस फिल्मस,
दिल्ली।

श्री दिनेश बब्बर,
मै. आशिया मोविएटोन
(प्रा.) लि. दिल्ली।

श्री अमित कुमार, मै. रोविंग आई
प्रोडक्शंस, दिल्ली।

श्री असलम गनई,
मै. आर. ए. फिल्मस, श्रीनगर।

श्री प्रीतिपाल सिंह, मै. सुंदन कम्यु.
दिल्ली।

श्री किशोर डांग, मै. के. आर.
फिल्म्स इंटरनेशनल, दिल्ली।

सुश्री प्रीणा सरीन, मै. उदय आडियो
विजुअल्स, दिल्ली।

सुश्री रीमा खन्ना,
मै. अजय विजय
साफ्टवेयर, दिल्ली।

श्री जमीर असहाय, मै. जमीर
असहाय, श्रीनगर।

श्री अरूण कौल,
मै. व्यत टेलीविजन नेटवर्क,
नई दिल्ली।

श्री अब्बिन कौल,
मै. ए. के. फिल्मस् एंड एड्स
दिल्ली।

श्री तस्सदुक हुसैन,
मै. दि फोर,
दिल्ली।

श्री खुर्शीद आलम,
मै. के. ए. फिल्मस,
श्रीनगर।

सुश्री राखी वर्मा, मै. के. के. कम्बाइन्स, दिल्ली।

श्री इकबाल मजीद, मै. परनासुम प्रोडक्शंस, श्रीनगर।

सुश्री सावित्री, मै. चित्र दर्शन, देहरादून।

श्री लक्ष्मण शाह, मै. जयश्री प्रोडक्शंस, दिल्ली।

श्री सुरिन्दर, मै. वीडियो जेम्स, जम्मू।

श्री खसुरू परवेज मसूदी, मै. हिफ्सा फिल्मस, श्रीनगर।

श्री इरफान हुसैन, मै. मून लाइट प्रोड. दिल्ली।

श्री निखिल, मै. हजरत फिल्मस, मुम्बई।

श्री आर. मेहरोत्रा, मै. एस. के. आर, इंटरप्राइजेज, दिल्ली।

श्री शलभ श्रीवास्तव, मै. सन साई प्रोड. दिल्ली

श्री डी. के. शर्मा, मै. गंगोत्री फिल्मस, दिल्ली।

श्री गौतम जेटली मै. इब–5 दिल्ली।

सुश्री शशि भारतीय, मै. खलीश विजुअल्स, दिल्ली।

श्री तसादुक हुसैन, मैसर्स द फोर, दिल्ली।

श्री रय्यन, मै. वीडियो टावर, दिल्ली।

श्री विजय कुमार, मै. ए. वी. एस. फिल्म एंड डाक्यू, दिल्ली।

श्री संजीव, मै. संजय फिल्मस, मुम्बई

श्री राजीव खानुपुरदी, मै. निर्मल आर्ट क्रिएशन, दिल्ली।

श्री खुर्शीद आलम, मै. थाहुरा फिल्मस, दिल्ली।

श्री संजय रावल, मै. वीडियो इंडिया, दिल्ली।

सुश्री कला अय्यर, मै. जेनेसिस पीडिया (पी.) ली. दिल्ली

श्री राजभान राय, मै. आर. एम. आर. आडियो विजुअल, वाराणसी

श्री प्रीतिपाल सचदेव, मै. स्टूडियो सुपर, दिल्ली।

श्री एस. बालाजी, मै. कसिका प्रोडक्शन्स, दिल्ली।

श्री नैय्यर जाफरी, मै. इन्जो इंटरटेनमेंट, दिल्ली

श्री अरूण कौल मै. व्यीथ टेलीविजन नेटवर्क, दिल्ली।

श्री सुनील त्रिपाठी मै. मनि मीडिया, दिल्ली।

श्री गौहर अहमद मै. शीना प्रोडक्शंस, श्रीनगर

श्री अनीस अमरोहवी, मै. रचनाकार प्रोडक्सन, दिल्ली

श्री बब्बर, मै. बब्बर विजुअल्स, मुम्बई

सुश्री संगीता पहादानी, मै. परफैक्ट पिक्चरस, दिल्ली।

लवाल, मै. इटैलक्चुअल विजन
दिल्ली।

श्री अनिल के. राजदान,
मै. एस. एस. फिल्मस एंड
एडवरटाइजिंग इन्ट, दिल्ली।

श्री सूरत सिंह, मै. निपुर कम्युनिकेशन्स, जम्मू

श्री वशीर दादा, मै. बीदा साहेब फिल्मस, श्रीनगर।

श्री उमेश राठौर, मै. नीरू पिक्चरस, दिल्ली।

श्री राहुल जलाली, मै. मीडिया नैट. दिल्ली।

श्री सुरिन्दर शुक्ला, मै. ओएसिस फिल्म्स, दिल्ली।

श्री रामन नन्दा, मै. मीडिया आर्क, दिल्ली।

श्रीमती अनीता सलूजा, मै. ए. एस. फिल्मस, दिल्ली।

श्री अमिताभ प्रशार, मै. इनफोटेनमेंट कम्युनिकेशंस दिल्ली।

श्री एम. सलीम खान, मै. सिने कम्युनिकेशन्स, श्रीनगर।

श्री जे. आर. टैगोर, मै. अनुराग प्रोडक्शन, दिल्ली।

श्री एस. डब्लू खान, मै. मयूर फिल्मस, दिल्ली।

श्री उपेन्द्र सूद, मै. मीडिया टैक, दिल्ली।

श्री संजीव प्रकाश, मै. ए. एन. आई. दिल्ली।

श्री सुशील शर्मा, मै. एश्वर्य फिल्मस, दिल्ली।

शुभदर्शनी सिंह, मै. क्राउन कम्यूनिकेसंस, दिल्ली।

श्री पी. सी. सरीन, दिल्ली।

श्री रंजन कुमार सिंह, मै. मीडिया मैन, दिल्ली।

सुश्री अनुराधा, मै. ए. आई. एम. टेलीविजन, दिल्ली।

श्री विवेक शर्मा, मै. पैस्त्रो प्रोडक्शन, दिल्ली।

श्री राजीव खंडेलवाल, मै. ड. एडच एंगल, दिल्ली।

श्री विरेन्दर शर्मा, मै. लाट साहिब फिल्मस, मुम्बई।

सुश्री मोना सरीन, मै. आयुश क्रिएसंस, दिल्ली।

सुश्री आसमा मिर्जा, मै. रचिता फिल्मस, गाजियाबाद।

श्री हरिओम कपूर, मै. अ फिल्मस फ्रॉम इंडिया, दिल्ली।

श्री विनोद जुत्सी, मै. बालाजी फिल्मस, दिल्ली।

श्रीमती मीता चौधरी, मै. सिने ह्यूस, दिल्ली।

श्री वी. एन. रैना, मै. ए. एंड ए. कम्यूनिकेशन्स, दिल्ली।

श्री दिवेश लाखनपाल, प्रोडक्सन दिल्ली।

श्री एस. दास, मै. एन. डी. प्रोडक्शन, दिल्ली।

श्री शंकर भान, मै. मीडिया इन्टरप्राइजेज, दिल्ली।

श्री कीर्ति अग्रवाल, मै. कीर्ति अग्रवाल, दिल्ली।

श्री महमूद नाजिर, मै. ग्लो क्रिएसंस, दिल्ली।

श्री विनोद शर्मा, मै. सिने लिंकर इंडिया, दिल्ली।

श्री बी. श्रीनिवास, मै. जयगुरू दत्ता प्रोडक्शन, नोएडा।

श्री नानाजी, मै. कश्मीर लाइन, जम्मू।

सुश्री हरमिन्दर कौर, मै. टी. वी. एन. डी. दिल्ली।

सुश्री ऊषा जोशी, मै. यूनाइटेड आर्टिस्टस
(प्रा.) लि. दिल्ली।

श्रीमती श्वेता शर्मा, मै. श्वेता फिल्मस, दिल्ली।

सुश्री सुभाष कौशिक, मै. लाइट फिल्मस, गाजियाबाद।

सुश्री उमा वासुदेव, मै. इन ग्रुप 80, दिल्ली।

श्री प्रभात डबघल मै, न्यू एज टेलीविजन, नई दिल्ली।

श्रीमती अपर्णा कटारा शर्मा, मै. पोइंट आफ न्यू कम्युनिकेसंस दिल्ली।

श्री रफीउद्दीन अहमद, श्रीनगर।

श्री एम. ए. मक्वी, मै. जकवी वीडियो, चंडीगढ़।

श्री जी. एस. चान्नी, मै. साइड लाइन वीडियो, चंडीगढ़

सुश्री ललिता शंकर, मै. अम्बा इंटरप्राइजेज, दिल्ली।

श्री संजय खन्ना, मै. एस. के. यूथ फिल्मस, दिल्ली।

श्री शबाव मीरूथी, मै. सिनेमावाला, दिल्ली।

श्री शब्बीर हैदर, मै. हैदर फिल्मस, श्रीनगर।

डा. पुष्पेश पंत, मै. तसवीर कम्युनिकेसंस

श्री आर. के. सोरल, मै. सुयोग फिल्मस, मुम्बई

सुश्री कुक्कु माथुर मै. माथुर वीडियोविजन, दिल्ली।

सुश्री नयनशीर, मै. मंचन दिल्ली।

श्री ए. सम्बामूर्ति, मै. प्राइम इमेज (प्रा.) लि. दिल्ली।

श्री विजय गोयल, मै. एस. वी. जी. नेटवर्क, दिल्ली।

सुश्री मधुमिता चक्रवर्ती, मै. न्यूजहाउंड प्रोडसंस, दिल्ली।

श्री एम. बी. खुर्शीद, मै. मर्शा फिल्मस श्रीनगर।

श्री प्रदीप राय खंगवाल, मै. मीडिया इंटरनेशनल, दिल्ली।

श्री रमेश शर्मा
मैसर्स मूविंग पिक्चर
कं. (प्रा.) लि. नई दिल्ली।

–यथा–

–यथा–

–यथा–

श्री अरूण पूरिया,
मैसर्स मीडिया, इंडिया
(प्रा.) लि. नई दिल्ली।

श्रीमती नलिनी सिंह,
मैसर्स टी. वी. लाईव इंडिया
(प्रा.) लि. नई दिल्ली।

मैसर्स मानुषी, नई दिल्ली।

श्री उमेश अग्रवाल, नई दिल्ली।

मैसर्स क्रैस्ट कम्युनिकेशंस लि, नई दिल्ली।

मैसर्स गांधीयन वीजन, नई दिल्ली।

मैसर्स मूविंग पिक्चर कं. (प्रा.) लि. नई दिल्ली।

–यथा–

मैसर्स साउथ व्यू प्रोडक्शंस, नई दिल्ली।

श्रीमती मीरा दीवान।

श्री राजेन्द्र धोराप्कर,
मैसर्स राजेन्द्र धोराप्कर एसोसिएट्स, नोयडा (उ.प्र.)

मैसर्स सर्वजीत इंटरनेशनल, नई दिल्ली।

मैसर्स सम्प्रेषण न्यूज सर्विसिंग (प्रा.) लि. नई दिल्ली।

मैसर्स इंटरन्यूज (प्रा.) लि. नई दिल्ली।

श्री माइकल विलियम,
मैसर्स रोवरबैंक स्टुडियो, नई दिल्ली।

श्री प्रशांत सरीन, नई दिल्ली।

श्री मुजफ्फर अली, नई दिल्ली।
मैसर्स सुमोही आर्टस, नई दिल्ली।

श्री जोयस सेबास्टीयन,
मैसर्स एग्नस देई कम्युनिकेशंस
नई दिल्ली।

श्री मुकुल राय चौधरी,
मैसर्स आत्मा, कलकत्ता।

श्री एस. बी. शंकर कुमार, हैदराबाद।

श्री एस. चट्टोपाध्याय, कलकत्ता।

श्री शोबीट जैन,
मैसर्स रैन–मचैर इमेजिस, दिल्ली।

डा. एस. कृष्णा स्वामी,
मैसर्स कृष्णास्वामी एसोसिएट (प्रा.) लि.
चेन्नई।

श्री जयन्त पांडा
मैसर्स सन–गीता फिल्मस, कटक।

श्री नन्दन सक्सेना,
मैसर्स टॉप क्वार्क प्रोडक्शसन, दिल्ली।

श्री राकेश खत्री
मैसर्स काम्नेट वीडियो टेक, दिल्ली।

श्री दिलीप सूद,
मैसर्स साफ्ट्स इंटरटैंनमेंट, नई दिल्ली।

श्री हितेश रतन,
मैसर्स दि रिफ्लैक्शंस, नई दिल्ली।

श्रीमती रंजन गौहार,
मैसर्स रंजन फिल्मस, नई दिल्ली।

शहला राजा,
मैसर्स थर्ड सिनेमा, नोयडा (उ.प्र.)

श्री सुधीर तैलंग, दिल्ली।

श्री ज्ञान सेठ एवं रमेश आर, कोहली नई दिल्ली।

श्री अर्पणा सेन, कलकत्ता।

श्री एम. के. रैना, नोएडा (उ.प्र.)

श्री बी. वी. कांरठ,
मैसर्स बी. वी. कारण्ठ प्रोडक्शंस,
बंगलौर।

श्री पिनाकी चौधरी, कलकत्ता।

श्रीमती अमीता तलवार,
मैसर्स स्मृति फिल्मस, हैदराबाद।
श्री अशोक विश्वानाथन, कलकत्ता।

श्री राजा सेन,
मैसर्स राजा सेन प्रोडक्शन, कलकत्ता।

श्री मुजफ्फरअली, नई दिल्ली।

–यथा–

प्रो. किरपाल सिंह
मैसर्स गुराकरपा फिल्मस, दिल्ली।

श्रीमती तबस्सुम फातिमा
मैसर्स दूरूमक प्रोडक्शन दिल्ली।

श्री गुलबहार सिंह,
मैसर्स के. आर. जी. पिक्चर्स, कलकत्ता।

श्रीमती संतोष बेदी,
मैसर्स साहिबा कम्युनिकेशंस, दिल्ली।

श्री बीबेक
मैसर्स कावेरी मीडिया प्रोडक्शंस, नई दिल्ली।

श्री ओमपाल सिंह,
मैसर्स वी. एस. फिल्मस, नोएडा (उ.प्र.)

श्रीमती महेश्वरी पटनायक,
मैसर्स महेश्वरी फिल्मस, भुवनेश्वर।

श्री मनोज साहनी,
मैसर्स मनुरीना कम्युनिकेशंस चंडीगढ़।

वीना कुमार,
मैसर्स सुझाव फिल्म्स, नई दिल्ली।

श्री एस. महापात्र,
मैसर्स कुमार पिक्चर्स, भुवनेश्वर।

श्री संजीव कोठीयाल,
मैसर्स सुरभी कम्युनिकेशंस, नई दिल्ली।

श्री अमीर क्वैलजबाश,
मैसर्स रीतू आर्ट्स, नई दिल्ली।

मैसर्स श्री श्रीनिवास प्रोडक्शंस, बंगलौर।

श्रीमती ललिता शंकर,
मैसर्स अम्बा इंटरप्राइजेज, नई दिल्ली।

श्रीमती मधु सूरी,
मैसर्स सरस्वती प्रोडक्शंस,
नई दिल्ली।

श्री आलोक नाथ,
मैसर्स युनाइटेड कलर्स
नई दिल्ली।

श्री बायी मिश्रा,
मैसर्स खण्डागिरी इंटरप्राइजेज,
भुवनेश्वर।

श्री मुज्जामिल बी. बाबा,
मैसर्स अलधाजली कम्युनिकेशंस,
नई दिल्ली।

श्री बेअंत सिंह,
मैसर्स आर. आर. प्रोडक्शंस,
गाजियाबाद (उ॰प्र॰)

श्री प्रफुल्ल मोहंते,
मैसर्स एम. एम. फिल्मस, नई दिल्ली।

श्री एम. अब्बास सेफी,
मैसर्स ए. पी. फिल्मस, नई दिल्ली।

श्री नीलोटपाल मजूमदार,
मैसर्स फ्रामे लाइन्स, कलकत्ता।

श्री खान सोहैल खुर्शिद,
मैसर्स चिराग कम्युनिकेशंस
दिल्ली।

श्रीमती उमा भारद्वाज,
मैसर्स सत्येन कप्पू फिल्म प्रोडक्शन्स, दिल्ली।

श्रीमती अरीता सर्बजीत
मैसर्स आभा मीडिया (प्रा.) लि.
नई दिल्ली।

श्री गिरीजा पटनायक,
मैसर्स वीजन मीडिया नोएडा (उ.प्र.)

श्रीमती उमा मेमन,
मैसर्स रूद्र कम्युनिकेशंन्स इंडिया,
नई दिल्ली।

श्रीमती जयश्री,
मैसर्स कृप्पा शाह फिल्मस, दिल्ली।

डा. लवलीन थढ़ानी,
मै. मुस्काल प्रोडक्शन्स

श्री पी. कुमार मै. इन्नोवेशन

श्री उदय कुमार, मै. यू. के. फिल्मस

श्री विवेक वर्मा, मै. मेस्ट्रो प्रोडक्शन्स

श्री लव चावला, मै. कृष्णा विजन

डा. कृष्णा बोस केसवानी,
मै. टेली क्रिएशंस इंडिया।

श्री राज मणि राम,
मै. आर. एम. आर. आडियो विजुअल

श्री मधु महानकली,
मै. गार्ड एंड प्रोफेशनल्स

श्री सुशील सक्सेना,
मै. संजना प्रोडक्शन्स

श्री संजय खन्ना
मै. एस. के. यूथ फिल्मस

श्री सुब्रता लाहिरी,
श्री शाहिद वाहिद खान,
मै. मयूर फिल्मस

श्री विजय कुमार,
मै. अजय विजय साफ्टवेयर

सुश्री वीणा, मै. वीणा ग्रुप
सुश्री सुमन मोहन,
मै. सुममोहन एडवरटाइजिंग एजेंसी

श्री जसपाल भट्टी,
मै. जसपाल भट्टी प्रोडक्शन्स, चंडीगढ़

डा. अनिल सक्सेना,
मै. टारगेट फिल्मस

श्री मनीष कुमार,
मै. वी. वी. फिल्मस

श्री हिमांशु मल्होत्रा,
मै. मल्टी मीडिया

श्री जे. के. निर्मल,
मै. जे. के. निर्मल प्रोडक्शन्स।

सुश्री ए. डी. बर्मन,
मै. अन्वेषिका मीडिया सेन्टर।

श्री निखिल कुमार,
मै. निखिल टी. वी.

श्री पवन दुग्गल,
मै. कुसुम प्रेम प्रोडक्शन्स।

श्री विरेन्द्र शर्मा,
मै. लाट साहिब फिल्मस।

श्री वी. के. शर्मा,
मै. वेशिव विजन।

श्री ललित बहल,
मै. टेली शॉट।

मै. आपका टी. वी. मीडिया,
नई दिल्ली।

डा. प्रतिभा सरूप,
मै. मां श्री करनी फिल्मस (प्रा.) लि.,
मुम्बई

श्री जी. वी. अय्यर, बंगलौर।

डा. निसार अलाना,
मै. थिएटर एंव टेलीविजन एसोसिएट्स, नई दिल्ली।

श्री अदिति सिरकार,
मै. नाऊ रेप्स प्रोडक्शन्स, कलकत्ता।

श्री गोविन्द निहलानी, मै. उद्भव, मुम्बई।

श्री हफीज खान, एन. एस. डी., दिल्ली।

श्री प्रभात डबराल,
2/7, एम सी डी फ्लैट्स,
एम ब्लाक, एन. डी. एस. ई–II
नई दिल्ली–110049

श्री के. सेल्वाराजू,
मै. इमेज्स नेटवर्क,
पाकेट–के, शेख सराय, फेज–II
नई दिल्ली–110017

सुश्री शशि मेहता,
मै. सिग्नेट कम्यूनिकेशंस,
आर 1/402 पार्क व्यू अपार्टमेंटस,
हौज खास एन्कलेव, नई दिल्ली।

श्री कीर्ति अग्रवाल
3/59–ई मयूर विहार–I, दिल्ली–91

श्री संजीव प्रकाश, मै. एन एन आई,
6–जी, वंदना–11,
11 टालस्टाय मार्ग,
नई दिल्ली–110001

सुश्री रीतू धवन, मै. इंडीपेडेन्ट मीडिया
प्रा. लिमिटेड, 75 अमृत नगर,
[illegible]गन, नई दिल्ली

शर्मा
श्री एस. एन. बोरा,
मैसर्स ट्रांस एशिया फिल्मस 86 गुवाहाटी

सुश्री सबिता चनम,
मैसर्स चमन मीडिया, दिल्ली।

श्री दीपक दास,
मैसर्स लिंक कम्युनिकेशंस, गुवाहाटी।

श्री प्रदीप गोगोयी,
मैसर्स पी. जी. कम्युनिकेशंस, गुवाहाटी।

सुश्री रानी बारदोलाई,
मैसर्स मॉकन्स गुवाहाटी।

श्री सूर्या हाजरिका,
मैसर्स एस. एच. फिल्मस प्रोडक्शन्स गुवाहाटी।

श्री मशिक रहमान,
मैसर्स रश्मी फिल्मस, गुवाहाटी।

श्री सिबा प्रसाद ठाकुर,
मैसर्स एस. एन. फिल्मस, गुवाहाटी।

श्री मृदुल गुप्ता,
मैसर्स पल्स प्रोडक्शन, गुवाहाटी।

सुश्री उमा चक्रवर्ती,
मैसर्स न्यू विजना, गुवाहाटी।

श्री मृदुल बर्मन,
मैसर्स नूपुर सिने प्रोडक्शंस, गुवाहाटी।

श्री सुरेश कोहली,
मैसर्स नुपूर फिल्मस, दिल्ली।

सुश्री मीनाक्षी बरथबाल,
मैसर्स फोकस विजन, दिल्ली।

सुश्री वीणा सिंह, दिल्ली।

श्री पुष्पेश पंत,
मैसर्स तस्वीर कम्यूनीकेशंस, दिल्ली।

श्रीमती रानी बारदोलाई,
मैसर्स मॉकन्स, गुवाहाटी।

श्री एम. मणिराय,
मैसर्स मोइरंगथम मूवीज, गुवाहाटी।

चौ. मेमी देवी,
मैसर्स स्टूडियो संगल, इम्फाल।

सै. मुस्सावीर रहमान,
मैसर्स एस. एम. प्रोडक्शन, गुवाहाटी।

श्री अतुल वैश्य,
मैसर्स सोबी कम्यूनिकेशंस, गुवाहाटी।

श्री पी. बसंत कुमार,
मैसर्स रीकी फिल्मस इम्फाल, मणिपुर।

श्री नवज्योति दौरा,
मैसर्स आर्ट एंड मूवीज, गुवाहाटी।

श्री दिग्विजय मेधी,
मैसर्स दिग्विजय प्रोडक्शन, गुवाहाटी।

सुश्री मधुमिता चक्रवर्ती,
मैसर्स न्यूसाइट प्रोडक्शन, दिल्ली।

श्री दुलाल सैकिया, गुवाहाटी।

श्री जी. के. बारकोटोकी,
मैसर्स वीडियो कास्ट, गुवाहाटी।

श्री प्रणव ज्योति बर्मन,
मैसर्स पूजा सिने प्रोडक्शन, गुवाहाटी।

श्री सी. एन. बरूआ,
मैसर्स सूमार फिल्मस, गुवाहाटी।

सुश्री फरीदा हुसैन,
मैसर्स मान्टेज प्रोडक्शन, गुवाहाटी।

सुश्री किरन तालुकदार,
मैसर्स एन. ई. विजन, गुवाहाटी।

सुश्री अंजेला पचुआ,
मैसर्स सिनेमिस्टीक्च प्रोडक्शन, एजवाल, मिजोरम।

श्री वाणी प्रकाश दास,
मैसर्स एक्शन, 94 गुवाहाटी।

श्री संघझेलातम्
मैसर्स जोजम ऑडियो विजुअल, एजवाल, मिजोरम।

सुश्री पिनकी बेहमा च.,
मैसर्स रैन माचेर इमेजिज गुवाहाटी।

सुश्री रोगंसेनला,
मैसर्स रंगमार प्रोडक्शन, दीमापुर, नागालैंड।

श्री तपन भुवन,
मैसर्स इमेज क्रिएटर्स, गुवाहाटी।

सुश्री प्रणमिका बर्मन,
मैसर्स ईस्ट वीडियो विजन, गुवाहाटी।

श्री मोजी रीवा,
मैसर्स सेंटर फार कल्यर्स रिसर्च एंड डाक.
ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश

श्री पंकज बरूआ,
मैसर्स पी. वी. वीडियो, गुवाहाटी।

सुश्री दारिमीनारजारी,
मैसर्स मेगा, टेलीविजन, दिल्ली।

श्री इन्द्रनिल बनर्जी,
मैसर्स के. मीडिया पी. वी. टी. लि. दिल्ली।

श्री नवीन तगेहली,
मैसर्स थर्ड चैनल, दिल्ली।

श्री सुदेश उन्ही रमण,
मैसर्स सेवल हिल्स प्रिक्यर्स, मिजोरम।

सुश्री डी. डिएगडोह,
मैसर्स नार्थ ईस्ट कम्यु. शिलांग।

श्री वी. सी. सरीन,
मैसर्स शाकुर आर्टस, कोहिमा।

सुश्री रिनिचिन ड्रोमा,
मैसर्स रिनिचिन फिल्मस, दिल्ली।

सुश्री एलिजाबेथ जोपड़ी, दिल्ली।

श्री एस. आर. सलूजा,
मैसर्स एच. एम. एस. फिल्मस, दिल्ली।

सुश्री प्रिना सरीन,
मै. उदय आडियो विजुअल्स, दिल्ली।

सुश्री अनीता राय चौधरी,
मै. अनीता फिल्मस, दिल्ली।

सुश्री उमा भारद्वाज,
मै. कामाक्ष्या फिल्मस, दिल्ली।

श्री एम. पी. लेले,
मै. पी टी आई (टी वी), दिल्ली।

सुश्री कामिनी सहगल,
मै. कामिनी प्रोडक्शसं, दिल्ली।

सुश्री डौली चावला,
मै. क्रिएटिव कम्युनिकेशंस, दिल्ली।

श्री मालव श्रीवास्तव,
मै. सन साई प्रोडक्शन।

सुश्री अर्चना कपूर,
मै. ए. के. प्रोडक्शंस, दिल्ली।

श्री विजय कुमार,
मै. स्टूडियो क्रिएशंस, दिल्ली।

श्री दिनेश बब्बर,
मै. एशिया मूवीटोन, दिल्ली।

श्री मनिन्द्रा मंडल,
मै. एम. एम. प्रोडक्शंस,
24 परगनाज़ (पं. बंगाल)।

श्री अभिषेक भारद्वाज,
मै. प्रोडक्शंस 17 दिल्ली।

श्री डी. के. शर्मा,
मै. गंगोत्री फिल्मस, दिल्ली।

श्री के. विक्रम सिंह,
मै. साइन आर्ट्स इंडिया, दिल्ली।

मै. हार्न बिल प्रोडक्शन, कोहिमा।

श्री एम. एस. आजाद,
मै. बी. के. पी. मीडिया विजन, दिल्ली।

श्री कमल किशोर,
मै. देश पाल सोसाइटी, दिल्ली

श्री सुरेन्द्र मनन,
मै. अनन्य प्रोडक्शंस, गुवाहाटी।

श्री जुन्टी दौला,
मै. जे. एल. प्रोडक्शंस, गुवाहाटी।

श्री पी. सैकिया, गुवाहाटी।

श्री गुलबहार सिंह,
मै. के. आ. जी. पिक्चर्स, कलकत्ता।

तबस्सुम फातिमा,
मै. इरम प्रोडक्शंस, दिल्ली।

सुश्री नीलोफर शर्मा,
मै. एन. एस. फिल्मस, दिल्ली।

सुश्री अल्पना उपाध्याय,
मै. रचनात्मक लोग, मुम्बई।

श्री मोंग ताई,
[illegible]ल्ली।

मै. केसरी क्रिएशंस, दिल्ली।

श्री पी. एल. आहूजा,
मै. अंबिका कम्युनिकेशंस, दिल्ली।

श्री बीरेन्द्र शर्मा,
[illegible]. लाट साहब फिल्मस्।

सुश्री पेट्रिशिया संगमा,
मै. प्राची कम्युनिकेशंस, नोएडा।

श्रीमती ए. देव बर्मन,
मै. अन्वेषिका मीडिया सेन्टर, दिल्ली।

श्रीमती सरोज शर्मा,
मै. श्री क्रिएशन्स, मुम्बई।

श्री वेद शर्मा,
मै. रेडियम वीडियो मैटिक्स, दिल्ली।

सुश्री मधु थापा,
मै. बखान क्रिएशन, दिल्ली।

श्री एम. पी. लेले,
मै. पी. टी. आई,
नई दिल्ली।

श्री रशीद फिरदौसी,
मै. वेली फिल्म, श्रीनगर।

श्री मीर हिलाल,
मै. ही–विजन, जम्मू।

श्री रंजीत रैना,
मै. इमेजिक पिक्चर्स, दिल्ली।

श्री ओ. एन. कौल,
मै. मीडिअन्स, जम्मू।

श्री लव चावला,
मै. कृष्णा विजन, दिल्ली।

श्री खुर्शीद आलम,
मै. के. ए. फिल्मस, श्रीनगर।

श्री एम. बी. खुर्शीद,
मै. फिलाविद एन्टरअेनर्स,
श्रीनगर।

श्री रफीउद्दीन अहमद,
मै. न्यूज लाइन, श्रीनगर।

सुश्री विजय काऊ,
मै. सॉकर फिल्मस, जम्मू।

श्री एस. केसर,
मै. गुरू देव फिल्मस, दिल्ली।

सुश्री अपर्णा कटारा शर्मा,
मै. प्वाइंट व्यू कम्युनिकेशंस,
दिल्ली।

श्री सुरेश कोहली,
मै. सुरेश कोहली प्रोडक्शंस,
दिल्ली।

[हिन्दी]

पहाड़ी क्षेत्रों में सौर ऊर्जा

3898. श्री बची सिंह रावत 'बचदा' : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के कारण देश के पहाड़ी और दूरदराज के क्षेत्रों में अनेक गांवों का विद्युतीकरण संभव नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे गांवों की पहचान करने और उन्हें सौर ऊर्जा से लाभ देने के लिए कोई योजना शुरू कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अनुसार, गैर–वन उद्देश्यों के लिए किसी भी वन–भूमि के इस्तेमाल के लिए केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है। इस अधिनियम के अंतर्गत अनापत्ति के अभाव के कारण ऐसे गांवों की संख्या के बारे में कोई स्पष्ट अनुमान उपलब्ध नहीं हैं जहां पारंपरिक विद्युत पहुंचाना संभव न हो। तथापि यह सुविज्ञ है कि कठिन भूभागीय दशाओं, ऊंची लागत और अन्य सम्बद्ध कारकों के रहते पहाड़ी और दूर–दराज के क्षेत्रों मे बहुत से गांवों तक अब तक विद्युत नहीं पहुंचाई जा सकी है।

(ख) और (ग) घरेलू रोशनी प्रणालियों, सडक रोशनी प्रणालियों और जल पंपों जैसी अलग–अलग सौर प्रकाशवोल्टीय (एस पी वी) प्रणालियों और साथ ही लघु क्षमता के ग्राम स्तरीय प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्रों की स्थापना करके सौर ऊर्जा के माध्यम से गांवों का विद्युतीकरण किया जा सकता है।

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने अपने सौर प्रकाशवोल्टीय (एसपीवी) कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए देश में उच्च बल दिए जाने वाले क्षेत्रों के रूप में निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की है।

1. पूर्वोत्तर क्षेत्र में सभी राज्य (सिक्किम सहित)
2. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
3. लक्षद्वीप समूह
4. जम्मू एवं कश्मीर
5. उत्तर प्रदेश के पहाडी जिले
6. बिहार में छोटा नागपुर क्षेत्र
7. पश्चिम बंगाल में सुन्दरबन एवं सागर द्वीप समूह क्षेत्र
8. उड़ीसा में कोरापुट–बोलनगीर–कालाहांडी (केबीके) क्षेत्र
9. राजस्थान जैसलमेर और बाड़मेर जिले
10. मध्य प्रदेश में बस्तर जिला।

उपरोक्त क्षेत्रों को सौर प्रकाशवोल्टीय (एसपीवी) प्रणालियों की बड़ी पैमाने पर स्थापना के लिए उपयुक्त समझा जाता है। कार्यक्रम कार्यान्वयन संगठनों को सलाह दी गई है कि वे उनके क्षेत्रों में पहचान किए गए उच्च बल वाले क्षेत्रों में उन्हें आबंटित कुल लक्ष्यों का कम से कम 50 प्रतिशत लक्ष्य कार्यान्वित करें। प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम के फ्रेमवर्क के अंतर्गत इनमें से कुछ क्षेत्रों को विशिष्ट परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं और लक्ष्य आबंटित किए गए है। कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं में उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में 286 गांवो, राजस्थान में 50 गांवों और पश्चिम बंगाल में तीन गांवों का विद्युतीकरण शामिल है।

[अनुवाद]

सी. टी. बी. टी.

3899. श्री बलराम सिंह यादव :

श्री माधवराव सिंधिया :

श्री सुशील कुमार शिन्दे :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने हाल ही में न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में भाषण देते समय सी. टी. बी. टी. पर हस्ताक्षर करने की पेशकश करते हुए दूसरे परमाणु देशों को भी ऐसे ही कदम उठाने का आह्वान किया था; और

(ख) यदि हां, तो भारत के दिमाग में जो कदम हैं, उनका ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवन्त सिंह) : (क) और (ख) 24 सितंबर, 1998 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक भाषण में प्रधान मंत्री ने कहा था भारत सी.टी.बी.टी. सहित बहुत से मसलों पर प्रमुख संभाषियों के साथ विचार–विमर्श कर रहा है। हम इन विचार–विमर्शों को एक सफल परिणाम तक ले जाने के लिए तैयार हैं ताकि सी. टी. बी. टी. को लागू करने में सितम्बर, 1999 से आगे और विलंब न हो। हमें आशा है कि अन्य देश इस संधि का सी. टी. बी. टी. के अनुच्छेद XIV में किए गए उल्लेख के अनुसार बिना शर्त अनुपालन करेंगे। 15 दिसंबर को संसद में दिए गए एक वक्तव्य में प्रधान मंत्री ने सविस्तार यह कहा था कि हमारे संभाषियों द्वारा बातचीत को एक सफल परिणाम तक ले जाना और सकारात्मक वातावरण का निर्माण करना एक आवश्यक संघटक है।

कश्मीरी आतंकवादियों के साथ वित्तीय सम्पर्क

3900. श्री माधवराव सिंधिया : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 अगस्त, 1998 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'लेडेन्स फाइनेशियल लिंक्स् विद् जम्मू एंड कश्मीर अल्ट्रास एक्सपोस्ड' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार में प्रकाशित तथ्य क्या हैं; और

(ग) कश्मीरी आतंकवादियों को विदेशी एजेंसियों से धनराशि प्राप्त न होने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री जसवन्त सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार को ओस्मा बिन लादेन के जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी दलों के साथ सम्पर्क होने की जानकारी है। सरकार इस स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है और सभी आवश्यक कदम उठा रही है।

ड्रिप सिंचाई प्रणाली

3901. श्री कांतिलाल भूरिया : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को वर्ष 1997–98 के लिए ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए तथा इसके लिए कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की;

(ख) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को उक्त अवधि के दौरान ड्रिप सिंचाई के लिए लक्ष्य वृद्वि तथा अतिरिक्त सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव भेजा है;

(ग) तो इस पर केन्द्र सरकार का क्या निर्णय है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ड) क्या केन्द्र सरकार का राज्य सरकार को और अधिक सहायता प्रदान करने का और आगामी वित्तीय वर्षों में लक्ष्यों में वृद्वि करने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) कृषि में प्लास्टिक के प्रयोग संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत वर्ष 1997–98 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार के लिए 25.88 लाख के परिव्यय को शामिल करते हुए 100 हैक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार ने 291.45 लाख रुपये के परिव्यय से वर्ष 1998–98 के दौरान 1500 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल करने का एक प्रस्ताव भेजा था।

(ग) राज्य सरकार के पास अव्ययित बनाया राशि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1997–98 के लिए 70.61 लाख रू. के परिव्यय से ड्रिप सिंचाई के लक्ष्य को 300 हैक्टेयर तक बढ़ा दिया गया था।

(घ) प्रश्न नहीं उउता।

(ड) वर्ष 1998–99 के दौरान केन्द्रीय हिस्से के रूप में 245.38 लाख रुपये के परिव्यय से मध्य प्रदेश राज्य के लिए 1000 हैक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

एस. टी. डी./पी. सी. ओ. बूथों के आबंटन में हुई अनियमितताएं

3902. श्री बालासाहिब विखे पाटील : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पथार्डी जिला अहमदनगर (महाराष्ट्र दूर संचार सर्किल) में एस.टी.डी./पी.सी.ओ. बूथों के आबंटन में हुई अनिमितताओं के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

प्रौद्योगिकी मदों के निर्यात पर अमरीकी प्रतिबंध

3903. श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सरकार ने परमाणु ऊर्जा विभाग के नियंत्रणाधीन विभिन्न संगठनों को पुनः प्रयोज्य प्रौद्योगिकी मदों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है,

(ख) यदि हां, तो इन संगठनों के नाम क्या–क्या हैं तथा इस निर्णय से क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) इस निर्णय के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन में विरोध प्रकट करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां। "यू एस ब्यूरो ऑफ एक्सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन" (वाणिज्य विभाग) ने हाल ही में उन संगठनों की एक सूची जारी की है जिन पर संयुक्त राज्य अमरीका के निर्यात संबंधी प्रतिबंध लागू हैं, जिसमें और बातों के साथ–साथ, परमाणु ऊर्जा विभाग के नियंत्रणाधीन विभिन्न संगठन भी शामिल हैं।

(ख) (1) अनुसंधान तथा विकास यूनिट, नामतः

(i) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बी ए आर सी) उसकी सम्बद्व ईकाइयां तथा सुविधाएं

(ii) इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र (आई जी सी ए आर) तथा उसकी सम्बद्व ईकाइयां और सुविधाएं

(iii) नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र (एन एफ सी), उसकी सम्बद्व ईकाइयां तथा सुविधाएं

(iv) परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रान केन्द्र (वी ई सी सी)

(v) प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र (सी ए टी)

(2) भारी पानी बोर्ड तथा उसकी उत्पादन सुविधाएं

(3) परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (पूर्व में ए एम डी)

(4) विकिरण तथा आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड (ब्रिट)

(5) क्रय तथा भंडार निदेशालय (डी पी एस)

(6) निर्माण, सेवाएं तथा संपदा प्रबंध वर्ग

(7) प्रगत ईंधन संविरचन सुविधा (ए एफ एफ एफ)

(8) बेरिलियम मशीनिंग सुविधा

(9) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम (पी एस यूज)

(i) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (एन पी सी आई एल) और उसकी विद्युत परियोजनाएं

(ii) यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (यू सी आई एल) तथा उसकी खदानें और संयंत्र

(iii) इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (ई सी आई एल)

(iv) इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड (आई आर ई एल) तथा उसके संयंत्र

(10) सहायता प्राप्त संस्थान

(i) गणित विज्ञान संस्थान

(ii) भौतिकी विज्ञान

(iii) मेहता गणित तथा गणितीय भौतिकी अनुसंधान संस्थान

(iv) साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान (एस आई एन पी)

(v) टाटा मूलभूत अनुसंधान (टी आई एफ आर)

(11) तकनीकी सम्पर्क मिशन (टी एल एम)

परमाणु ऊर्जा विभाग के यूनिटों पर हाल ही में लगी निर्यात संबंधी रोक का असर परमाणु ऊर्जा विभाग के स्वदेशीकरण संबंधी प्रयासों की वजह से उसके किसी भी कार्यक्रम पर नहीं पड़ेगा।

(ग) सरकार ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) को महापरिषद् के सामने विरोध स्वरूम एक वक्तव्य 11.12.1998 को दिया है।

परमाणु अनुसंधान केन्द्र

3904. वैद्य विष्णु दत्त :

श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :

श्री एस. एस. ओवेसी :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय आर. डी. एम. एस., भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र तथा इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र प्रौद्योगिकी की आपूर्ति संबंधी अमरीका की किसी काली सूची में शामिल हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन्हें परमाणु विस्फोट किए जाने से कुछ समय पूर्व ही इस सूची में शामिल किया गया था;

(ग) क्या प्रमुख अमरीकी साफ्टवेयर कम्पनी ओरेवल ने अपने एजेंटों/विशेष विक्रय अधिकार प्राप्त एजेंटों को इन संस्थानों को इसकी मूल डाटा बेस प्रबंधन प्रणाली की बिक्री नहीं करने हेतु कहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ङ) इस प्रतिबंध से भारत के कार्यक्रम पर किस हद तक प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(च) इन संस्थानों की वर्तमान स्थिति क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बीएआरसी) तथा इंदिर गांधी अनुसंधान केन्द्र (आईजीसीएआर) का नाम संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार द्वारा जारी की गई "न्यूक्लियर अथवा मिसाइल गतिविधियों में शामिल भारतीय सरकार के संगठन" की सूची में शामिल है। "आरडीएमएस" कोई संस्थान नहीं है। यह तो एक सॉफ्टवेयर का नाम है जैसाकि (ग) भाग के उत्तर में स्पष्ट किया गया है।

(ख) संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार ने पहले ही परमाणु ऊर्जा विभाग के लिए निर्यात संबंधी विशेष लाइसेंसिंग प्रक्रियाएं निर्धारित की थीं।

(ग) ओरेकल आरडीबीएमएस (रिलेशनल डाटा बेस मैनेजेमेंट सिस्ट्मस) का नवीनतम वर्शन, ओरेकल 8 इन संस्थानों को उपलब्ध नहीं है।

(घ) यह संयुक्त राज्य अमरीका के निर्यात संबंधी नियंत्रण प्रतिबंधों का एक हिस्सा है।

(ङ) और (च) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र भारत के परमाणु कार्यक्रम पर काम कर रहे प्रमुख अनुसंधान तथा विकास यूनिट हैं। इस समय ओरेकल

आरडीबीएमएस को काम में लाते हुए किसी भी नाभिकीय डाटा बेस को नहीं चलाया जा रहा है। अतः अमरीका की सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से उनके कार्यकरण के प्रभावित होने की संभावना नहीं है।

[हिन्दी]

विवादास्पद क्षेत्र

3905. श्री मोहन रावले : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे कि** :

(क) क्या ब्रिटिश प्रसारण सेवा की उर्दू सेवा भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य को गत कुछ दिनों से विवादास्पद क्षेत्र बता रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भारत की अखण्डता और संप्रभुता को स्पष्ट चुनौती है और निसन्देह इस गलत प्रचार के पीछे पाकिस्तान का हाथ है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रचार को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

(श्री जसवन्त सिंह) : (क) बी बी सी ने यह स्पष्ट किया है कि उनके दिशा निर्देशों के अनुसार "विवादित क्षेत्र" शब्दों का प्रयोग कश्मीर के लिए नहीं किया जाता है।

(ख) और (ग) बी बी सी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को देखते हुए कोई प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

उष्ण कटिबंधीय फलों पर आधारित पेय

3906. श्री फ्रांसिस्को सारदीना : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अमेरिकी कम्पनी द्वारा वितरित भारत में बने पांच फलों के जायके वाले उष्णकटिबंधीय फलों पर आधारित पेय अमेरिकी बाजार में छाए हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस लेन–देन से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) भारत सं. रा. अमेरिका को फल पेयों समेत फल रसों का नियमित निर्यातक हैं। सं. रा. अमेरिका को किए गए फल पेयों समेत फल रसों का निर्यात मूल्य 1995–96 में 163.00 लाख रु., 96–97 में 37.00 लाख रु. और 97–98 में 158.00 लाख रु. था।

गुजरात दूरदर्शन केन्द्रों में दैनिक मजदूर

3907. श्री शान्तिलाल पुरूषोत्तम दास पटेल :

श्री राजू राणा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों, विशेषकर गुजरात दूरदर्शन केन्द्र पर गत 10 से 18 वर्षों से फ्लोर असिस्टेंट, प्रोडक्शन असिस्टेंट, टेलर आदि के रूप में बड़ी संख्या में दैनिक वेतन भोगी कार्य कर रहे हैं और उन्हें महीने में केवल 10 दिन कार्य पर लिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रोडक्शन असिस्टेंट के दैनिक भत्तो मे संशोधन किया गया है; और

(ग) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) जी, हां, लेकिन गुजरात में कोई नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पर्ल कल्चर

3908. श्री विक्रम देव केशरी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उडीसा राज्य के प्राथमिक क्षेत्र तथा सारे देश को सैन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर से हस्तान्तरित प्रौद्योगिकी का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा राज्य में "पर्ल कल्चर" को प्रोत्साहन देने के लिए आरम्भ किए गए अनुसंधान कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस लाभकारी वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) केन्द्रीय मीठा जल जीव पालन संस्थान, भुवनेश्वर द्वारा निम्नलिखित प्रौद्योगिकियां प्राथमिकता वाले क्षेत्र को हस्तान्तरित की गई हैं।

(i) प्रजनन, गहन जीरा उत्पादन तथा कार्प (मछलियों का एक प्रसिद्ध समुदाय) कैटफिश तथा मीठा जल के झीगें।

(ii) अनेक प्रकार की शफरी (कार्प) मछलियों का प्रजनन।

(iii) शफरी मछली (कार्प) का मिश्रित पालन ।

(vi) जलजीव पालन के जरिए मलजल मत्स्य पालन तथा जल उपचार।

(v) समेकित मत्स्य पालन।

(iv) मछली आहार प्रबन्ध तथा कार्प, कैटफिश तथा झींगे के लिए कम लागत वाले आहार का तैयार करना।

(vii) मछली के रोग का निदान तथा जीव महामारी व्रणकारी लक्षण के विशेष संदर्भ में उनका नियत्रण एवं मछली के रोग के नियंत्रण के लिए सी आई एफ ए एक्स नामक दवा को तैयार करना।

(viii) आनुवंशिक चयन के जरिए रोहू के किस्त में सुधार करना।

(ix) अजोला से जैव निषेचन के जरिए तालाब के पोषण तथा पर्यावरण का प्रबन्ध।

(x) मीठे जल मे मोती पालन।

(xi) पिंजरे तथा बहते पानी में मछली पालन जैसी गहन मछली पालन तकनीकें।

(xii) हैचरियों के विभिन्न प्रकार, फार्म तथा प्रणालियों के जरिए पुन: परिसेचारी प्रवाह के लिए विशिष्ट डिजाइन।

(ख) अपने सस्थान पर आधारित अनुसधान एवं विकास कार्यक्रमो तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग से धन की सहायता के जरिए केन्द्रीय मीठा जलजीव पालन संस्थान द्वारा मीठे जल मे मोती के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी को मानकीकृत किया गया है। गुणवृद्धि के साथ प्रौद्योगिकी को परिष्कृत करने के लिए अनुसधान कार्य को और तेज किया जा रहा है।

(ग) मीठे जल के मोती के उत्पादन को बढाने के लिए मीठे जल के शम्बुकों की क्षमता का पता लगाने, उनके पालने तथा मोती पालन के लिए वैकल्पिक कैंडिडेट प्रजातियां की संभावनाओं के लिए केन्द्रीय मीठा जलवीय पालन सस्थान विशेष अध्ययन कर रहा है। इसके अलावा भावी उद्यमियो जो ताले पानी के मोती पालन के लिए इच्छुक है, का पता लगाया जा रहा है तथा मीठे जल में मोती पालन के विभिन्न पहलुओं में गहन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। केन्द्रीय मीठा जलजीव पालन संस्थान का भी मीठे जल में मोती पालन के क्षेत्र मे प्रशिक्षण तथा प्रौद्योगिकी प्रसार के लिए व्यापक सुविधा देने का प्रस्ताव है।

रासायनिक हथियार

3909. श्री सुशील कुमार शिंदे :

श्री सुरेश वरपुडकर :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 अगस्त, 1998 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स" में "ईरान आब्टेम्ड केमिकल वीपनस फ्राम इंडिया सी आई ए" शीर्षक स प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित रिपोर्ट के तथ्य क्या हैं,

(ग) क्या सरकार ने इस बात का खडन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) जी हां। यह समाचार अमरीका की कांग्रेस की रिसर्च सेवा तैयार खबर पर आधारित है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि भारत ने ईरान को रासायनिक क्षेत्र की तकनीक सहित व्यापक विनाशकारी तकनीक के कुछ हथियार अल्पमात्रा में प्रत्यक्ष तौर पर उपलब्ध कराए थे।

(ग) और (घ) जी हा। सरकार ने ऐसे आरोपो का कडे शब्दों में खंडन किया है और जोर देकर कहा है कि रासायनिक हथियार अभिसमय के एक मूल पक्षकार राज्य के रूप में भारत अभिसमय के अंतर्गत इसकी बाध्यताओं को मानने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। भारत अप्रसार की दिशा मे अपनी वचन बद्धताओं को ध्यान में रखते हुए दोहरे प्रयोग के रसायनो तथा उससे संबंधित उपकरणों पर निर्यात नियंत्रण की प्रभावी व्यवस्था बनाए हुए है।

बालू खनिज

3910. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने तटीय बालू खनिज का दोहन करने के लिए किसी नई नीति की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने केरल की इंडियन रेअर अर्थ चवारा के अंतर्गत खनन भूमि से रेअर अर्थ के खनन कार्य के लिए विश्व स्तर पर निविदाएं आमंत्रित की हैं;

(घ) यदि हा, तो क्या सरकार ने इस क्षेत्र में खनन कार्यों को शुरू करने के लिए विदेशी कंपनियों को अनुमति देने के लिए सुरक्षा संबंधी बातों का मूल्यांकन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हा!

(ख) इस नीति की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) सरकार ने विरल मृदा खनन कार्य के लिए कोई सार्वभौम निविदा आमंत्रित नही की है। परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन एक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड

ने, खनिज सांद्रो, जो कि इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड के चावरा, कोल्लम जिला, केरल के परिचालन को बेहतर बनाने और उसका विस्तार करने के लिए स्थापित इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड के "खनिज पृथककरण संयंत्र" के लिए आधार सामग्री है, के खनन, पूर्व–सांद्रण और संभरण के लिए सक्षम निजी क्षेत्र के संगठनों के साथ मिलकर इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड द्वारा कार्यकारी व्यवस्था लागू करने की संभावना का पता लगाने के लिए "टाइम्स आफ इंडिया" तथा "मलयाला मनोरमा" में प्रकाशित एक नोटिस के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित की थी।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

विवरण

समुद्र तट की रेत में पाए जाने वाले खनिजों के दोहन संबंधी नीति के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी

1. भारत के पास देश के तटीय क्षेत्रों में पुलिन बालू खनिजों के विशाल भंडार हैं। भारत के निक्षेपों में सबसे बड़ा हिस्सा है और अन्य हैं रूटाइल ल्यूकोक्जीन, जर्कन, गार्नेट और मोनाजाइट। गार्नेट और सिलि– मेनाइट का छाड़कर अन्य खनिजों को परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के अधीन "विहित पदार्थ" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

2. वर्ष 1991 के "औद्योगिक नीति संकल्प" के तहत् "विहित पदार्थ" के रूप में वर्गीकृत खनिजों के खनन और उत्पादन का काम सरकारी क्षेत्र के लिए सुरक्षित रखा गया है। तथापि, नीति संबंधी संकल्प के अंतर्गत, चुनिंदा निजो क्षेत्र के उद्योगों के प्रवेश की अनुमति भी दी गई है। इस समय, भारत सरकार (परमाणु ऊर्जा विभाग) का एक उपक्रम, इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड (आई आर ई एल) ओर केरल सकरार का एक उपक्रम, केरल मिनरल्स एंड मैटल्स लिमिटेड (के एम एम एल), उड़ीसा, तमिलनाडु तथा केरल के कुछ स्थलों पर मौजूद पुलिन बालू निक्षेपों में से इन खनिजों के खनन, उत्पादन और संसाधन में लगे हुए हैं। देशीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन खनिजों और/अथवा उनके मूल्यवर्धित उत्पादों की बढ़ती मांग को तथा देश में उपलब्ध क्षमता को देखते हुए, नए स्थलों पर मौजूद निक्षेपों का दोहन करने के लिए नए संयंत्र स्थापित करना देश के हित में होगा। तथापि, इन खनिजों के विभिन्न मूल्य वर्धित उत्पादों के उत्पादन का काम ऐसा है जिसमें अत्याधिक पूंजी लगेगी और इस क्षेत्र में काम कर रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (केन्द्रीय और राज्य सरकार के स्वामित्व वाले दोनों) के लिए अकेले अपने बलबूते पर नए संयंत्र स्थापित करना संभव नहीं होगा। अतः यह जरूरी है कि कुछ व्यापक दिशानिर्देशों के रूप रेखा के भीतर रहते हुए निजी क्षेत्र को ऐसे संयंत्र स्थापित करने की अनुमति दे दी जाए। देशीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन खनिजों और/अथवा उनके मूल्यवर्धित उत्पादों की बढ़ती मांग को तथा देश में उपलब्ध क्षमता को देखते हुए, नए स्थलों पर मौजूद निक्षेपों का दोहन करने के लिए नए संयंत्र स्थापित करना देश के हित में होगा। तथापि, इन खनिजों के विभिन्न मूल्यवर्धित उत्पादों के उत्पादन का काम ऐसा है जिसमें अत्याधिक पूंजी लगेगी और इस क्षेत्र में काम कर रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (केन्द्रीय और राज्य सरकार के स्वामित्व वाले दोनों) के लिए अकेले ही अपने बलबूते पर नए संयंत्र स्थापित करना संभव नहीं होगा। अतः यह जरूरी समझा गया कि कुछ व्यापक दिशा–निर्देशों की रूपरेखा के भीतर रहते हुए निजी क्षेत्र को ऐसे संयंत्र स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

3. ऊपर बताई गई पृष्ठभूमि को देखते हुए, भारत सरकार ने सरकारी और निजी क्षेत्र की सहभागिता (विदेशी निवेश सहित) के विवेकपूर्ण मेल द्वारा इन खनिज निक्षेपों के आगे और दोहन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में एक नीति अनुमोदित की है।

4.(क) इस क्षेत्र के कार्यकलापों को तीन श्रेणियों में रखा गया है।

(i) खनन तथा खनिज पृथक्करण।

(ii) (i) के उत्पादों में स्वतः मूल्यवर्धन।

(iii) एकीकृत कार्यकलाप (i) तथा (ii) दोनों को मिलाकर।

(ख) ऊपर उल्लिखित सभी श्रेणियों के कार्यकलापों में, भारत के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियों को, सहभागिता की अनुमति होगी चाहे वे सम्बद्ध केन्द्रीय या राज्य सरकार (सरकारों) या मौजूदा अथवा नए केन्द्रीय/राज्य सरकार के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में हों या नहीं।

(ग) शुद्ध मूल्य वर्धन परियोजनाओं (पैरा 4क) (ii) की श्रेणी, अर्थात खनन और खनिज पृथककरण के बिना) के अलावा एकीकृत परियोजनाओं (पैरा 4 क) (iii) की श्रेणी, अर्थात् खनन एवं खनित पृथक्करण, तथा मूल्य वर्धन दोनों के साथ के मामले में, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति होगी, विशेषकर इस क्षेत्र में वर्तमान में कार्यरत देशीय उद्योगों द्वारा काम में लाई जा रही प्रौद्योगिकी की तुलना में अधिक प्रगत/आधुनिकतम प्रौद्योगिकी के साथ।

(i) शुद्ध मूल्य वर्धन और एकीकृत दोनों प्रकार की परियोजनाओं में चौहत्तर प्रतिशत (74 प्रतिशत) तक विदेशी ईक्विटी की भागीदारी अनुमेय होगी, बशर्ते कि मूल्य–वर्धन का स्तर पुलिन बालू खनिजों के खनन व खनिज पृथक्करण के उत्पादों के मूल्य–वर्धन के प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय मानकों/स्तर के अनुसार अधिकतम हो।

(ii) शुद्ध मूल्य–वर्धन परियोजनाओं के अलावा किसी भी मध्यवर्ती चरण तक मूल्य–वर्धन वाली एकीकृत परियोजनाओं दोनों के मामले में, केन्द्रीय/राज्य

सरकार के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी (कंपनियों) की लिखत तहरीर के जरिए चौहत्तर प्रतिशत (74 प्रतिशत) तक विदेशी ईक्विटी की भागीदारी इस प्रकार से अनुमेय होगी कि कम से कम एक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम की अपनी अलग ईक्विटी, कुल ईक्विटी के (26 प्रतिशत) प्रतिशत से कम न हो।

(iii) विशेष मामलों में, जहां चौहत्तर प्रतिशत (74 प्रतिशत) से अधिक विदेशी ईक्विटी की भागीदारी अपरिहार्य हो, वहां अनुमोदन, परमाणु ऊर्जा आयोग की अनुमति के बाद ही दिया जाएगा।

(घ) यदि पुलिन बालू खनिजों के दोहन की प्रक्रिया के दौरान मोनाजाइट निकलता है, तो ऐसे मोनाजाइट को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के निदेशों/विनिर्देशों के अनुसरण में अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति/निकाय द्वारा परमाणु ऊर्जा अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए नियमों और आदेशों के अनुसरण में, संबंधित संस्थान द्वारा उसकी लागत पर बेचा जाएगा।

(ङ) परमाणु ऊर्जा अधिनियम के प्रावधान, और उसकी अंतर्गत बनाए नियम तथा आदेश, पुलिन बालू खनिजों के दोहन, उनके आयात/निर्यात सहित, पर उस सीमा तक लागू होते रहेंगे जिस तक ऐसे खनिजों के "विहित पदार्थों" के रूप में अधिसूचित किया गया है और उक्त प्रावधानों के अंतर्गत लाइसेंस लेने की आवश्यकता है। खान तथा खनिज (नियमन तथा विकास) अधिनियम के तहत खनन संबंधी पट्टे संबंधित राज्य सरकार (सरकारों) द्वारा दिया जाना जारी रहेगा।

(च) पुलिन बालू खनिजों के दोहन से संबंधित कार्यकलापों के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के सभी मामलों, चाहे उन खनिजों को स्वतः परमाणु ऊर्जा अधिनियम के उपबंधों के अधीन "विहित पदार्थों" के रूप में अधिसूचित किया हुआ है अथवा नहीं, के संबंध में केन्द्रीय सरकार (उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय आदि) और भारतीय रिजर्व बैंक के सभी अन्य दिशानिर्देशों, मानदंडों, विनिर्देशों आदि के अनुसरण में अनुमोदन और नियमन संबंधी कार्रवाई इस सीमा तक की जानी जारी रखी जाएगी कि ये अन्य दिशानिर्देश, आदि, इस नीति में वर्णित दिशानिर्देशों से असंगत न हों।

अपर कृष्णा प्रोजेक्ट के लिए धनराशि

3911. श्री वासवराज पाटील सेडाम : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने अपर कृष्णा प्रोजेक्ट के लिए नौवीं योजना अवधि के दौरान धनराशि के आबंटन हेतु कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव पर कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) कर्नाटक सरकार ने अपर कृष्णा परियोजना (यूकेपी) हेतु नौवीं पंचवर्षीय योजना में 3371 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया था। इस परिव्यय का 1450 करोड़ रुपये परियोजना के प्रथम चरण के लिए तथा 1921 करोड़ रुपये दूसरे चरण के लिए हैं। नौवीं योजना और वार्षिक योजना 1997–98 के लिए योजना आयोग द्वारा गठित सिंचाई क्षेत्रक संबंधी कार्यदल ने नौवी योजना में यूकेपी परियोजना (प्रथम चरण) के लिए 1450 करोड़ रुपये की अनुशंसा की है और यूकेपी परियोजना (द्वितीय चरण) जो अब तक एक अननुमोदित परियोजना है, के लिए कार्यदल ने 1921 करोड़ रुपये के परिव्यय की अनुशंसा की है जो इस परियोजना के अनुमोदित होने तथा उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अधीन है। तदनुसार, राज्य की वार्षिक योजना (1997–98) में योजना आयोग द्वारा यूकेपी परियोजना (द्वितीय चरण) हेतु कोई वित्तीय परिव्यय निर्धारित नहीं किया गया था। तथापि, यूकेपी परियोजना (प्रथम चरण) के संबंध में, राज्य की वार्षिक योजना (1997–98) में योजना आयोग द्वारा 882.50 करोड रुपये का वित्तीय परिव्यय उद्दिष्ट किया गया था।

समाधान केन्द्र

3912. डा. उल्हास वासुदेव पाटील : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कृषि, पनधारा विकास और प्रौढ़ शिक्षा आदि सहित ग्रामीण और सामाजिक विकास हेतु कम लागत वाली इलेक्ट्रॉनिकी के उपयोग का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का देश भर में और अधिक 'समाधान केन्द्रों' की स्थापना का भी प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) जी, हां। इलैक्ट्रॉनिकी विभाग सामाजिक एवं ग्रामीण विकास के लिए इलैक्ट्रॉनिकी के अनुप्रयोग नामक अपने कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित विभिन्न कार्यकलापों जैसे कि कृषि, फसल कटाई के पश्चात के कार्य, वाटरशेड विकास एवं समाज उन्मुखी अनुप्रयोगों में कम लागत पर तथा प्रयोग करने में आसान इलेक्ट्रॉनिकी अनुप्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए परियोजनाए प्रायोजित करता है।

(ग) और (घ) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग, ग्रामीण स्तरीय सूचना केन्द्र (समाधान केन्द्र) स्थापित करने पर विचार कर रहा है, जिन्हें गैर सरकारी संगठनों अथवा कम्प्यूटर साक्षर ग्रामीणों द्वारा स्थापित/कार्यान्वित किए जाने की योजना है। एक गैर सरकारी संगठन द्वारा तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में पहला समाधान केन्द्र स्थापित करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कई अन्य ब्लाकों ने ऐसे केन्द्र स्थापित करने में गहरी रुचि दिखाई है।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा निधियों का आबंटन

3913. प्रो. अजित कुमार मेहता :

श्री पी. एस. गढ़वी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा फिल्मों के निर्माण और प्रदर्शन के लिए कितनी धनराशि अग्रेषित/खर्च की गई और इनको कितनी सफलता मिली ?

और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार रा निम्न अनुसार है :

(i) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्माण के लिए दी गई अग्रिम धनराशि का ब्यौरा :

(लाख रुपये में)

	1995–96	1996–97	1997–98	कुल
स्व–निर्मित फिल्में	20.91	14.42	101.24	136.57
सह–निर्मित फिल्में	222.68	261.61	210.23	694.52
ऋण	27.24	–	5.00	32.24
कुल	270.83	276.03	316.47	863.33

(ii) मुद्रण प्रचार के लिए व्यय तथा अन्य उपयोग व्ययों का ब्यौरा:

स्व–निर्मित फिल्में	19.22	10.77	7.55	37.54
सह–निर्मित फिल्में	–	53.52	13.11	66.63
भारतीय फिल्म डिस्ट	8.18	13.46	8.08	29.72
कुल	27.40	77.75	28.74	133.89

(iii) थिएटर/टी. वी. के जरिए फिल्मों के वितरण तथा इसके अधिकारों के विक्रय से आय :

स्व–निर्मित फिल्में	22.01	27.37	24.42	73.80
सह–निर्मित फिल्में	51.96	28.72	74.66	155.34
भारतीय फिल्म डिस्ट	14.13	26.78	51.13	92.04
फिल्म ऋण पर ब्याज	30.63	23.76	22.79	77.18
कुल	118.73	106.63	173.00	398.36

(iv) ऋणों की वसूली 20.57 5.57 5.89 32.03

(v) कार्यों की सफलता दरें

	सकल वसूली (III–II)	% वसूली
स्व–निर्मित फिल्में	36.26	26.55%
सह–निर्मित फिल्में	88.71	12.77%
ऋण	32.03	99.34%

[हिन्दी]

कश्मीर मुद्दे का अन्तर्राष्ट्रीयकरण

3914. श्री मोहन सिंह : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र के महासचिव श्री कोफी अन्नान ने इसकी वार्षिक रिपोर्ट में कश्मीर मुद्दे को अन्य संवेदनशील मुद्दों जैसे साइप्रस और अफगानिस्तान से जोड़ा है, जिससे विश्व में तनाव और युद्ध भड़क सकता है;

(ख) क्या भारत ने उपर्युक्त टिप्पणी के पक्ष और विपक्ष की जांच की है और कोई प्रत्युत्तर जारी किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) संगठन के कार्य पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा है, "साइप्रस शांति प्रक्रिया में रुकावट की तरह ही कश्मीर एवं अन्य मसलों पर भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ रहा है तनाव चिंता का एक महत्वपूर्ण करण है" उन्होंने अपनी रिपोर्ट में "अफगानिस्तान में उथल–पुथल" का भी उल्लेख किया।

(ख) जी, हां। सरकार ने सभी पहलुओं की जांच करके एक वक्तव्य जारी किया, जिसमें कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव की रिपोर्ट एक नेमी प्रस्तुति है तथा प्रत्येक वर्ष इसे महासभा के समक्ष रखा जाता है। 1993 से ही संयुक्त राष्ट्र महासचिव की रिपोर्ट में जम्मू और कश्मीर मसले का उल्लेख आता रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव में कोई वृद्धि नहीं हुई है। हम पाकिस्तान के साथ सीधी द्विपक्षीय वार्ता प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के प्रति कृतसंकल्प हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कन्नड़ भाषा में टेलीफोन डायेरक्टरी का मुद्रण

3915. श्री के. सी. कोंडय्या : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक दूर संचार विभाग द्वारा बंगलौर, मैसूर, हुबली, मंगलौर और कर्नाटक के अन्य शहरों की टेलीफोन डायरेक्टरी का मुद्रण कन्नड़ भाषा में कराया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इन्हें कन्नड़ भाषा में भी मुद्रण कराने का विचार है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) कार्यरत कनेक्शनों की मांग 15 प्रतिशत से अधिक होने पर ही प्रादेशिक भाषाओं में टेलीफोन डायरेक्टरियां मुद्रित की जाती हैं।

तालीबान की गतिविधियों से खतरा

3916. श्री वी. धनंजय कुमार : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफगानिस्तान में चल रही तालीबान की गति–विधियों से देश की सुरक्षा को कोई खतरा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है आर ऐसी आकस्मिकताओं से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) सरकार को तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान क्षेत्र में आतंकवादियों के प्रशिक्षण शिविरों और उनको दी जा रही सुविधाओं की जानकारी है। सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि पाकिस्तानी रूढ़िवादियों द्वारा इन सुविधाओं का उपयोग आतंकवादियों को प्रशिक्षित करने तथा उन्हें जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां चलाने के लिए किया जाता है। सरकार सभी आवश्यक कदम उठा रही है।

[हिन्दी]

लोगों का पलायन

3917. श्री धीरेन्द्र अग्रवाल क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में पलायन करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे राज्यों से पलायन को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) कोई व्यापक सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) बेहतर रोजगार अवसरों की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास आपत्तिजनक नहीं है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत इस विकल्प की गारंटी दी गई है। तथापि, गंतव्य स्थानों पर प्रवासी कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 अधिनियमित किया है।

कम्प्यूटर शिक्षा

3918. श्री प्रदीप कुमार यादव : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत आंशिक वित्तीय सहायता के माध्यम से दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान किन राज्यों में कम्प्यूटर शिक्षा दी जा रही है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (ग) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास (एमपीलैंड) योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने पांच इलेक्ट्रॉनिकी परियोजनाओं को बढ़ावा दिया है, जिनमें कम्प्यूटर जागरूकता उत्पन्न करने, इसके उत्पादक अनुप्रयोगों तथा सरकारी एवं सरकार से सहायता प्राप्त विद्यालयों/महाविद्यालयों और संस्थानों में उनके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शिक्षण में कम्प्यूटर कार्यक्रम शामिल है। जैसा कि "इलैक्ट्रॉनिकी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दिशा निर्देश" पर प्रकाशित पुस्तिका में बताया गया है, इस योजना के संबंध में कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए जाने वाले दिशा–निर्देशों के अंतर्गत इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी विभाग आवश्यक तकनीकी सहायता एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है।

2. विद्यालयों में कम्प्यूटर साक्षरता तथा अध्ययन (क्लास) पर केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना, जिसका कार्यान्वयन इस समय मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, के अंतर्गत कम्प्यूटर हार्डवेयर की खरीद एवं सरकारी तथा सरकार से सहायता प्राप्त माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर साक्षरता परियोजना कार्यान्वित करने के लिए राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

केन्द्रीय सहायता योजना

3919. श्री सुशील कुमार सिंह : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989–99 के दौरान केन्द्रीय सहायता और ऋण योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए कृषि स्थिरीकरण निधि से राज्यवार क्या प्रावधान किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार को विशेषकर बिहार से इस राशि को बढ़ाने के बारे में कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) कृषि ऋण स्थिरीकरण कोष योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को 75 प्रतिशत अनुदान और 25 प्रतिशत ऋण के अनुपात में केन्द्रीय सहायता जारी की जाती है ताकि राज्य सहकारी बैंकों के स्तर पर कृषि ऋण स्थिरीकरण कोष की स्थापना की जा सके। वित्तीय वर्ष 1998–99 के लिए इस योजना के अंतर्गत 500 लाख रुपये की राशि की [illegible] की गयी है। इस योजना के अंतर्गत धन का कोई राज्यवार [illegible] किया जाता है। क्योंकि ये धन राज्य सरकारों से प्राप्त [illegible] आधार पर जारी किए जाते हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न 'क' को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

वित्तीय सहायता

3920. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संचार प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए आतंकवादी गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्रों को वित्तीय सहायता देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) से (ग) दूर संचार नेटवर्क का विकास सामान्यतः प्रत्येक क्षेत्रीय सर्किल, परियोजना सर्किल तथा अनुरक्षण सर्किल की आवश्यकता पर आधारित होता है। वित्तीय संसाधन भी यथापेक्षित प्रत्येक सर्किल की विकास योजनाओं के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं।

[अनुवाद]

नई मूल्यांकन प्रणाली

3921. श्री ए. वेंकटेश नायक :

श्री विट्ठल तुपे :

श्री प्रसाद बाबू राव तनपुरे :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का सामाजिक क्षेत्र के व्यय के लिए नई मूल्यांकन प्रणाली प्रारंभ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नई प्रणाली के सामाजिक क्षेत्र के व्यय में किस सीमा तक कटौती करने में सफल होने की संभावना है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि नई प्रणाली चालू परियोजनाओं के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न न करे, सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना

3922. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की उन परमाणु विद्युत संयंत्र यूनिटों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने अपनी निर्धारित अवधि से अधिक समय पूरा कर लिया है;

(ख) कोटा में राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना की यूनिट–तीन को चालू करने संबंधी कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त यूनिट को निर्धारित अवधि में चालू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) भारत में कोई ऐसा परमाणु बिजलीघर नहीं है जिसने अपने निर्धारित जीवन–काल से अधिक समय पूरा कर लिया है।

(ख) कोटा स्थित राजस्थान परमाणु बिजलीघर के यूनिट–III के क्रांतिकता प्राप्त करने की निर्धारित तारीख जुलाई, 1999 होने की आशा है।

(ग) इस परियोजना को चालू करने में होने वाले विलम्ब से बचने के लिए, विभिन्न कार्यकलापों को करने और अधिक संसाधनों को काम में लाकर तथा महत्वपूर्ण कार्यों के ठेकेदारों के अलावा न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन के कर्मचारियों को भी प्रोत्साहन देकर आगे के संबद्ध कार्यों को जल्दी से कराने के उपाय काम में लाए गए हैं।

समुद्री संसाधनों का अवक्रमण

3923. श्री विजय कृष्ण हांडिक : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान खाद्य और कृषि संगठन के इस आकलन की ओर आकृष्ट किया गया है कि भारत उन पांच बड़े देशों में से है जिनके पास "मछली पकड़ने की अत्यधिक क्षमता है और जो समुद्री संसाधनों के अवक्रमण और महत्वपूर्ण आर्थिक अपशिष्ट हेतु जिम्मेवार है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का और अधिक अवक्रमण और क्षतिग्रस्त संसाधनों की प्रतिपूर्ति रोकने हेतु तत्काल कार्रवाई करने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) सरकार को परम्परागत मत्स्यन बेड़े में संतृप्तिकरण की जानकारी है जिसके परिणामस्वरूप तट के नजदीक तटवर्ती जल से वार्षिक पैदावार योग्य संभावनाओं का लगभग पूर्ण दोहन हुआ है।

मत्स्यन बेड़े को अनुकूल तथा सुसंगत बनाने के साथ–साथ विभिन्न वर्गों के मत्स्यन जलयानों की क्षेत्रवार तैनाती द्वारा मत्स्यन प्रयासों, मत्स्यन गियर तथा जाल के आकार का निर्धारण, मछली पकड़ने के मौसम को समान रूप से बंद करना, विविध प्रकार की मात्स्यिकी सहित गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का विकास, समुद्र रेंचिंग संबंधी औद्योगिक परियोजना के माध्यम से मछली स्टॉक को फिर से भरना, कृत्रिम चट्टानों की स्थापना आदि के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं।

मध्य प्रदेश में कम शक्ति के ट्रांसमीटरों को उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों में बदलना

3924. डा. रामकृष्ण कुसमरिया : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का मध्य प्रदेश में कम शक्ति के ट्रांसमीटरों को उच्च शक्ति के टी. वी. ट्रांसमीटरों में उन्नयन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) से (घ) गुना, शहडोल, अम्बिकापुर और भोपाल, (डीडी–2) स्थित अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों के स्थान पर उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों को स्थापित करने की स्कीमें इस समय कार्यान्वयनाधीन हैं।

[हिन्दी]

देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की इकाइयां

3925. श्री थावर चंद गेहलोत : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग के अंतर्गत कार्यरत कुल कितने उद्योग हैं तथा ये कहां–कहां स्थित हैं;

(ख) इनमें से कौन–कौन से तथा कितनी फैक्ट्रियां लाभ में तथा कौन–कौन सी तथा कितनी फैक्ट्रियां हानि में चल रही हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार कुछ खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के कुछ एककों का निजीकरण करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण में सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रम हैं अर्थात् मार्डन फूड इंडस्ट्रीज (इं.) लि. जिसका मुख्यालय दिल्ली में हैं और पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लि. जिसका मुख्यालय गुवाहाटी में है।

मार्डन फूड इंडस्ट्रीज (इं.) लि. की पूरे देश में 14 बेकरी यूनिटें और 5 अन्य उत्पादक यूनिटें हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम की नलकटा (त्रिपुरा) में एक फल रस सान्द्रण संयंत्र और अगरतला (त्रिपुरा) में एक काजू प्रसंस्करण संयंत्र हैं।

(ख) माडर्न फूड इं. (इं.) लि. लाभ कमा रहा है जबकि पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लि. घाटे में चल रहा है।

(ग) और (घ) सरकार ने माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इं.) लि. में सरकारी इक्विटी का आंशिक विनिवेश करने का निर्णय लिया है। भूमंडलीय सलाहकार का चयन हो गया है और स्ट्रेटजिक पार्टनर का चयन करने की प्रक्रिया जारी हैं।

[अनुवाद]

इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेन्स स्कीम

3926. श्री एच. वी. रामुलू : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बगलौर शहर में इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेन्स स्कीम कब शुरू की गयी थी;

(ख) अब तक कितने टेलीफोन उपभोक्ताओं ने उपरोक्त सुविधा का लाभ उठाया है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रिजर्व बैंक के परिपत्र में यह कहा गया है कि उपरोक्त सुविधा उपभोक्ताओं को निःशुल्क उपलब्ध करायी जानी चाहिए; और

(घ) यदि हां, तो मासिक टेलीफोन बिल जमा करते समय बैंक द्वारा अतिरिक्त प्रभार लगाये जाने के क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) 1 जुलाई, 1990।

(ख) 4022

(ग) जी, हां।

(घ) उपरोक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

भूमि का कटाव

3927. श्री पवन सिंह घाटोवार : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की **कृपा करेंगे कि** :

(क) क्या नदी अनुसंधान संस्थान पुणे द्वारा मैजन, नागाघुली और रहमानिया पर ब्रहमपुत्र के कटाव की प्रायोगिक जांच की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रायोगिक जांच कब शुरू की गयी थी तथा यह कब पूरी हो गयी है; और

(ग) प्रायोगिक जांच के निष्कर्षों के कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधानशाला पुणे ने ब्रह्मपुत्र नदी पर क्रमशः मैजन एवं नागाधुली क्षेत्र के कटाव की माडल जांच पूरी कर ली है। रोहमेरिया क्षेत्र में माडल अध्ययन संबंधी कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए असम सरकार से अभी तक कोइं पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) मैजन एवं नागाधुली क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी पर कटाव संबंधी माडल अध्ययन का कार्य नवम्बर, 1996 में प्रारंभ किया गया था और इसे मई, 1998 में पूरा कर लिया गया।

(ग) असम सरकार ने माडल अध्ययनों की सिफारिशों के आधार पर ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव से नागाधुली और मैजन क्षेत्र की सुरक्षा के लिए कटावरोधी उपाय प्रारंभ कर दिए हैं। चूंकि बाढ़ प्रबन्धन राज्य का विषय है इसलिए इन स्कीमों के कार्यान्वयन संबंधी दायित्व राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।

ग्रामीण दूरभाष केन्द्र

3928. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में जिलेवार कितने ग्रामीण दूरभाष केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) इनमें से कितने केन्द्र खराब पड़े हैं;

(ग) इन्हें चलाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) उड़ीसा में एम. ए. आर. आर. प्रणाली के अंतर्गत स्थापित दूरभाषों में जिलेवार कितने दूरभाष रखरखाव के अभाव में खराब पड़े हैं; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान इन प्रणालियों के कुशल कार्यकरण हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में **स्थापित किए गए ग्रामीण** टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या निम्नलिखित है :

वर्ष	ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या
1995–96	23
1996–97	36
1997–98	26

जिलावार जानकारी संलग्न विवरण–I में दी गई है।

(ख) और *(ग)* कोई भी टेलीफोन एक्सचेंज खराब नहीं है सभी संतोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं।

(घ) एम. ए. आर. आर. पद्धतियों के अंतर्गत अब तक 10561 टेलीफोन लगाए गए हैं। उनमें से 2218 दोषपूर्ण उपस्कर के कारण खराब हैं। जिलावार जानकारी संलग्न **विवरण–II** में दी गई हैं।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन पद्धतियों के दक्षता पूर्वक कार्य करने के लिए आबंटित वर्षवार निधियां निम्नलिखित हैं

वर्ष	निधियों का आबंटन (लाख रुपयों में)
1995–96	168.29
1996–97	143.56
1997–98	179.23

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में स्थापित किए गए ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंजों की जिलावार संख्या

जिले का नाम	निम्नलिखित वर्षों के दौरान खोले गए टेलीफोन एक्सचेंज		
	1995–96	1996–97	1997–98
1	2	3	4
बालासोर	0	2	2
बरीपाड़ा	0	0	4

1	2	3	4
बेरहमपुर	5	6	5
भुवनेश्वर	0	5	1
बोलनगीर	2	1	0
भवानीपटना	0	2	0
कटक	2	5	5
घेनकनल	1	6	2
कोरापुट	5	2	5
राउरकेला	2	0	2
सम्बलपुर	6	7	0
कुल	23	36	26

विवरण-II

उड़ीसा में अब तक एम ए आर आर पद्धतियों के अंतर्गत लगाए गए टेलीफोन और दोषपूर्ण टेलीफोनों की जिलावार संख्या

जिले का नाम	एम ए आर आर पद्धतियों पर लगाए गए वीपीटी	दोषपूर्ण वीपीटी
बालासोर	938	288
बरीपाड़ा	840	235
बेरहमपुर	1091	256
भुवनेश्वर	951	437
बोलनगीर	616	131
भवानीपटना	608	222
कटक	1134	197
घेनकनल	1071	167
कोरापुट	1563	110
राउरकेला	516	112
सम्बलपुर	1233	63
कुल	10561	2218

दूरसंचार उपकरणों का निर्यात

3929. श्री जगतवीर सिंह द्रोण : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार उपकरणों और सेवाओं के निर्यात में वृद्धि करने हेतु जोरदार प्रयास किये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी, हां।

(ख) दूरसंचार उपस्करों और सेवाओं के निर्यात में वृद्धि करने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा निम्नलिखित संवर्धनात्मक प्रयास किए गए हैं :

1. निर्यात संवर्धन निधि का सृजन किया गया है जिसमें 50 प्रतिशत आर्थिक सहायता निर्यात संवर्धन संबंधी गतिविधियों के लिए दी जाती है।

2. विभाग अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ सभी प्रमुख प्रदर्शनियों में भाग लेता है। कुछ ऐसी प्रदर्शनियां **जिनमें निजी और सार्वजनिक सेवाओं दोनों ही दूरसंचार** कंपनियों ने भाग लिया है, निम्नानुसार है:

(i) अमेरिका टेलीकाम 96 ब्राजील

(ii) कम्यूनिक अफ्रीका 96, दक्षिण अफ्रीका

(iii) एशिया टेलीकाम 97, सिंगापुर

(iv) वियतनाम टेलीकाम 97 वियतनाम

(v) इंडिया ट्रेड एक्जीबिशन 98 मैक्सिको

(vi) अफ्रीका टेलीकाम 98, दक्षिण अफ्रीका

(vii) इंडिया टेक, 98 केन्या

3. *दूरसंचार उपस्कर परामर्शी सेवाओं तथा* दूरसंचार सेवाओं के निर्यात का ब्यौरा निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपये में)

	दूरसंचार उपस्कर	परामर्शी सेवाएं	दूरसंचार सेवाएं
1993–94	58	118	456
1994–95	131	207	598
1995–96	310	235	1108.2
1996–97	240	270	1457.5
1997–98	296	312.5	2231.5

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंज

3930. श्री सुरेश चंदेल :

श्री महेश्वर सिंह :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में चालू वर्ष के दौरान लाहौल–स्पीति, मंडी, किन्नौर, शिमला, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, सोलन, कांगड़ा और चम्पा जिलों में किन–किन स्थानों पर टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है;

(ख) अब तक कितने टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गए हैं;

(ग) क्या हिमाचल प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में एम. सी. पी. सी. के उपलब्ध न होने के कारण इस लक्ष्य को हासिल करना असंभव है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) चालू वर्ष 1998–99 के दौरान 32 नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है। स्थानवार ब्यौरे संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं।

(ख) दो एक्सचेंज पहले से ही स्थापित किए जा चुके हैं।

(ग) और (घ) उपरोक्त लक्ष्य प्राप्त करने की आशा है। तथापि संलग्न विवरण–II में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 1999– 2000 के ी. सी. पर जनजातीय क्षेत्रों में 12 एक्सचेंजों के की संभावना है।

विवरण-I

1998–99 के दौरान स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित नए टेलीफोन एक्सचेंज

क्र.सं.	जिले का नाम	स्थान
1	2	3
1.	किन्नौर	करछाम
2.	किन्नौर	निगुलसारी
3.	शिमला	धारोगरा
4.	शिमला	करपाली
5.	शिमला	किआरा
6.	शिमला	कुंगल बाल्टी
7.	शिमला	लाम्याजुब्बेर
8.	शिमला	नीन
9.	शिमला	जबलडा
10.	शिमला	खुंड
11.	सोलन	गोयला
12.	सोलन	चामदार
13.	सोलन	प्रथा
14.	चम्बा	सारू
15.	चम्बा	सुरगनी
16.	कांगड़ा	ग्वाल टिक्केर
17.	कांगड़ा	जास्सूरे
18.	कांगड़ा	कपिल्ल
19.	कांगड़ा	नंदपुर भटोली
20.	कांगड़ा	सेउल
21.	मंडी	धलारा
22.	मंडी	गड्डीधार
23.	मंडी	केलोधार
24.	मंडी	नालग (तलेली)
25.	मंडी	पउसा कोही
26.	मंडी	शिकावरी
27.	मंडी	तुल्लाह
28.	मंडी	थोना
29.	बिलासपुर	कल्लार
30.	हमीरपुर	भीरा
31.	हमीरपुर	चाउड़ी
32.	ऊना	खुरवैन
33.	लाहौल–स्पीति	शून्य

* पहले से खोले गए

** आदिवासी क्षेत्र में एक्सचेंज

विवरण-II

एम. सी. पी. सी. का इस्तेमाल करते हुए खोले जाने वाले प्रस्तावित नए टेलीफोन एक्सचेंज

क्र.सं.	स्थान	जिले का नाम
1	2	3
1.	गोंडला	
2.	गोशाल	लाहौल स्पीति
3.	सांस	
4.	सिस्सू	
5.	लिप्पा	
6.	चांगों	
7.	नामगिआ	किन्नौर
8.	कनाम	
9.	गायवोंग	
10.	लोस्सार	
11.	सगनाम	
12.	गरोला	चम्बा

[अनुवाद]

मत्स्यपालन उद्योग

3931. श्री अन्नासाहिब एम. के. पाटील : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मत्स्यपालन उद्योग पर लगाई गई शर्तों से निपटने हेतु मत्स्य पालन संबंधी विधान बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सीफूड एक्सपोर्टस एसोसिएशन से इस संबंध में कोई सुझाव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) तटवर्ती क्षेत्रों में जलकृषि गतिविधियों को विनियमित करने के लिए कानून बनाने में संबंधित मामला मंत्रियों के दल को भेज दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गोआ में आधुनिक टेलीफोन सुविधाएं

3932. श्री रवि सीताराम नायक : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा में अनेक गांव एशियाई विकास बैंक द्वारा इस संबंध में ऋण देने के बावजूद भी आधुनिक टेलीफोन सुविधाओं से वंचित है;

(ख) यदि हां, तो इनकी संख्या कितनी है और इन्हें आधुनिक टेलीफोन सुविधाओं से वंचित रखने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) से (ग) जी, नहीं। गोवा में 407 गांव हैं, जिनमें से 361 गांवों में पहले से ही दूरसंचार सुविधा प्रदान की जा चुकी है। शेष 46 गांवों में भी अगले 2–3 वर्षों के दौरान दूरसंचार सुविधा प्रदान कर दी जाएगी। एशिया विकास बैंक से किसी भी प्रकार का ऋण मंजूर नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय सहकारिता नीति

3933. श्री प्रभु दयाल कठेरिया :

श्री एन. डेनिस :

श्री रामपाल सिंह :

श्री आनन्द रत्न मौर्य :

डा. वी. सरोजा :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय सहकारिता नीति और राष्ट्रीय कृषि नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय कृषि नीति का मसौदा तैयार होने के अंतिम चरण में है। इसका उद्देश्य भूमि एवं जल संसाधनों के दीर्घकालीन प्रबंध के माध्यम से प्राकृतिक संसाधन आधार का प्रबंध एवं संरक्षण है। इसके लक्ष्यों में कृषि के दीर्घकालीन विकास को प्रोत्साहन देने के लिए पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित, तकनीकी दृष्टि से सुदृढ़, आर्थिक रूप से व्यवहार्य एवं सामाजिक दृष्टि से स्वीकार्य तरीकों से प्राकृतिक संसाधनों को उन्नत बनाना है।

इस लक्ष्य के लिए, नीति के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :

- भूमि एवं जल संसाधनों के दीर्घकालीन प्रबंध के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं जैव–विविधता की सुरक्षा एवं संरक्षण,
- खाद्य आत्मनिर्भरता को बनाए रखना,
- कृषि प्रणालियों के विविधिकरण के माध्यम से अधिक रोजगार सृजन, बेहतर घरेलू आय, एवं गरीबी को कम करना,
- अविकसित एवं संभावना वाले क्षेत्रों का विकास करने एवं वर्षा सिंचित कृषि पर अधिक ध्यान देकर असमानताओं में कमी लाना,
- कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा का सुदृढ़ीकरण,
- कृषि विस्तार को अधिक मांग–चालित एवं कृषक उत्तरदायी बनाने के लिए इसकी पुनः संरचना,
- आदानों की कुशल उपयोग,

- अधिक निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र निवेश के माध्यम से ग्रामीण अवसंरचना का विस्तार,
- कृषि क्षेत्र के विकास के लिए विपणन संस्थाओं एवं अवसंरचना सुदृढ़ करने के माध्यम से कृषि उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य दिलाना एवं एक अनुकूल आर्थिक वातावरण का निर्माण करना,
- कृषि–प्रसंस्करण एवं उन्नत कटाई उपरांत सुविधाओं के माध्यम से कृषि उत्पाद मूल्य संवर्द्धन,
- कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह में वृद्धि के लिए ग्रामीण ऋण व्यवस्था को पुनः जीवित करना,
- अधिक कृषि निर्यात एवं भारतीय जिंस बाजारों का विश्व बाजारों के साथ एकीकरण,
- किसानों एवं कृषि प्रसंस्कारकों में गुणवत्ता के प्रति जागृति पैदा करना एवं गुणवत्ता परीक्षण के लिए सुविधाओं का

[illegible] क्षेत्र को उद्योगों के समकक्ष लाभ प्रदान करना,

- उपभोक्ता समुदाय की अधिक भागीदारी,
- ग्रामीण समुदाय की महिलाओं एवं कमजोर वर्गों के हितों की सुरक्षा,
- समानता के साथ अधिक उत्पादकता के लिए भूमि सुधार।

प्रस्तावित राष्ट्रीय सहकारिता नीति का उद्देश्य सहकारी संस्थाओं का सर्वांगीण विकास एवं आर्थिक व्यावहार्यता सुनिश्चित करना एवं उनके लिए एक स्वायत्त, आत्मनिर्भर, एवं प्रजातांत्रिक संस्था के रूप में कार्य करना सुनिश्चित करना है जो अपने सदस्यों के प्रति उत्तरदायी हों। प्रस्तावित नीतियों के प्रतिपादन पर सरकार अभी भी विचार कर रही है। अतः अंतिम निर्णय के संबंध में एक निश्चित समय–सीमा का उल्लेख करना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों हेतु किया गया निवेश

3934. श्री सुधीर गिरि :

श्री कृष्ण लाल शर्मा :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवी और नौवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए कितना निवेश किया गया; और

(ख) इस प्रयोजनार्थ चालू वित्त वर्ष के दौरान कितना निवेश किया गया और क्या उपलब्धि हासिल की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में हैं और इसलिए कुल निवेश के बारे में सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती।

अधिकतर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लाइसेंस मुक्त हैं। वर्ष 1991 में उदारीकरण से लेकर सितम्बर 1998 तक 53,490 करोड़ रुपये के निवेश वाले 4676 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु 18664 करोड़ रुपये के निवेश वाले 1078 अनुमोदनों को मंजूरी दी गई है।

उपर्युक्त में से सितम्बर 1998 तक 11,168 करोड़ रुपये के निवेश वाली 837 परियोजनाओं ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है।

छपरा, बिहार में दूरदर्शन केन्द्र

3935. श्री हीरा लाल राय : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिहार में छपरा जिले (सारन) में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

फिल्म प्रभाग के क्षेत्रीय केन्द्र

3936. श्री रामेश्वर पाटीदार :

श्रीमती शीला गौतम :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में फिल्म प्रभाग के कुल कितने क्षेत्रीय केन्द्र हैं;

(ख) क्या इन सभी केन्द्रों पर आवश्यक उपकरण उपलब्ध हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इन केन्द्रों पर ये सुविधाएं मुहैया कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या फिल्म प्रभाग के और अधिक क्षेत्रीय केन्द्र खोले जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) परिवार कल्याण एवं प्रतिरक्षा प्रशिक्षण फिल्म के निर्माण के लिए नई दिल्ली स्थित फिल्म प्रभाग की एक इकाई के अलावा बंगलौर और कलकत्ता में फिल्म प्रभाग के दो क्षेत्रीय निर्माण केन्द्र हैं।

(ख) क्षेत्रीय निर्माण केन्द्र कैमरा, सम्पादन मशीनें एवं रिकार्डिंग उपकरणों जैसे आवश्यक आधारभूत उपकरणों से सुसज्जित है।

(ग) यद्यपि आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं फिर भी, इस क्षेत्र में तकनीकी की प्रगति को देखते हुए साधनों की उपलब्धता के अधीन इन केन्द्रों की सुविधाओं का उपयुक्त रूप से उन्नयन करने का प्रस्ताव है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

टेलीफोन अदालत

3937. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में गुजरात राज्य में आयोजित की गई टेलीफोन अदालतों की संख्या क्या है;

(ख) प्रत्येक अदालत में कितनी संख्या में मामले निपटाए गए;

(ग) क्या सरकार का नियमित आधार पर और अधिक अदालतें आयोजित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) आयोजित की गई टेलीफोन अदालत :

वर्ष	अदालतों की संख्या
1996–97	26
1997–98	32

(ख) निपटाए गए मामले

वर्ष	संख्या
1996–97	563
1997–98	904

(ग) और (घ) मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, प्रत्येक तीन माह में सभी दूरसंचार सर्किलों/जिलों में टेलीफोन अदालतें आयोजित करना अपेक्षित है। ऐसी अदालतों के और अधिक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

डाकघरों का उन्नयन

3938. श्री श्रीराम चौहान : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से बस्ती जिले में विद्यमान उप डाकघरों और शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1998–2000 के दौरान राज्य में विशेष रूप से उक्त जिले में कहां–कहां डाकघर खोलने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) और (ख) डाकघरों का दर्जा मानदंडों पर आधारित औचित्य होने तथा धनराशि उपलब्ध रहने पर बढ़ाया जाता है। विभागीय उप डाकघरों का प्रधान डाकघरों के रूप में दर्जा बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश से प्राप्त प्रस्ताव संलग्न अनुबंध में दिए गए हैं। चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में 6 विभागीय उप–डाकघर खोलने का लक्ष्य है जिसमें अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों का विभागीय डाकघर के बतौर दर्जा बढ़ाने के माध्यम से खोले गए डाकघर भी शामिल हैं। इस वर्ष बस्ती को विभागीय उप डाकघर खोलने का कोई लक्ष्य आबंटित नहीं किया गया है।

(ग) प्रत्येक वार्षिक योजना के अंतर्गत डाकघर खोलने के लक्ष्य डाक सर्किलवार आबंटित किए जाते हैं। वार्षिक योजना 1998–99 के दौरान उत्तर प्रदेश में 78 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर तथा 6 विभागीय उप डाकघर खोलने का लक्ष्य है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध रहें। चालू वार्षिक योजना के अंतर्गत बस्ती जिले के लिए कोई लक्ष्य आबंटित नहीं किया गया है। वार्षिक योजना 1999–2000 के लिए लक्ष्य योजना वर्ष के आरंभ में निर्धारित किए जाएंगे।

विवरण

विभागीय उप–डाकघरों का प्रधान डाकघर के रूप में दर्जा बढ़ाने के लिए प्राप्त प्रस्ताव

क्रम सं.	विभागीय उप डाकघर का नाम	उत्तर प्रदेश का जिला
1.	महाराजगंज	महाराजगंज
2.	तेत्रीबाजार	सिद्धार्थनगर
3.	उत्तरकाशी	उत्तरकाशी
4.	हरिद्वार	हरिद्वार
5.	उधम सिंह नगर	उधम सिंह नगर

केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995

3939. श्री नरेश पुगलिया :

श्रीमती जयन्ती पटनायक :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन की समीक्षा करने का निर्णय लिया है अथवा इसको कारगर ढंग से लागू करने के लिए कोई तंत्र स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) से (ग) जी, हां। केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) [illegible] में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा इस अधिनियम के [illegible] करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों की नियुक्ति [illegible] की व्यवस्था है। अधिनियम में, इसके किसी प्रावधान के उल्लंघन के लिए कारावास सहित दंड का भी प्रावधान है। अब तक केवल 17 राज्यों तथा संघ शासित प्रदेश ने प्राधिकृत अधिकारियों को अधिसूचित किया है। हाल में हुए राज्यों के सूचना मंत्रियों के सम्मेलन में राज्य सरकारों को प्राधिकृत अधिकारियों को शीघ्र अधिसूचित करने का अनुरोध किया गया था। कानून को अधिक प्रभावी और वर्तमान आवश्यकताओं को अनुकूल बनाने के उद्देश्य से पिछले मा[illegible] नवम्बर में देश के प्रमुख केबल आपरेटरों के साथ बैठक की गई थी। चूंकि प्रस्तावित प्रसारण विधेयक के साथ कुछ मुद्दे सम्बद्ध हैं, इसलिए इस संबंध में अंतिम निर्णय लेने के बारे में फिलहाल कोई समयावधि निर्दिष्ट कर पाना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

किसानों को बैंक ऋण

3940. श्री के. डी. सुल्तानपुरी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में किसानों को बैंक ऋण प्रदान करने का वायदा पूरा किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों में भूमि पर ऋणों को स्वीकृत करने हेतु किसानों को पास बुक जारी की गयी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) किसानों को पर्याप्त मात्रा में तथा समय पर ऋण उपलब्ध कराने की दृष्टि से कृषि संबद्ध क्षेत्र में संस्थागत ऋण प्रणाली के सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक उपाय/पहल की गयी हैं। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- सहकारी ऋण प्रणाली के पुनरुद्धार के लिए एक प्रस्ताव लाने की पहल की गई है।
- रबी और खरीफ मौसम के लिए कृषि ऋण की आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके कार्य निष्पादन की समीक्षा के लिए राज्यों की स्थायी समिति गठित करने की सलाह दी गई है।
- सहकारी संस्थाओं की स्वायत्तता की पुनः बहाली करने की दृष्टि से बहुराज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम के पुनः प्रतिपादन हेतु कदम उठाए गए हैं।
- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के कार्यकलापों में विविधता लाने के लिए तथा इसकी प्रचालनात्मक स्वतंत्रता के लिए तथा संसाधनों तक पहुंच के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 में संशोधन करने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है।
- ऋण सीमाओं की मंजूरी संबंधी न्यूनतम वसूली से संबंधित मानदंडों तथा न्यूनतम सहभागिता क्षेत्र के मानदंडों को शिथिल करने के लिए नाबार्ड से अनुरोध किया गया है।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को इक्विटी सहायता मुहैया करायी गयी है।
- गत दो वर्षों के दौरान नाबार्ड की शेयर पूंजी 1000 करोड़ रुपये तक बढ़ी है।
- वाणिज्य या उच्च प्रौद्योगिकीय कृषि आदि के लिए ऋण प्रवाह को सुदृढ़ बनाने के लिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में राज्य स्तरीय कृषि विकास वित्तीय कंपनियां स्थापित की गई हैं।
- स्थापित किए जाने के लिए भारतीय सहकारी बैंक को पंजीकृत किया गया है ताकि सहकारी ऋण संरचना को उसके संसाधनों को अधिक आंतरिक गतिशीलता एवं सहायता के बाहरी स्रोत तक पहुंच होने में मदद मिल सके।
- भूमि रेहन/भूमि प्रभार या तीसरी पार्टी गारंटी संबंधी समानान्तर प्रतिभूति की आवश्यकता के संबंध में दिशा-निर्देशों को उदार बनाया गया है।
- वाणिज्यिक बैंकों के संबंध में ऋण वितरण प्रणाली में सुधार करने तथा कृषि ऋण के लिए प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए उपाय सुझाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित उच्च स्तरीय समिति (आर. वी. गुप्ता समिति) की कुछ सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कार्यवाही शुरू की गई है।

– गैर सरकारी संगठनों और स्वावलंबी समूहों के साथ संबंधों को सूत्रबद्ध करके ग्रामीण ऋण प्रणाली के क्षेत्र का सुविस्तार कर दिया गया है।

– क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर. आर. बी.) सहित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को प्राथमिकता क्षेत्र वाले कर्जदार का बकाया अग्रिम राशि का 40 प्रतिशत देने की सलाह दी गई है। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र को निवल बैंक ऋण का 18 प्रतिशत कर्ज देने की सलाह दी गई है।

– विभिन्न फसलों के लिए वित्तीय सहायता के पैमाने का जायजा लेने के लिए राज्य सरकार द्वारा जिला तकनीकी समिति का गठन किया गया है।

इसके अलावा, किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में किसानों को ऋण सुविधाएं देने, ताकि वे बीज, उर्वरक, कृमिनाशी आदि जैसे कृषि आदानों के क्रय तथा अपनी उत्पादन आवश्यकताओं के लिए उसे तुरंत नकदी के रूप में उपयोग में ला सके, कृषि और सहकारिता विभाग, भारत सरकार के अनुरोध पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंके ने बैंकों द्वारा स्वीकार करने के लिए किसानों को उनकी भू–जोतों के आधार पर जारी करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड आरंभ करने के लिए एक मॉडल स्कीम तैयार की है। सभी राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अगस्त, 1998 में यह अनुदेश जारी किया गया है कि वे मॉडल स्कीम के आधार पर अपने राज्य/संघ शासित क्षेत्र/प्रचालन क्षेत्र में उपयुक्त स्कीम शीघ्र लागू करें। उपयुक्त किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम लागू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को उसी प्रकार के अनुदेश जारी किए गए हैं। सभी राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि आवश्यक कार्यवाही की जाए ताकि सहकारी बैंकों सहित सभी बैंकों द्वारा अपने राज्य के सभी भागों में स्कीम क्रियान्वित हो।

प्राप्त सूचना के अनुसार, विभिन्न राज्यों, जिनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु शामिल हैं, में किसानों को 27 वाणिज्यिक बैंकों 4 राज्य सहकारी बैंकों तथा 6 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अब तक किसान क्रेडिट कार्ड लागू किए गए हैं। और आशा है कि शेष राज्य शीघ्र ही उनका अनुसरण करेंगे।

[अनुवाद]

दूरदर्शन पर क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम का प्रसारण

3941. श्री के. एच. मुनियप्पा : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन के एक और दो चैनलों पर क्षेत्रीय भाषाओं में किसी कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन दोनों राष्ट्रीय चैनलों पर प्रत्येक राष्ट्रीय भाषा में प्रसारण अवधि की प्रतिशतता क्या है;

(ग) क्या हिन्दी को छोड़कर अन्य राष्ट्रीय भाषाओं को आबंटित समय बिल्कुल नगन्य है; और

(घ) यदि हां, तो दूरदर्शन एक और दो पर, हिन्दी भाषा के कार्यक्रमों के अधिक समय आबंटित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) जी, हां।

(ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि विभिन्न भाषाओं को आबंटित समय के ऐसे प्रतिशत के बारे में आंकड़ों को केन्द्रीय तौर पर संकलित रूप में नहीं रखा जाता है।

(ग) जी, नहीं। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि प्रत्येक क्षेत्रीय दूरदर्शन केन्द्र द्वारा क्षेत्रीय भाषा में प्रतिदिन 6½ घंटे के कार्यक्रम प्रसारित किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, दूरदर्शन में केवल क्षेत्रीय भाषाओं के कार्यक्रमों के लिए समर्पित ग्यारहे क्षेत्रीय भाषा उपग्रह सेवाएं (आरएलएसएस) चैनल हैं।

(घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि डी डी–1 तथा डी डी–2 पर हिन्दी में कार्यक्रमों के लिए और अधिक समय आबंटित करने की कोई योजना नहीं है क्योंकि हिन्दी में प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रमों की वर्तमान मात्रा/अवधि को पर्याप्त माना गया है।

[हिन्दी]

खराब टेलीफोन

3942. श्री रमेश चन्द्र द्विवेदी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान एम ए आर आर प्रणाली के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के बांदा, चित्रकूट कौशम्बी और इलाहाबाद जिलों में कितने टेलीफोन कनैक्शन दिए गए और इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या उक्त जिलों में अधिकांश टेलीफोन खराब हैं;

(ग) यदि हां, तो उक्त जिलों में उन गांवों के नाम क्या है जहां स्थापना के बाद अब तक टेलीफोन संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के बांदा, चित्रकूट, कौशम्बी तथा इलाहाबाद जिलों में एम ए आर आर प्रणाली के तहत 1315

ग्रामीण टेलीफोनों के लक्ष्य के मुकाबले, 1269 टेलीफोन लगाए गए थे। वर्षवार, जिलेवार लक्ष्य तथा उपलब्ध कराये गए टेलीफोनों का विवरण निम्नानुसार है :

	95–96	96–97	97–98	जोड़
बांदा और लक्ष्य	150	318	55	523
चित्रकूट उपलब्धि	69	295	230	594
कौशम्बी और लक्ष्य	155	315	322	792
इलाहाबाद उपलब्धि	8	286	381	675

(ख) और (ग) जी नहीं। काम न करने वाले ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों (वीपीटी) की संख्या समय–समय पर बदलती रहती है। अक्तूबर 98 के अंत तक बांदा व चित्रकूट जिलों में 35 तथा कौशम्बी व इलाहाबाद जिलों में 245 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन काम नहीं कर रहे थे। गांवों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

न ए आर आर ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों के काम मुख्य कारण इस प्रकार हैं :

- एम ए आर आर प्रौद्योगिकी अधिक टिकाऊ नहीं है।
- टेलीफोन एक्सचेंजों को नियमित विश्वसनीय व्यावसायिक विद्युत आपूर्ति न होना। इससे एम ए आर आर बेस स्टेशन पर तथा बड़ी संख्या में इससे जुड़े ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- कुछेक ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंजों में विश्वसनीय पारेषण माध्यम का अभाव।
- ग्रामीण क्षेत्रों में समुचित सडकों और परिवहन की कमी के कारण मरम्मत काम में अधिक समय लगना।

(ii) ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों के निष्पादन में सुधार हेतु निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं

- निवारक अनुरक्षण खराब उपस्करों की मरम्मत करवाने के लिए आपूर्तिकर्ताओं के साथ वार्षिक अनुरक्षण संविदाओं पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। मानीटरिंग और पर्यवेक्षण को और अधिक बढ़ाया जा रहा है।
- वर्ष 2002 तक सभी एक्सचेंजों में उत्तरोत्तर रूप से विश्वसनीय पारेषण माध्यम से प्रस्ताव है।
- जहां आवश्यकता हो स्टेंडबाई पावर प्रणाली बढ़ायी जा रही है।
- 1999–2000 से उन गांवों में जहां दूरसंचार सुविधा उपलब्ध नहीं है ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की व्यवस्था के लिए वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू एल एल) तथा टी डी एम ए/पी एम पी डिजिटल प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराना।

विवरण

बांदा, चित्रकूट, कौशम्बी और इलाहाबाद जिलों में संतोषप्रद ढंग से काम नहीं कर रहे एम ए आर आर वी पी टी की सूची

1. बांदा और चित्रकूट जिला

क्र.सं.	बेस स्टेशन	ग्राम का नाम
1	2	3
1.	नरानी	मसाणी
2.	वही	राक्सी
3.	पबेरू	पटवां
4.	वही	बाघेडा
5.	वही	जलालवार
6.	वही	निभौर
7.	वही	पारस
8.	कमसिन	औडहा
9.	वडालिहा	
10.	वही	पलानी
11.	वही	पिस्ता
12.	वही	चेचरिया
13.	वही	सिकहुला
14.	खुरोंड	घुडारा
15.	वही	संगमपुर
16.	माणिकपुर	हनुवां
17.	वही	सरायान
18.	वही	रामपुरिया
19.	वही	काउवाड़ा
20.	वही	दुधवनया
21.	वही	अगरहुंडा
22.	वही	अरवाड़ा
23.	वही	गिड्डुराहा
24.	वही	नया चन्द्र
25.	वही	वसाईधा
26.	भरतकूप	घरटुनपुर
27.	वही	पटाडा
28.	वही	लूक
29.	कारवी	वरवाड़ा
30.	वही	बालपुर

1	2	3
31.	मऊ	लउरी
32.	वही	कोटारी खाम्पा
33.	वही	ओंघर
34.	वही	कराही

कौशम्बी तथा इलाहाबाद जिले

1. रत्नसेनपुर
2. सांगीपुर
3. जमालपुर
4. श्यामपुर अलियास कल्याणशाह
5. बलई मऊ
6. चांदपुर सौरभ
7. मिसीर पट्टी
8. देवगलपुर
9. बसदैया
10. बसस्पुर
11. पुरूषोत्तम पुर
12. यादवपुर
13. उपरियाबादल
14. घासादीह
15. अंचदीह
16. चिटपुर लखनी
17. अकोथा
18. आरगांव
19. राजापुर चौबारा
20. महरौडा
21 परखीपुर
22. पासिमापुर
23. अलावासपुर
24. जमहा
25. करौंधी
26. धाणीपुर
27. शेशपुर सरैव
28. आर, मतिमरोना
29 रामैपुर
30. रघुनाथपुर
31. बहादुरपुर
32. अयोध्या
33. चिरौन
34. बाराहुला कलां
35. खामीहारी कलां
36. राजापुर
37. सलैया
38. पुरे कुर्मी
39. दादर
40. हरदिया
41. वासनपुर
42. धूआ
43. हरदौन
44. गोवोरी
45. पचोह
46. कोएलदिया
47. सेमरी निरोल
48. टीकर
49. जमसौत
50. बाघैल
51. पुरादत्त
52. कुदवा (उन्हागांव)
53. घापड़
54. ओजरा
55. खमुरिया
56. मानपुर मुरादमदली
57. सिरौंधी कलां
58. पाथरा
59. खजूरी खुर्द
60. रेही
61. मोहदीनपुर
62. चन्द्रासेनपुर
63. मुनीमपुर
64. सिकन्दरपुर टेमा
65. दहिया
66. पाराई

67. जरैनी
68. गिथूरा
69. रसूलपुर
70. रामपुर
71. बथूई
72. घूरी
73. उदाथू
74. गोहनी कलां
75. फरीदचक
76. कोडईउपरेहर
77. आदमपुर नादिर अली
78. वजाह

नसीरपुर सिसना
मिती तालुका

81. खेफआ
82. नुमैया
83. दाही
84. गोएतिउफरहार
85. जोघवान
86. उज्जैन पट्टी
87. पुलवा
88. पनसारा
89. रावतपुर
90. इब्राहिमपुर दुल्लापुर
91. वेरावन
92. उमरी ता पुर्वा
93. वडगोहया खुर्द
94. बारी बारजहिया
95. मनौरी
96. बड़ौली
97. बेणीपुर
98. माही
99. कोल्हुअवा
100. बैरी
101. खपातिहा
102. पदोखारा
103. अंतरी खुर्द
104. जोकनई
105. चांदी
106. लोहाड़ी
107. निबी ता खई
108. भगेसर दिल्ली
109. अमीलो
110. रामगढ़
111. कबरा
112. रोकाड़ी
113. पिपरेओन ता कर्च
114. राही खुर्द
115. भरोहा
116. रिकरिया
117. खानी का उपरीहर
118. कुकधी
119. बेलसारा
120. देवरा
121. कुलमई
122. सेहरा
123. शाहीपुर
124. भजना
125. गणेशीपुर कछार
126. मोतीहा
127. मंदौर
128. जगुआ सोंधा
129. सैदाबाद
130. डमडुमा
131. बांदा
132. अटरौन
133. पृथ्वीपुर
134. गिरधरपुर गद्धी
135. ताल मल्लाहान
136. अम्बे बुजुर्ग
137. फरहीमपुर (जहनप.)
138. कोरियो

139. विदुरा
140. अंचरावन
141. कंव्वार
142. हिसामपुर माधो
143. थॉन
144. माखनपुर बाडी
145. आसीपुर
146. रिजीपुर सेनो
147. उदाहिन खुर्द
148. पढ़वा प्रतापुर
149. चाम
150. फतेहरी गुरेहटा
151. नौडिया तबहार
152. बिहारिया
153. सुखाल साहनी
154. नारी बाड़ी
155. नाडिया उपराहर
156. चौखाटा

1. खौदिया
2. बंका जलालपुर
3. वडारिया
4. गमरहटा
5. जुगुनीडीह
6. जमुई
7. चैमलपुर
8. फुलपुर विक्रम
9. ज्यायानीपुर
10. बुआपुर
11. हसनपुर बोरासी
12. गाहरपुर
13. सराय लीलाधर
14. अरवानीत
15. दानहाट
16. वालीपुर
17. गहांनीपुर
18. जमुआ
19. वैजपुर
20. अधानी
21. सराय गुलडौरा
22. सुवारा
23. भटाटी
24. शाहपुर कलां
25. गौरा
26. भिगारी
27. कनाईला
28. कुडार
29. खूंटा
30. छपोरा
31. सेंधुवार
32. घवरा (छपरा)
33. भौंडी
34. परोवा प्रतापपुर
35. लोनीपार
36. सोनबरसा
37. सिंह टिकर
38. डेवरा
39. सोनबाई
40. सोनवाई
41. खपरौरा
42. मासीपारी तरहार
43. घुडी
44. जवाई
45. लेहडारी
46. सुलतानपुर (पुरवाड़ी)
47. स्कुनपुर
48. काईनी
49. सुल्तानपुर
50. राधोपुर
51. राला
52. लच्छीपुर
53. पट्टी परवेजाबाद
54. बिररैली

55. देओमिटा
56. सिहौरी
57. पश्चिम शरीरा
58. मारवसावन
59. गौहानी
60. ब्रहनदुरपुरू
61. निखोड़ा
62. शारिरपुर
63. गौसपुर टिकरी
64. इब्राहिमपुर
65. घासीपुर
66. टिकरी नयी
अकसानपुर
नगवा सोंधा
69. बड्डू का पुरा
70. बेनीपुर
71. रसूलपुर
72. वरियावा
73. जमुनीपुर
74. मोहिउद्दीनपुर
75. मुरार पट्टी
76. चाक जयंतीपुर
77. सिहोरी अपरहार
78. चाक शार्बा
79. डिहा
80. लोहारी
81. कुबी
82. हथसारा
83. सिकीकलां
84. घोरहाट
85. हिसामाबाद
86. अपधान
87. जुगराजपुर
88. चाकवां
89. मक्हूमपुर धकसाहा
90. मेडराहा

[अनुवाद]

वारंगल, आंध्र प्रदेश में उच्च शक्ति ट्रांसमीटर

3943. श्री जी. गंगा रेड्डी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वारंगल, आन्ध्र प्रदेश में एक उच्च शक्ति टेलीविजन ट्रांसमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस ट्रांसमीटर द्वारा कब तक अपना कार्य शुरू कर देने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वारंगल में 10 किलोवाट उच्च शक्ति ट्रांसमीटर की स्थापना संबंधी स्कीम फिलहाल कार्यान्वयनाधीन है। वर्ष 2000–2001 के दौरान इस परियोजना के पूरा हो जाने की संभावना है बशर्ते कि टावर एवं सिविल निर्माण कार्य, ट्रांसमीटर स्थल तक पहुंच मार्ग का निर्माण समय पर पूरा हो तथा अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हों। इसके तत्काल बाद ट्रांसमीटर के प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए अपेक्षित कर्मचारी उपलब्ध होते ही इसे चालू कर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में सतना, मेहर में दूरदर्शन केन्द्र

3944. श्री रामानन्द सिंह : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के सतना जिले में मेहर में दूरदर्शन केन्द्र को पहले ही स्थापित किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त दूरदर्शन केन्द्र कब से कार्य करना आरंभ कर देगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) जी, हां। मेहर में एक अल्प शक्ति टी. वी. रिले केन्द्र मई, 1995 से कार्य कर रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

तेलुगु फिल्म का प्रसारण

3945. श्री एम. राजैया : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन केन्द्र हैदराबाद ने नवम्बर 1998 से तेलुगु फिल्मों के प्रसारण को बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में निजी चैनलों की लोकप्रियता का सामना करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि वित्तीय बाध्यताओं के कारण डी डी–8 पर तेलुगु फिल्मों का प्रसारण अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। 18 नवंबर, 1998 से तेलुगु फिल्मों का प्रसारण पुनः शुरू कर दिया गया है।

(ग) दूरदर्शन दर्शकों की रूचि बनाए रखने की दृष्टि से अपने कार्यक्रमों में गुणात्मक सुधार लाने के लिए सतत् प्रयास करता है।

लिक्युड प्रोपल्सन सेन्टर

3946. श्री एन. डेनिस : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि तमिलनाडु में महेन्द्रगिरी में आई. एस. आर. ओ. लिक्युड प्रोपल्सन सेन्टर यूनिट के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : तमिलनाडु में द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र (एल. पी. एस. सी.) महेन्द्रगिरी जांच सुविधाएं (एल. एम. एफ.) को मुख्य रूप में द्रव नोदन इंजिन और चरणों की जांच के लिए स्थापित किया गया है। इस समय हमारी कार्यक्रम संबंधी जरूरतों के आधार पर क्रायोजेनिक इंजिनों और चरणों की जांच के लिए आवश्यक जांच सुविधाएं स्थापित की जा रही हैं।

विविध सुविधाओं के उपयुक्त संवर्धन/आधुनिकीकरण तथा इन कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित विविध क्रियाकलापों की पुर्नसंरचना का कार्य सतत् आधार पर किया जाता है। इसके लिए आवश्यक निधि आवश्यकतानुसार प्रदान की जाती है।

कार्यक्रमों का प्रसारण रद्द करना

3947. श्रीमती कमल रानी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों से प्रसारित किए जाने वाले अनेक निर्धारित कार्यक्रमों को रद्द किया गया है अथवा उनका प्रसारण रोका गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान, दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क अथवा मैट्रो द्वारा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के सीधे प्रसारण की अवधि को छोड़कर उत्तर प्रदेश में केन्द्रों के नियत चार्ट के अनुसार निर्धारित किसी कार्यक्रम को न तो रद्द किया गया और न ही बंद किया गया है। तथापि, इन कार्यक्रमों को बाद में प्रसारण हेतु सूचीबद्ध किया गया था।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बाढ़ नियंत्रण

3948. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बाढ़ पर नियंत्रण पाने के लिए बाढ़ आयोग की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, और

(घ) यदि हां, तो आयोग द्वारा की गई सिफारिशों तथा उन पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने देश की बाढ़ संबंधी समस्या के लिए एक समन्वित, एकीकृत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने तथा कार्यान्वयन के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करते हुए एक राष्ट्रीय योजना बनाने के वास्ते पंजाब के तत्कालीन राज्यपाल डा. जयसुखलाल हाथी की अध्यक्षता में जुलाई, 1976 में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन किया था।

(ग) और (घ) इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट मार्च, 1980 में भारत सरकार को प्रस्तुत की जिसमें बाढ़ प्रबन्धन पर 207 सिफारिशें की गई थीं जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ पहले का दृष्टिकोण और उपलब्धि, विकास संबंधी कार्यों और अतिक्रमण का प्रभाव, बाढ़ से होने वाली क्षति के आकलन की पद्धति, तुरंत ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्र, भूमि उपयोग और विनियमन, लागत और लाभ मानदंड तथा भावी दृष्टिकोण के पहलू शामिल थे। इस आयोग की रिपोर्ट को कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को भेज दिया गया था।

[हिन्दी]

भारतीय विदेश सेवा अधिकारी

3949. श्री रामदास आठवले : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय विदेश सेवा अधिकारियों की श्रेणीवार संख्या क्या है;

(ख) इनमें से श्रेणीवार कितने अधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं;

(ग) इन श्रेणियों में कितने पद रिक्त पड़े हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन रिक्तियों को भरने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) 15.12.98 को भारतीय विदेश सेवा की श्रेणीवार कुल संख्या निम्नलिखित है : 1. भारतीय विदेश सेवा श्रेणी–I–26 2. भारतीय विदेश सेवा श्रेणी–II–34 3. भारतीय विदेश सेवा श्रेणी–III–166 4. भारतीय विदेश सेवा श्रेणी–IV–136 5. भारतीय विदेश सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी तथा वरिष्ठ वेतनमान–183, और 6. परिवीक्षार्थियों सहित भारतीय विदेश सेवा के कनिष्ठ वेतनमान–42 (कुल 587)।

उपर्युक्त में से अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग, से आने वाले अधिकारियों की श्रेणीवार संख्या निम्नलिखित हैं: 1 भारतीय विदेश सेवा के श्रेणी–I का 1 अनुसूचित जाति तथा 1 अनुसूचित जनजाति 2. भारतीय विदेश सेवा की श्रेणी–II 1 अनुसूचित जाति 3. भारतीय विदेश सेवा की ग्रेड–III 26 अनुसूचित जाति और 13 अनुसूचित जनजाति; 4. भारतीय विदेश सेवा के श्रेणी–IV 24 अनुसूचित जाति तथा 9 अनुसूचित जनजाति; 5. भारतीय विदेश सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी तथा वरिष्ठ वेतनमान–30 अनुसूचित जाति और 11 अनुसूचित जनजाति; 6. परिवीक्षार्थियों सहित भारतीय विदेश सेवा का कनिष्ठ वेतनमान–7 अनुसूचित जाति 3 अनुसूचित जनजाति तथा 11 अन्य पिछड़ी जाति। अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए आरक्षण 1995 बैच से आरंभ हुआ। अतः इस श्रेणी से आने वाले सभी अधिकारी भारतीय विदेश सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में हैं और उनकी संख्या 11 है।

(ग) इन श्रेणी में रिक्त पड़े पदों की संख्या 10 है। इन रिक्त पदों में से 7 अधिकारी (3 अनुसूचित जाति, 1 अनुसूचित जनजाति तथा 3 अन्य पिछड़ा वर्ग) जिन्हें पहले ही भर्ती किया जा चुका है, वे मंसूरी में अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं तथा शीघ्र ही मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। शेष रिक्त पद 3 हैं जो भर्ती के स्तर पर हैं अर्थात् भारतीय विदेश सेवा का कनिष्ठ वेतनमान। 3 पदों में से 1 अनुसूचित जाति के लिए तथा 2 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए हैं।

(घ) भर्ती नियमों के अनुसार रिक्तियों को भरा जा रहा है।

बिहार की सिंचाई योजना

3950. श्री रामटहल चौधरी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग को बिहार राज्य सरकार से सेन समिति की सिफारिशों पर राज्य के सूखा प्रभावित तथा नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए निजी सिंचाई कार्यक्रम के अंतर्गत कोई सिंचाई योजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

आई एस पी लाइसेंस

3951. श्री मोइनुल हसन अहमद : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 47 कंपनियों को जो इस कार्य के लिए सूचीबद्ध हैं, को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स लाइसेंस प्रदान करने का है;

(ख) इन कंपनियों को कितने आई एस पी लाइसेंस प्रदान करने की संभावना है और उन्हें अपने कार्य करने के लिए देश में कौन–कौन से क्षेत्र देने की संभावना है;

(ग) क्या इन कंपनियों ने ऐसे लाइसेंसों के लिए गत जुलाई में आवेदन पत्र जमा नहीं किए थे;

(घ) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने ये आवेदन रद्द नहीं कर दिए थे; और

(ङ) यदि हां, तो बाद में लाइसेंस प्रदान करने के लिए इन कंपनियों पर विचार करने के क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) सरकार का उन सभी कंपनियों को इंटरनेट सेवा प्रदाता (आई एस पी) लाइसेंस प्रदान करने का प्रस्ताव है, जो उसके लिए आवेदन करती है और उसके लिए पात्रता मानदंड पूरे करती हैं। 6 नवंबर, 1998 अर्थात् नई आई एस पी नीति घोषित करने की तारीख को 47 आवेदन लम्बित थे। जहां तक आई एस पी लाइसेंसों का संबंध है, किसी प्रकार की छंटनी का कोई प्रश्न नहीं है।

(ख) 47 आवेदनों में से 26 लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। प्रचालन क्षेत्रों सहित इन कंपनियों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। छह आवेदन संबंधित कंपनियों द्वारा वापिस ले लिए गए थे। आठ आवेदन अनुमोदित कर दिए गए हैं और इन कंपनियों को लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करने हेतु आने के लिए सूचित कर दिया गया है। सात आवेदन अधूरे हैं।

(ग) 47 आवेदनों में से 29 आवेदन जुलाई 1998 तक प्रस्तुत कर दिए गए थे।

(घ) इन आवेदनों को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा रद्द नहीं किया गया है।

(ङ) उपर्युक्त (ग) और (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

उन कंपनियों की सूची जिन्हें 47 आवेदकों में से आई एस पी लाइसेंस जारी किए गए हैं

क्र.सं.	कंपनी का नाम	श्रेणी	सेवा क्षेत्र
1	2	3	4
1.	एम टी एन एल	'ख'	दिल्ली
2.	एम टी एन एल	'ख'	मुम्बई
3.	मैसर्स औरटेल कॉम लिमिटेड	'ग'	भुवनेश्वर
4.	मैसर्स रोलटा इंडिया लि.	'ख'	मुम्बई
5.	मैसर्स सुरेविन कंसल्टेंट्स (प्रा.) लि.	'ग'	गाजियाबाद
6.	मैसर्स यूनाइटिड इंटरनैट कॉम (प्रा.) लि. मुम्बई	'ग'	जयपुर
7.	मैसर्स बरेली कॉम (प्रा.) लिमिटेड	'ग'	बरेली
8.	मैसर्स पालिवाल फाइनेंशियल सर्विसेज प्रा. लि., पानीपत	'ग'	करनाल
9.	मैसर्स सोमनी ओवरसीज लिमिटेड	'ग'	सूरत
10.	मैसर्स अरून गिरिजा कॉम प्रा. लिमिटेड पटना	'ग'	पटना
11.	मैसर्स किजारू एप्लाऐसिज (प्रा.) लि. अहमदाबाद	'ग'	राजकोट
12.	मैसर्स इलेकलिप्स नेटवर्क (प्रा.) लिमिटेड	'ख'	अहमदाबाद
13.	मैसर्स वेक फील्ड नेमोनिक्स इन्फोनेटवर्क्स प्रा. लिमिटेड	'ख'	पुणे
14.	मैसर्स एस एन सी इन्फोटेक प्रा. लिमिटेड, गाजियाबाद	'ग'	गाजियाबाद
15.	मैसर्स जावेरू चन्द साइबर इन्फोटेक प्रा. लि.	'ग'	वडोदरा
16.	सृष्टि ओपन सिस्टमस प्रा. लि. टी वी एम	'ग'	त्रिवेन्द्रम
17.	मैसर्स सुखकरता फाइनेंस ट्रेड, प्रा. लि., मुम्बई	'क'	समस्त भारत
18.	मैसर्स त्रिकोण इलैक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि., मुम्बई	'ख'	मुम्बई
19.	मैसर्स सुचिम कम्युनिकेशन्स प्रा. लि., सतारा (मध्य प्रदेश)	'ग'	सतारा
20.	मैसर्स पंजाब कॉम लिमिटेड, मोहाली	'ख'	पंजाब
21.	मैसर्स एस के डिजिटल टेक्नोलोजी प्रा. लि., दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल)	'ग'	दुर्गापुर
22.	मैसर्स सी एस प्रोसोफ टेक इन्फोरमेटिक्स प्रा. लिमिटेड, मदुरै	'ग'	मदुरै
23.	मैसर्स इन्डुसिंद केबल टेलीजिवन लिमिटेड, मुंबई	'ख'	मुम्बई
24.	मैसर्स इन्डुसिंद डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, मुम्बई	'क'	समस्त भारत
25.	मैसर्स जैन स्टूडियोज–लिमिटेड, नई दिल्ली	'ग'	गाजियाबाद
26.	मैसर्स गेटवे इंटरनेट सर्विस प्रा. लिमिटेड (काकिनाडा)	'ग'	राजामुन्दरी

बेधन कुएं

3952. श्रीमती रानी नरह : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार ने छोटे और मझौले किसानों के लिए राज्य से सिंचाई बेधन कुआं कार्यक्रम शुरू करने हेतु केन्द्र सरकार से कोई वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उससे कितने एकड़ भूमि को सिंचाई प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस धनराशि को कब तक स्वीकृति प्रदान की जायेगी तथा कब तक उसे जारी कर दिया जाएगा?

...य में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) (क) से (ग) ...न 1,62,000 हेक्टेयर (400310 एकड) क्षेत्र की सिंचाइ क लिए 54000 उथले नलकूप लगाने के वास्ते 96.2 करोड़ रुपये की लागत की एक स्कीम केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की है और 64.77 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता मांगी है।

(घ) लघु सिंचाई स्कीमों जिसमें उथले नलकूप शामिल हैं, की आयोजना और वित्त पोषण राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने स्वयं के बजटीय संसाधनों में से किया जाता है। तथापि, गंगा कल्याण योजना नामक केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत असम राज्य सरकार को वर्ष 1997–98 के दौरान भूजल (बोर वेल्स और नलकूपों) को निकालने (एक्स प्लोइटेशन) के लिए 257.01 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता जारी की गई थी।

पर्यावरण के अनुकूल उर्वरक और कीटनाशक दवाएं

3953. डा. असीम बाला : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कृषि के क्षेत्र में पर्यावरण के अनुकूल जैव–कीटनाशक, जैव–उर्वरक और जैव–नियंत्रक के उपयोग को बढावा देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए अध्ययन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार की कीटनाशक दवाईयों और उर्वरकों के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या योजनाएं बनाई गयी हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के विभिन्न संस्थानों, जैव–प्रौद्योगिकी विभाग, केन्द्रीय समेकित कृषि प्रबंध केन्द्रों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों एवं निजी क्षेत्र में कुछ अनुसंधान एवं विकास केन्द्रों द्वारा किए गए अध्ययनों के आधार पर, जैव कृमिनाशियों जैसे–नीम एवं बैसिल्स आधारित कृमिनाशी, आरियोफन्जिन, कासुगामाइसिन, वालिडामाईसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट एवं टेट्रा साइक्लिन हाइड्रोक्लोराईड को कृषि में विभिन्न कीटों, कृमियों एवं रोगों के नियंत्रण के लिए कीटनाशी अधिनियम 1968 के अधीन पंजीकृत किया गया है। इसके अलावा, 10 परजीवियों, 3 परभक्षियों, 5 फाइटोफैगस कीटों एवं 8 कीट/रोग जनकों को विभिन्न फसलों के कीटो, कृमियों एंव रोगों के नियंत्रण के लिए मुख्य जैव नियंत्रकों के रूप में अभिज्ञात किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं राष्ट्रीय जैव–उर्वरक विकास केन्द्र द्वारा किए गए अध्ययन के आधार पर जैव उर्वरकों के लिए पैकिंग सामग्री, संग्रहण स्थितियों, वाहक सामग्री के मानकीकरण एवं उनके शेल्फ–जीवन में सुधार लाने के अतिरिक्त जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किए जाने वाले जीवाणुओं की उन्नत किस्मों को अभिज्ञात कर लिया गया है। जैव उर्वरकों के उत्पादन में राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास निगम, 6 क्षेत्रीय केन्द्र एवं कृषि मंत्रालय की जैव–उर्वरक उत्पादन इकाईयां लगी हुई हैं।

(ग) इस प्रकार के पर्यावरण के लिए अच्छी जैव कृमिनाशियों, जैव–नियंत्रकों एव जैव–उर्वरकों के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं :

1. समेकित कृमि प्रबंध प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है जिसमें अन्य बातों के अलावा रासायनिक कृमिनाशियों एवं उर्वरकों के स्थान पर जैव–नियंत्रकों, जैव कृमिनाशियों एवं जैव–उर्वरकों के उपयोग शामिल हैं,
2. 21 राज्यों एवं 1 संघ शासित क्षेत्र में 26 केन्द्रीय समेकित कृमि प्रबंध केन्द्रों की स्थापना,
3. कृषि में जैव–नियंत्रकों एवं जैव–कृमिनाशियों के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों एवं कृषि विस्तार अधिकारियों को समेकित कृमि प्रबंध में प्रशिक्षण देने के लिए कृषक क्षेत्र विद्यालयों की स्थापना,
4. जैव कृमिनाशियों, फेरोमोन एवं जैव नियंत्रकों के उपयोग के प्रदर्शन के लिए विभिन्न फसल स्कीमों के अंतर्गत समेकित कृमि प्रबंध प्रदर्शनी,
5. 50 लाख रुपये प्रति प्रयोगशाला की दर से 29 राज्य जैव–नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को सहायता अनुदान,
6. जैव–नियंत्रकों के उत्पादन तकनीकों में राज्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण,
7. अनन्तिम पंजीकरण के लंबित रहने के दौरान जैव–कृमिनाशियों के व्यावसायीकरण के साथ–साथ उनके पंजीकरण के लिए सरल प्रक्रियाएं एवम् आंकड़ा आवश्यकताएं,

8. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् एवं जैव–प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जैव–नियंत्रकों, जैव–कृमिनाशियों एवं जैव–उर्वरकों पर अनुसंधान एवं विकास समर्थन,

9. राष्ट्रीय जैव–उर्वरक विकास केन्द्र एवं 6 क्षेत्रीय केन्द्र जैव–उर्वरकों का उत्पादन एवं वितरण करते हैं,

10. उर्वरक विभाग द्वारा 58 जैव–उर्वरक उत्पादन इकाइयों का वित्त पोषण किया गया है जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 8300 मी. टन जैव उर्वरक/वर्ष की है, एवं

11. राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा जैव–उर्वरकों पर क्षेत्र प्रदर्शनी का आयोजन।

पटना दूरदर्शन केन्द्र में नैमित्तिक कर्मचारियों का विनियमन

3954. डा. सी. पी. ठाकुर : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना के केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा दिये गये निर्णय के बावजूद भी दूरदर्शन केन्द्र पटना में कार्यरत सभी नैमित्तिक कर्मचारियों की सेवाओं को विनिश्चित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 40 करोड़ रुपये की लागत से बनाए गए स्टूडियो मे अभी भी कार्य करना शुरू नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या स्टूडियो में करोड़ों रुपयों के लगे कई उपकरण प्रयोग न होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गये; और

(च) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) और (ख) 32 पात्र नैमित्तिक कर्मचारियों जिनकी सेवाएं रिक्तियां उपलब्ध न होने के कारण नियमित नही की जा सकी, को छोड़कर दूरदर्शन केन्द्र पटना में कार्यरत पात्र नैमित्तक कर्मचारियों की सेवाएं केन्द्रीय न्यायिक अधिकरण, पटना के निर्णय की शर्तों के अनुसार नियमित कर दी गई है। रिक्तियां उपलब्ध होते ही उनको नियमित कर दिया जाएगा।

(ग) और (घ) दूरदर्शन केन्द्र, पटना की कुछ इकाइयों ने पहले ही नए स्टूडियो से कार्य करना प्रारंभ कर दिया है स्थायी स्टूडियो स्थापना का सामान्य प्रचालन पूरी संख्या में कर्मचारियों के स्वीकृत होने और तत्पश्चात् उनकी तैनाती किए जाने पर निर्भर करेगा।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दूरदर्शन कार्यक्रमों को स्वीकृति

3955. श्री ब्रजमोहन राम : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के डालटनगंज दूरदर्शन केन्द्र द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान कितने कार्यक्रमों को स्वीकृति प्रदान की गई;

(ख) उन कार्यक्रमों पर कितना खर्च आया और उनके निर्माताओं के नाम क्या हैं;

(ग) उन कार्यक्रमों के नाम क्या हैं जिनके प्रस्ताव डाल्टनगंज दूरदर्शन केन्द्र के विचाराधीन हैं;

(घ) क्या 1993–94 के दौरान की गई अनेक नियुक्तियों के मामले में अनियमितताओं की शिकायतें मिली हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि पिछले दो वर्षों अर्थात् 1996-97 एवं 1997-98 के दौरान 30-30 मिनट की अवधि के कुल 114 तथा 162 घरेलू कार्यक्रम प्रसारित किए गए थे। उनकी लागत क्रमशः 2,18,520.00 रुपये एवं 6,98,481.00 रुपये थी। इसके अलावा, 3,48,400.00 रुपये की राशि का भुगतान उन बाहरी निर्माताओं को किया गया था जिनके कार्यक्रम रायल्टी आधार पर प्रसारित किए गए थे। इन निर्माताओं के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) कोई नहीं, श्रीमन्।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	निर्माताओं का नाम
1.	श्री नीरज प्रवाकर
2.	श्री बी. बी. सिन्हा
3.	श्री ए. हमीद
4.	श्री मोनिश कुमार सिंह
5.	श्री ए. भूपेन
6.	श्री मनोज सिन्हा
7.	श्री कमल पाल
8.	श्री प्रमोद कुमार चौधरी

[अनुवाद]

टेलीफोन खराब होना

3956. श्री सतनाम सिंह कैंथ : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जालंधर में अलावलपुर में स्थापित टेलीफोन अधिकांश समय खराब रहते हैं तथा बार–बार शिकायत करने पर भी ठीक नहीं किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अलावलपुर में लगाए गए टेलीफोनों जोकि जालंधर टेलीफोन एक्सचेंज से जुड़े हुए हैं, को देश के विभिन्न भागों में एस टी डी कोड के साथ जोड़ते समय नहीं जोड़ा गया था; और

(घ) सरकार का स्थिति में सुधार हेतु क्या कदम उठाने का

...र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं। बाहर से आने वाली एस टी डी कालों को जालंधर टेलीफोन–एक्सचेंज से जुड़े अलावलपुर के टेलीफोनों से जोड़ (कनेक्ट) दिया जाता है। तथापि, परियात के व्यस्त काल के दौरान, इस मार्ग में कुछ संकुलन आ जाता है।

(घ) मौजूदा पारेषण–माध्यम को 1998–99 के दौरान आप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से बदलने की योजना है। उक्त बदलाव के बाद व्यस्तकाल के दौरान इस रूट पर संकुलन की समस्या दूर होने से काफी संख्या में सर्किट उपलब्ध कराए जा सकेंगे।

किसानों द्वारा भिन्न फसलों की खेती

3957. श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :

श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 नवंबर, 1998 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में छपे समाचार "फार्मर्स लुक टु अदर क्राप्स" की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें बताए गये तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा किसानों को अपने खेतों में एक फसल के बाद दूसरी भिन्न फसल उगाने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) जी, हां। समाचार पत्रों में यह बात छपी है कि प्याज के बीजों की कीमतों में वृद्धि होने से किसान अन्य नकदी फसलों को उगाने की ओर उन्मुख हो गये हैं।

(ग) सरकार ने प्याज और इसके बीजों के उत्पादन में वृद्धि करने की दिशा में निम्नलिखित कदम उठाये हैं :

1. महाराष्ट्र राज्य में फसल को कीटों और रोगों के आक्रमण से बचाने के लिए तथा उत्पादन में वृद्धि करने के लिए राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) ने राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान (एन एच आर डी एफ) के माध्यम से किसानों के खेतों में "मास स्प्रे' अभियान चलाया है।

2. रबी और खरीफ किस्मों के बीजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए जिनका 1999–2000 के दौरान उपयोग किया जाना है राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान और महाराष्ट्र राज्य बीज निगम को 80 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जा चुकी है।

3. भारत सरकार "सब्जी के बीजों का उत्पादन और आपूर्ति" की एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना का कार्यान्वयन कर रही है जिसके अंतर्गत प्याज सहित सब्जियों की उन्नत किस्मों के उत्तम बीजों को किसानों को मिनिकिट के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है।

[हिन्दी]

भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र

3958. श्री हरिभाई चौधरी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने मंत्रालय के अंतर्गत अन्य देशों में भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रों के कार्यकलापों की पुनरीक्षा की है; और

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) विदेश स्थित भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रों के क्रियाकलापों की भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् के संविधानी निकायों अर्थात् शासी निकाय और आम सभा द्वारा निरंतर जांच और समीक्षा की जाती है। इस प्रक्रिया के आधार पर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् के वार्षिक कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं।

[अनुवाद]

विद्युत संयंत्रों का सुरक्षा रिकार्ड

3959. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तारापुर परमाणु बिजलीघर स्टेशन, रावतभट्ट परमाणु संयंत्र तथा कैगा रिएक्टर का सुरक्षा रिकार्ड असंतोषजनक रहा है;

(ख) कार्मिकों और आसपास के क्षेत्र के निवासियों को कितनी बार इन संयंत्रों की विकिरणों से खतरा उत्पन्न हुआ और संयंत्रों के प्रारंभ होने से लेकर अब तक कितनी बार संयंत्रों को तकनीकी कारणों से बंद करना पड़ा;

(ग) क्या रावत्भट्ट परमाणु संयंत्र के पास के गांवों में रहने वाले बच्चों में विकिरणों के कारण विभिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न हो गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) तारापुर परमाणु बिजलीघर और राजस्थान परमाणु बिजलीघर दोनों के बारे में ही सुरक्षा संबंधी रिकार्ड, उनकी स्थापना के समय से ही संतोषजनक रहे हैं। कैगा रिएक्टर अभी भी निर्माणाधीन है।

(ख) उपर्युक्त संयंत्रों में से किसी में भी कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई जिसके परिणामस्वरूप खतरनाक स्तर तक विकिरण उत्सर्जित हुआ हो। उपर्युक्त रिएक्टरों की स्थापना से लेकर, शट–डाउन (बड़े अनुरक्षण, संशोधन तथा अपग्रेड करने संबंधी कार्यों के लिए) का ब्यौरा निम्नानुसार है :

तारापुर परमाणु बिजलीघर–1	14 बार
तारापुर परमाणु बिजलीघर–2	15 बार
राजस्थान परमाणु बिजलीघर–1	6 बार
राजस्थान परमाणु बिजलीघर–2	9 बार

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

अलाभकारी उद्यम

3960. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि अलाभकारी उद्यम बनता जा रहा है और इससे बेरोजगारी बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका हरित क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा है तथा इस स्थिति के उपचार के लिए सरकार द्वारा किन कदमों को उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) जी, नहीं। कृषि सतत् आधार पर आर्थिक रूप से व्यवहार्य उद्यम है क्योंकि कृषि उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होने की प्रवृति देखी जाती रही है। कृषि उत्पादन का मूल्य जो वर्ष 1980–81 में 56875 करोड़ रुपये के मूल्य पर स्थिर था, वर्ष 1995–96 के दौरान 89264 करोड़ रुपये तक जा पहुंचा है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में श्रमिकों की औसत दैनिक संख्या में भी बढ़ोतरी की प्रवृति नोट की गई है। अनुमानित औसत दैनिक श्रमिकों की संख्या जो वर्ष 1971 के दौरान 1426 हजार थी वह वर्ष 1993 में बढ़कर 3999 हजार हो गई। कुल मिलाकर हरित क्रांति से कृषि में रोजगार के अवसर बढ़े हैं।

टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार

3961. श्री रामकृष्ण बाबा पाटील : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में संलग्न है।

(ग) उक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

संसाधन उपलब्ध होने पर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार करने संबंधी प्रस्ताव का ब्यौरा

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम	कुल विस्तार
1	2	3
1.	जाटकवाड़ी (लसूर)	436
2.	छिट्टेगांव	360
3.	हटनूर	124
4.	वेजापुर	640
5.	सिल्लो	400
6.	औरंगाबाद	4500
7.	चिकलथाना	3000
8.	घरखेड़	3000
9.	हरसूल	2000
10.	वलज	1500

दूरसंचार विभाग, मद्रास का लाभ

3962. श्री ए. गणेशमूर्ति : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास दूरसंचार विभाग को 1997–98 के दौरान कितना निवल लाभ हुआ और सरकार को कितनी धनराशि का भुगतान किया गया;

(ख) राज्य में नए एक्सचेंजों को खोलने के लिए लाभ का कितना प्रतिशत उपयोग में लाया गया;

(ग) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने अपने आय का मुख्य भाग नए एक्सचेंजों को खोलने और मुम्बई और दिल्ली में टेलीफोन सुविधाओं का सुधार करने के लिए खर्च किया;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

[illegible] सरकार को तमिलनाडु सरकार से इस संबंध में [illegible]प्त हुई है; और

(च) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) और (ख) विभाग, यूनिट वार अलग से कोई लाभ और हानि का लेखा नहीं रखता है। सभी यूनिटों से जुटाए अधिशेष (सरप्लस) में मूल्यह्रास जैसे अन्य आंतरिक संसाधनों द्वारा वृद्धि की जाती है जो बाद में समूचे भारत में विकासात्मक गतिविधियों के लिए एक सामान्य पूल में वित्त पोषण के लिए उपलब्ध होता है।

ग) और (घ) जी, हां। वर्ष 1997–98 के दौरान, मुंबई और दिल्ली में, नए एक्सचेंज खोलने तथा टेलीफोन सुविधाओं इत्यादि में सुधार लाने के लिए एम टी एन एल ने 912.54 करोड रुपये का पूंजीगत व्यय किया, जिसे पूरी तरह से आंतरिक संसाधनों से पूरा किया गया। ब्यौरे इस प्रकार हैं :

वर्ष 97–98 के लिए महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (आंकड़े करोड़ रुपये में)

1.	कुल आय	4779.33
2.	घटाएं : कर, कर्मचारी, लाइसेंस शुल्क लाभांश इत्यादि पर व्यय	3850.17
3.	प्रतिधारित लाभ	929.16

(ङ) और (च) तमिलनाडु सरकार ने दूरसंचार सुविधाओं में सुधार लाने तथा निवेश संबंधी आवश्यकताओं पर बेहतर ध्यान देने को कहा था। तमिलनाडु तथा चेन्नई सर्किलों को, उनकी विकासात्मक आवश्यकताओं को अनुरूप धनराशि निर्धारित करने के लिए पहले ही उपाय किए गए हैं।

खाड़ी देशों से वापिस आने वाले लोगों के लिए पुनर्वास योजनाएं

3963. प्रो. पी. जे. कुरियन : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने खाड़ी देशों से वापिस आने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए विशेष सहायता प्रदान करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से "उत्प्रवासन मंजूरी" शुल्क से तथा प्रवासी कामगारों की "कल्याण निधि" की स्थापना के लिए उत्प्रवासकों के संरक्षकों द्वारा एकत्रित लावारिस प्रतिभूति राशि से कुछ धनराशि के अंशदान का अनुरोध किया था। इस राशि का उपयोग विदेश सेवा से भारत लौट रहे कामगारों की सहायता और उनके पुनर्वास तथा प्रशिक्षण, परियोजनाओं की पहचान और तैयारी, आधारभूत सुविधाओं, नियुक्ति प्रणाली इत्यादि के लिए किए जाने का प्रस्ताव रखा गया था।

(ग) इस प्रस्ताव के उत्तर में सरकार ने केरल सरकार को सूचित किया कि 'उत्प्रवासर मंजूरी' शुल्क और प्रतिभूति राशियों से जिसे वापस किया जाना है जुटाई गई निधियों को उपयोग, केवल एक राज्य के व्यक्ति के लिए करने में कानूनी और तकनीकी कठिनाईयां आएंगी और इसलिए वैकल्पिक योजनाओं पर विचार किया जाना चाहिए। तथापि "भारतीय विदेशी कामगारों के कल्याण निधि" की स्थापना करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं। यदि एक बार इसकी स्थापना हो जाती है, तब (i) उन कामगारों को, जो विदेश में रोजगार के दौरान अपंग होकर भारत वापस लौट आए हैं और (ii) विदेश में रोजगार के दौरान मृत कामगारों के परिवारों को कुछ वित्तीय सहायता प्रदान करना संभव हो जाएगा।

गुजरात में एस. टी. डी./आई. एस. डी./पी. सी. ओ.

3964. श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलीया :

श्री जयसिंह जी चौहान :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष गुजरात की कितनी पंचायतों के पास आई. एस. डी./एस. टी. डी./पी. सी. ओ. तथा फैक्स बूथ थे;

(ख) उक्त अवधि के दौरान गुजरात में कुल कितने एस. टी. डी./पी. सी. ओ./फैक्स आदि खोले गए;

(ग) क्या सरकार को गुजरात सरकार से राज्य में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में नए एस. टी. डी./पी. सी. ओ./फैक्स तथा टेलेक्स सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कब तक ये सुविधाएं प्रदान किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) पिछले वर्ष के दौरान पंचायतों में कोई एस. टी. डी./आई. एस. डी./पी. सी. ओ. और फैक्स बूथ प्रदान नहीं किए गए हैं

(ख) पिछले वर्ष अर्थात् 1997–98 के दौरान गुजरात में 3042 एस. टी. डी./आई. एस. डी./पी. सी. ओ. तथा 17 फैक्स बूथ खोले गए थे।

(ग) से (ङ) इस संबंध में गुजरात सरकार की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

सौर पवन डीजल मिश्रित प्रणाली

3965. श्री सी. पी. राधाकृष्णन क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युतीकरण हेतु सौर–पवन–डीजल–मिश्रित प्रणाली की परियोजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना की स्थापना कहां की जायेगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) सरकार के पास ग्राम विद्युतीकरण के लिए सौर पवन डीजल हाइब्रिड प्रणाली की स्थापना का कोई विशिष्ट प्रस्ताव विचारार्थ नहीं है। तथापि, विभिन्न प्रकार की हाइब्रिड ऊर्जा प्रणालियों के डिजाईन, विकास और उन्हें लगाने के कार्य को अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं तथा उदार ऋण की योजनाओं के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है।

वर्तमान नीति के अनुसार, विशिष्ट परियोजना प्रस्ताव राज्यों द्वारा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार तैयार किए जाते हैं। संभव वित्तीय सहायता के लिए ऐसे प्रस्तावों की जांच सरकार द्वारा इनके गुणों–अवगुणों के आधार पर की जाती है। इसके अलावा, एक अलग योजना के अंतर्गत, मंत्रालय के एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) द्वारा सौर–पवन–डीजल ऊर्जा आधारित प्रणालियों सहित हाइब्रिड ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना हेतु उदार ऋण की सहायता उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान में इरेडा के पास सौर–पवन–डीजल ऊर्जा आधारित प्रणालियों हेतु उदार ऋण के लिए कोई आवेदन पत्र नहीं हैं।

लाइसेंस शुल्क ढांचा

3966. श्री नादेन्दला भास्कर राव : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लाइसेंस शुल्क ढांचे सहित विभिन्न मुद्दों पर दूरसंचार विभाग और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के बीच कोई मतभेद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) से (ग) लाइसेंस शुल्क ढांचे सहित विभिन्न मुद्दों पर दूरसंचार विभाग तथा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के बीच कोई मतभेद नहीं है। तथापि, दूर–संचार विभाग ने भारतीय दूर–संचार विनियामक प्राधिकरण के कतिपय निर्णयों के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दूर–संचार विभाग के पक्ष में निर्णय दिया था।

[हिन्दी]

घटिया इंटरनेट सेवायें

3967. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश संचार निगम लि. द्वारा प्रदान की जा रही घटिया इंटरनेट सेवाओं के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इंटरनेट सेवाओं में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी, हां।

(ख) कुछ इंटरनेट नोडों में संकुलन संबंधी कठिनाइयों का सामना किए जाने के कारण शिकायतें उत्पन्न हुई हैं। यह संकुलन मुख्यतः इंटरनेट नोड में अपर्याप्त संख्या में अभिगम्य लाइनों की अनुपलब्धता के कारण होता है।

(ग) विदेश संचार निगम लि. के नेटवर्क में अद्यतन प्रौद्योगिकी रिमोट एक्सेस सर्वर्स को शुरू करने से मुम्बई बंगलोर तथा कलकत्ता में संकुलन संबंधी समस्या पूर्ण रूपेण समाप्त कर दी गयी थी। वी एस एन एल नेटवर्क पर शेष दो शहरों में आने वाली संकुलन संबंधी समस्या को लगभग एक माह के समय में समाप्त कर दिए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

आसनसोल दूरदर्शन केन्द्र से दूसरा चैनल

3968. श्री सुनील खां : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसनसोल दूरदर्शन रिले केन्द्र का दूसरा चैनल कार्य करने के लिए तैयार है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) जी, नहीं।

(ख) उच्च शक्ति ट्रांसमीटर डी.डी–2 की स्थापना करने की स्कीम इस समय कार्यान्वयनाधीन है और वर्ष 2000 के दौरान इसे पूरा किए जाने का कार्यक्रम है। यह स्कीम जनवरी, 1998 में ही स्वीकृत की गई थी।

तिलहनों की खेती

3969. श्री रामशकल : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तिलहनों की खेती के लिए क्षेत्र को बढाने का है;

(ख) यदि हां, तो नौंवी पंचवर्षीय योजना के दौरान तिलहनों व खेती के अंतर्गत लाने वाले संभावित नए क्षेत्र का ब्यौरा क्या है; और

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तिलहनों के उत्पादन में कितनी वृद्धि होने का अनुमान हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) तिलहन उत्पादन में वृद्धि कृषि विकास की मूल नीति है। तिलहन उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रस्तावित विधियों में क्रमिक फसल के माध्यम से क्षेत्र विस्तार अंत: फसल कम खर्च वाली फसल एवं समस्या वाले क्षेत्र/स्थिति में वैकल्पिक फसल शामिल हैं। नौंवी पंचवर्षीय योजना के दौरान तिलहन की खेती के तहत लाए जाने वाले नए क्षेत्र का अनुमान संभव नहीं है।

(ग) वर्ष 1997–98 में 22.24 मिलियन मी.टन उत्पादन के मुकाबले नौंवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक तिलहन के उत्पादन के लिए 30 मिलियन मी. टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

टेलीफोन कनेक्शन

3970. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उपभोक्ताओं की विशेष रूप से दिल्ली और बिहार में टेलीफोन लगाने के लिए ओ. बी. अतिरिक्त केबल्स और अन्य उपस्कर के उपलब्ध नहीं होने के बावजूद भी जारी कर दिए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) दिल्ली में टेलीफोन उपभोक्ताओं को ओ. बीज. जारी करने के बाद सामान्यत: टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने में कितना समय लगता है;

(घ) क्या सरकार का दिल्ली और बिहार में टेलीफोन उपस्करों को उपलब्ध करा कर नये टेलीफोन कनेक्शंस प्रदान करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) और (ख) सामान्यतया ऐसे मामलों में ओ. बी. जारी नहीं की जाती है। तथापि, अत्याधिक मात्रा में कनेक्शन लगाए जाने की स्थिति में संबंधित मामले की वरीयता को बनाए रखने के लिए केबल बिछाने का काम पूरा होने तथा एक्सचेंज चालू होने की प्रत्याशा में प्रतीक्षा सूची के अनुसार ओ. बी. जारी की जाती है।

(ग) दिल्ली में निम्नलिखित कारणों से कुछेक मामलों को छोड़कर सामान्यतया ओ. बी. जारी होने के बाद 15 दिन की निर्धारित अवधि में टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कर दिए जाते हैं :

(i) अत्यधिक मात्रा में ओ. बी. जारी होने की स्थिति, में केबल पेयर उपलब्ध न होने के कारण कुछ पॉकेट/क्षेत्रों का तकनीकी रूप से व्यवहार्य हो जाना।

(ii) उपभोक्ताओं की ओर से कमी के कारण।

(घ) जी, हां।

(ङ) नए कनेक्शनों हेतु क्षेत्रों को व्यवहार्य बनाने के लिए मौजूदा एक्सचेंज क्षमता का विस्तार करके नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलकर तथा भूमिगत केबल बिछाकर दिल्ली तथा बिहार में टेलीफोन प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

एम. टी. एन. एल. को हानि

3971. श्री मोती लाल वोरा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 सितम्बर 1998 के "राष्ट्रीय सहारा" में "लेटलतीफी से एम. टी. एन. एल. को सत्ताईस करोड़ की चपत", शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबध में तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) से (ग) जी, हां। सीजीओ काम्पलैक्स टेलीफोन एक्सचेंज भवन अभी तैयार नहीं हुआ है। इस समय भवन का एक हिस्सा ही टेलीफोन एक्सचेंज के लिए उपयोग किया जा रहा है। उक्त भवन के आस–पास झुग्गियां हैं। झुग्गियों के पुनर्वास के पश्चात् स्थानीय निकायों से अग्निशमन संबंधी अनापत्ति, विद्युत कनेक्शन, निर्माण संपन्न प्रमाण पत्र और अधिभाग संबंधी अनुमति ली जानी अपेक्षित हैं। एम टी एन एल दिल्ली द्वारा दिल्ली नगर निगम, दिल्ली को पुनर्वास प्रभार को भुगतान किया जा चुका है। नगर निगम से अनापत्ति तथा अनुमति प्राप्त होने पर नए भवन का इस्तेमाल किया जाएगा।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण के लिए औद्योगिक क्षेत्र

3972. श्री के. येरननायडू : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का विचार बागवानी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश में खाद्य प्रसंस्कृत एककों हेतु औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस पर आंध्र प्रदेश सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में कितना अनुदान दिए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण जो कि वाणिज्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक निकाय है, विशेष बुनियादी सुविधाओं की स्थापना और कृषि उत्पादों के निर्यात संवर्धन से संबंधित व्यवहार्य अध्ययनों के संचालन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक स्कीम चला रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भी खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक संपदा की स्थापना में सहायता करने हेतु योजना स्कीमें चला रहा है जिनके तहत विश्लेषणात्मक और गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं, प्रशीतन भंडारों, गोदाम सुविधाओं, अनुपूरक प्रदूषण नियंत्रण सुविधाओं आदि जैसी सामान्य सुविधाओं की स्थापना हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/संयुक्त/ सहायता प्राप्त/निजी क्षेत्र/ गैर–सरकारी संगठनों को सहायता दी जाती है। उपर्युक्त स्कीमों के तहत सहायता, प्रस्ताव विशेष प्राप्त होने पर दी जाती है।

वित्तीय प्रोत्साहन

3973. श्री के. एस. राव :

श्री अजय कुमार एस. सरनायक :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य क्षेत्र को प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों, सब्जी उत्पादों और डेयरी उत्पादों पर वित्तीय प्रोत्साहन दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग द्वारा सामना की जा रही वित्तीय समस्याओं से उबरने के लिए कोई नीति बनाई गई है; और

(घ) प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (घ) मंत्रालय प्रसंस्कृत खाद्य, सब्जी उत्पादों और डेरी उत्पादों समेत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की वृद्धि, विकास और संवर्धन हेतु गैर–सरकारी संगठनों, सहकारिताओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र के उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सहायता आसान शर्तों पर ऋण या सहायता अनुदान के रूप में दी जाती है और सहायता की मात्रा स्कीम के अनुसार भिन्न–भिन्न है।

इसके अतिरिक्त, सरकार प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के लिए उत्पाद और सीमा शुल्क में राजकोषीय राहतें प्रदान करने और अधिकतर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को लाइसेंस मुक्त करने समेत विभिन्न नीतिगत उपाय कर रही है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में सांस्कृतिक केन्द्र/रेडियो स्टेशन

3974. श्री शैलेन्द्र कुमार : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में सांस्कृतिक केन्द्र या रेडियो स्टेशन स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) कौशाम्बी में एक रेडियो स्टेशन की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

देश में उपग्रह टेलीविजन प्रसारण नेटवर्क

3975. श्री दिलीप संघाणी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपग्रह टेलीविजन प्रसारण नेटवर्क देश के सभी जिलों और शहरों को कवर करता है; और

(ख) यदि नहीं, तो यह सुविधा देश के सभी जिलों और शहरों विशेषकर गुजरात में कब तक प्रदान कर दी जाएगी?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) और (ख) जी, हां। दूरदर्शन के कार्यक्रम उपयुक्त डिश एन्टिना पद्धति का उपयोग करके उपग्रह के जरिए संपूर्ण देश में उपलब्ध है। स्थलीय सेवा द्वारा भी गुजरात सहित देश के सभी जिलों को पूर्ण रूप से किया या आंशिक रूप से कवर किया जाता

संचार, डाक और तार सुविधाएं

3976. श्री अरविंद कांबले : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय विकास दर की तुलना में संचार के सबसे कम साधन वाले क्षेत्रों की पहचान कर ली है;

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां डाकघरों और टेलीग्राफ आफिसों की संख्या सबसे कम है;

(ग) सरकार द्वारा देश में विशेष तौर पर उन क्षेत्रों जहां ऐसी सुविधाएं सबसे कम है में संचार के साधनों, डाक और तार की सेवाओं को बढ़ाने के लिए तैयार की गई या प्रस्तावित कार्य योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस उद्देश्य हेतु जुटाए जाने वाले संभावित वित्तीय संसाधनों का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) से (घ) ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन जो विभागीय नीति के अनुसार एक गांव में एक दिया जाता है, को छोड़कर तार सुविधाओं सहित दूरसंचार सुविधाएं मांग के आधार पर प्रदान की जाती हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों के अनुसार, पूरे देश में मांग के आधार पर टेलीफोन उपलब्ध कराने तथा साथ ही सभी गांवों में टेलीफोन सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है। ऐसे राज्यों, जहां टेलीफोन घनत्व राष्ट्रीय औसत से कम है, में और अधिक टेलीफोन प्रदान करके टेलीफोन घनत्व बढ़ाने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। प्रत्येक सर्किल में चालू टेलीफोन लाइनों टेलीफोन घनत्व तथा 1998–99 में नई लाइनों के प्रस्तावित लक्ष्यों के ब्यौरे संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं। 1998-99 में, एम टी एन एल सहित प्रस्तावित कुल पूंजी निवेश 13,772 करोड़ रुपये है।

डाक सुविधाओं के संबंध में जानकारी इस प्रकार है :

डाक घर, वार्षिक योजना के तहत अनुमोदित लक्ष्यों के अनुसार खोले जाते हैं बशर्ते कि मानदंड के आधार पर औचित्य बनता हो और संसाधन उपलब्ध हों। इसके अलावा, डाक सर्किलों के लक्ष्य इस बात को ध्यान में रखकर निर्धारित किए जाते हैं कि प्रत्येक सर्किल में कुल कितने डाक घर हैं और एक डाक घर द्वारा कितने क्षेत्र और कितनी जनसंख्या को सेवा प्रदान की जा रही है। वार्षिक योजना 1998–99 के दौरान 598 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर तथा 50 विभागीय उप शाखा डाक घर खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों। इसके सर्किलवार ब्यौरे संलग्न विवरण–II से दिए गए हैं। देश के विभिन्न भागों में एक डाक घर में जुड़े औसत क्षेत्र तथा जनसंख्या की सर्किलवार जानकारी संलग्न विवरण–III में दी गई है जो एक तरह से डाक के विस्तार/विकास का तुलनात्मक सूचक है।

विवरण-I

प्रत्येक दूरसंचार सर्किल में चालू टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 1998–99 के लक्ष्य तथा प्रक्षेपित जनसंख्या के आधार पर टेलीफोन घनत्व

सर्किल	30.11.98 को स्थिति के अनुसार सीधी एक्सचेंज लाइनें	1998–99 में सीधी एक्सचेंज लाइनों का लक्ष्य	30.11.98 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन घनत्व
1	2	3	4
1. आंध्र प्रदेश	1312099	250000	1.78
2. असम	173685	50000	0.68
3. बिहार	431603	131000	0.45

1		2	3	4
4.	गुजरात	1357772	250000	2.88
5.	हरियाणा	452969	95000	2.35
6.	हिमाचल प्रदेश	188726	59000	2.97
7.	जम्मू व कश्मीर	99946	30000	1.06
8.	कर्नाटक	1326463	200000	2.61
9.	केरल	1190221	325000	3.75
10.	मध्य प्रदेश	848212	110000	1.10
11.	महाराष्ट्र	1632408	300000	2.14
12.	उत्तर पूर्व	128795	32000	1.10
13.	उडीसा	289894	60000	0.82
14.	पंजाब	944566	190000	3.96
15.	राजस्थान	806347	163000	1.56
16.	तमिलनाडु	1272723	280000	2.29
17.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	749687	133000	0.69
18.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	713018	139000	1.33
19.	पश्चिम बंगाल	347490	120000	0.54
20.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	10298	6000	2.85
21.	मुम्बई	1945630	230000	13.47
22.	दिल्ली	1563452	220000	12.16
23.	कलकत्ता	801468	112000	6.39
24.	चेन्नई	542973	115000	8.82
	जोड	19130445	3600000	1.98

विवरण-II

वार्षिक योजना 1998–99 के दौरान डाक घर खोलने के लक्ष्यों का सर्किलवार आबंटन

क्र.सं.	सर्किल का नाम	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने संबंधी लक्ष्य			विभागीय उप डाकघर खोलने के लिए आबंटित लक्ष्य		
		अन्य क्षेत्र	जनजातीय क्षेत्र	कुल	अन्य क्षेत्र	जनजातीय क्षेत्र	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	7	3	10	1	1	2
2.	असम	40	10	50	1	1	2
3.	बिहार	42	18	60	2	1	3
4.	दिल्ली	17	–	17	3	–	3
5.	गुजरात	32	8	40	2	–	2

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	हरियाणा	15	–	15	3	–	3
7.	हिमाचल प्रदेश	7	3	10	1	1	2
8.	जम्मू व कश्मीर	20	10	30	1	–	1
9.	कर्नाटक	8	2	10	4	–	4
10.	केरल	10	–	10	2	–	2
11.	मध्य प्रदेश	30	20	50	1	1	2
12.	महाराष्ट्र	46	14	60	3	–	3
13.	उत्तर पूर्व	31	19	50	1	2	3
14.	उड़ीसा	6	4	10	1	1	2
15.	पंजाब	15	–	15	2	–	2
16.	राजस्थान	16	14	30	1	1	2
	नाडु	7	3	10	2	–	2
	र प्रदेश	66	12	78	6	–	6
19.	पश्चिम बंगाल	29	8	37	3	–	3
20.	सिक्किम	6	–	6	1	–	1
	जोड़	450	148	598	41	9	50

विवरण-III

31.3.98 की स्थिति के अनुसार, शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघरों के सर्किलवार ब्यौरे

क्र.सं.	सर्किल का नाम	शहरी क्षेत्रों में डाकघर	ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर	कुल	एक डाकघर के तहत क्षेत्र (वर्ग किमी. में)	एक डाकघर के तहत जनसंख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	1339	14839	16178	16.99	4101
2.	असम	298	3536	3834	22.45	5814
3.	बिहार	743	11097	11840	14.69	7292
4.	दिल्ली	458	105	563	2.49	16643
5.	गुजरात	861	8069	8930	22.01	4637
	दादर नागर हवेली	1	33	34	14.44	3049
	दमन एवं दीव	4	13	17	6.59	5975
6.	हरियाणा	328	2293	2621	16.86	6227
7.	हिमाचल प्रदेश	119	2637	2756	20.21	1854
8.	जम्मू व कश्मीर	195	1425	1620	137.16	4765
9.	कर्नाटक	1334	8504	9838	19.52	4555

1	2	3	4	5	6	7
10.	केरल	950	4088	5038	7.74	5772
	लक्षद्वीप	4	10	14	3.2	5173
11.	मध्य प्रदेश	1061	10221	11282	39.3	5861
12.	महाराष्ट्र	1336	11022	12358	24.9	6372
	गोवा	57	194	251	14.74	4661
13.	उत्तर पूर्व					
	अरुणाचल प्रदेश	13	271	284	294.72	3028
	मणिपुर	37	636	673	33.14	2719
	मेघालय	32	446	478	46.86	3682
	मिजोरम	33	354	387	54.52	1783
	नागालैंड	19	288	307	53.74	3974
	त्रिपुरा	50	659	709	14.66	3865
14.	उड़ीसा	599	7509	8108	19.24	3886
15.	पंजाब	481	3382	3863	13.04	5392
	चंडीगढ़	44	8	52	2.28	12818
16.	राजस्थान	817	9523	10340	33.09	4244
17.	तमिलनाडु	1972	10096	12068	10.77	4610
	पांडिचेरी	13	57	70	7.14	11571
18.	उत्तर प्रदेश	2083	18057	20140	14.62	6903
19.	पश्चिम बंगाल	1105	7401	8506	10.43	7992
	सिक्किम	13	185	198	35.86	2071
	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	12	85	97	84.54	2887
	जोड़	16411	137043	153454	21.42	5502

[अनुवाद]

परमाणु ऊर्जा उत्पादन

3977. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना में परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो देश की बढ़ती हुई ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान और नवीं पंचवर्षीय योजना से आगे के लिए परमाणु विद्युत उत्पादन के कार्यक्रम का ब्यौरा निम्नानुसार है, बशर्ते कि वित्तीय संसाधन उपलब्ध हों।

रिएक्टरों/यूनिटों का ब्यौरा		कुल क्षमता (मेगावाट)
I.	नवीं पंचवर्षीय योजना तक	
1.	काम कर रहे रिएक्टर 160 मेगावाट की क्षमता वाले दो बायलिंग वाटर रिएक्टर और 8 दाबित भारी पानी रिएक्टर (1x100, 1x200, 2x170, 4x220 मेगावाट)	1840
2.	निर्माणाधीन रिएक्टर (220 मेगावाट की क्षमता वाले 4 दाबित भारी पानी रिएक्टर)	880
3.	संस्वीकृत रिएक्टर तथा जिन पर काम शुरू हो गया (500 मेगावाट की क्षमता वाले 2 दाबित भारी पानी रिएक्टर)	1000
4.	वे रिएक्टर जिनके लिए संस्वीकृति अभी प्राप्त होनी है (220 मेगावाट की क्षमता वाले 2 दाबित भारी पानी रिएक्टर, 1000 मेगावाट की क्षमता वाले 2 वी वी ई आर तथा 500 मेगावाट की क्षमता वाला एक प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर)	2940
		6660
II.	नवीं पंचवर्षीय योजना से आगे (प्रारंभिक अवस्था में, संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर पुष्टि की जाती है)	
	रिएक्टर जिनके संबंध में अग्रिम प्रापण की कार्रवाई की जानी है।	1440
८.	व रिएक्टर जो अभी योजना–अवस्था में हैं।	
	(i) 500 मेगावाट की क्षमता वाले 10 दाबित भारी पानी रिएक्टर	5000
	(ii) 500 मेगावाट की क्षमता वाले 4 फास्ट ब्रीडर रिएक्टर	2000
	(iii) 1000 मेगावाट की क्षमता वाले 5 हल्का पानी रिएक्टर	5000
	जोड़	13440
	कुल जोड़	20100

कृषि अनुसंधान परियोजनाएं

3978. श्री चेतन चौहान : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अब तक संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा वित्त घोषित कृषि अनुसंधान परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोजना की कुल लागत कितनी है;

(ग) इन परियोजनाओं में संयुक्त राज्य अमरीका का कितना योगदान है; और

(घ) इन परियोजनाओं को पूरा करने की क्या समय–सीमा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1995 से 1998 के दौरान संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा निधि प्रदत्त कृषि अनुसंधान प्रायोजनाओं के ब्यौरे को निर्दिष्ट करने वाला विवरण

क्र.सं.	प्रायोजनाओं का नाम	कुल लागत	संयुक्त राज्य अमेरिका का सहयोग	पूर्ण होने की तिथि
1	2	3	4	5
1.	**संयुक्त राज्य भारत निधि प्रायोजनाएं** "बेसिसिया टैबाकार्ड जेन" के प्राकृतिक	6,010,000 रुपये	6,010,000	नवम्बर, 2002

1	2	3	4	5
	शत्रु तथा समेकित कीट प्रबंधन (ओ पी एस) के जैव नियंत्रक घटकों के रूप में उनकी क्षमता/नवंबर, 1997			
2.	कृषि बागवानी फसलों सहित कृषि जैव विविधताओं को पुनः स्थापित करना/मई, 1998	6,396,000 रुपये	6,396,000	मई, 2002
3.	कृन्तकों (क्लोन) से वानस्पतिक तरीके से उगाई गई फसलों तथा उससे संबंधित वनस्पतियों के बड़े पैमाने पर उत्पादन तथा संरक्षण के लिए परखनली प्रौद्योगिकी का उपयोग/मई, 1998	6,662,400 रुपये	6,662,400	मई, 2002
4.	गैर प्रजनक एजिलाप्स प्रजातियों के बोयी गई गेहूं से रतुआ तथा करनाल बंट प्रतिरोधिता का सही रूप से स्थानांतरण का आणविक संबंध।	3,404,000 रुपये	3,403,000	मई, 2003

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय

3979. श्री बिजवी एम. रामचन्द्रन : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, चेन्नई से प्रत्येक दिन कितने पासपोर्ट जारी किए जाते हैं,

(ख) क्या इस कार्यालय में पासपोर्ट पुस्तिकाओं की भारी कमी है, और

(ग) यदि हां, तो इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) चेन्नई पासपोर्ट कार्यालय से औसतन 550 पासपोर्ट प्रतिदिन जारी किए जाते हैं।

(ख) और (ग) पिछले कुछ महीनों के दौरान, नासिक स्थित भारत के सुरक्षा मुद्रणालय द्वारा, जो इस प्रकार के दस्तावेजों को छापने के लिए एकमात्र मुद्रणालय है, पासपोर्ट पुस्तिकाओं की आपूर्ति अनुमानित मांग से किंचित कम रही है। प्रेस की छपाई के काम में वृद्धि करने के प्रयास किए गए हैं और तबसे स्थिति में सुधार हुआ है।

[हिन्दी]

डाक मंडलों की स्थापना

3980. श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) :

श्री प्रभात कुमार सामन्तराय :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक मंडल खोलने के लिए क्या नीति अपनाई जाती है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार और उड़ीसा में खोले गए डाक मंडलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्ष 1998–99 के दौरान इन राज्यों विशेषकर उड़ीसा के केन्द्रपाड़ा जिले में नए डाक मंडल खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) मौजूदा मानदंडों के अनुसार किसी नए डाक डिवीजन का सृजन मौजूदा डाक डिवीजन के प्रशासनिक अधिकार–क्षेत्र का विभाजन करके किया जा सकता है जब मौजूदा डाक डिवीजन का कार्यभार बढ़कर 2.6 एस आई यूनिट हो जाता है बशर्ते कि विभाजन के बाद मौजूदा तथा नए डिवीजन का कार्यभार 0.9 एस आई यूनिट से कम न हो।

(ख) बिहार तथा उड़ीसा में पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई नया डाक डिवीजन नहीं खोला गया है।

(ग) और (घ) उड़ीसा में कटक उत्तर डाक डिवीजन का विभाजन करके केन्द्रपाड़ा तथा जाजपुर में दो अलग–अलग डाक डिवीजन स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। बिहार में पश्चिम चंपारन डाक डिवीजन के सृजन का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसका मुख्यालय बेतिया में हो।

[अनुवाद]

अफगानिस्तान में प्रशिक्षण शिविर

3981. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफगानिस्तान में संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा हाल ही में बम से उड़ाए गए चार शिविरों में से दो शिविरों का उपयोग भारत के विरुद्ध युद्ध के लिए कश्मीरी उग्रवादियों को प्रशिक्षण देने हेतु किया जा रहा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में अफगानिस्तान सरकार से संपर्क किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर तथा भारत के अन्य भागों में आतंकवाद का सक्रिय समर्थन करता रहा है। पाकिस्तान की एजेंसियों ने अनेक वर्षों से आतंकवादियों को भर्ती, वित्त पोषित, प्रशिक्षित और सशस्त्र किया है जिन्हें बाद में अवैध रूप से भारत में प्रवेश कराया जाता रहा है। पाक अधिकृत कश्मीर और अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे वाले क्षेत्रों में पाकिस्तान की सरकारी एजेंसियों ने आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर और सुविधाएं स्थापित की हुई हैं। अगस्त, 1998 में अफगानिस्तान में आतंकवादी शिविरों पर बमबारी के बाद ऐसी विश्वसनीय खबरें हैं कि इन शिविरों में पाकिस्तानी उग्रवादी दलों से संबंधित आतंकवादी मौजूद थे। ये दल आतकवादी गतिविधियां चलाने के लिए अपने सदस्यों को जम्मू और कश्मीर भेजते हैं।

(ग) और (घ) सरकार राष्ट्रपति श्री बुरहानुद्दीन रब्बानी की सरकार के साथ नियमित मित्रतापूर्ण संपर्क बनाए हुए हैं।

असम में मल्टी एक्सेस रूरल रेडियो सिस्टम

3982. श्री ए. एफ. गुलाम उस्मानी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में जिलावार, विशेषकर बोगांइगांव, (कोकराझार) जिले में "मल्टी एक्सेस रूरल रेडियो सिस्टम" के माध्यम से कितने टेलीफोन लगाए गए;

(ख) क्या बड़पेटा, बोगांईगांव, धुबरी और गोलपाडा के ग्रामीण क्षेत्रों में दिये गये उक्त टेलीफोन कनैक्शन खराब हो गए हैं, और

(ग) यदि हां, तो स्थिति में सुधार हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) असम में एम ए आर आर प्रणाली पर 6430 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किए गए हैं। बोगांईगांव और कोकराझार जिलों में क्रमशः 119 और 142 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन हैं, असम के जिलावार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) वारपेटा, बोगांईगांव, धुबरी और गोलपाड़ा जिलों में कुछ ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन खराब हो गए हैं, इन टेलीफोनों की आपूर्तिकर्ताओं की सहायता से हमारे स्टाफ द्वारा मरम्मत की जा रही है।

विवरण

असम दूरसंचार सर्किल तथा राज्य जिला वार ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (1.12.1998 की स्थिति के अनुसार)

1	2	3
1.	वारपेटा	235
2.	बोगाईगांव	119
3.	कछार	468
4.	दारंग	212
5.	धेमाज	106
6.	दिबरूगढ	142
7.	गोलाघाट	548
8.	गोलपाडा	85
9.	हालीकांडी	113
10.	जोरहाट	382
11.	कामरूप	745
12.	कर्बी–एंगलोंग (दिफू)	161
13.	करीमगंज	174
14.	कोराझट	142
15.	मोरीनांद	146
16.	नागांव	658
17.	नलवाड़ी	182
18.	उत्तरी कछार हिली (हेल्फलांग)	13
19.	उत्तरी लखीमपुर	201
20.	सिवसागर	417
21.	सोनितपुर (तेजपुर)	417
22.	तिनसुखिया	515
23.	धुबरी	249
	कुल	6430

कृषि ग्रामीण ऋण राहत योजना

3983. श्री पी. शंकरन : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा 1989–90 के दौरान घोषित कृषि ग्रामीण ऋण राहत योजना के अंतर्गत कितना ऋण माफ किया गया है;

(ख) सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत किसानों को लाने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं;

(ग) क्या इस योजना का लाभ कॉफी का उत्पादन करने वाले छोटे और सीमांत किसानों को दिया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ङ) ऋण के पात्र उम्मीदवार को 10,000/– रुपये की सीमा तक राहत मुहैया कराने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रतिपादित कृषि ऋण राहत स्कीम 1990 एकमुस्त उपाय के रूप में जैसा कि स्कीम में परिभाषित किया गया है। जैसा कि स्कीम में परिभाषित किया गया है, कर्जदार में व्यक्तिगत किसान, बुनकर या कारीगर या भूमिहीन किसान जिन्होंने कृषि संबंधी किसी कार्यकलाप या किसी कारीगरी कार्यकलाप के लिए एक या अधिक बैंकों से कर्ज लिया था, तथा जो अनिच्छुक भी चूककर्ता था, को शामिल किया गया था। यह स्कीम 31.3.1991 को समाप्त हो गई। वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी समितियों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा देश के उन लाभानुभोगियों को राहत के रूप में 7514.39 करोड रुपये की धनराशि राहत के रूप में मुहैया कराई गई थी। ये लाभ काफी उन छोटे और सीमान्त किसानों को भी दिए गए थे जिन्होंने इन बैंकों से कर्ज लिया था और जिन पर 2 अक्तूबर 1989 को यह देय था।

आंध्र प्रदेश में आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों का उन्नयन

3984. श्री वेंकटस्वामी अनन्त रेड्डी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों के उन्नयन तथा आधुनिकीकरण के लिये कोई योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं को कब तक कार्यान्वित किये जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) से (ग) मौजूदा सुविधाओं का आधुनिकीकरण किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है जो संसाधनों, आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। आंध्र प्रदेश में आकाशवाणी/दूरदर्शन सुविधाओं के उन्नयन तथा आधुनिकीकरण की स्कीमों के ब्यौरे तथा उनका पूरा किए जाने की समय–सारणी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	पूर्ण होने की संभावित तिथि
	आकाशवाणी	
1.	हैदराबाद में पुराने और अप्रचलित 10 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर के स्थान पर आधुनिक 20 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर लगाना।	1997–2000
2.	डिजीटल उपस्करों, स्टीरियो उपस्करों तथा अन्य नवीनतम स्टेट ऑफ आर्ट उपस्करों के अधिष्ठापन करके स्टूडियो उपस्करों का आधुनिकीकरण।	9वीं योजना अवधि की समाप्ति तक।
	दूरदर्शन	
1.	राजामुन्दरी स्थित उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (एच. पी. टी.) का 1 किलोवाट से 10 किलोवाट तक उन्नयन।	1999
2.	वारंगल में अल्प शक्ति ट्रांसमीटर के स्थान पर उच्च शक्ति ट्रांसमीटर लगाना।	तीन वर्षों के भीतर
3.	हैदराबाद में मौजूदा कैमरा चैन के बदले डिजीटल स्टूडियो कैमरा चैन–3 डी कम्प्यूटर ग्राफिक वर्क स्टेशन, द्वि–भाषी कैरेक्टर जनरेटर, नॉन–लिनियर, एडिटिंग सिस्टम इत्यादि।	1998–99

राजस्थान में टी. वी. टावर का कार्य पूरा करना

3985. श्री गंगाराम कोली : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के धौलपुर बयाना क्षेत्रों में बीडधारक में टी. वी. टावर का कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त टावर से प्रसारण कब तक शुरू किये जाने की संभावना है; और

(घ) किन–किन शहरों को प्रसारण नेटवर्क के अंतर्गत लाया जायेगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) और (ख) राजस्थान के बोधरक में टी. वी. ट्रांसमीटर [illegible] करने संबंधी फिलहाल कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठते।

फरक्का बराज

3986. डा. बिक्रम सरकार : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत–बंगलादेश समझौते पर हस्ताक्षर किये जाने के पश्चात् कम पानी वाले समय के दौरान फरक्का बराज के नीचे पानी के प्रवाह की कमी के कारण कलकत्ता बंदरगाह (कलकत्ता डॉक प्रणाली) का संचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो पत्तन संचालन की गिरती प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार समझौते की पुनरीक्षा करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) पत्तन के "नेविगेशन चैनल" में काफी ज्यादा मात्रा में जमा गाद को हटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) गत दो वर्षों से इस संधि पर हस्ताक्षर होने के पश्चात् दोनों पक्षों की संतुष्टि के लिए इस संधि का प्रचालन किया जा रहा है तथा इसको शीघ्र पुनरीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है।

(च) पत्तन पर जलयानों के आवागमन के लिए नौवहन की सुगमता को सुनिश्चित करने के वास्ते नौवहन चैनल से नियमित रूप से गाद हटाई (ड्रेजिंग) जाती है।

गुडगांव में दूरभाष केन्द्र

3987. श्री यू. वी. कृष्णामराजु : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वर्ष 1998–99 के दौरान गढ़ी हरसरू दूरभाष केन्द्र का उन्नयन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उक्त जिले में दूरभाष केन्द्र खराब रहते हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) और (ख) जी हां।

गढ़ी हरसरू में 184 लाइनों की क्षमता का सी–256 पी इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है। समय पर उपस्कर के सप्लाई हो जाने पर, इसे चालू वर्ष 1998–99 के दौरान 1000 लाइनों के उच्च क्षमता वाले एक्सचेंज में बदले जाने की संभावना है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता है।

(घ) और (ङ) कभी–कभार टेलीफोन एक्सचेंजों में वाणिज्यिक बिजली की अनिश्चित सप्लाई के कारण खराबी आने वाली स्थिति को छोड कर एक्सचेंजों का कार्य ज्यादातर संतोषप्रद पाया गया है।

(च) यद्यपि एक्सचेंज संतोषप्रद ढंग से काम कर रहे हैं, फिर भी विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में इनके कार्य निष्पादन में आगे और सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं।

(i) वर्ष 2000 तक सभी एक्सचेंजों के लिए स्थिर संचारण मीडिया।

(ii) ओवर हैड लाइनों को बदलने के लिए अधिक भूमिगत केबिले बिछाना।

[हिन्दी]

बिहार में टेलीफोन एक्सचेंज और डाकघर

3988. श्रीमती रमा देवी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार के मोतीहारी जिले में कितने टेलीफोन एक्सचेंज, डाक घर तथा उप डाक घर स्थापित किए गए हैं; और

(ख) वर्ष 1998–99 के दौरान सरकार द्वारा किन–किन स्थानों पर टेलीफोन एक्सचेंज डाकघर और उप डाकघर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

सन्	टेलीफोन एक्सचेंज	डाकघर (अतिरिक्त विभागीय)	उप–डाकघर विभागीय
95–96	शून्य	शून्य	शून्य
96–97	2	शून्य	शून्य
97–98	1	2	शून्य

(ख) ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

क्र.स.	टेलीफोन एक्सचेंज	डाकघर (अतिरिक्त विभागीय)	उप–डाकघर विभागीय
1.	गायघाट	भटनाहिया	शून्य
2.	चुरहारी	बरडाह–धौहरवा	
3.	दरियापुर		
4.	आलमगंज–बाजार		

[अनुवाद]

केन्द्रपाड़ा में कम शक्ति वाला ट्रांसमीटर स्टेशन

3989. श्री प्रभात कुमार सामन्तराय : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में केन्द्रपाड़ा स्थित कम शक्ति वाला ट्रांसमीटर खराब है और इस संबंध में जनता द्वारा दूरदर्शन के महानिदेशक को अभ्यावेदन दिए जाने के बावजूद इस क्षेत्र के दर्शकों के लिए प्रसारण उपलब्ध नहीं हो पा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या दूरदर्शन के दर्शकों के लिए संतोषजनक प्रसारण उपलब्ध कराने हेतु कोई उपचारात्मक कदम उठाने पर विचार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) जी, नहीं। केन्द्रपाड़ा में एक अल्प शक्ति ट्रांसमीटर सामान्य रूप से कार्य कर रहा है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

राज्यों में लोकायुक्त

3990. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में किन–किन राज्यों में लोकायुक्त नियुक्त किए गए हैं?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, ऐसे 15 राज्य हैं जहां लोकायुक्त की संस्था कार्य कर रही है। उन राज्यों के नाम संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं। राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति से संबंधित जानकारी केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती क्योंकि यह संबंधित राज्य सरकारों का सरोकार है।

विवरण

उन राज्यों के नाम जहां लोकायुक्त की संस्था कार्य कर रही है।

क्रम सं.	राज्य का नाम
1.	असम
2.	आंध्र प्रदेश
3.	बिहार
4.	गुजरात
5.	हरियाणा
6.	हिमाचल प्रदेश
7.	कर्नाटक
8.	केरल
9.	मध्य प्रदेश
10.	महाराष्ट्र
11.	उड़ीसा
12.	पंजाब (लोकपाल के नाम से)
13.	राजस्थान
14.	उत्तर प्रदेश
15.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

[अनुवाद]

छुट्टी-नकदीकरण

3991. श्री अमन कुमार नागरा : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 5वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 1996 से प्रभावी हो गई है;

(ख) क्या केन्द्र–सरकार के कर्मचारियों के लिए अर्जित छुट्टी संचयन 1.8.98 से 240 से 300 दिन कर दी गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या 1.1.96 से 31.7.97 के बीच बडी संख्या में सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या उन्हें 240 से अधिक दिनों की अर्जित छुट्टी के नकदीकरण के लाभ से वंचित नहीं रखा गया है;

(च) क्या सरकार का विचार 1.1.96 से 31.7.97 के बीच सेवानिवृत्त होने वाले और उन कर्मचारियों जिनके पास 240 दिन से अधिक 300 दिन तक की अर्जित छुट्टी थीं, तो उसके नकदीकरण पर लाभ देने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (ग) पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के संबध में वेतनमान, महंगाई भत्ता तथा पेंशन संबंधी प्रसुविधाएं 1.1.1996 से सशोधित किए जाने की सिफारिश की, जबकि नए भत्तों का लागू किया जाना, उनकी दरों का संशोधित किया जाना इत्यादि अन्य बातों के साथ–साथ, नए भत्तों के लागू किए जाने, उनकी दरें संशोधित किए जाने इत्यादि से जुडी भारी वित्तीय दायिताओं के कारण, भविष्यलक्षी तारीख से संस्तुत किया। चूंकि छुट्टी का नकदीकरण करवाने देना, पेंशन से संबंधित कोई प्रसुविधा नहीं है, बल्कि केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमों के तहत एक रियायत/लाभ है, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 7.10.1997 को जारी आदेशों के अनुसार, अर्जित छुट्टी संचित किये जाने की अधिकतम 240 दिन की सीमा, बढाकर 1.7.1997 से 300 दिन की कर दी गई है। उक्त तारीख को ही, उस समय चल रहे वर्ष के, 31.12.1997 को समाप्त हुए अर्ध–वर्ष के संबंध में, उक्त नियमों के अनुसार, 15 दिन की अग्रिम अर्जित छुट्टी खाते में जमा करवाने दी गई।

(घ) से (ज) अर्जित छुट्टी का संचय/नकदीकरण किसी समय, उक्त संचय/नकदीकरण करवाने हेतु लागू दिनों की संख्या की सीमा के अधीन ही करवाने दिया जाता है। केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमों के अनुसार, यदि उपर्युक्त सीमा से अधिक अर्जित कर ली गई अर्जित छुट्टी समय पर नहीं ले ली जाए तो ऐसी छुट्टी व्यपगत (लैप्स) हो जाती है, चाहे संबंधित सरकारी कर्मचारी सेवा–निवृत्त हो जाए अथवा सेवा में बना रहे। चूंकि अर्जित छुट्टी के संचय/नकदीकरण की उक्त की सीमा 1.7.1997 से बढाकर 300 दिन कर दी गई है, किसी सरकारी कर्मचारी की अर्जित छुट्टी के खाते में 240 दिन से अधिक अर्जित छुट्टी, उक्त तारीख को अथवा उस तारीख के बाद ही जुड सकती थी, अतः तदनुसार 30.6.97 तक सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को 240 दिन से अधिक अर्जित छुट्टी का नकदीकरण करवाने देने का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी, 30.6.1997 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी, उक्त तारीख के बाद अपने द्वारा अर्जित कर ली गई, 240 दिन से अधिक किन्तु अधिकतम 300 दिन की अर्जित छुट्टी का नकदीकरण करवाने के पात्र हैं।

गन्ना अनुसंधान केन्द्र

3992. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में स्थित गन्ना अनुसंधान केन्द्रों का स्थान वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) राज्य में उन केन्द्रों के लिये केन्द्र सरकार द्वारा कितना आबंटन किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) बिहार में गन्ना अनुसंधान केन्द्रों का विवरण स्थानवार नीचे दिया गया है :

	केन्द्र का नाम	संस्थान	स्थान
i.	गन्ना अनुसंधान संस्थान.	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय	पूसा
ii.	गन्ना प्रजनन संस्थान का अनुसंधान केन्द्र	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्	मोतीपुर

(ख) वर्ष 1998–99 के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा आबंटनों का विवरण निम्न प्रकार है :

क्र.सं.	केन्द्र का नाम		प्रायोजना/योजना का नाम	राशि (रुपये लाख में)
i.	गन्ना अनुसंधान संस्थान, पूसा	(क)	गन्ने पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना	6.63
		(ख)	गन्ने पर आधारित फसल पद्धति के स्थाई विकास पर केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना (एस यू बी ए सी एस)	5.75
ii.	गन्ना प्रजनन संस्थान का अनुसंधान केन्द्र, मोतीपुर		भा. कृ. अ. प.	6.68

टेक्नोलॉजी पार्क

3993. श्री भीम दाहाल : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम राज्य सरकार से सिक्किम में एक टैक्नोलॉजी पार्क जिसका लिंक अप बेस बंगलौर हो, के स्थापित करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृत कर दिया जाएगा और सहायता प्रदान की जायेगी?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (ग) सिक्किम सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें सिक्किम में एक प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने के लिए सहायता मांगी गई है, जिसके संपर्क का आधार बंगलौर में होगा। इस प्रकार की परियोजना के लिए किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। इस समय राज्य सरकारों को इस प्रकार की परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देने की कोई योजना नहीं है।

राष्ट्रीय दूरसंचार सम्मेलन

3994. डा. सरोजा वी. : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में राष्ट्रीय दूरसंचार सम्मेलन आयोजित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वहां पर किस मुख्य कार्यसूची पर चर्चा की गयी और उस पर निर्णय लिया गया?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) दूरसंचार विभाग ने हाल में कोई दूरसंचार सम्मेलन आयोजित नहीं किया है।

तथापि, दूरसंचार विभाग ने, जनता में जागरूकता पैदा करने तथा स्वतंत्रता की पचासवीं वर्षगांठ मनाने के लिए 14.1.98 को सामाजिक आर्थिक विकास में दूरसंचार की प्रासंगिकता पर एक राष्ट्रीय दूरसंचार संगोष्ठी तथा प्रदर्शनी का आयोजन किया था।

(ख) संगोष्ठी के दौरान, प्रतिष्ठित वक्ताओं ने सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए दूरसंचार की भूमिका पर प्रकाश डाला था। लोग प्रदर्शनी को देखने आए और वहां रखे उत्पादों की प्रशंसा की।

हिन्दी फिल्मों का निर्माण

3995. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स सोनी पिक्चर्स इंटरटेनमेंट ने हिन्दी फिल्मों के निर्माण और वितरण हेतु 2.5 मिलियन डालर का प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) इस संबंध में एकाधिकार को समाप्त करने के उद्देश्य से फिल्मी निर्माण को उद्योग का दर्जा देते हेतु क्या तंत्र विकसित किया गया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) से (ग) जी, हां। मैसर्स सोनी पिक्चर्स इंटरटेनमेंट इंक. यू एस ए (एसपीई) जो सोनी निगम की पूर्णतः स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, ने उद्योग मंत्रालय में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड को भारत में फिल्मों के निर्माण एवं वितरण के प्रयोजनार्थ 2.5 मिलियन डालर राशि की 100 प्रतिशत विदेशी इक्विटी सहित भारत में पूंजी–निवेश का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। प्रशासनिक मंत्रालय की हैसियत के रूप में इस मंत्रालय की टिप्पणी मांगी गई है। यह प्रस्ताव विचाराधीन है क्योंकि इस क्षेत्र में ग्राह्य विदेशी इक्विटी की सीमा संबंधी नीति को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश को दूरसंचार प्रणाली के विकास हेतु धनराशि

3996. श्री अशोक प्रधान : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वित्त वर्ष में उत्तर प्रदेश में दूरसंचार के विकास हेतु कितनी धनराशि वितरित की गई है;

(ख) क्या दूरसंचार परिमंडलों द्वारा राज्य में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में इस उद्देश्य हेतु व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में विशेषकर गाजियाबाद तथा बुलंदशहर जिलों में एक्सचेंजवार टेलीफोन के कितने नए कनैक्शन जारी किए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) गत तीन वर्षों तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में दूरसंचार के विकास के लिए वितरित/आबंटित की गई राशि नीचे दी गई है :

(करोड़ रुपये में)

सर्किल	1995–96	96–97	97–98	98–99
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	259.48	445.31	577.46	411.41
उत्तर प्रदेश (प.)	280.33	335.85	399.59	415.02

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत उत्तर प्रदेश (पूर्व) और उत्तर प्रदेश (पश्चिम) के दो दूरसंचार सर्किल आते हैं। गत तीन वर्षों के दौरान दोनों दूरसंचार सर्किलों ने कुल मिलाकर अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है। ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

उत्तर प्रदेश (पूर्व) सीधी एक्सचेंज लाइनें (संख्या)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
[illegible]	70000	68166
	80000	111885
1997–98	95000	181043

उत्तर प्रदेश (पश्चिम) सीधी एक्सचेंज लाइनें (संख्या)

1995–96	75000	83070
1996–97	75000	105027
1997–98	99000	132875

(ग) गत तीन वर्षों तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सर्किलों में व्यय की गई राशि के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

(करोड़ रुपये में)

सर्किल	1995–96	96–97	97–98	98–99
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	258.03	359.29	593.94	208.54*
उत्तर प्रदेश (प.)	281.65	314.35	424.15	80.31*

* अक्तूबर 98 तक किया गया व्यय

(घ) ब्यौरे एकत्रित किए जा रहे हैं और शीघ्र सभा–पटल पर रख दिए जाएंगे।

[अनुवाद]

सिल्चर में टी. वी. और रेडियो स्टेशन

3997. श्री ए. एफ. गुलाम उस्मानी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में सिल्चर टी. वी. स्टेशन और रेडियो स्टेशन द्वारा किया जा रहा प्रसारण घटिया स्तर का होता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त स्टेशनों के प्रसारण क्षेत्र में करीमगंज और हैलाकांडी जिलों के दर्शक/श्रोता सम्मिलित हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा प्रसारण की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

डाकरा नाला पम्प परियोजना

3998. श्री विजय कुमार 'विजय' : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के मुंगेर जिले की डाकरा नाला पम्प परियोजना ने अपना वह उद्देश्य प्राप्त कर लिया है जिसके लिए इसे बनाया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना पर अब तक कुल कितनी राशि खर्च हुई है;

(घ) क्या इस परियोजना के कुछ भागों को अभी पूरा किया जाना है; और

(ङ) यदि हां, तो इन भागों को कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ङ) बिहार के मुंगेर जिले में दकरा नाला पम्प परियोजना मूल रूप से 1978 में मंजूर की गई थी। इस स्कीम के पूरा होने पर 21.367 हजार हेक्टेयर की क्षमता का सृजन होगा। अभी तक कोई क्षमता सृजित नहीं की गई है। मार्च, 1998 तक इस योजना पर कुल 54.92 करोड़ रुपये व्यय हो चुका है। गंगा नदी का मुख्य मार्ग (मेन कोर्स) का स्थान बदल कर वर्तमान/पम्पिंग स्थल से लगभग 4 किमी. दूर कर दिया गया है। इस संबंध में राज्य सरकार एक तकनीकी अध्ययन कर रही है। राज्य सरकार के अनुरूप यह परियोजना दसवीं योजना अवधि में पूरी हो जाएगी।

जल प्रबंधन कार्यक्रम

3999. श्री अभयसिंह एस. भोंसले :

श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिंचाई सुविधाओं के बेहतर उपयोग के लिये जल प्रबंधन में कार्यक्रम किसानों को सम्मिलित करने से संबंधित कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां यह योजना लागू की जा रही है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को साझा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में किसानों के प्रतिनिधित्व को बढाने का निर्देश भी दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, कार्यक्रम के तहत शामिल की गई परियोजनाओं के बेहतर जल प्रबंधन में भागीदारी के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने का प्रावधान है। किसानों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, पंजीकृत और कार्यकारी जल उपयोगकर्ता संघों को एक मुश्त कार्यात्मक अनुदान के रूप में केन्द्रीय सहायता 500 रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से दी जाती है अर्थात् केन्द्र द्वारा 225 रुपये प्रति हैक्टेयर, राज्य द्वारा 225 रुपय प्रति हैक्टेयर और किसान संघों द्वारा 50 रुपये प्रति हैक्टेयर।

(ग) जहां कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है ऐसे राज्य और संघ राज्य क्षेत्र निम्न हैं :

आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल (राज्य) और दमन व दीव और दादरा व नगर हवेली (संघ राज्य क्षेत्र)।

(घ) और (ङ) राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे किसान संघों के गठन के जरिए केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र के विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल की गई सिंचाई परियोजनाओं कमानों में सिंचाई जल प्रबंधन में किसानों को सम्मिलित करें। इस संबंध में राज्यों की प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक रही है और राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

प्रतिक्रिया का राज्यवार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य	राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार की गई कार्रवाई/किए गए प्रस्ताव और किसान संघों की संख्या/बनाए गए जल उपयोगकर्ता संघ
1	2	3
1.	**आंध्र प्रदेश :**	जल उपयोगकर्ता संघों को कानूनी दर्जा प्रदान करने के लिए, सरकार ने "आंध्र प्रदेश किसान प्रबंधन सिंचाई प्रणाली अधिनियम संख्या 11–1997' कानून बनाया है जिसमें जल उपयोगकर्ता संघों के सृजन की व्यवस्था है। सरकार ने कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं में 1170 जल उपयोगकर्ता संघों के गठन को अधिसूचित किया है और इन संघों (जल उपयोगकर्ता संघों) के चुनाव हो गए हैं।
2.	**असम :**	राज्य सरकार ने सहभागिता सिंचाई प्रबंधन के लिए नीतिगत मामलों को तैयार करने के वास्ते मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कार्य दल का गठन किया है। दो किसान संघ बनाये गये हैं।
3.	**बिहार :**	सोन कमान में पालीगंज जल वितरितका, जिसमें 12200 हेक्टेयर का कमान क्षेत्र और 75 गांव शामिल हैं, को संचालन और प्रबंधन के लिए जल उपयोगकर्ता संघों को सौंप दिया गया है।
4.	**गोवा :**	गोवा सरकार ने कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत किसानों की सहभागिता को कार्यान्वित करने के लिए "गोवा कमान क्षेत्र विकास, अधिनियम, 1997' पारित किया है। अब तक 39 जल वितरण सहकारी समितियां बनाई गई हैं।

1	2	3

5. गुजरात :

सहभागिता सिंचाई प्रबंधन से संबंधित नीतिगत मुद्दों को तैयार करने के लिए मार्च, 1994 में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कार्य दल का गठन किया गया।

इकहत्तर किसान संघ स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त किसान संगठनों के लिए तेरह प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

6. हरियाणा :

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत आउटलेट स्तर पर जल प्रयोक्ता संघों का गठन किया गया है। अब तक 554 जल प्रयोक्ता संघों का गठन हो चुका है।

7. कर्नाटक :

किसानों की सहभागिता के सफल कार्यान्वयन के लिए नीतियां तैयार करने के वास्ते कर्नाटक सरकार ने अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कार्यदल का गठन किया है।

अब तक 224 किसान संघ गठित किए जा चुके हैं।

8. केरल :

र ने केरल में सहभागिता सिंचाई प्रबंधन के कार्यान्वयन के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यदल का गठन किया है। 'केरल अधिनियम, 1986' में कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत किसान संगठनों के गठन का प्रावधान है।

अब तक आउटलेट स्तर पर 3712 किसान संगठनों का गठन किया जा चुका है।

9. मध्य प्रदेश :

सहभागिता सिंचाई प्रबंधन (पी आई एम) के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सहभागिता सिंचाई प्रबंधन पर एक उच्च स्तरीय कार्यदल का गठन किया गया है।

लघु नहर स्तर पर पैंसठ किसान संगठनों का गठन किया गया है।

10. महाराष्ट्र :

लघु नहर स्तर पर अब तक 201 किसान संगठन गठित किए गए हैं और 440 संगठनों का गठन किया जा रहा है और ये गठन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

11. मणिपुर :

अब तक 62 किसान संगठन गठित किए हैं।

12. उड़ीसा :

सहभागिता सिंचाई प्रबंधन के कार्यान्वयन के लिए नीतिगत मुद्दों को तैयार करने के वास्ते मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय कार्यदल का गठन किया गया है।

गांव स्तर पर अब तक 777 किसान संगठनों का तथा लघु नहर स्तर पर 15 किसान संगठनों का गठन किया जा चुका है।

13. राजस्थान :

राज्य सरकार ने किसानों की सहभागिता के लिए नीति तैयार करने के वास्ते अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कार्यदल का गठन किया है।

अब तक आउटलेट स्तर पर 3843 किसान संगठनों तथा लघु नहर स्तर पर 35 किसान संगठनों का गठन किया जा चुका है।

14. तमिलनाडु :

वितरिका स्तर पर तीन सौ अठ्ठाईस किसान परिषदों का गठन किया गया है।

15. उत्तर प्रदेश :

राज्य सरकार ने राज्य में सहभागिता सिंचाई प्रबंधन के कार्यान्वयन के वास्ते नीति मुद्दों और दिशा–निर्देश तैयार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कार्यदल का गठन किया है। एक जल प्रयोक्ता संघ का गठन किया गया है।

1	2	3
16. अरुणाचल प्रदेश :		
17. हिमाचल प्रदेश :		
18. जम्मू और कश्मीर :		
19. मेघालय :		
20. नागालैंड :		कोई कार्रवाई नहीं की गई।
21. पंजाब :		
22. त्रिपुरा और		
23. पश्चिम बंगाल		
24. दमन और दीव तथा		
25. दादरा और नगर हवेली :		

[हिन्दी]

ट्रांसपोंडरों का उपयोग

4000. प्रो. रीता वर्मा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रांसपोंडरों की उपलब्धता होने के बावजूद दूरसंचार विभाग के उपेक्षापूर्ण रवैये के कारण उनका उपयोग पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है;

(ख) क्या ट्रांसपोंडरों के अल्प–उपयोग के कारण दूरसंचार विभाग को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) ट्रांसपोंडरों को कितने दिनों तक प्रयोग में लाया गया और उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उन ट्रांसपोंडरों की संख्या कितनी है जो बिना प्रयोग किये ही खराब हो गये हैं और उनकी लागत कितनी थी?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) और (ख) जी नहीं। इनसैट प्रणाली पर डीओएस (अंतरिक्ष विभाग) द्वारा दूरसंचार विभाग को ट्रांसपोंडर्स आबंटित करने के बाद उन विभिन्न ट्रांसपोंडर्स का उपयोग करने में दूरसंचार विभाग की ओर से कोई लापरवाही नहीं हुई है। इनसैट प्रणाली पर ट्रांसपोंडर्स, अनुकूल ग्राउंड कम्यूनिकेशन उपस्कर तथा एंटीना इत्यादि प्राप्त होने के तुरंत बाद पूर्ण रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं। तथापि, कुछ ट्रांसपोंडर आकस्मिक स्थितियों के लिए रख लिए जाते हैं।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस समय, कुछ ट्रांसपोंडर्स को अप्रत्याशित तथा आपातिक आवश्यकताओं के लिए फालतू रखने के बाद, 8 ट्रांसपोंडर्स (इनसैट–2 सी में 2 केयू बैंड और इनसेट 2 डी टी में 6 सामान्य सी–बैंड) का प्रयोग किया जा रहा है। एक एम एस एस (मोबाइल सेटलाइट सर्विस) ट्रांसपोंडर्स का प्रयोग, इसलिए नहीं किया जा सका क्योंकि उसमें गेन वेरिएशन की समस्या थी।

(ङ) अलग से रखे ट्रांसपोंडर्स के अलावा कोई भी ट्रांसपोंडर, बिना इस्तेमाल के नष्ट नहीं हुआ है। जहां तक कि एम एस एस ट्रांसपोंडर्स, जिसमें मेन वेरिएशन समस्या है, को भी प्रयोगात्मक उपयोग में लगाया गया है। इसका प्रचालनात्मक प्रयोग यदि संभव हो तो, इसके लिए भी कदम उठाए गए हैं, ताकि निश्चित ग्रामीण/दूरस्थ संयोज्यता प्रदान की जा सके।

[अनुवाद]

केरल में दूरदर्शन/आकाशवाणी की परियोजनाओं पर व्यय

4001. श्री ए. सी. जोस : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में दूरदर्शन और आकाशवाणी की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए किए जाने वाले व्यय के संबंध में किए गए मूल्यांकन का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य में स्थान–वार कार्यरत दूरदर्शन केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन केन्द्रों की स्थापना और अनुरक्षण के लिए अपेक्षित संख्या में कर्मचारी उपलब्ध करा दिए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) केरल में क्रमशः 1476.00 लाख रुपये तथा 3206. 93 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर आकाशवाणी तथा दूरदर्शन नेटवर्क का और विस्तार करने संबंधी स्कीमें वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन है और संसाधनों, आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता तथा पारस्परिक प्राथमिकताओं के अधीन इन्हें लगभग तीन वर्षों में चरणों में पूरा किए जाने का कार्यक्रम है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) यद्यपि अधिकांश केन्द्रों के लिए स्टाफ की मंजूरी प्राप्त है तथापि, 2 अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों पर अन्य केन्द्रों से स्टाफ को दौरे पर प्रतिनियुक्त करके स्टाफ की मंजूरी के बिना तथा 8 अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों पर आंशिक स्टाफ स्वीकृति से काम चलाया जा रहा है। वित्त मंत्रालय के स्टाफ निरीक्षण एकक से विभिन्न उच्च [illegible] अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों, अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों की मांग का विवरण तैयार करने के लिए स्टाफ [illegible] का शीघ्र अध्ययन करने का अनुरोध किया गया है। स्टाफ निरीक्षण एकक की सिफारिशें प्राप्त होने पर अपेक्षित श्रेणियों में पदों के सृजन/समाप्ति के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ताकि सभी ट्रांसमीटरों में पूरी तादाद में कर्मचारी तैनात किए जा सकें तथा पहले से तैयार परियोजनाओं को चालू किया जा सके।

विवरण

कार्यक्रम निर्माण केन्द्र

त्रिवेन्द्रम

उच्च शक्ति ट्रांसमीटर

कोचीन

त्रिवेन्द्रम

कालीकट (अन्तरिम)

अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

अदूर

अट्टाप्पाड़ी

कैन्नानूर

चंगनाचेरी

चेंगन्नूर

इडुक्की

कलपेट्टा

कन्हनगढ़

कसरगोद

कायमकुलम

मल्लापुरम

पालघाट

पतनमथिट्टा

पुनालूर

शोरनपुर

तेल्लीचेरी

थोडुपुजा

त्रिचूर

कालीकट (डी. डी.–2)

कैन्नानोर (डी. डी.–2)

कोचीन (डी. डी.–2)

त्रिवेन्द्रम (डी. डी.–2)

अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

कंजरीपल्ली

देवीकोलम

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में टी. वी. टावर लगाया जाना

4002. श्री महेश्वर सिंह : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान ही हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बिजली महादेव और श्रीगढ़ में टी. वी. टावर लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) से (ग) श्रीगढ़ में टी. वी. ट्रांसमीटर स्थापित करने की इस समय कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है। तथापि, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिले के बिजली महादेव में एक अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर की स्थापना करने की स्कीम कार्यान्वय– नाधीन है और इसे 1999 के दौरान पूरा किए जाने का कार्यक्रम है।

[अनुवाद]

लंबित सिंचाई परियोजनाएं

4003. श्री संदीपन थोरात : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की विशेष रूप से महाराष्ट्र में अनेक मझौली और मुख्य सिंचाई परियोजनाओं के मामले में समय और लागत की दृष्टि से अत्याधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो मूल लागत की तुलना में परियोजना वार हुई लागत और समय की वृद्धि संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रकार की वृद्धि के क्या मुख्य कारण हैं;

(घ) परियोजना–वार इनकी वर्तमान स्थिति, संशोधित लागत और इनके पूरा होने की समय–सारणी क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए परियोजना वार कितनी राशि उपलब्ध की जायेगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) (क) से (ङ) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, सिंचाई परियोजनाओं का कार्यान्वयन स्वयं राज्य सरकारों द्वारा अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार अपने ही संसाधनों में से किया जाता है। वृहद परियोजनाओं के पूरा होने की सामान्य अवधि 10–15 वर्ष है तथा मध्यम परियोजनाओं को पूरा होने की अवधि 5–10 वर्ष है। यह अवधि तथा वृहद परियोजना की अनुमानित लागत में होने वाली वृद्धि परियोजना के आकार, भूमि की उपलब्धता, विभिन्न संबंधित एजेंसियों से प्राप्त होने वाली मंजूरी, भूवैज्ञानिक परिस्थितियों इत्यादि जैसे विभिन्न कारणों पर निर्भर करती है। किसी परियोजना विशेष को राज्य सरकारों द्वारा आबंटित की जाने वाली निधियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। पांचवीं योजना तक शुरू की गई 105 बृहद परियोजनाएं अभी भी चल रही हैं तथा छठी योजना तक शुरू की गई ऐसी 171 मध्यम परियोजना हैं जो अभी भी चल रही हैं। चल रही परियोजनाओं की संख्या (महाराष्ट्र सहित) मूल लागत, नवीनतम अनुमानित लागत, नौवीं योजना के दौरान परिव्यय तथा 1997–98 की वार्षिक योजना, उनके पूरा होने संबंधी संभावित कार्यक्रम का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य	वृहद परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)		परिव्यय (करोड़ रुपये में)		पूरा होने की संभावना		अभ्युक्तियां
			मूल	नवीनतम	नौवीं योजना	वार्षिक योजना 1997–98	नौवीं योजना	नौवीं योजना के पश्चात्	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
वृहद परियोजनाए									
1.	आंध्र प्रदेश	6	189.93	4100.63	1362.47	222.00	3	3	
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	
3.	असम	3	23.96	352.82	65.60	18.00	–	3	
4.	बिहार	11	2141.85	5712.53	1028.00	132.50	1	10	
5.	गोवा	2	226.83	678.59	2180.00	50.00	–	2	
6.	गुजरात	6	156.67	931.53	44.10	32.12	6	–	
7.	हरियाणा	5	107.78	1013.51	221.00	52.65	2	3	
8.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	
9.	जम्मू व कश्मीर	1	29.84	151.18	33.00	6.03	1	–	
10.	कर्नाटक	7	701.11	5620.59	2060.00	1016.05	2	5	
11.	केरल	4	69.43	1027.50	390.00	106.00	3	1	
12.	मध्य प्रदेश	14	1267.50	4319.69	806.33	200.73	9	5	
13.	महाराष्ट्र	17	715.60	7253.88	2931.12	535.02	8	9	
14.	मणिपुर	–	–	–	–	–	–	–	
15.	मिजोरम	–	–	–	–	–	–	–	
16.	नागालैंड	–	–	–	–	–	–	–	
17.	मेघालय	–	–	–	–	–	–	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	उड़ीसा	3	272.50	2550.46	483.00	103.50	1	2	
19.	पंजाब	–	–	–	–	–	–	–	
20.	राजस्थान	5	130.17	1340.30	1330.23	233.00	3	2	
21.	सिक्किम	–	–	–	–	–	–	–	
22.	तमिलनाडु	–	–	–	–	–	–	–	
23.	त्रिपरा	–	–	–	–	–	–	–	
24.	उत्तर प्रदेश	18	1245.86	6675.69	1945.71	407.68	9	9	
25.	पश्चिम बंगाल	3	94.98	1442.41	524.03	94.50	3	–	
	कुल	105	7374.01	43171.31	15404.59	3209.78	51	54	

क्र.सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)		परिव्यय (करोड़ रुपये में)		पूरा होने की संभावना		अभ्युक्तियां
			मूल	नवीनतम	नौवीं योजना	वार्षिक योजना 1997–98	नौवीं योजना	नौवीं योजना के पश्चात्	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मध्यम परियोजनाएं									
1.	आंध्र प्रदेश	14	89.41	450.23	187.30	39.54	6	8	
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	
3.	असम	9	23.04	156.63	59.63	7.55	8	1	
4.	बिहार	13	62.87	542.49	182.00	37.58	4	9	
5.	गोवा	1	13.11	40.00	0.30	0.00	–	1	
6.	गुजरात	7	40.27	228.60	24.43	11.15	7	–	
7.	हरियाणा	–	–	–	–	–	–	–	
8.	हिमाचल प्रदेश	1	8.27	11.30	0.20	0.20	1	–	
9.	जम्मू व कश्मीर	7	30.97	192.57	33.66	0.50	7	–	
10.	कर्नाटक	12	30.80	739.29	133.35	58.35	7	5	
11.	केरल	2	7.6	208.67	50.00	70.00	1	1	
12.	मध्य प्रदेश	30	192.17	981.55	119.34	45.26	6	24	
13.	महाराष्ट्र	47	300.71	1462.84	554.12	93.89	29	18	
14.	मणिपुर	1	7.93	47.72	3.11	3.00	1	–	
15.	मेघालय	–	–	–	–	–	–	–	
16.	मिजोरम	–	–	–	–	–	–	–	
17.	नागालैंड	–	–	–	–	–	–	–	
18.	उड़ीसा	8	114.18	483.97	153.60	98.64	7	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	पंजाब	–	–	–	–	–	–	–	
20.	राजस्थान	4	14.92	179.00	57.00	27.50	1	3	
21.	सिक्किम	–	–	–	–	–	–	–	
22.	तमिलनाडु	–	–	–	–	–	–	–	
23.	त्रिपुरा	3	21.17	154.00	60.66	7.00	2	1	
24.	उत्तर प्रदेश	1	1.85	22.15	0.46	0.20	–	1	
25.	पश्चिम बंगाल	11	7.36	54.00	17.64	4.88	11	–	
	कुल	171	966.63	5955.01	1636.80	505.24	98	73	

पीसीओ/एसटीडी/आईएसडी तथा फैक्स सुविधा

4004. श्री अमर राय प्रधान : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में विशेषकर कूचबिहार जिले के अंतर्गत मठभंगा क्षेत्र में इस समय कितने एसटीडी/आई एस डी फैक्स सुविधा तथा सार्वजनिक टेलीफोन बूथ कार्य कर रहे हैं;

(ख) राज्य में सर्किल वार उक्त कितने बूथ स्थापित किए जाने संबंधी आवेदन लंबित हैं;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त आवेदनों पर कब तक आवश्यक कार्यवाही करने तथा इन्हें मंजूर किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क)पश्चिम बंगाल में 13437 एसटीडी/आईएसडी फैक्स सुविधा तथा सार्वजनिक टेलीफोन बूथ कार्य कर रहे हैं। कूचबिहार जिला में मठभंगा क्षेत्र में 10 एस टी डी/आई एस डी/पी सी ओ कार्य कर रहे हैं।

(ख) पश्चिम बंगाल में एस टी डी/आई एस डी/पी सी ओ के आबंटन हेतु 11657 आवेदन लंबित पड़े हैं। दूरसंचार जिलावार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) लंबित पड़े रहने का मुख्य कारण एक्सचेंज क्षमता तथा एस टी डी सुविधा का उपलब्ध न होना है।

(घ) चालू वित्त वर्ष के दौरान इन लंबित पड़े आवेदनों पर कार्यवाही करने तथा इन्हें अनुमोदित किए जाने की संभावना है।

विवरण

गौण स्विचन क्षेत्र	लंबित पड़े आवेदनों की संख्या
1	2
आसनसोल	768
बंकुरा	282
बेरहमपुर	639
कलकत्ता (पश्चिम बंगाल सर्किल)	2366
कूचबिहार	209
जलपाईगुढ़ी	287
खड़गपुर	2382
कृषनगर	1697
माल्दा	60
पुरूलिया	398
रायगंज	369
सिलीगुढ़ी	927
सूरी	130
कलकत्ता टेलीफोन जिला	1143

[हिन्दी]

बम विस्फोट

4005. श्री आनन्द रत्न मौर्य :

श्री तेजवीर सिंह :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में कराची में स्थित इंडियन एयरलाइंस के कार्यालय में कोई बम विस्फोट हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उसके परिणामस्वरूप कितने जानमाल का नुकसान हुआ;

(ग) क्या भारत सरकार ने इस बारे में पाकिस्तान सरकार से कोई विरोध जताया है; और

(घ) यदि हां, तो पाकिस्तान सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया रही है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं। कराची स्थित इंडियन एयरलाइंस के कार्यालय में कोई बम विस्फोट नहीं हुआ है। तथापि, 27 अक्तूबर, 1998 को कराची स्थित इंडियन एयरलाइंस कार्यालय के सामने पुलिस चौकी में बम विस्फोट हुआ था जिसके कारण इंडियन एयरलाइंस के कार्यालय समेत आसपास की दुकानों और कार्यालयों को भी क्षति पहुंची थी। इंडियन एअरलाइंस कार्यालय के खिड़कियों और मुख्य दरवाजे के शीशे चकनाचूर हो गए थे। फिर भी, इंडियन एयरलाइंस के किसी भी स्टाफ सदस्य को कोई चोट नहीं आई।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने विभिन्न अवसरों पर पाकिस्तान सरकार को यह याद दिलाया कि कराची और लाहौर स्थित इंडियन एयरलाइंस के कार्यालयों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी [illegible] है।

पद आधारित रोस्टर प्रणाली

4006. श्री आर. एस. गवई : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप 2 जुलाई, 1997 को विद्यमान रिक्ति आधारित रोस्टर के स्थान पर पद आधारित रोस्टर के माध्यम से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की भर्ती/पदोन्नतियों में आरक्षण लागू करने के आदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भविष्य में भर्ती/पदोन्नति के लिए यह निर्णय/आदेश केवल उसी दिन से लागू/प्रभावी होगा जिस दिन से यह जारी किया गया है;

(ग) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उन अधिकारियों जिनके संबंध में 1987 से आगे पैनल जारी किए जाने हैं, को प्रथम श्रेणी में पदोन्नति हेतु रिक्ति आधारित रोस्टर के आधार पर आरक्षण दिए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) श्री आर. के. सबरवाल मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय में दिया गया आरक्षण का अनुपात कार्यान्वित करने की दृष्टि से दिनांक जुलाई 2, 1997 के आदेशों के पश्चात् की गई नियुक्तियों के संबंध में आरक्षण, पद–आधारित रोस्टर को ध्यान में रखते हुए दिया जाना अपेक्षित है।

पांचवां वेतन आयोग

4007. श्री टी. गोविन्दन :

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट के बाद प्राप्त सुझावों के प्रतिक्रियास्वरूप स्थापित किए गए विसंगतियों संबंधी समितियों का ब्यौरा क्या है तथा इनके निदेश पद क्या हैं;

(ख) उन समितियों का समिति–वार ब्यौरा क्या है जिन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा वे कब पेश की गई तथा इसके क्या परिणाम रहे; और

(ग) कब तक बाकी बची समितियां अपनी रिपोर्ट पेश कर देंगी तथा इसमें देरी के क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (ग) पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों से उत्पन्न होने वाली ऐसी विसंगतियों की जांच–पड़ताल किए जाने के संबंध में, राष्ट्रीय स्तर पर एक विसंगति–समिति पहले ही गठित कर दी गई है जो दो या अधिक विभागों के संबंध में और सामान्य श्रेणियों के कर्मचारियों के संबंध में एक सी हों। विभागीय स्तर पर ऐसी विसंगतियों की जांच–पड़ताल किए जाने हेतु विसंगति समिति गठित किए जाने के बारे में भी अनुदेश जारी कर दिए गए हैं जो केवल संबंधित विभाग से ही सम्बद्ध हों तथा जिनका किसी अन्य मंत्रालय/विभाग के कर्मचारियों पर कोई भी प्रभाव नही पड़ता हो। चूंकि उपर्युक्त विसंगति समिति की सिफारिशों के संबंध में सरकार का अनुमोदन लिए जाने के बारे में अपेक्षित प्रक्रिया संबंधित मंत्रालय द्वारा ही पूरी की जानी अपेक्षित है, अतः विभागीय विसंगति–समितियों से संबंधित जानकारी केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती।

पाड़े का वध

4008. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लघंन करते हुए भैंस के पाड़ों का वध किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के आदेशों को लागू कराने के लिए क्या कदम उठाए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय कृषि आयोग

4009. श्री बी. एम. मेनसिंकाई : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य, अनाज के भंडारण, फसल बीमा और किसानों के हितों की सुरक्षा पर विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) (क) से (घ) किसानों की वास्तविक आर्थिक दशा की जानकारी तथा उनकी आर्थिक दशा को सुधारने के लिए उपायों की सिफारिशों के लिए उच्चाधिकार प्राप्त आयोग के गठन का निर्णय लिया गया है। आयोग के गठन एवं विचारार्थ विषयों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

दिल्ली में सिक्के से चलने वाले सार्वजनिक टेलीफोन-बूथ

4010. श्री अजय कुमार एस. सरनायक :

श्री सी. डी. गामीत :

श्री कृष्ण लाल शर्मा :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी दिल्ली और देश के अन्य शहरों में ज्यादातर सार्वजनिक टेलीफोन–बूथ समस्त भिन्न आकार और वजन वाले एक रुपए के सिक्कों से नहीं चलते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उसके परिणामस्वरूप, टेलीफोन करने वाले लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है;

(ग) क्या सरकार का विचार मौजूदा टेलीफोन–उपकरणों को बदलकर ऐसे नए टेलीफोन–उपकरण लगाने का है, जो इस समय प्रचलित सभी प्रकार के एक रुपए वाले सिक्कों से चल सकें; और

(घ) यदि हां, तो यह कार्य कब तक किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी, हां। कुछ पुराने सी सी बी (सिक्का संग्रह बाक्स) पी सी ओ एक रुपये के नए सिक्के से नहीं चलते।

(ख) एक रुपये का पुराना सिक्का उपलब्ध न होने पर प्रयोक्ताओं को कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

(ग) और (घ) जी, हां। नए सी सी बी–पी सी ओ पुराने और नए दोनों किस्म के एक रुपये के सिक्के से चलते हैं। मौजूदा उपकरणों को उत्तरोत्तर रूप से बदला जा रहा है।

[हिन्दी]

गुजरात को विशेष पैकेज

4011. श्री जयसिंह जी चौहान : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गुजरात के विकास के लिए किसी विशेष पैकेज की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) केन्द्र सरकार ने गुजरात के विकास के लिए किसी विशेष पैकेज की घोषणा नहीं की है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

भूटान के साथ व्यापार

4012. श्री सानछुमा थुंनुर बैसीमुथियारी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने भारत और भूटान के बीच असम के नलबाडी जिले के एन. के. दरंगा में व्यापार मार्ग पुनः खोलने के लिए भूटान को राजी करने हेतु कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो इन प्रयासों के क्या परिणाम निकले; और

(ग) यदि नहीं, तो सीमा के दोनों और के स्थानीय व्यापारियों की कठिनाइयों को कम करने के लिए और क्या कार्यवाही करने का विचार है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ग) सरकार को इस बात की जानकारी है कि भूटान तथा असम राज्य के बीच कुछ रास्तों पर प्रतिबंध से असम के नालाबाडी जिले में एन. के. दारांग के निवासियों को असुविधा है। सरकार इस मामले में संवेदनशील

है और भूटान की शाही सरकार के परामर्श से हनुमान मंदिर (एन. के. दारंग) पर एक अतिरिक्त रास्ता खोल दिया गया है। दोनों पक्षों की सीमा के जिला प्राधिकारी यह जानने के लिए नियमित संपर्क में है कि और क्या रियायतें दी जा सकती हैं।

सेल्यूलर टेलीफोन कंपनियां

4013. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में काम कर रही सेल्यूलर टेलीफोन कंपनियां और उनके कार्यक्षेत्रों के नाम क्या हैं; और

(ख) ऐसी कंपनियों की अनुमति प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) भारती सेल मोबाइल कम्युनिकेशन प्रा. लि. तथा मैसर्स बी पी एल मोबेस्ट सेल्यूलर लि. को केरल दूरसंचार सर्किल, जो केरल राज्य का को–टर्मिनस है, के प्रादेशिक कार्य क्षेत्र में सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सी एम टी एस) के प्रचालन के लिए लाइसेंस प्रदान किए गये हैं।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस) लाइसेंस की मुख्य शर्तें

1. लाइसेंसधारी कंपनियां भारतीय पंजीकृत कंपनियां हों।
2. लाइसेंस की प्रारंभिक अवधि 10 वर्ष होगी जिसे सरकार द्वारा बढाया जा सकता है।
3. लाइसेंसधारी लाइसेंस की प्रभावी तिथि से 12 महीने के भीतर सेवा प्रदान करेगा।
4. सेवा ग्लोबल सिस्टमस फार मोबाइल कम्युनिकेशन्स (जी एस एम) मानकों के अनुरूप होगी।
5. सेवा लाइसेंस करार में निर्धारित टैरिफ की सीलिंग के भीतर ही प्रदान की जाएगी।
6. लाइसेंसधारी दूरसंचार प्राधिकरण को जैसा लागू होगा एक्सेस और जंक्शन प्रभारों के अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क भुगतान करेगा।
7. लाइसेंसधारी वायरलेस लाइसेंस शुल्क, डब्लयू पी सी रायल्टी, जी एस एम एम ओ यू (ग्लोबल सिस्टम फार मोबाइल कम्युनिकेशन्स मेमोरेण्डम आफ अंडरस्टेडिंग) प्रभार इत्यादि का भी भुगतान करेगा।
8. लाइसेंस गैर–विशिष्ट आधार पर जारी किए जाते हैं।
9. लाइसेंस धारकों को भारतीय तार अधिनियम के अनुच्छेद 5 के प्रावधानों के अनुसार कॉलों की निगरानी करने के लिए सुविधा प्रदान की जाएगी।
10. लाइसेंसधारी कंपनियों के प्रत्यक्ष विदेशी शेयर धारिता की मात्रा इक्विटी की 49 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
11. स्वदेशी तथा विदेशी वाणिज्यिक उधार वित्त मंत्रालय भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य विनियामक निकायों द्वारा जारी मार्ग–निर्देशों से नियंत्रित होंगे।

पश्चिमी बंगाल में विकास कार्य

4014. श्री रूप चन्द मुर्मू : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल में दूरसंचार तथा डाक क्षेत्र के विकास कार्य और उनका क्रियान्वयन किया गया है;

(ख) क्या राज्य में दूरसंचार और डाक सुविधाएं अन्य राज्यों की तुलना में अपर्याप्त हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का राज्य में उक्त सुविधाओं में सुधार का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा असमानता को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) चालू वित्त वर्ष के दौरान कलकत्ता सहित पश्चिम बंगाल में दूरसंचार तथा डाक के क्षेत्र में विकास कार्य शुरू किए गए हैं। विकास संबंधी पैरामीटरों के संबंध में कलकत्ता सहित पश्चिम बंगाल में दूरसंचार के क्षेत्र में 1998–99 के लक्ष्यों तथा 30.11.98 तक प्राप्त उपलब्धियों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

मद	98–99 का लक्ष्य	30.11.98 तक प्राप्त उपलब्धि
स्विचन क्षमता	312000	124035
सीधी एक्सचेंज लाइनें (डीईएल)	232000	162254
ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी)	5000	495

(ख) से (घ) पश्चिम बंगाल की दूरसंचार सुविधाएं, उत्तर– पूर्व के कुछेक राज्यों के बराबर हैं। तथापि, पश्चिम बंगाल का टेलीफोन घनत्व राष्ट्रीय औसत से कम है। नए टेलीफोन कनेक्शन के वार्षिक लक्ष्यों में उत्तरोत्तर रूप से वृद्धि नई प्रौद्योगिकी का अधिष्ठापन तथा

मानव संसाधनों का विकास करके टेलीफोन घनत्व बढ़ाने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

पश्चिम बंगाल में उपलब्ध डाक सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं। तथापि प्रौद्योगिकी का और अधिक अधिष्ठापन तथा मानव संसाधन का विकास करके डाक सुविधाओं में और सुधार किए जाने का प्रस्ताव है।

जलाशय

4015. श्री एच. पी. सिंह :

श्री जयसिंह जी चौहान :

श्री राजो सिंह :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और आज तक जलाशय स्कीमों के संबंध में राज्य सरकारों से राज्यवार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान और आज तक स्वीकृत स्कीमों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) शेष प्रस्तावों के संबंध में कब तक अंतिम निर्णय ले लिये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) संघ सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों से प्राप्त जलाशय स्कीमों का राज्यवार ब्यौरा तथा उनकी स्वीकृति की वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) इन स्कीमों की स्वीकृति विभिन्न केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों द्वारा किए गए प्रेक्षणों की राज्य सरकारों द्वारा की जाने वाली अनुपालना पर निर्भर करती है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	प्राप्ति की तारीख	स्थिति
1	2	3	4
	आंध्र प्रदेश		
1.	वेलिगोंडा परियोजना (वृहद)	7.3.96	नवम्बर, 1996 को वापस भेजी गई क्योंकि जल की उपलब्धता प्रमाणित नहीं थी।
2.	वेल्लिगल्लू जलाशय परियोजना (मध्यम)	12/96	जांच की जा रही है।
	बिहार		
3.	कदवान जलाशय परियोजना (वृहद)	21.5.98	जांच की जा रही है।
4.	ऊपरी सेकरी जलाशय (वृहद)	20.1.98	जांच की जा रही है।
5.	पुनासी जलाशय (वृहद)	1.12.97	तकनीकी सलाहकार समिति का नोट तैयार किया जा रहा है।
	कर्नाटक		
6.	मार्कन्डेय जलाशय परियोजना (वृहद)	6.5.97	जांच की जा रही है।
7.	अपर कृष्णा स्टेज–II एम. पी. परियोजना (वृहद)	25.4.96	जांच की जा रही है।
	केरल		
8.	अप्तापडी सिंचाई परियोजना (मध्यम)	1.3.96	जांच की जा रही है।
	मध्य प्रदेश		
9.	अपर नर्मदा परियोजना (वृहद)	16.9.96	जांच की जा रही है।
	महाराष्ट्र		
10.	लोवर वर्धा (वृहद)	24.11.97	जांच की जा रही है।

1	2	3	4
11.	गुंजावनी सिंचाई स्कीम (वृहद)	15.6.98	जांच की जा रही है।
12.	उतावली (मध्यम)	9.11.95	जांच की जा रही है।
13.	पुर्ना (मध्यम)	29.9.95	जांच की जा रही है।
14.	लाल नल्ला (मध्यम)	25.9.97	जांच की जा रही है।
15.	लेन्दी सिंचाई परियोजना (वृहद) महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का संयुक्त उद्यम	6.5.97	जांच की जा रही है।
16.	सिना कोलेगांव	5/96	नवंबर, 1996 को वापस भेजी गई क्योंकि केन्द्रीय जल आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार रिपोर्ट तैयार नहीं की गई थी।
17.	तराली (वृहद)	7/98	संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार को वापस भेजी गई।
	(वृहद)	11/98	जांच की जा रही है।
19.	नंदारगांव (मध्यम)	15.12.97	जांच की जा रही है।
20.	रेनपुर (मध्यम)	4.12.97	जांच की जा रही है।
21.	अपर मंजरा (मध्यम)	27.11.97	जांच की जा रही है।
22.	पोथरा नाला (मध्यम)	20.5.98	जांच की जा रही है।
23.	चिकोतरा (मध्यम)	3.6.98	जांच की जा रही है।
24.	लाभनसारद (मध्यम)	15.10.98	जांच की जा रही है।
	उड़ीसा		
25.	कनुपुर सिंचाई परियोजना (वृहद)	9/97	जांच की जा रही है।
26.	ओंग बांध परियोजना (वृहद)	18.3.97	जांच की जा रही है।
27.	ईब सिंचाई परियोजना (वृहद)	8.2.98	जांच की जा रही है।
28.	बुतंग सिंचाई परियोजना (वृहद)	12.1.98	जांच की जा रही है।
29.	धौरागथ परियोजना (मध्यम)	9/96	तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत।
30.	तेलंगिर (मध्यम)	9/97	जांच की जा रही है।
31.	रेत (मध्यम)	10/97	जांच की जा रही है।
32.	अपर लन्थ (मध्यम	11/97	जांच की जा रही है।
	राजस्थान		
33.	गरार्दा (मध्यम)	27.7.97	तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से वन स्वीकृति तथा कल्याण मंत्रालय से पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना स्वीकृति एवं राज्य वित्त स्वीकृति की प्रतीक्षा है।
	उत्तर प्रदेश		
34.	किशाऊ बांध परियोजना (बहु–उद्देशीय)	15.7.97	जांच की जा रही है।

सेवा आचार नियम

4016. श्री सुरेश वरपुडकर : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की उस सिफारिश को नामंजूर कर दिया है कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घरेलू नौकरों के रूप में नौकरी पर रखना सेवा आचार नियमों का उल्लंघन माना जाए;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) यदि नहीं, तो उपर्युक्त प्रावधान को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के सेवा आचार नियमों में शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नौकरी में नहीं रखे जाने के संबंध में सरकारी कर्मचारियों के आचरण–नियमों में एक नियम शामिल किए जाने के बारे में राष्ट्रीय मानवाधिकार–आयोग की सिफारिश की जांच की गई तथा यह पाया गया कि आचरण नियमों में संशोधन से अभिप्रेत प्रयोजन पूरा नहीं हो पाएगा बल्कि उससे बहुत–सी ऐसी कठिनाईयां पैदा हो जाएंगी जिनसे बचा जा सकता है। तदनुसार, राष्ट्रीय मानवाधिकार–आयोग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया गया था। फिर भी, राष्ट्रीय मानवा धिकार आयोग की सलाह पर इस मामले पर पुनर्विचार किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

फसलों में रसायनिक कीटनाशक

4017. श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे

श्री बिट्ठल तुपे :

श्री एस. एस. ओवेसी :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 नवंबर, 1998 के इंडियन एक्सप्रेस में "स्टडी फाइन्डस मोस्ट वेजिटेबल टेंटिड" शीर्ष से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) फसलों में रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां।

(ख) समाचार की रिपोर्ट, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अध्ययनों के आधार पर है। इसके मुख्य मुद्दे हैं :

(i) सब्जियों में व्यापक रूप से फैला संदूषण किसानों द्वारा विश्वविद्यालय की सिफारिशों का, खासकर विषैले रसायनों के उपयोग के बारे में, पालन न करने के कारण हुआ है। कीटनाशक रसायनों के अवशेषों की समस्या उन मामलों में अधिक गंभीर हो जाती है जहां गैर–मौसमी सब्जियों को व्यायसायिक पैमाने पर उगाया जाता है। ऐसे मामलों में किसान कीटनाशक रसायनों का अत्याधिक और अंधाधुंध प्रयोग करते हैं।

(ii) किसान सब्जियों की कटाई और उन्हें बाजार तक ले जाने के लिए इंतजार की निर्धारित अवधि का पालन नहीं करते। इसके अलावा कीटनाशक रसायनों की बिक्री विशेषज्ञों के नुस्खे द्वारा नियंत्रित नहीं की जाती। ज्यादातर किसान कीटनाशक रसायनों के डीलरों से ऋण पर कीटनाशक रसायन खरीदने के लिए निर्भर करते हैं। इस तरह, किसान डीलरों की सिफारिशों पर भी निर्भर होते हैं।

(iii) यह सिफारिश की जाती है कि कीटनाशक रसायनों के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954 का सख्ती से पालन किया जाए।

(ग) (i) कीटनाशक रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए सरकार विभिन्न फसलों पर समेकित कीट प्रबंध के माध्यम से परिस्थिति के अनुरूप उपाय करने को बढ़ावा दे रही है।

(ii) कीटनाशक रसायनों के उपयोग को न्यूनतम करने के लिए किसानों और विस्तार कार्यकर्ताओं के लिए आई पी एम पर एक विशाल शैक्षणिक और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है।

(iii) नीम से बने कीटनाशक रसायनों सहित जैव कीटनाशक रसायनों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।

सार्वजनिक टेलीफोन

4018. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सिहोर जिले के आस्था तहसील के गांव, शीलखैरा में सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाये गये है/ उठाये जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) से (ग) जी नहीं, ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। दूरसंचार विभाग तथा भारती टेलीनेट लि. बुनियादी दूरसंचार सेवा प्रदाता के बीच हुए लाइसेंस करार में ग्राम शीलखेड़ा में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है।

उड़ीसा में घटिया दूरसंचार सुविधायें

4019. श्री रंजीव विस्वाल : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा विशेष रूप से जगत सिंह क्षेत्र में [illegible] सुविधाओं में सुधार करने का प्रस्ताव है;

[illegible]दे हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी हा।

(ख) और (ग) (i) 1998–99 के दौरान जगतसिंह पुर में 512 पी आई एल टी एक्सचेंज की मौजूदा 2 यूनिटों के स्थान पर 3000 लाइनों का एम ए एक्स–एल सी–डॉट एक्सचेंज लगाने की योजना बनाई गयी है।

(ii) अक्सर खराब होने वाली ओपन वायर उपभोक्ता लाइनों के स्थान पर भूमिगत केबिल बिछाई जा रही है।

(iii) जगतसिंह पुर क्षेत्र के ग्रामीण एक्सचेजों का मांग के आधार पर उन्नयन किया जा रहा है।

(iv) 1998–99 के दौरान, जगतसिंह पुर के लगभग 40 प्रतिशत गावों में टेलीफोन सुविधा है।

(v) एक्सचेंजों में विश्वसनीय संपर्कता प्रदान करने के लिए जगतसिंहपुर में ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाई जा रही है।

(vi) जगतसिंह पुर क्षेत्र के लगभग 75 प्रतिशत एक्सचेंजों में मार्च, 99 तक विश्वसनीय माध्यम उपलब्ध हो जाएगा।

स्टेशनरी की खरीद

4020. डा. विजय सोनकर शास्त्री : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कई सरकारी, विभागों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, निगमों, दिल्ली सरकार के कार्यालयों तथा बोर्डों द्वारा कार्यालय उपभोग की स्टेशनरी तथा अन्य मदों की केन्द्रीय भंडार, सुपर बाजार तथा एन. सी. सी. एफ. से खरीद नहीं की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त विभागों द्वारा की गई खरीद के स्रोत का पता लगा लिया है तथा इन मदों की सरकार द्वारा यथा प्राधिकृत उपरोक्त संस्थाओं से खरीद किए जाने के क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय-(बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) इस बारे में जानकारी केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती। फिर भी, सरकार के मौजूदा निदेशों के अनुसार, सभी केन्द्रीय सरकारी विभागों इत्यादि से यह अपेक्षित है कि वे लेखन सामग्री तथा अन्य मदों की स्थानीय खरीद मात्र केन्द्रीय भंडार, सुपर बाजार तथा एन. सी. सी. एफ. से ही करें। यदि वे किसी मद विशेष की आपूर्ति करने में समर्थ नहीं हो तो ऐसी खरीद नियमानुसार, उनसे अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करके अन्य स्रोतों से की जाए। प्राधिकृत अभिकरणों (एजेंसियों) ने सूचित किया है कि अधिकांश सरकारी विभाग, लेखन–सामग्री आदि की स्थानीय खरीद उनसे ही करते हैं।

भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान परिषद्

4021. श्री महबूब जहेदी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पशु पालन और डेयरी विभाग के अंतर्गत भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान परिषद् स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी संरचना क्या होगी;

(ग) क्या सरकार का पशुपालन और डेयरी और मत्स्य पालन को अन्य संबंधित क्षेत्रों को मिलाकर केबिनेट स्तर के मंत्री के साथ एक स्वतंत्र मंत्रालय बनाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इसके कब तक कार्य शुरू कर देने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) कृषि संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों पर, इस विभाग ने ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय तथा अधिकार मंत्रालय से क्रमशः विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय और पशु कल्याण बोर्ड के हस्तांतरण के लिए विचार मांगे हैं। उनके उत्तर प्राप्त होने पर विभाग के भविष्य के बारे में अर्थात् मंत्रालय के गठन करने के बारे में निर्णय लेना आसान होगा।

भारत–दक्षिण अफ्रीका संबंध

4022. श्री आर. साम्बासिवा राव :

श्री कमलनाथ :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोखरण परीक्षण से पहले और बाद में भारत और दक्षिण अफ्रीका के संबंधों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये संबंध बिगड़ गए;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) पुनः मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच बहु फलकीय संबंध हैं और इनमें निरंतर वृद्धि हो रही है। इस वर्ष सितम्बर में प्रधानमंत्री ने दरबन में 'नाम' के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की थी। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण स्तरों पर महत्वपूर्ण यात्राओं का आदान–प्रदान हुआ है जिसमें हमारे द्विपक्षीय संबंधों के अनेक क्षेत्रों को शामिल किया गया है। निकट भविष्य में अनेक उच्च स्तरीय यात्राएं भी की जाती हैं जिनसे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। भारत दक्षिण अफ्रीकी संयुक्त आयोग की बैठक प्रीटोरिया में 4 और 5 सितंबर, 1998 को हुई।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में टी. वी. ट्रांसमीटर

4023. श्री बची सिंह रावत 'बचदा' : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में कम शक्ति वाले अधिकांश टी. वी. ट्रांसमीटर जनशक्ति के अभाव के कारण बंद पड़े रहते हैं;

(ख) यदि हां, क्या सरकार इन कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों के स्थान पर उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर लगाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों पर कब तक पर्याप्त कर्मचारी तैनात किये जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में सभी दस अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों की सामान्य रूप से कार्य करने की सूचना है। तथापि हल्द्वानी, नैनीडोडा एवं न्यू टेहरी में तीन अल्प शक्ति ट्रांसमीटर अपेक्षित स्टाफ की कमी के कारण केवल अंशकालिक प्रसारण कर रहे हैं।

(ख) और (ग) वर्तमान में, उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूदा अल्पशक्ति ट्रांसमीटरों को उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों में परिवर्तित करने की कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।

(घ) वित्त मंत्रालय के स्टाफ निरीक्षण एकक को विभिन्न उ.श. ट्रा./अ.श.ट्रा./अ.अ.श.ट्रा. की समग्र स्टाफ अपेक्षा का आकलन करने के लिए उनके स्टाफ मानदंडों के तुरंत अध्ययन के लिए अनुरोध किया गया है। स्टाफ निरीक्षण एकक की सिफारिशें प्राप्त होने पर, अपेक्षित श्रेणियों में पदों के सृजन/समाप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ताकि सभी ट्रांसमीटरों में कार्मिकों की तैनाती की जा सके और पहले पूरी हो चुकी परियोजनाओं को शीघ्र चालू किया जा सके।

[अनुवाद]

सेल्यूलर फोन

4024. डा. रवि मल्लू : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग द्वारा सेल्यूलर टेलीफोन सेवा प्रारंभ करने से अतिरिक्त राजस्व सृजित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो दूरसंचार विभाग द्वारा गत दो वर्षों में कितना अतिरिक्त राजस्व सृजित किया गया है; और

(ग) महानगरों में तथा अन्य नगरों में सेल्यूलर उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) और (ख) दूरसंचार विभाग सेल्यूलर प्रचालकों से इंटरकनेक्ट प्रभारों पट्टाशुदा लाइनों के किरायों, सर्किटों तथा कॉल प्रभारों से संबंधित राजस्व अर्जित कर रहा है। तथापि, इस राजस्व का कुछ भाग जो दूरसंचार विभाग अन्यथा स्थिर टेलीफोन लाइनों के माध्यम से अर्जित करता, वह राजस्व अब सेल्यूलर सेवाओं को चला गया है अतः स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि सेल्यूलर सेवाओं से कितना अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होता है।

(ग) 30.9.98 की स्थिति के अनुसार :

चार महानगरों में	457342 उपभोक्ता
दूरसंचार सर्किलों में	488722 उपभोक्ता
कुल	946064 उपभोक्ता

[हिन्दी]

कम्प्यूटर एप्लिकेशन्स को विषय के रूप में सम्मिलित करना

4025. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इन्दिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों में "कम्प्यूटर एप्लिकेशंस" में स्नातक उपाधि दी जा रही है;

(ख) क्या सरकार का संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में "कम्प्यूटर एप्लिकेशंस" विषय सम्मिलित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) जी, हां। इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय सहित, कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा कम्प्यूटर अनुप्रयोग स्नातक की उपाधि दी जा रही है।

(ख) और (ग) इस समय, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा में कम्प्यूटर अनुप्रयोग (एप्लिकेशन) को एक विषय के रूप में सम्मिलित किए जाने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है।

अभियोजन के लिए सी. बी. आई. को अनुमति

4026. डा. सुशील इन्दौरा : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1998 के अंत तक सी. बी. आई. ने ऐसे 138 मामलों में सरकार से अभियोजन की अनुमति मांगी थी जिन में सरकारी कर्मचारी कथित रूप से संलिप्त थे;

(ख) ऐसे कुल कित्तने मामलों के लिए सरकार से अनुमति मांगी गई है;

(ग) क्या सरकार ने अब तक इन मामलों में अनुमति नहीं दी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) अक्तूबर, 1998 के अंत तक कुल कितने मामलों में सरकार ने अनुमति दी है; और

(च) शेष मामले में अनुमति नहीं दिए जाने के मामलेवार कारण क्या हैं?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (च) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उसने 138 मामलों में संबंधित सक्षम प्राधिकारियों से लोक सेवकों के विरुद्ध मुकदमा चलाया जाना शुरू करने की अनुमति मांगी थी, जो 30.6.1997 को मौजूद स्थिति के अनुसार, मुकदमा चलाए जाने की मंजूरी हेतु लम्बित थे। उसके पश्चात् 1 जुलाई 1997 से 30 नवंबर, 1998 के बीच की अवधि में, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा लोक सेवकों के संबंध में मुकदमा चलाए जाने की अनुमति दिए जाने हेतु विभिन्न सक्षम प्राधिकारियों को 330 मामले और भेजे गए हैं। उपर्युक्त कुल 468 (138+330) में से 398 मामलों में मुकदमा चलाए जाने की अनुमति पहले ही प्रदान कर दी गई है तथा ऐसे एक मामले में सक्षम प्राधिकारी ने मुकदमा चलाए जाने की अनुमति देने से इंकार कर दिया है। शेष रहे 69 मामले, स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, मुकदमा चलाए जाने की अनुमति प्रदान किए जाने के सिलसिले में सक्षम प्राधिकारियों के पास आवश्यक जांच–पड़ताल और अपेक्षित कार्रवाई के विभिन्न चरणों में चल रहे हैं। कुछ मामलों मे आवश्यक जांच–पड़ताल और अपेक्षित कार्रवाई किए जाने में विलम्ब, उनके जटिल स्वरूप का होने, उनके संबंध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग, विधि कार्य विभाग, तथा संबंधित राज्य सरकारों जैसे विभिन्न प्राधिकारियों से सलाह लिए जाने संबंधी अपेक्षा तथा न्यायालयों द्वारा दिए गए रोक–आदेशों के कारण हुआ है।

[अनुवाद]

परमाणु संयम

4027. श्री माधवराव सिंधिया :

श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिकी सरकार ने भारत और पाकिस्तान को "संयम" बरतने के लिए दोनों पड़ोसियों से अपने प्रक्षेपास्त्रों और प्रक्षेपण वाहनों को परमाणु हथियारों से लैस न करने और विभिन्न अन्य संयम बरतने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो अमेरिका द्वारा दोनों देशों को दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है और इन सुझावों पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या ये सुझाव दोनों देशों के विरुद्ध अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाने की पूर्व शर्त के रूप में आए हैं; और

(घ) यदि हां, तो प्रतिबंध हटाने की शर्तों का ब्यौरा क्या है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) दोनों देशों के बीच चल रही द्विपक्षीय वार्ता में संयुक्त राज्य द्वारा "प्रतिबंध' के लिए कतिपय सुझाव सामने रखे गए हैं। सरकार इस बात पर अटल

है कि रक्षा स्थिति से सम्बद्ध मामले प्रभुता संपन्न कार्य हैं और ये बातचीत के विषय नहीं हैं। यह बात अमरीका को स्पष्ट कर दी गई है।

(ग) और (घ) संयुक्त राज्य के साथ यह वार्ता मई 1998 के परीक्षणों के पश्चात् भारत द्वारा रखे गये व्यापक प्रस्तावों के आधार पर की जा रही है। इसका उद्देश्य भारत की सुरक्षा चिंताओं को स्पष्ट करना और परस्पर हित चिंता के सामरिक मसलों पर वैचारिक मतभेदों को कम करना है, यह प्रतिबंधों को हटाने और इसका प्रतिकार करने तक ही सीमित नहीं है। संयुक्त राज्य अमरीका के अधिकारियों के वक्तव्यों का संकेत "सीमित प्रगति" को यह मान्यता देना है कि अमरीका ने कुछ प्रतिबंधों को हटा लिया है। सरकार का विचार है कि इस प्रकार के एकतरफा तथा दमनकारी आर्थिक प्रतिबंधात्मक उपाय अन्यायपूर्ण तथा विरोध उत्पन्न करने वाली कार्रवाई है।

पैकिंग सामग्री की अनुपलब्धता

4028. डा. सुगुण कुमारी चलामेला :

श्री एम. राजैया :

श्री के. येरननायडु :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पैकिंग सामग्री की अनुपलब्धता के कारण कश्मीर और देश में सेब की उपज वाले अन्य क्षेत्रों में करोडों रुपये के फल विशेष रूप से सेब खराब सड रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा सेब की उपज करने वाले व्यक्तियों को इस अत्याधिक हानि से बचाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) सरकार को पैकिंग सामग्री की अनुपलब्धता के कारण फलों, जिसमें सेब भी शामिल हैं, के सड़ने के बारे में राज्य सरकारों से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) सरकार "बागवानी फसलों की कटाई पश्चात् अवसंरचना के प्रबंध पर समन्वित परियोजना" नामक स्कीम के अधीन राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के लिए सहायता दे रही है, जिसके अधीन कटाई पश्चात् हानियों को कम से कम करने के लिए उन्नत पैकेजिंग के लिए गुणावगुण के आधार पर राजसहायता के रूप में सहायता दी जाती है।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

4029. श्री बलराम सिंह यादव : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों, विशेष रूप से इटावा, उत्तर प्रदेश के संबंध में तथा तत्संबंधी निधियों के दुरुपयोग के बारे में संसद सदस्यों से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या यह भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि संबंधित सदस्यों के साथ परामर्श किए बगैर परियोजनाएं क्रियान्वित की गई हैं और अभी भी अपूर्ण परियोजनाओं को पूर्ण परियोजनाओं के रूप में दिखाया गया है; और

(घ) केवल सदस्यों द्वारा प्रायोजित प्रगति सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यों के निष्पादन में अनियमितताओं के संबंध में संसद सदस्यों से कुछ शिकायतें मिली हैं जिसमें निर्माण कार्यों के पूरा न किए जाने, निधियों के दुरुपयोग किए जाने सांसद द्वारा बगैर अनुशंसा के निर्माण कार्यों का निष्पादन करने तथा अधूरे निर्माण कार्यों को पूरा हुआ दर्शाने वाले आरोपों से संबद्ध इटावा, उत्तर प्रदेश के संबंध में प्राप्त तीन शिकायतें शामिल हैं। दो निर्माण कार्यों के पूरे न किए जाने और निधियों के दुरुपयोग से संबंधित शिकायतों के बारे में जिला कलेक्टर, इटावा ने सूचना दी है कि उनमें से एक कार्य पूरा किया जा चुका है और सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से संबंधित उक्त निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच करने के बाद दूसरे निर्माण कार्य के लिए 53,000 रुपये की वसूली करने के वास्ते आदेश दिया जा चुका है। जहां तक संसद सदस्य की बगैर अनुशंसा के ही दो निर्माण कार्यों के निष्पादन से संबंधी शिकायत का प्रश्न है, सूचना प्राप्त हुई है कि उक्त निर्माण कार्यों को संबद्ध संसद सदस्य के सहायक निजी सचिव से प्राप्त पत्र के आधार पर शुरू करवाया गया था, तत्कालीन राज्य मंत्री, योजना और कार्यक्रम कार्यान्यवन को तत्संबंधी स्वीकृति के आदेशों की प्रतियां भेज दी गई थीं। जहां तक 15 अधूरे निर्माण कार्यों को पूरा किया हुआ दर्शाने से संबंधी आरोप का प्रश्न है, उस संबंध में जांच के आदेश दे दिए गए हैं।

(घ) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार जिला अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे केवल संबद्ध संसद सदस्यों की अनुशंसाओं के आधार पर निर्माण

कार्यों को निष्पादित करवाएं। इस उपबंध का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि संसद सदस्यों द्वारा केवल उनके पत्र शीर्ष पर और वह भी उनके हस्ताक्षर सहित जो अनुशंसाएं भेजी जाती हैं, उन्हीं के ऊपर कार्रवाई की जाए। सभी माननीय संसद सदस्यों को राज्य मंत्री (योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन) की ओर से अनुरोध पत्र भेजा गया है कि वे निर्माण कार्यों के लिए अनुशंसाएं अपने पत्र शीर्ष पर और अपने हस्ताक्षर के साथ ही भेजें।

विद्युत उत्पादन

4030. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा आयोग का 2020 ईस्वी तक 20,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) "विजन 2020" के अंतर्गत वर्ष 2020 तक 20,000 मेगावाट की परमाणु विद्युत क्षमता स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।

(ख) नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान और नवीं पंचवर्षीय योजना से आगे के लिए परमाणु विद्युत उत्पादन के कार्यक्रम का ब्यौरा निम्नानुसार है, बशर्ते कि वित्तीय संसाधन उपलब्ध हों।

रिएक्टरों/यूनिटों का ब्यौरा		कुल क्षमता (मेगावाट)
1		2
I.	नवीं पंचवर्षीय योजना तक	
	म कर रहे रिएक्टर 160 मेगावाट की क्षमता वाले दो बायलिंग वाटर रिएक्टर और 8 दाबित भारी पानी रिएक्टर (1x100, 1x200, 2x170, 4x220 मेगावाट)	1840
2.	निर्माणाधीन रिएक्टर (220 मेगावाट की क्षमता वाले 4 दाबित भारी पानी रिएक्टर)	880
3.	संस्वीकृत रिएक्टर तथा जिन पर काम शुरू हो गया (500 मेगावाट की क्षमता वाले 2 दाबित भारी पानी रिएक्टर)	1000
4.	वे रिएक्टर जिनके लिए संस्वीकृति अभी प्राप्त होनी है (220 मेगावाट की क्षमता वाले 2 दाबित भारी पानी रिएक्टर, 1000 मेगावाट की क्षमता वाले 2 वी वी ई आर तथा 500 मेगावाट की क्षमता वाला एक प्रोटोटाइम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर)	2940
		6660
II.	नवीं पंचवर्षीय योजना से आगे (प्रारंभिक अवस्था में, संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर पुष्टि की जाती है)	
1.	वे रिएक्टर जिनके संबंध में अग्रिम प्रापण की कार्रवाई की जानी है।	1440
2.	वे रिएक्टर जो अभी योजना–अवस्था में हैं।	
	(i) 500 मेगावाट की क्षमता वाले 10 दाबित भारी पानी रिएक्टर	5000
	(ii) 500 मेगावाट की क्षमता वाले 4 फास्ट ब्रीडर रिएक्टर	2000
	(iii) 1000 मेगावाट की क्षमता वाले 5 हल्का पानी रिएक्टर	5000
	जोड़	13440
	कुल जोड़	20100

तम्बाकू उद्योगों में जलाने की लकड़ी का उपयोग

4031. श्री अनन्त कुमार हेगड़े : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार देश में तम्बाकू कंपनियों द्वारा कुल कितनी जलाने की लकडी का उपयोग किया गया तथा इससे देश में वनों की कितनी हानि हुई; और

(ख) सरकार द्वारा तम्बाकू प्रसंस्करण में जलाने की लकड़ी के उपयोग को कम करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) (क) और (ख) तम्बाकू कंपनियां तम्बाकू के प्रसंस्करण के लिए काष्ठ ईधन का उपयोग बिलकुल नहीं करती हैं। कुछ पुनः शुष्कीकरण कारखाने भाप पैदा करने के लिए काष्ठ ईधन का उपयोग करते हैं, जिसे वे अधिकतर स्थानीय साधनों से खरीदते हैं। हालांकि वर्जीनिया फ्लूक्योरड तम्बाकू को काष्ठ ईधन, कोयले आदि से प्रसंस्कृत किए जाने की जरूरत होती है।

सिगरेट के तम्बाकू, जिसके लिए काष्ठ ईधन/कोयले की जरूरत होती है, के प्रसंस्करण के अतिरिक्त, बीडी खाने के तम्बाकू, हुक्के के तम्बाकू, सिगार आदि के लिए किसी प्रकार के ईधन की आवश्यकता नहीं है। फिर भी तम्बाकू बोर्ड ने तम्बाकू परिष्करण के लिए जलाने की लकड़ी का उपयोग कम करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान के सहयोग से कुछ स्कीमों की शुरूआत की है।

पाक द्वारा प्लूटोनियम का उत्पादन

4032. श्री सुशील कुमार :

श्री डी. एस. अहिरे :

श्री माधवराव सिंधिया :

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 नवंबर, 1998 को "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में छपे समाचार शीर्षक "पाक प्रोड्यूसिंग प्लेटोनियम" की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या है; और

(ग) देश में इसके मुकाबले क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और 50–70 मेगावाट वाले क्रांतिक खुशब किए रिएक्टर पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार को इन रिपोर्टों की जानकारी है कि पाकिस्तान ने खुशब नामक स्थान पर 50 मेगावाट क्षमता के एक रिएक्टर का निर्माण किया है।

(ग) सरकार पाकिस्तान की परमाणु क्षमता का बारीकी से मानीटरन और निरन्तर मूल्यांकन करती रही है। भारत के पास देश की विकासात्मक और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया गया एक विशाल, विविधतापूर्ण और प्रगत परमाणु कार्यक्रम है।

कनिष्ठ लेखा अधिकारियों/कनिष्ठ दूरभाष अधिकारियों के वेतनमान

4033. श्री उपेन्द्रनाथ नायक :

श्री अर्जुन सेठी :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रिमंडल ने कनिष्ठ लेखा अधिकारियों तथा कनिष्ठ दूरभाष अधिकारियों के भर्ती नियमों सहित उनके वेतनमानो के संबंध में "फास्ट ट्रेक कमेटी" के प्रतिवेदन को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) "फास्ट ट्रैक कमेटी" द्वारा की गई उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (ग) पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों से संबंधित मामले सत्वरता से निबटाए जाने के बारे में गठित समिति (फास्ट ट्रैक समिति) ने यह सिफारिश की है कि कनिष्ठ दूरभाष अधिकारियों के उच्चतर वेतनमान दिए जाने के बारे में पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें उक्त अधिकारियों के सेवा में प्रवेश से संबंधित अर्हताओं का उन्नयन किए जाने की शर्त पर स्वीकर कर ली जानी चाहिए तथा कनिष्ठ लेखा अधिकारियों की सेवा शर्तें, कनिष्ठ दूरभाष अधिकारियों की सेवा शर्तों से सम्बद्ध नहीं की जानी चाहिए। पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों से संबंधित मामले सत्वरता से निबटाए जाने के बारे में गठित फास्ट ट्रैक समिति की उपर्युक्त सिफारिश, मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकार कर ली गई है।

विशेषज्ञ समिति

4034. कर्नल सोना राम चौधरी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु सुझाव देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति की रचना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समिति ने अपना कार्य शुरू कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो समिति द्वारा सरकार को कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (घ) जी, नहीं।

[हिन्दी]

बुनियादी आवश्यकताओं के लिए धनराशि

4035. श्री प्रदीप कुमार यादव :

श्री शान्ति लाल पुरूषोत्तम पटेल :

श्री अरविंद कांबले :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा घोषित किए गए न्यूनतम बुनियादी कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बुनियादी आवश्यकताओं को सृजित करने के लिए कार्यक्रम को क्रियान्वित करने हेतु अपेक्षित धनराशि का अनुमान लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य को इस प्रयोजन के लिए क्षेत्रवार कितनी धनराशि जारी की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) न्यूनतम बुनियादी सेवाएं (बी एम एस) कार्यक्रम, जुलाई 1996 में हुई मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के परिणामस्वरूप, 1996 में शुरू किया गया था जिसमें बी एम एस कार्यक्रम के लिए एक निश्चित समय सीमा में निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के सर्वांगीण प्रयासों के साथ अपनाया गया था :

1. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता का शत प्रतिशत कवरेज,
2. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं का शत प्रतिशत कवरेज,
3. प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण,
4. सभी आवासहीन गरीब परिवारों को सार्वजनिक आवास सहायता उपलब्ध कराना,
5. सभी ग्रामीण ब्लाकों और शहरी गन्दी बस्तियों तथा अलाभन्वित वर्गों को, प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के विस्तार के जरिए और आई सी डी एस के एक भाग के रूप में क्रियान्वित किए गए पूरक पोषण कार्यक्रम के जरिए पूरक पोषण उपलब्ध कराना, और
6. सभी असंबद्ध ग्रामों और आवासीय स्थलों को जोड़ने का प्रावधान,
7. गरीबों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सरल बनाना।

बी एम एस कार्यक्रम पूर्ववर्ती न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एम एन पी) के स्थान पर चलाया जा रहा है। जहां एम एन पी वृहत तौर पर देश के ग्रामीण इलाकों के लिए था, वहीं बी एम एस का उद्देश्य देश के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सामाजिक उपभोग के वास्ते सुविधाओं का नेटवर्क उपलब्ध कराना है।

बी एम एस के लिए निधियों का प्रावधान मूलतः राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं का एक अंग है। तथापि, कुछ क्रांतिक क्षेत्रों में, राज्यों के संसाधनों को पूरक सहायता के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र प्रायोजित स्कीमों को शुरू किया गया। इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपरोक्त बी एम एस क्षेत्रकों में पर्याप्त निवेश किए जाएं, 1996–97 से योजना आयोग, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनन्य रूप से बी एम एस के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए सी ए) उपलब्ध कराता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कुल बी एम एस परिव्यय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजना में उद्दिष्ट किए गए हैं, जिससे कि गैर बी एम एस क्षेत्रकों को कोई पंथातरण संभव न हो सके। बी एम एस का क्रियान्वयन पूरी तरह से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का मामला है।

(ख) और (ग) सुरक्षित पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा, प्राथमिक शिक्षा, आवासहीन गरीबों के लिए आवास तथा ग्रामीण संबद्धता के बी एम एस क्षेत्रकों, के वास्ते नौवीं योजना के लिए विशेष कार्य योजनाएं बनाई गई हैं, जिनका उद्देश्य इन क्षेत्रकों में प्राथमिकता के आधार पर समस्या क्षेत्रों से निपटना तथा आधार संरचना में गंभीर अंतरालों को भरना है और देश में पूर्ण कवरेज के लक्ष्य की समयबद्ध प्राप्ति के लिए जबकि यह समझा जाता है कि बी एम एस आधार संरचना अंतरालों को भरने के लिए आवश्यक निधियों की कुल प्रमात्रा काफी बड़ी होगी, अतएवं सभी स्रोतों, अर्थात् केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों, गैर–सरकारी संगठनों (एन जी ओ) के साथ–साथ विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संसाधनों का पूल बनाने के लिए अधिकाधिक प्रयासों की आवश्यकता होगी। योजना आयोग द्वारा बी एम एस कार्यक्रम के लिए निधियों की कोई सकल/क्षेत्रकवार आवश्यकता तय नहीं की गई है।

(घ) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को बी एम एस हेतु किया गया ए सी ए का आबंटन समग्र रूप से बी एम एस कार्यक्रम के लिए है तथा विशिष्ट रूप से इसे किसी बी एम एस क्षेत्रक विशेष

या क्षेत्रकों को आबंटित नहीं किया गया है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी अपनी प्राथमिकताओं पर निर्भर रहते हुए विभिन्न बी एम एस क्षेत्रकों में स्वयं ए सी ए निधियों का अन्योन्य आबंटन करने के लिए पूरा लचीलापन प्रदान किया गया है।

1996–97 में, केन्द्र ने राज्यों और राज्य क्षेत्रों को बी एम एस के लिए ए सी ए के रूप में 2244 करोड रुपये का आबंटन किया था, जो 1997–98 में बढ़ाकर 2970 करोड़ रुपये कर दिया गया और इसे 1998–99 में और बढ़ाकर 3410 करोड़ रुपये कर दिया गया। अभी तक किए गए राज्यवार आबंटन संलग्न विवरण में दिया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बी एम एस के लिए मासिक आधार पर बारह समान मासिक किश्तों में ए सी ए जारी किया जाता है।

विवरण

1998–99 में न्यूनतम बुनियादी सेवाओं (बी एम एस) के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए सी ए) का आबंटन

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) 1998–99
1	2	3
गैर-विशेष श्रेणी राज्य		
1.	आंध्र प्रदेश	17961.00
2.	बिहार	38332.00
3.	गोवा	363.00
4.	गुजरात	7642.00
5.	हरियाणा	5009.00
6.	कर्नाटक	10468.00
7.	केरल	10285.00
8.	मध्य प्रदेश	23610.00
9.	महाराष्ट्र	15922.00
10.	उड़ीसा	16425.00
11.	पंजाब	2694.00
12.	राजस्थान	14001.00
13.	तमिलनाडु	14113.00
14.	उत्तर प्रदेश	50099.00
15.	पश्चिम बंगाल	21433.00
	(क) उप–जोड़	248357.00
विशेष श्रेणी राज्य		
1.	अरुणाचल प्रदेश	9047.00
2.	असम	17246.00
3.	हिमाचल प्रदेश	10482.00
4.	जम्मू और कश्मीर	16480.00
5.	मणिपुर	6430.00
6.	मेघालय	3899.00
7.	मिजोरम	4182.00
8.	नागालैंड	4951.00
9.	सिक्किम	4725.00
10.	त्रिपुरा	5537.00
	(ख) उप–जोड़	82979.00
संघ राज्य क्षेत्र		
1.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1495.00
2.	पांडिचेरी	745.00
3.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1717.00
4.	चंडीगढ़	618.00
5.	दादरा एवं नागर हवेली	
6.	लक्षद्वीप	239.00
7.	दमन एवं दीव	143.00
	(ग) उप–जोड़	5137.00
	कुल जोड़	336473.00 *

* 1998-99 में बी एम एस के लिए एसीए के रूप में 3410 करोड रुपये के बजटीय प्रावधान में से, 3364.73 करोड रुपये 1998-99 में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को बीएमएस के लिए आबंटित किए गए हैं। 1997-98 में बीएमएस के लिए तीन राज्यों के 22.17 करोड रुपये की बकाया राशि को भी इसी राशि में संवितरित किया गया है। 23.1 करोड रुपये की शेष अनाबंटित राशि इसी वर्ष के दौरान वितरित की जाएगी।

[अनुवाद]

शराब के कारखाने

4036. श्री चमन लाल गुप्त : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष विभिन्न प्रकार की शराब पीने की मात्रा में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में किस किस्म की शराब के कारखाने चल रहे हैं तथा उक्त अवधि के दौरान राज्यवार मद्यनिर्माण और उसकी बिक्री क्या रही;

(घ) पिछले तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष में भी जारी किए गए नये लाइसेंसों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या मूल नीति की उपेक्षा करते हुए जम्मू क्षेत्र में विभिन्न किस्म की शराब बनाने और बिक्री के लिए बड़ी संख्या में लाइसेंस जारी किए गए हैं; और

(च) इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

इमीग्रेशन रैकेट

4037. **श्री रामपाल सिंह :**

श्री आनन्द रत्न मौर्य :

डा. रामकृष्ण कुसमरिया :

श्री सुशील कुमार शिंदे :

श्री माधवराव सिंधिया :

श्री रामकृष्ण बाबा पाटील :

श्रीमती रानी नरह :

श्री तारिक अनवर :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 नवंबर, 1998 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "मेजर इंडियन इमीग्रेशन रैकेट बस्टेड बाई यूएस गवर्नमेंट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समाचार की तथ्यता क्या है;

(ग) संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने भारतीय गैर–कानूनी रूप से रह रहे हैं; और

(घ) अब तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी हां।

(ख) यह समाचार अमरीकी सरकार की इमीग्रेशन एंड नेचरलाइजेशन सर्विस की 20 नवंबर 1998 की खबर में निहित सूचना पर आधारित है।

(ग) अमरीका में अवैध रूप से रह रहे भारतीय राष्ट्रिकों की संख्या के बारे में कोई सही सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) इस संबंध में 20 नवंबर, 1998 तक 21 व्यक्ति गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

[हिन्दी]

फलों और सब्जियों का उत्पादन

4038. प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

डा. चिन्ता मोहन :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत फलों और सब्जियों के उत्पादन में विश्व में क्रमशः पहला तथा दूसरा स्थान रखता है;

(ख) यदि नहीं, तो इससे संबंधित तथ्य क्या हैं और उन देशों के नाम क्या हैं जो भारत की तुलना में फलों और सब्जियों का अधिक उत्पादन करते हैं;

(ग) भारत की तुलना में उन देशों का औसत वार्षिक उत्पादन क्या है;

(घ) क्या भारत में फलों और सब्जियों का 25 से 40 प्रतिशत उत्पादन नष्ट हो जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में इतने भारी पैमाने पर बर्बादी के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

फसल बीमा योजना

4039. श्रीमती लक्ष्मी पनबाक :

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने चालू वर्ष के लिए फसल बीमा योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को 81.97 करोड़ रुपये जारी किये हैं;

(ख) क्या राज्य सरकार ने चालू कृषि सीजन के लिए 150 करोड़ रुपये की लागत पर एक कार्य योजना भी शुरू की थी;

(ग) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप आंध्र प्रदेश राज्य में कृषि उत्पादन कितना बढा है; और

(घ) राज्य में कृषि उत्पादन में सुधार के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां। आंध्र प्रदेश को खरीफ, 1997 मौसम के लिए कुल 81.97 करोड रुपये धनराशि के दावों का सरकार द्वारा निपटारा कर दिया गया है।

(ख) जी, हां। आंध्र प्रदेश सरकार ने पहले 151.69 करोड रुपये की अनुमानित लागत से व्यापक कृषि विकास कार्यक्रम क्रियान्वित करने का निर्णय किया था। लेकिन चालू वित्तीय वर्ष (1998–99) के दौरान स्कीम को संशोधित किया गया है और अब इसे 131.00 करोड रुपये की लागत से क्रियान्वित किया जा रहा है।

(ग) वर्ष 1998–99 में राज्य में व्यापक कृषि विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के चलते, मुख्य फसलों जैसे चावल, मक्का एवं अरहर के उत्पादन में निम्नवत वृद्धि होने की संभावना है :

(i) चावल 70.00 लाख मीटरी टन – 51.90 लाख मीटरी टन के सामान्य उत्पादन की तुलना में।

(ii) मक्का 8.77 लाख मीटरी टन – 7.42 लाख मीटरी टन के सामान्य उत्पादन की तुलना में।

(iii) अरहर 1018 लाख मीटरी टन – 1.00 लाख मी॰ टन के सामान्य उत्पादन की तुलना में।

(घ) आंध्र प्रदेश में कृषि उत्पादन में सुधार लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे है:

- कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे फार्मगत विस्तार प्रदर्शन, कृषि विपणन समिति स्तर पर किसानों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, व्यापक कृषि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि विपणन समिति पर किसानों के लिए पारस्परिक वार्तालाप कार्यक्रम, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित किसान मेले, मंडल स्तरीय कृषक सूचना एवं दिशा–निर्देश केन्द्र एवं राजस्व मंडलीय स्तर पर कृषि परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना, क्रियान्वित किए जा रहे हैं ताकि राज्य में कृषि विस्तार कार्य को सुदृढ़ किया जा सके।
- यह निर्णय किया गया है कि नवीं योजना के दौरान 7.32 लाख हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की जाए।
- वर्षा निर्भर क्षेत्रों आदि में पनधारा विकास एवं स्प्रिंकलर एवं ड्रिप सिंचाई को प्रोत्साहन।
- समेकित कृषि प्रबंध का क्रियान्वयन।
- समेकित कृषि प्रबंध के एक भाग के रूप में पूरे मौसम के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं जैव नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना करना।
- बीज ग्राम कार्यक्रम के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले बीजों को उपलब्ध कराना।
- गुणवत्ता नियंत्रण पर कड़ी निगरानी के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले आदानों की आपूर्ति।

कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए राज्य सरकार के प्रयासों में सहयोग के लिए, भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित फसल उत्पादन उन्मुखी स्कीम क्रियान्वित की जा रही है :–

(क) चावल आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों के लिए समेकित अनाज विकास कार्यक्रम।

(ख) गहन कपास विकास कार्यक्रम।

(ग) गन्ना आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों का दीर्घकालीन विकास।

(घ) विशेष पटसन विकास कार्यक्रम।

[हिन्दी]

आनुपातिक लाभ

4040. श्री मित्रसेन यादव : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार औद्योगिक उत्पादों के समान कृषि उत्पादों पर भी आनुपातिक लाभ देने का है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की रिपोर्ट राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों के विचारों तथा साथ ही साथ अन्य ऐसे कारक जो सरकार की राय में मूल्य निर्धारण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, के आधार पर हर मौसम में प्रमुख कृषि जिंसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है।

मूल्य नीति पर सिफारिशों को तैयार करते समय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग विभिन्न कारकों यथा उत्पादन की लागत, आदान मूल्यों में होने वाला परिवर्तन, आदान/उत्पादन मूल्य समानता बाजार मूल्य का रुख मांग और आपूर्ति की स्थिति, अन्तरवर्ती फसल मूल्य समता, औद्योगिक लागत संरचना पर प्रभाव, सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव, जीवन निर्वाह खर्च पर प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य की स्थिति और अदा किये जाने वाले तथा प्राप्त मूल्यों में समानता (व्यापार की शर्तें) पर विचार करता है।

सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने में न केवल उत्पादन लागत को कवर करती है बल्कि समुचित मात्रा में लाभ भी कवर करती है ताकि किसानों को निवेश करने तथा उत्पादन और

उत्पादकता में सुधार लाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इसके अलावा, किसान सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊंची दर पर अपने उत्पादों को खुले बाजार में बेचने के लिए स्वतंत्र हैं।

[अनुवाद]

बेल्जियम के साथ समझौता

4041. श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

श्री डी. एस. अहिरे :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेल्जियम के राजकुमार फिलिप ने नवम्बर, 1998 में भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किन–किन विशिष्ट व्यक्तियों से बातचीत की थी और उनकी चर्चा का स्वरूप क्या था;

क्या बेल्जियम के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी हां। उप–राष्ट्रपति के आमंत्रण पर बेल्जियम के युवराज फिलिप ने 22–28 नवबंर, 1998 तक भारत की यात्रा की थी।

(ख) युवराज ने राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति से भेंट की थी। उन्होंने प्रधानमंत्री, वाणिज्य मंत्री और बिजली मंत्री के साथ भी चर्चा की थी। बम्बई में युवराज ने महाराष्ट्र के राज्यपाल और व्यापार तथा वाणिज्य मंत्री से मुलाकात की। हैदराबाद में युवराज ने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल और मुख्य मंत्री से मुलाकात की थी।

भारत और बेल्जियम संबंधों से जुडे अनेक मुददों पर, विशेषकर आर्थिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में तथा महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों पर भी व्यापक और उपयोगी बातचीत हुई।

(ग) और (घ) इस यात्रा के दौरान सरकारों के बीच किसी द्विपक्षीय करार पर हस्ताक्षर नहीं हुए तथापि, इस यात्रा के दौरान बेल्जियम और भारतीय साझेदारों के बीच निम्नलिखित समझौते ज्ञापन/सहयोग करार पर हस्ताक्षर हुए थे जिनका विवरण नीचे दिया गया है।

(i) बेल्जियम की अहलर्स ब्रिज और टाटा समूह की फोर्ब्स गोकाक लि. के बीच भारत में यूरोपीय निर्यातकों और यूरोप में भारतीय निर्यातकों को मुम्बई और अन्तवर्ष बन्दरगाहों में सुविधाएं और लागत प्रभावी संभारतन्त्रीय और वितरण सेवाएं उपलब्ध करने के लिए समझौता ज्ञापन।

(ii) बेल्जियम की यू सी बी और भारत की आर सी एफ के बीच मेथाइलेमाइन्स के उत्पादन और उनकी व्युत्पत्तियों के लिए संयुक्त उद्यम लगाने के लिए समझौता ज्ञापन।

(iii) बेल्जियम की इयॉन बीम इण्टरनेशनल और साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान तथा परिवर्ती ऊर्जा सीक्लेशन केन्द्र के बीच कलकत्ता में चिकित्सा सीक्लोट्रीन की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन।

(iv) बेल्गो–भारत वाणिज्य और उद्योग संघ और फिक्की के बीच सहयोग करार।

(v) बेल्गो भारत वाणिज्य और उद्योग संघ और भारत बेल्गो वाणिज्य और उद्योग संघ के बीच सहयोग करार।

सकल घरेलू उत्पाद

4042. श्री विलास मुत्तेमवार :

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह :

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने नौवी पंचवर्षीय योजना के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में 5 प्रतिशत के वित्तीय घाटे का अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने निर्यात विकास का लक्ष्य भी उक्त योजना अवधि के दौरान 14.5 प्रतिशत से 11.8 प्रतिशत वार्षिक से कम कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (घ) योजना आयोग की आंतरिक बैठकों में अनुमोदित किए गए प्रारूप नौवीं पंचवर्षीय योजना, 1997–2002, को योजना आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा 1 मार्च, 1998 को जारी किया गया था। सरकार ने इस प्रारूप की समीक्षा करने का निर्णय लिया है जिससे शासन के लिए राष्ट्रीय एजेण्डा में यथा–वर्णित परिवर्तित प्राथमिकताओं को उपयुक्त ढंग से दर्शाया जा सके। उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों पर विस्तृत कार्य योजनाएं तैयार की गई है और उन्हें वर्तमान प्रारुप में उपयुक्त रूप से शामिल कर लिया गया है। नये प्रारुप नौवीं पंचवर्षीय योजना पर योजना आयोग और पूर्ण योजना आयोग की आंतरिक बैठकों में विचार–विमर्श किया गया है। संशोधित दस्तावेज को उचित प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद् के विचारार्थ और अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाना है।

योजना आयोग ने नवंबर, 1998 में अपनी पिछली बैठक में राष्ट्रीय विकास परिषद् को, नौवीं योजना के पांच वर्षों में, जी डी पी वृद्धि की लक्ष्य दर में 7.0 प्रतिशत से 6.5 प्रतिशत तक प्रतिवर्ष औसत कमी लाने पर सिफारिश करने का निर्णय लिया। उसे वर्ष 1997–98 (अर्थात् नौवी योजना का प्रथम वर्ष) के दौरान 5.1 प्रतिशत वृद्धि की वास्तविक प्राप्ति तथा वर्ष 1998–99 (अर्थात् योजना का द्वितीय वर्ष) के दौरान लगभग 6 प्रतिशत वृद्धि की अनुमानित प्राप्ति को ध्यान में रखकर किया गया है। इस लक्ष्य के समनुरूप, नौवीं योजना अवधि के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के 5 प्रतिशत औसतन राजकोषीय घाटे तथा प्रतिवर्ष 11.8 प्रतिशत निर्यात वृद्धि की भी सिफारिश की गई है।

कोप्पल में कम शक्ति के ट्रांसमीटर

4043. श्री एच. जी. रामुलु :

श्री बी. एम. मेनसिंकाई :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में कौन से स्थानों पर कम शक्ति के ट्रांसमीटर हैं;

(ख) क्या सरकार के पास कोप्पल में कम शक्ति के ट्रांसमीटर लगाने और कर्नाटक में रानीबेन्नूर में कम शक्ति के ट्रांसमीटर को उच्च शक्ति ट्रांसमीटर में बदलने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इसका कब तक उन्नयन लगाए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) देश में टेलीविजन सेवा का विस्तार/उन्नयन चरणबद्ध रूप से किया जा रहा है जो परिणामी कवरेज की सीमा, पर्याप्त संसाधनों, आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए एक सतत् प्रक्रिया है।

विवरण

कर्नाटक में कार्यरत अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों की सूची

1. अरसीकेरे
2. अथनी
3. बगलकोट
4. बंतवाल
5. बासवा केयान
6. बेलगांव
7. बेल्लारी
8. भटकल
9. बिदर
10. बीजापुर
11. चिकमघूर
12. चिकोडी
13. चित्रदुर्ग
14. दवंगेरे
15. गड़ग बेतगरी
16. बांगवती
17. गोकाक
18. हरपनहल्ली
19. हासन
20. हत्तीहाई
21. होली नरसीपरु
22. हासपेट
23. हंगोड
24. कारवार
25. कोलार गोल्ड फील्ड
26. कुमता
27. मंडया
28. मंगलौर
29. मेडिकेरी
30. मुडीगेरे
31. मैसूर
32. पावगडा
33. रूत्तूर
34. रायचूर
35. रामदुर्ग
36. रानीबेन्नूर
37. सागर
38. संदूर
39. सिरसी

40. तिप्तूर

41. पम्पकुर

42. उडिपी

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में दूरदर्शन केन्द्र

4044. श्री चन्दशेखर साहू : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में इस समय कितने दूरदर्शन केन्द्र कार्यरत है;

(ख) मध्य प्रदेश में निकट भविष्य में किन–किन स्थानों पर नये दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश में विद्यमान स्टुडियो और उपकरण वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं, और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में दूरदर्शन चालू वर्ष के दौरान आधुनिकीकरण और उसके विकास योजना तैयार की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) वर्तमान में, मध्य प्रदेश में भोपाल और रायपुर में एक–एक अर्थात् दो दूरदर्शन केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग) इस समय राज्य में इन्दौर, जगदलपुर तथा ग्वालियर में एक–एक अर्थात् तीन स्टुडियो केन्द्र कार्यान्वयाधीन हैं। इन स्थानों पर ट्रांसमीटर पहले से ही उपलब्ध हैं। इन स्टुडियो के चालू होने पर राज्य में 3 अतिरिक्त दूरदर्शन केन्द्र हो जाएंगे। उपलब्ध उपस्कर वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं।

(घ) सुविधाओं का आधुनिकीकरण करना संसाधनों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान दूरदर्शन केन्द्र, रायपुर में डिजीटल प्रतिध्वनिक एवं 3–डी कम्प्यूटर ग्राफिक्स, द्विभाषी कैरेक्टर जनरेटर, अतिरिक्त आडियो उपस्कर एवं उच्च बैंड फील्ड यूनिट उपलब्ध कराए जाने की आशा है।

[अनुवाद]

डाक नेटवर्क का आधुनिकीकरण और विस्तार

4045. डा. वल्लभभाई कथीरिया : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में विशेषकर गुजरात में डाक नेटवर्क के राज्यवार आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियां क्या हैं;

(ग) इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस बारे में निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान देश में इस प्रयोजन हेतु धनराशि निर्धारित की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी हां। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 900 डाकघरों के आधुनिकीकरण तथा 2090 नए डाकघर खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इनमें से, गुजरात सर्किल में 108 नए डाकघर खोलने तथा 63 डाकघरों का आधुनिकीकरण करने का लक्ष्य था।

(ख) जानकारी संलग्न विवरण–I और II में दी गई है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डाकघरों में आधुनिकीकरण पर 43.06 करोड रुपये तथा डाकघर खोलने पर 2.70 करोड़ रुपये खर्च किए गए ।

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना में 508 डाकघरों के आधुनिकीकरण का तथा 2750 नए डाकघर खोलने का लक्ष्य रखा गया था।

(ङ) आधुनिकीकरण के लिए 32 करोड़ रुपये तथा डाकघर खोलने के लिए 22.27 करोड़ रुपये।

विवरण-I

1994–97 की अवधि में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आधुनिक बनाए गए डाकघरों की संख्या का सर्किलवार ब्यौरा

सर्किल		आधुनिक बनाए गए डाकघरों की संख्या			
		94–95	95–96	96–97	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	9	29	26	64
2.	असम	1	9	12	22
3.	बिहार	1	7	13	21
4.	दिल्ली	15	33	30	78
5.	गुजरात	7	23	33	63
6.	हरियाणा	2	6	12	20
7.	हिमाचल प्रदेश	3	13	15	31
8.	जम्मू व कश्मीर	4	2	–	6
9.	कर्नाटक	4	24	22	50

1	2	3	4	5	6
10.	केरल	2	21	20	43
11.	मध्य प्रदेश	4	19	21	44
12.	महाराष्ट्र	8	69	62	139
13.	उत्तर पूर्व	12	5	18	35
14.	उड़ीसा	2	7	13	22
15.	पंजाब	5	7	15	27
16.	राजस्थान	7	17	14	38
17.	तमिलनाडु	12	26	35	73
18.	उत्तर प्रदेश	6	27	44	77
19.	पश्चिम बंगाल	3	17	27	47
	कुल	107	361	432	900

विवरण-II

8वीं पंचवर्षीय योजना (1992–1997) के दौरान निर्धारित किए गए सर्किलवार लक्ष्य तथा मंजूर किए गए डाकघर

क्र.सं.	सर्किल का नाम	आबंटित लक्ष्य		मंजूर किए गए डाकघर	
		अविशाडा*	विउडा**	अविशाडा*	विउडा**
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	42	25	26	28
2.	असम	63	18	63	15
3.	बिहार	183	49	184	25
4.	दिल्ली	1	41	–	25
5.	गुजरात	59	49	59	32
6.	हरियाणा	28	40	34	24
7.	हिमाचल प्रदेश	53	29	128	9
8.	जम्मू व कश्मीर	12	8	28	3
9.	कर्नाटक	34	42	39	44
10.	केरल	35	36	48	44
11.	मध्य प्रदेश	113	37	102	28
12.	महाराष्ट्र	163	51	172	62
13.	उत्तर पूर्व	82	18	79	7
14.	उड़ीसा	87	21	94	12
15.	पंजाब	27	19	25	18
16.	राजस्थान	105	43	104	26
17.	तमिलनाडु	30	24	24	19
18.	उत्तर प्रदेश	206	73	244	40
19.	पश्चिम बंगाल	117	27	93	9
	कुल	1440	650	1546	466

* अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर

** विभागीय शाखा डाकघर

कोशी नदी पर बांध

4046. प्रो. अजीत कुमार मेहता :

श्री अनूप लाल यादव :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलहर में कोशी नदी पर बांध बनाने के लिए सरकार ने कोई सर्वेक्षण करवाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार चुनी गई जगह उपयुक्त नहीं पाई गई; और

(घ) यदि हां, तो बांध के निर्माण के लिए जिस अन्य स्थान को उपयुक्त पाया गया है उसका ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां। भारत सरकार द्वारा नेपाल में कोसी नदी पर वराह क्षेत्र के ठीक अनुप्रवाह पर कोठार में एक बांध के निर्माण के लिए 1940 के दशक में प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था।

(ख) और (ग) कोठार बांध स्थल उपयुक्त नहीं पाया गया था।

(घ) 1940 के दशक में वराह क्षेत्र के लगभग 1.6 किमी. प्रतिप्रवाह पर एक उपयुक्त स्थान का पहले ही पता लगाया गया था।

उपभोक्ता सेवा केन्द्र

4047. श्री के. सी. कोंडय्या : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर में जिला–वार कार्य कर रहे उपभोक्ता सेवा केन्द्र कितने हैं;

(ख) क्या उक्त शहर में नए उपभोक्ता सेवा केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) बंगलौर दूरसंचार जिले में इक्कीस (21) ग्राहक सेवा केन्द्र कार्य कर रहे हैं जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है :

बंगलौर (शहरी क्षेत्र) – 14

बंगलौर (ग्रामीण क्षेत्र) – 7

(ख) जी, हां।

(ग) बंगलौर शहर में तीन (3) नये ग्राहक सेवा केन्द्र निम्नलिखित स्थानों पर खोले जाने के लिए प्रस्तावित है :

– नन्दिनी ले–आउट

– मगदी रोड और

– मैसूर रोड

[हिन्दी]

बडोदरा के आकाशवाणी केन्द्रों को पूर्ण दर्जा दिया जाना

4048. श्रीमती सूर्यकांता पाटील : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी केन्द्र, बडोदरा को अब पूर्ण दर्जा गया है और सभी कार्यक्रम अहमदाबाद स्टेशन से ये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का बडोदरा आकाशवाणी केन्द्र को पूर्ण दर्जा देकर कार्यक्रमों को स्वतंत्र रूप से प्रसारित करने और स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाए गये हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) से (घ) आकाशवाणी केन्द्र, बडोदरा आकाशवाणी अहमदाबाद का एक लिंक स्टेशन है। आकाशवाणी, बड़ोदरा अनेक और विविध प्रकार के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करता है उनका निर्माण करता है जिनका आकाशवाणी, अहमदाबाद द्वारा गुजराती में एक परिचय उद्घोषणा "यह आकाशवाणी, अहमदाबाद बड़ोदरा है" के साथ व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु उनके अहमदाबाद स्थित उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (200 कि.वा. मी. वे.) के माध्यम से प्रसारण किया जाता है। इस तरह स्थानीय कलाकारों को पर्याप्त अवसर और प्रोत्साहन मिलता है। इसके अलावा आकाशवाणी बड़ोदरा को स्वतंत्र रूप से वाणिज्यिक विज्ञापन बुक करने की अनुमति भी दी गई है।

उरई, उत्तर प्रदेश में दूरदर्शन कार्यक्रम अस्पष्ट दिखाई देना

4049. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उरई, उत्तर प्रदेश में स्थित रिले केन्द्र से दूरदर्शन के कार्यक्रम स्पष्ट दिखाई न देने के बारे में सरकार को शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी): (क) ट्रांसमीटर के उन्नयन के अनुरोध के साथ इसकी कम क्षमता के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के उरई में एक अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर वर्तमान में कार्य कर रहा है जो अपने कवरेज क्षेत्र में टी. वी. सेवा उपलब्ध कर रहा है। संसाधनों की उपलब्धता, पारस्परिक प्राथमिकताओं आदि पर निर्भर करते हुए टी. वी. सेवा का विस्तार चरणबद्ध रूप से किया जा रहा है। तथापि, अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, उरई की क्षमता बढ़ाने या उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में कोई अन्य टी. वी. ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए फिलहाल कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।

[अनुवाद]

योजना परिव्यय

4050. डा. उल्हास वासुदेव पाटील : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग द्वारा राज्यवार 1998–99 के लिए अंतिम रूप से तैयार किए गए योजना परिव्यय का ब्यौरा क्या है,

(ख) गत दो वर्षों की तुलना में चालू वर्ष के लिए इसमें की गई वृद्धि के प्रतिशत का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के लिए राज्यों को प्रति व्यक्ति कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है; और

(घ) अपने वार्षिक योजना परिव्यय को स्वयं वित्तपोषित करने के लिए संसाधन बढ़ाने हेतु राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) वर्ष 1996–97, 1997–98 और 1998–99 के लिए राज्यवार योजना परिव्यय, पिछले वर्ष के परिव्ययों की प्रतिशत वृद्धि सहित और इन 3 वर्षों के लिए प्रति व्यक्ति निवल सामान्य केन्द्रीय सहायता दर्शाने वाला विवरण क्रमशः संलग्न विवरण–I और विवरण–II में दिए गए हैं।

(घ) योजना आयोग कर और गैर–कर राजस्वों में बढ़ोत्तरी के माध्यम से और साथ ही गैर–योजना राजस्व व्यय को नियन्त्रित करके राज्यों पर अपने संसाधनों के स्तर पर बढ़ाने के लिए जोर डालता रहा है।

विवरण-I

वार्षिक योजना 1996–97, 1997–98 और 1998–99 के लिए मूल रूप से अनुमोदित परिव्यय प्रतिशत वृद्धि सहित

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1996–97	1997–98	पिछले वर्ष की प्रतिशत वृद्धि	1998–99	पिछले वर्ष की प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	2989.00	3579.55	19.76	4678.95	30.71
2.	अरुणाचल प्रदेश	520.00	600.00	15.38	625.00	4.17
3.	असम	1434.00	1510.28	5.32	1650.00	9.25
4.	बिहार	2143.91	2268.42	5.81	3768.74	66.14
5.	गोवा	250.00	230.56	–7.78	291.34	26.36
6.	गुजरात	3378.00	4509.62	33.50	5450.00	20.85
7.	हरियाणा	1433.65	1576.04	9.93	2260.00	43.40
8.	हिमाचल प्रदेश	900.50	1008.00	11.94	1440.00	42.86
9.	जम्मू व कश्मीर	1250.00	1551.81	24.14	1900.00	22.44
10.	कर्नाटक	4360.00	4153.59	–4.73	5353.00	28.88
11.	केरल	2207.27	2851.10	29.17	3100.00	8.73
12.	मध्य प्रदेश	3144.80	3718.15	18.23	3700.00	–0.49
13.	महाराष्ट्र	8319.67	8393.19	0.88	11600.73	38.22
14.	मणिपुर	350.00	410.00	17.14	425.00	3.66
15.	मेघालय	370.00	382.00	3.24	400.00	4.71
16.	मिजोरम	281.00	290.00	3.20	333 00	14.83
17.	नागालैंड	290.00	291.00	0.34	300.00	3.09
18.	उड़ीसा	2205.50	2529.46	14.69	3084.43	21.94
19.	पंजाब	1857.05	2100.01	13.08	2500.00	19.05
20.	राजस्थान	3310.49	3514.42	6.16	4300.00	22.35
21.	सिक्किम	192.00	220.00	14.58	237.00	7.73
22.	तमिलनाडु	3719.05	4004.90	7.69	4500.00	12.36
23.	त्रिपुरा	370.00	439.91	18.89	440.00	0.02
24.	उत्तर प्रदेश	6549.03	7246.57	10.65	10260.00	41.58
25.	पश्चिम बंगाल	3158.63	3907.62	23.71	4594.85	17.69
	जोड़ (राज्य)	54983.55	61286.20	11.46	77192.04	25.95

विवरण-II

प्रति व्यक्ति निवल सामान्य केन्द्रीय सहायता

(रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1996–97	1997–98	1998–99
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	126	132	138
2.	अरुणाचल प्रदेश	4521	4617	4924
3.	असम	438	448	453
4.	बिहार	130	144	159
5.	गोवा	469	463	473
6.	गुजरात	85	90	101
7.	हरियाणा	125	123	138
8.	हिमाचल प्रदेश	857	944	947
9.	जम्मू व कश्मीर	1295	1266	1282
		91	96	106
		157	158	175
12.	मध्य प्रदेश	114	121	143
13.	महाराष्ट्र	76	79	97
14.	मणिपुर	1521	1590	1598
15.	मेघालय	1318	1371	1379
16.	मिजोरम	3234	3504	3645
17.	नागालैंड	1887	2075	2232
18.	उडीसा	149	158	195
19.	पंजाब	112	111	113
20.	राजस्थान	116	123	129
21.	सिक्किम	3907	4203	4192
22.	तमिलनाडु	131	137	140
23.	त्रिपुरा	1063	1158	1346
24.	उत्तर प्रदेश	121	123	143
25.	पश्चिम बंगाल	119	116	147

कृषि परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता

4051. श्री ए. वेंकटेश नायक :

श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र तथा कर्नाटक सरकारों ने अपने राज्यों में विभिन्न कृषि परियोजनाएं शुरू करने के लिए केन्द्रीय सहायता के लिए प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या निर्णय है; और

(ग) इन प्रस्तावों पर निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) महाराष्ट्र एवं कर्नाटक सरकारों से विभिन्न कृषि परियोजनाएं शुरू करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रसारण विधेयक

4052. श्री अन्नासाहिब एम. के. पाटिल :

श्री जी. गंगा रेड्डी :

श्री के. येरननायडू :

डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

श्रीमती लक्ष्मी पनबाक :

श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केबल ऑपरेटर्स फैडरेशन आफ इंडिया ने सरकार पर कुछ बड़े व्यावसायिक घरानों का पक्ष लेने का आरोप लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो क्या प्रसारण विधेयक के बिना केबल टी. वी. की अनेक परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश में अनिवार्य चैनल अपलिंकिंग के लिए प्रसारण विधेयक लाने का है;

(ङ) यदि हां, तो विधेयक की रूपरेखा तैयार कर ली गई है; और

(च) यदि हां, तो इसे कब तक पुनः स्थापित किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) और (ख) केबल ऑपरेटर्स फेडरेशन आफ इंडिया ने अन्य बातों के साथ–साथ यह आरोप लगाते हुए सरकार को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है कि एक समूह को अपने स्वयं के उपग्रह का उपयोग करके विश्व व्यापी उपग्रह दूरभाष पद्धति के प्रचालन के लिए स्वीकृति प्रदान की गयी है और वित्तीय संस्थाओं से ऋण, केबल आदि बिछाने के लिए बिजली के खंभों के उपयोग जैसे अन्य लाभ भी प्रदान किए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) सरकार ने देश के लिए एक प्रसारण कानून बनाने हेतु कार्रवाई शुरू कर दी है जिसमें अन्य प्रावधानों के साथ–साथ भारतीय भूमि से अनिवार्य अपलिकिंग की व्यवस्था की गई है।

ईरान के साथ समझौता

4053. श्री रवि सीताराम नायक : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य एशिया गणराज्यों के साथ रेल और सडक सपर्क विकसित करने के बारे में ईरान के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पाकिस्तान इस समझौते के कार्यान्वयन को रोकने/विलम्ब करने का प्रयास कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, हां। 22 जनवरी, 1997 को भारत ने सामान के अंतर्राष्ट्रीय पारगमन पर ईरान और तुर्कमेनिस्तान के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए थे।

(ख) करार की प्रमुख विशेषताएं हैं : सीमा शुल्क प्रक्रिया और सामान के पारगमन की अन्य औपचारिकताओं को सुविधा–जनक बनाना, सरल बनाना और उन्हें गति प्रदान करना, पारगमन मार्ग में सामान के लिए आयात और निर्यात शुल्क और अन्य करों में छूट, करार के अंतर्गत सामान लाने–लेजाने में नियुक्त कार्मिकों के लिए वीजा व्यवस्था को सरल बनाने की भावी संभाव्यताएं और करार के क्रियान्वयन के पर्यवेक्षण के लिए नियमित संयुक्त तंत्र व्यवस्था।

(ग) हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मछुआरों की रिहाई

4054. डा. रामविलास वेन्दाती :

श्री ई. अहमद :

श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलिया :

श्री डी. एस. अहिरे :

श्री विठ्ठल तुपे :

श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998 के दौरान और आज तक पाकिस्तानी जेलों में कितने मछुआरे, सैनिक और अन्य भारतीय छूटकर वापस घर आए;

(ख) कितने मछुआरे, सैनिक और अन्य भारतीय अभी भी पाकिस्तानी जेलों में हैं;

(ग) क्या भारत सरकार ने इस मुद्दे को पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) 1998 में अब तक पाकिस्तान द्वारा 220 भारतीय राष्ट्रिक रिहा किए गए हैं जिनमें 195 मछुआरे तथा 25 नागरिक कैदी शामिल हैं।

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार ऐसा विश्वास किया जाता है कि 21.11.98 को पाकिस्तान द्वारा पकड़े गये मछली पकड़ने वाली दो जहाजों के 13 मछुआरों सहित 1188 भारतीय राष्ट्रिक और 54 खोये हुए रक्षा कार्मिक पाकिस्तानी जेलों में बंद हैं।

(ग) और (घ) पाकिस्तान में कैद भारतीय कैदियों की शीघ्र रिहाई तथा उन्हें भारत भेजे जाने के मामले को पाकिस्तान की सरकार के साथ बार–बार उठाया गया है। दोनों देशों के बीच संयुक्त वार्ता प्रक्रिया के एक भाग के रूप में 13.11.98 को नयी दिल्ली में आयोजित विभिन्न क्षेत्रों में "मैत्रीपूर्ण विचार" विनिमय पर हाल की चर्चा के दौरान सरकार ने पाकिस्तान के समक्ष कुछ विशिष्ट प्रस्ताव रखे हैं, जिनका उद्देश्य एक–दूसरे के कैद में बंदियों की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करना है।

पाकिस्तान में कैद सभी भारतीयों की शीघ्र रिहाई तथा उन्हें वापस भेजा जाना सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास जारी रहेंगे।

जल प्रबंधन

4055. श्री अर्जुन सेठी: क्या **प्रधानमंत्री** दिनांक 15.7.98 के तारांकित प्रश्न संख्या 413 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियान्वयन की जा रही केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के कार्य निष्पादन की निगरानी करने हेतु क्या तंत्र विकसित किया गया है;

(ख) क्या इन योजनाओं को पूरा करने हेतु राज्य सरकारो को कोई समय सीमा दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) दिनांक 15.7.1998 को उत्तर दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या 413 के उत्तर में उल्लिखित प्रत्येक स्कीम के संबंध में सूचना इस प्रकार है :–

क्र.सं.	केन्द्र प्रायोजित स्कीमों/प्रचालनाधीन स्कीमों को कार्यान्वयन करने वाला मंत्रालय	स्कीमों के कार्यान्वयन का निरीक्षण करने के लिए संघ सरकार द्वारा विकसित तंत्र
1	2	3
1.	जल संसाधन मंत्रालय	
	(i) कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम	इस स्कीम का कार्यान्वयन कमान क्षेत्र विकास एजेंसी/प्राधिकरण अथवा राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए सृजित अन्य संगठनों के माध्यम से किया जा रहा है तथा राज्य स्तर पर इस कार्यक्रम के प्रभारी सचिव द्वारा इस कार्य का निरीक्षण किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए सृजित कमान क्षेत्र विकास स्कंध द्वारा केन्द्रीय स्तर पर इस कार्यक्रम की मानीटरी की जाती है। मानीटरी प्रक्रिया में तिमाही, वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करना तथा आवधिक दौरे, बैठकें करना एवं मूल्यांकन करना शामिल है।
	(ii) लघु सिंचाई आंकड़ों को युक्तियुक्त बनाना	केन्द्र स्तर पर इस स्कीम की जांच इस मंत्रालय में लघु सिंचाई स्कंध द्वारा की जाती है। इस स्कीम की मानीटरी दूरभाष, व्यक्तिगत दौरों, बैठकें आयोजित करके राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में बराबर संपर्क करके तथा राज्यों/संघ शासित क्षेत्रो से रिपोर्ट प्राप्त करके दी जाती है।
	यमुना संपर्क नहर	यद्यपि इस स्कीम संबंधी कार्य का पर्यवेक्षण रिपोर्टों, बैठकों, दौरों आदि के माध्यम से किया जा रहा था। तथापि, इस परियोजना का कार्य वर्ष 1990 से रुका पडा है तथा इस समय मामला न्यायाधीन है।
2.	कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय	
	(iv) नदी–घाटी परियोजनाओं के जल ग्रहण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण	केन्द्र सरकार द्वारा दोनों स्कीमों की जांच प्रगति रिपोर्टें प्राप्त करके, दौरों तथा संबंधित एजेंसियों/अधिकारियों के साथ आवधिक बैठकें आयोजित करके की जाती हैं। इन स्कीमों की मानीटरी केन्द्र एवं परियोजना स्तरों पर गठित विभिन्न समितियों क्षेत्र में मृदा संरक्षण के माध्यम से भी की जाती है।
	(v) बाढ़ प्रवण नदियों के जल ग्रहण	
	(vi) वर्षा पोषित क्षेत्रों में राष्ट्रीय जल विभाजक विकास परियोजना	विभिन्न राज्यों में केन्द्र सरकार द्वारा स्कीम के कार्यान्वयन की निगरानी करने के तंत्र में ये शामिल हैं, विभिन्न स्तरों पर आवधिक पुनरीक्षा करना, वास्तविक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करना, समय–समय पर दिशा–निर्देश जारी करना तथा प्रभाव मूल्यांकन शुरू करना।
3.	ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय	
	(vii) एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम	इस स्कीम की मानीटरी केन्द्र स्तर से निचले स्तर तक की जाती है। राज्य और केन्द्र स्तर पर, क्रमशः राज्य स्तर और केन्द्रीय स्तर की समन्वय समितियां इस कार्यक्रम की मानीटरी करती हैं। एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम के लिए ऋण संपर्कों से संबंधित सभी पहलुओं की मानीटरी और पुनरीक्षा करने के लिए केन्द्र स्तर पर आई आर डी पी को ऋण सहायता देने संबंधी उच्च स्तरीय समन्वय समिति भी कार्य करती है। इसकी प्रगति की पुनरीक्षा आवधिक पुनरीक्षा बैठकों, प्रगति रिपोर्ट, कार्यशालाओं और सत्यापन के जरिए की जाती है।

1	2	3
	(viii) मिलियन वेल्स स्कीम	राज्यों में यह स्कीम जिला स्तरीय जिला परिषद्/जिला ग्राम विकास अभिकरणों के जरिए कार्यान्वित की जा रही है। राज्य स्तर पर, यह कार्य राज्य, जिला और ब्लाक स्तरीय समितियों के जरिए सचिव, ग्राम विकास द्वारा देखा जाता है। पुनरीक्षा बैठकें और दौरे करने के अलावा केन्द्र स्तर पर वास्तविक प्रगति और कार्यक्रम का निरीक्षण जिला/राज्यों से मासिक और वार्षिक प्रगति रिपोर्टें के जरिए किया जाता है।
	(ix) त्वरित ग्राम जल आपूर्ति कार्यक्रम	इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की मानीटरी ग्राम विकास विभाग और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य और केन्द्रीय दोनों स्तरों पर की जा रही है। इस मानीटरी में ये पहलू शामिल हैं। – "कवर नहीं किए गये" निवास स्थानों को आंशिक अथवा पूर्णतः शामिल करना। – आंशिक रूप से कवर किए गये गांवों को पूर्णतः शामिल करना। – सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति में अलग–अलग आबादी को शामिल करना।

(ख) और (ग) केन्द्र प्रायोजित स्कीमें योजना स्कीमें हैं और वे योजना दर योजना स्वीकृत की जाती हैं और चलाई जाती हैं।

[हिन्दी]

पहाड़ी क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं

4056. श्री रामेश्वर पाटीदार :

श्रीमती शीला गौतम :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के पहाड़ी क्षेत्रों में सिंचाई कार्यक्रम योजनाएं प्रारंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) संघ सरकार का देश के पर्वतीय क्षेत्रों में कोई सिंचाई कार्यक्रम/स्कीम प्रारंभ करने का विचार नहीं है। जहां तक लघु सिंचाई स्कीमों का सवाल है, इन योजनाओं के लिए संघ सरकार की मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है तथा उनकी आयोजना, उनके लिए धन की व्यवस्था तथा उनका कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। अतः ऐसी लघु सिंचाई योजनाओं का विवरण केन्द्र सरकार द्वारा नहीं रखा जाता।

[अनुवाद]

कर्मचारियों हेतु छुट्टियां

4057. श्री बालासाहिब विखे पाटील : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार अपने कर्मचारियों को अधिकतम छुट्टियां देता है;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि इस कारण देश को हजारों करोड रुपये का नुकसान होता है तथा इस कारण उद्योगों को प्रति दिन चार सौ करोड़ रुपये का नुकसान होता है;

(ग) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में सरकार का छुट्टियों के संबंध में एक नई नीति की घोषणा करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (घ) कोई छुट्टी घोषित किए जाने से पड़ने वाले प्रभाव का सरकार को एहसास है तथा इसी कारण सन् पचास के शुरूआती वर्षों में प्रशासनिक कार्यालयों में की जाने वाली 23 छुट्टियां कालान्तर में कम करके मौजूदा 17 कर दी गई हैं, जिनमें रविवार/शनिवार को पड़ने वाली छुट्टियां भी शामिल हैं, जिससे प्रभावी छुट्टियों की संख्या और भी कम कर दी गई है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में, तीन राष्ट्रीय छुट्टियों सहित 16 छुट्टियां की जाती हैं। हाल ही में की गई समीक्षा के पश्चात् यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में, भारत के राष्ट्रपति अथवा प्रधान मंत्री के पदधारक की मृत्यु के अलावा अन्य किसी भी अति महत्वपूर्ण व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर कोई छुट्टी घोषित नहीं की जाएगी।

अन्तर्देशीय मत्स्य-पालन

4058. श्री विक्रम देव केशरी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंट्रल इंन्स्टीटयूट फार फ्रेश वाटर एंड एक्वाकल्चर (सी. आई. एफ. ए.) भुवनेश्वर ने उड़ीसा के क्योंझर–बोलंगीर और कालाहांडी (के.वी.के) जिलों में बड़े जलाशयों में अन्तर्देशीय मत्स्य पालन का विकास करने संबंधी कोई कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इन जलाशयों में महासीर मछली के प्रजनन के लिए क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं। बड़े तालाबों में अन्तःस्थलीय मात्स्यिकी का विकास, केन्द्रीय मीठा जलजीव पालन संस्थान, भुवनेश्वर का कार्यादेश नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्राकृतिक आपदाएं

श पटेल :

बहादुर सिंह पटेल :

श्री अरविंद कांबले :

श्री भीम दाहाल :

श्री एस. अजय कुमार :

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

श्री महबूब जहेदी :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक बाढ़ प्रभावित राज्य द्वारा मांगी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी तथा कितनी धनराशि को वास्तव में जारी किया गया;

(ख) क्या प्राकृतिक आपदाओं के बाद में पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए अनेक बाढ़ प्रभावित राज्यों का केन्द्रीय दलों द्वारा दौरा किये जाने के बाद भी, अभी तक स्वीकृत धनराशि को जारी नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं तथा उक्त धनराशि को कब तक जारी किये जाने की संभावना है;

(घ) कम आबंटन तथा राज्यों में असमानता के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस वर्ष किन जिलों को "कमी से प्रभावित वाले जिले" घोषित किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) चक्रवात, वर्षा/बाढ़ की स्थिति में वर्ष 1995–96 से 1997–98 के दौरान राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से राज्यवार मांगी गई और प्रदान की गई सहायता को दर्शाने वाला विवरण–I संलग्न है।

(ख) से (घ) केवल विरल गभीरता की आपदाओं के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से सहायता दी जाती है। राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के गठन और संचालन की स्कीम के अनुसार राष्ट्रीय आपदा राहत समिति यह विचार करती है और निर्णय करती है कि क्या किसी आपदा को राष्ट्रीय आपदा राहत समिति से सहायता के लिए विरल गंभीरता की आपदा माना जाए या नहीं। राष्ट्रीय आपदा राहत समिति से यथानिर्धारित राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से सहायता की धनराशि संबंधित राज्य सरकार को निर्मुक्त की जाती है। भारी वर्षा और बाढ़ की स्थिति में मध्य प्रदेश और मणिपुर से वर्ष 1997–98 के दौरान राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से सहायता के अनुरोध पर विभिन्न चरणों में कार्यवाही की जा रही है।

(ङ) भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा यथासूचित दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि 1998 (जून से सितंबर) के दौरान सूखे से प्रभावित जिलों को दर्शाने वाला विवरण–II संलग्न है।

विवरण-I

राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से सहायता के लिए अनुरोध की स्थिति, 1995–96

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	राज्य	आपदा	मांगी गई सहायता	अनुमोदित सहायता	निर्मुक्ति की तारीख
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	बाढ़/चक्रवात	293.20	*	–
		बाढ़	582.06	21.00	23.8.1996
2.	अरुणाचल प्रदेश	बाढ़	50.50	10.00	23.8.1996

1	2	3	4	5	6
3.	बिहार	बाढ़	1102.28	21.00	23.8.1996
4.	हरियाणा	बाढ़	588.09	39.41	6.11.1995
5.	हिमाचल प्रदेश	बाढ़	481.96	12.49	29.11.1995
6.	जम्मू और कश्मीर	बाढ़	211.08	18.17	6.11.1995
7.	मेघालय	बाढ़/भूस्खलन	41.13	10.00	23.8.1996.
8.	मिजोरम	बाढ़	59.99	4.71	29.11.1995
9.	उड़ीसा	चक्रवात	264.00	25.75	6.11.1995
			300.00	5.00	17.9.1996
10.	पंजाब	बाढ़	658.00	16.16	6.11.1995
11.	राजस्थान	बाढ़/सूखा	612.99	21.00	23.8.1996
12.	उत्तर प्रदेश	बाढ़	357.40	+	–
13.	पश्चिम बंगाल	बाढ़	631.99	21.00	23.8.1996
		कुल	6234.67	255.69	

* विरल गंभीरता की आपदा नहीं मानी गई
+ कोई दल नहीं भेजा गया।

राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से सहायता के लिए अनुरोध की स्थिति, 1996–97

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	राज्य	आपदा	मांगी गई सहायता	अनुमोदित सहायता	निर्मुक्ति की तारीख
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	बाढ़/चक्रवात	125.74	+	–
		बाढ़/चक्रवात	550.63		
		बाढ़/चक्रवात	2143.00	142.00	1.1.1997
2.	अरुणाचल प्रदेश	बाढ़	110.53	3.00	23.12.1996
3.	असम	बाढ़	415.91	21.00	17.9.1996
4.	बिहार	बाढ़	168.92	7.00	23.12.1996
5.	गुजरात	बाढ़	282.01	*	–
6.	हरियाणा	बाढ़	102.00	*	–
7.	हिमाचल प्रदेश	बाढ़	458.37	10.56	17.3.1997
8.	जम्मू और कश्मीर	बाढ़	273.97	+	–
9.	कर्नाटक	बाढ़	621.00	*	–
10.	केरल	बाढ़	342.00		–
11.	मध्य प्रदेश	बाढ़	55.00	*	–
12.	राजस्थान	बाढ़	321.00	*	–

1	2	3	4	5	6
13.	सिक्किम	बाढ़	43.92	5.52	17.3.1997
14.	तमिलनाडु	चक्रवात/बाढ	621.55	25.00	17.3.1997
15.	उत्तर प्रदेश	बाढ़	589.90	*	–
16.	पश्चिम बंगाल	बाढ़	309.00	*	–
		कुल	7535.00	214.08	

* विरल गंभीरता की आपदा नहीं मानी गई
+ कोई दल नहीं भेजा गया।

एन. एफ. सी. आर. से मांगी गयी सहायता के लिए अनुरोध का स्तर, 1997–98

(करोड रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	आपदा	मांगी गई सहायता	अनुमोदित सहायता	निर्मुक्ति की तारीख
1	2	3	4	5	6
		चक्रवात	168.00	शून्य	–
	प्रदेश	बाढ़	105.15	**	–
3.	बिहार	बाढ़/ओलावृष्टि	428.82	10.00	14.1.98
4.	गुजरात	बाढ	664.33	86.90	18.8.97
5.	हिमाचल प्रदेश	बाढ	609.78	24.80	5.12.97/ 14.1.98
6.	केरल	बाढ/भूस्खलन	1106.26	12.91	29.8.97
7.	मध्य प्रदेश	बाढ़	121.36	22.50	14.1.98
		भारी वर्षा	2103.75	*	
8.	महाराष्ट्र	सूखा/बाढ़/ओला तथा असामयिक वर्षा	156.76	**	
9.	मणिपुर	बाढ़	59.13	*	
10.	उड़ीसा	भारी वर्षा	151.50	**	
11.	पंजाब	बाढ़	175.72	शून्य	
12.	उत्तर प्रदेश	भारी वर्षा	242.97	शून्य	
		बाढ़/भूस्खलन	323.10	**	
13.	पश्चिम बंगाल	बाढ़	177.00	शून्य	
		कुल	6593.63	157.11	

* विचारार्थ ज्ञापन।
** केन्द्रीय दल का भेजा जाना जरूरी नहीं समझा गया।

विवरण-II

दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि (जून से सितम्बर, 1998) के दौरान विभिन्न राज्यों में सूखा से प्रभावित जिले

राज्य	जिला
उड़ीसा	बोलंनगिरी, कालाहांडी, क्योंझर, फूलपानी, सुन्दरगढ़, सम्बलपुर
उत्तर प्रदेश	पीलीभीत
पंजाब	फरीदकोट, संगरूर, अमृतसर
बिहार	वैशाली
राजस्थान	जालोर, पाली, भीलवाडा, बूंदी, झालावार, कोटा, सिरोही
मध्य प्रदेश	चरतपुर, होसंगाबाद, राजगढ, सिहोर, सिओनी, शिवपुरी, बस्तर, मांडला, राजनन्दगांव, सतना, रायपुर, साडोल, सिद्दी
हिमाचल प्रदेश	सिरमोर
जम्मू और कश्मीर	लद्दाख, श्रीनगर, उधमपुर, कुपवाड़ा
गुजरात	कच्छ
असम	जोरहाट, डूबरी, कबरी–अंगलोंग
केरल	विनड
तमिलनाडु	कन्याकुमारी, साउथ आरकोट, तिरूवनामलई
पश्चिम बंगाल	हुगली, हावडा, बांकुरा

[हिन्दी]

डिविजनल कार्यालय का स्थापित किया जाना

4060. श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के देवरिया और कुशिनगर जिलों का विलय कर दूरसंचार विभाग का डिविजनल कार्यालय स्थापित किए जाने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी, हां।

(ख) मऊ देवरिया व कुशीनगर (पदरौना) दूरसंचार जिला प्रबंधक के अधीन मऊ दूरसंचार जिला के राजस्व जिले हैं जिसका मुख्यालय मऊ में है। प्रशासनिक व प्रचालनात्मक कारणों से देवरिया में पृथक दूरसंचार जिला बनाना व्यवहार्य नहीं है।

[अनुवाद]

प्रसार भारती बोर्ड

4061. श्री नरेश पुगलीया : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 अक्तूबर, 1990 के "स्टेटसमेन" में "आई. बी. मिनिस्ट्री प्रसार भारती लॉक हार्नस", नामक शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रसार भारती बोर्ड कमीशंड कार्यक्रमों के आबंटन की पुनरीक्षा करने के सरकार के अनुदेशों को अस्वीकार कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार का क्या–क्या सुधारात्मक उपाय किये जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) जी, हां।

(ख) कार्यक्रम संबंधी सभी मामले प्रसार भारती के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और कमीशंड कार्यक्रमों के आबंटन सहित ऐसे मामलों में उनके द्वारा दूरदर्शन की कार्यक्रम संबंधी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जाते हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में टी. वी. ट्रांसमीटर

4062. श्री के. डी. सुल्तानपुरी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में पूरे राज्य को प्रसारण क्षेत्र में सम्मिलित करने के लिए विभिन्न स्थानों पर टी. वी. ट्रांसमीटर स्थापित करने का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ख) शिमला और अन्य स्थानों पर स्थानीय लोगों को उनकी बोली में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) हिमाचल प्रदेश में 11 टी. वी. ट्रांसमीटर (अल्प शक्ति ट्रांसमीटर–1, अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर–10) स्थापित करने की योजनाओं को स्वीकृत कर दिया गया है और स्थान के चयन को अंतिम रूप देने/उपकरणों की खरीद संबंधी कार्रवाई आरंभ कर दी

गई है। इनके संस्थापन का कार्य, स्थानों तथा उपकरणों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। स्थान के अधिग्रहण की तारीख से इन परियोजनाओं के पूरा होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। स्थानों का विवरण संलग्न है। कार्यान्वयनाधीन टी.वी. ट्रांसमीटरों के चालू हो जाने के बाद राज्य में दूरदर्शन की कवरेज वर्तमान 66.3 प्रतिशत से बढ़कर 72 प्रतिशत तक हो जाएगी। राज्य में दूरदर्शन की सेवाओं का और अधिक विस्तार साधनों, आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए चरणबद्ध ढंग से किया जाएगा।

(ख) दूरदर्शन केन्द्र शिमला द्वारा जून, 1995 से अब तक हिमाचल प्रदेश राज्य में बोली जाने वाली मशावी, कुल्लवी, मंडाली, कांगड़ी आदि जैसी विभिन्न बोलियों में इस राज्य की विभिन्न जनजातियों के संगीत, वृत्तचित्रों, कविता, संस्कृति और नृत्य से संबंधित 223 कार्यक्रमों का निर्माण एवं प्रसारण किया गया है। निकट भविष्य में प्रसार भारती का इस क्षेत्र में और अधिक ध्यान केन्द्रित करने का विचार है।

विवरण

श में स्थापित किए जाने हेतु उन टी. वी.
चूची जिसके लिए स्कीमें मंजूर कर दी गई हैं।

अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

मंडी (डी.डी.–2)

अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

बिजली महादेव
डलहौजी
तिस्सा
चौडी खास
झांटिनगरी
काजा
आवा देवी
चुनाघई
नेहरी
आशापुरी

[अनुवाद]

कृष्णा घाटी परियोजनाएं

4063. श्री के. एच. मुनियप्पा : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने कृष्णा जल क्षेत्र की सिंचाई परियोजनाएं पूरी करने के लिये केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार ने क्या निर्णय लिया है और कृष्णा जल क्षेत्र की सभी परियोजनाएं पूरी करने के लिये अनुमानतः कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) कृष्णा घाटी की 10 वृहद, 9 मध्यम और 5 ई आर एम (विस्तार नवीकरण और आधुनिकीकरण) सिंचाई परियोजनाएं 10832.6 करोड़ रुपये की अद्यतन अनुमानित लागत से कर्नाटक राज्य में कार्यान्वित की जा रही हैं। इनमें से वर्ष 1998–99 के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत जिन चार परियोजनाओं के लिए राज्य द्वारा केन्द्रीय ऋण सहायता मांगी गई है उनका ब्यौरा तथा उन्हें अब तक जारी की गई राशि का ब्यौरा इस प्रकार है :

(करोड रुपये में)

परियोजना का नाम	मांगी गई केन्द्रीय ऋण सहायता	स्वीकृत केन्द्रीय ऋण सहायता	जारी की गई पहली किश्त
अपर कृष्णा चरण–I (फेज–II) (वृहद)	100.00	100.00	50.00
मालाप्रभा (वृहद)	25.00	20.00	–
हिरेहाल्ला (मध्यम)	6.00	6.00	3.00
घाटप्रभा चरण–III (ई आर एम)	30.00	25.00	–
कुल	161.00	151.00	53.00

आरक्षण का अनुपात

4064. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रेणी–I और श्रेणी–II में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये नौकरियों में आरक्षण का वर्तमान अनुपात क्या है;

(ख) क्या सरकार का विद्यमान अनुपात को बढ़ाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पैंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) खुली प्रतियोगिता द्वारा सभी समूहों में की जाने वाली सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को 15 प्रतिशत की दर से तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को 7.5 प्रतिशत की दर से आरक्षण दिया जाता है तथा खुली प्रतियोगिता के बिना अन्यथा की जाने वाली सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों

को क्रमशः 16.23 प्रतिशत तथा 7.5 प्रतिशत की दर से आरक्षण दिया जाता है। जहां कहीं, पदोन्नति में, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को आरक्षण अनुज्ञेय होता है वहां उक्त दोनों समुदायों के कर्मचारियों का आरक्षण क्रमशः 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत की दर से दिया जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्यान्नों की वृद्धि दर

4065. श्री एम. राजैया : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 वर्ष बाद भी हरित क्रांति बेकार साबित हुई है और देश में खाद्यान्नों की वृद्धि दर घट गई है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) स्थिति में सुधार हेतु विशेषज्ञों ने क्या प्रभावी कदम सुझाए हैं; और

(घ) इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) अनाजों के क्षेत्र, उत्पादन और उपज की राज्यवार वृद्धि दर का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है। भारत में हरित क्रांति अनाजों की अधिक उपज देने वाली किस्मों के साथ आई, ये किस्में, खासकर गेंहू और चावल की किस्में प्रकाश के प्रति असंवदेनशील तथा उर्वरकों के प्रति अधिक अनुक्रियाशील है तथा हरित क्रांति के साथ मोटे अनाजों की संकर किस्मों की भी शुरूआत की गई। वर्ष 1996–97 के दौरान 184.85 मिलियन मीटरी टन का रिकार्ड स्तर का उत्पादन हुआ, जिसमें 81.31 मिलियन मी टन चावल, 69.27 मिलियन मी. टन गेंहू तथा 34.27 मिलियन मीटरी टन मोटे अनाज शामिल हैं। वर्ष 1967–68 के दौरान 47.34 मिलियन हे. क्षेत्र में तथा 1996–97 के दौरान 32.10 मिलियन है. क्षेत्र में मोटे अनाज के बदले में अन्य लाभकारी फसल लगाए गए जाने के कारण क्षेत्र में कमी आई, जिसमे कुल अनाजों के उत्पादन में थोड़ी गिरावट आई। लेकिन चावल और गेहूं के क्षेत्र और उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है।

(ग) और (घ) भारतीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राज्य कृषि विश्वविद्यालय) क्षेत्र विशिष्ट अद्यतन उत्पादन प्रौद्योगिकियां विकसित कर रही हैं तथा उनकी सिफारिशें विभिन्न फसल विकास स्कीमों के जरिए क्रियान्वयन के लिए राज्यों को भेजी जा रही है। वृद्धि दर बढ़ाने तथा अनाज उत्पादन को स्थायित्व प्रदान करने के लिए चावल, गेंहू और मोटे अनाजों के समन्वित अनाज विकास कार्यक्रमों की राज्य योजनाओं और केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के जरिए उत्पादन प्रौद्योगिकियों का प्रचार किया जा रहा है। इसके अलावा, मिनिकिटों पर केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम भी चलाई जा रही है ताकि चावल, गेंहू और मोटे अनाजों की अद्यतन निर्मुक्त किस्मों को किसानों तक उनके द्वारा अपनाए जाने के लिए प्रदर्शित किया जा सके।

विवरण

कुल अनाजों की राज्यवार मिश्रित वृद्धि दरें

(प्रतिशत प्रतिवर्ष)

	1967–68 से 1996–97			1980–81 से 1996–97		
राज्य	क्षेत्र	उत्पादन	पैदावार	क्षेत्र	उत्पादन	पैदावार
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	–1.53	2.01	3.60	–2.41	1.00	3.50
असम	0.82	2.05	1.23	0.58	2.38	1.79
बिहार	–0.19	1.87	2.07	–0.18	2.91	3.10
गुजरात	–1.43	0.78	2.24	–1.78	0.07	1.88
हरियाणा	1.04	5.04	3.96	0.63	4.34	3.69
हिमाचल प्रदेश	0.40	1.51	1.11	–0.07	2.00	2.08
जम्मू और कश्मीर	0.64	1.74	1.10	0.50	1.07	0.57
कर्नाटक	–0.27	1.58	1.86	–0.37	2.31	2.69
केरल	–2.39	–1.19	1.22	–3.63	–2.23	1.45
मध्य प्रदेश	0.03	2.56	2.53	–0.41	2.80	3.22

1	2	3	4	5	6	7
महाराष्ट्र	–0.04	2.77	2.82	–0.76	1.85	2.63
उड़ीसा	–0.14	1.43	1.57	–0.40	1.88	2.29
पंजाब	2.26	5.13	2.81	1.37	3.49	2.10
राजस्थान	0.09	2.70	2.61	–0.26	3.09	3.36
तमिलनाडु	–1.68	0.80	2.52	–1.50	1.95	3.51
उत्तर प्रदेश	0.52	4.12	3.58	0.04	3.44	3.40
पश्चिम बंगाल	0.54	2.80	2.25	0.95	4.71	3.72
अखिल भारत	0.01	2.89	2.41	–0.32	2.88	2.69

झींगापालन

4066. श्रीमती कमल रानी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को निजी पार्टियों को उत्तर प्रदेश में झींगा पालन को बढ़ावा देने के लिये कोई विदेशी सहायता प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

शिकायत प्रकोष्ठ

4067. वैद्य विष्णु दत्त : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जम्मू और कश्मीर विशेषकर जम्मू में दूर–संचार विभाग के विरुद्ध शिकायतों की छानबीन करने के लिए किसी केन्द्रीय ढांचे की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) और (ख) उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए मुख्यालय में एक पी जी सेल काम कर रहा है। मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, दूरसंचार जिलों तथा दूरसंचार सर्किलो के उपभोक्ताओं को भी पी जी सेल (शिकायत प्रकोष्ठ) की सुविधा उपलब्ध है। इस समय जम्मू–कश्मीर दूरसंचार सर्किल में, तीन पी जी सेल जम्मू में काम कर रहे हैं।

(ग) उक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

व्यापक परमाणु ऊर्जा नीति

4068. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश देश परमाणु ऊर्जा से अलग हो रहे हैं और फास्ट ब्रीडर रियक्टर की स्थापना की अपनी योजनाओं को छोड़ रहे हैं क्योंकि परमाणु विद्युत न तो सस्ती है और न ही पर्यावरण की दृष्टि से ठीक और सुरक्षित है और आसपास के मजदूरों तथा व्यक्तियों के लिए विकिरण के खतरनाक स्तर पर असुरक्षित है;

(ख) क्या सरकार का ऐसी व्यापक ऊर्जा नीति बनाने का विचार है जो फ्रोसिल ईंधन पर निर्भर नहीं करती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) परमाणु संयंत्रों से उत्पादित कुल बिजली की प्रतिशतता क्या है तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बजट का कितना प्रतिशत बिजली के उत्पादन के लिए खर्च किया जाता है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) किसी भी देश की परमाणु विद्युत के उत्पादन से संबंधित योजनाएं उस देश की ऊर्जा संबंधी जरूरतों पर निर्भर हैं। चूंकि परमाणु विद्युत संयंत्रों से ग्रीन हाउस गैसों की बहुत थोड़ी मात्रा उत्सर्जित होती है, अतः पर्यावरण की दृष्टि से ये वाणिज्यिक स्तर पर ऊर्जा का उत्पादन करने वाले अन्य स्रोतों की तुलना में अधिक विश्वस्त हैं। परमाणु विद्युत उत्पादन की लागत ताप विद्युत संयंत्रों में विद्युत उत्पादन की लागत के तुल्य है और परमाणु विद्युत संयंत्र आर्थिक दृष्टि से सस्ते पडते हैं। जहां तक सुरक्षा का संबंध है, विकिरणात्मक उत्सर्जनों के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जोकि न केवल कार्मिक को उन पर पड़ने वाले विकिरण के प्रभाव की निर्धारित से अधिक मात्रा में बचाते हैं बल्कि आम जनता की विकिरण के हानिकारक स्तरों से सुरक्षा भी सुनिश्चित करते हैं।

(ख) और (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

(घ) वर्ष 1997–98 के दौरान परमाणु विद्युत संयंत्रो द्वारा उत्पादित बिजली का प्रतिशत, देश में हुए कुल विद्युत उत्पादन का 2.1 प्रतिशत है। वर्ष 1997–98 के दौरान, परमाणु ऊर्जा विभाग के कुल बजट का 15 प्रतिशत विद्युत उत्पादन पर व्यय किया गया।

[हिन्दी]

खराब टेलीफोन तथा टेलीफोन एक्सचेंज

4069. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीफोन कनेक्शन की स्थापना से पहले टेलीफोन एक्सचेंजों के उचित रखरखाव हेतु तैयार की गई योजनाओं तथा उन्हे क्रियान्वित न करने के कारणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान जिलावार और राज्यवार टेलीफोनों विशेषकर सार्वजनिक टेलीफोनों के खराब होने का ब्यौरा क्या है; और

(ग) निकट भविष्य में इस समस्या को हल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) टेलीफोन एक्सचेंजों के उपयुक्त अनुरक्षण के लिए विस्तृत अनुदेश जारी किए गए हैं। एक्सचेंजों को चालू करने से पूर्व, विभाग द्वारा उनका स्वीकृति परीक्षण किया जाता है।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) देश में टेलीफोन सेवाओं में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :

(i) सभी इलेक्ट्रो–मैकेनिकल एक्सचेंजों को नवीनतम स्टेट आफ आर्ट के आधुनिक इलेक्ट्रानिक एक्सचेजों में बदला जा रहा है।

(ii) ओवरहेड लाइनों को उत्तरोत्तर रूप से भूमिगत जेलीफिल्ड किस्म की केबलों में बदला जा रहा है।

(iii) पुराने तथा घिसे हुए ड्रापवायर हाउसवायरिंग टेलीफोन उपकरण इत्यादि को बदलना।

(iv) एक्सचेंजों की पुरानी बैटरियों को बदलना।

(v) उन क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त इंजिन आल्टर–नेटरों की व्यवस्था करना, जहां बिजली की आपूर्ति विश्वसनीय नहीं है।

(vi) आप्टिकल फाइबर केबल प्रौद्योगिकी जैसे विश्वसनीय पारेषण माध्यम को ग्रामीण नेटवर्क में शामिल किया गया है।

(vii) डब्ल्यू एल एल तथा टी डी एम ए/पी एम पी प्रौद्योगिकी तथा उपग्रह आधारित ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों का इस्तेमाल दूरस्थ तथा ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दूरदर्शन नेटवर्क का विस्तार

4070. श्री राम कृष्ण बाबा पाटील : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार विशेष रूप से महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में दूरदर्शन नेटवर्क का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) (क) और (ख) संसाधनों, आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं के अधीन देश में दूरदर्शन नेटवर्क का विस्तार चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। प्रसार भारती का नौवी योजना अवधि के दौरान औरंगाबाद में डी.डी.–2 सेवा के लिए एक उच्च शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित करने का विचार है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मिस्र में भारतीय

4071. श्री डी. एस. अहिरे : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भारतीयों को मिस्र में ईगूमेनीजा पोस्ट पर अवैधानिक रूप से बंधक बनाया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके बंधक बनाये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) यूनान मीडिया से प्रकाशित इस आशय की खबर, कि भारत से गैर कानूनी रूप से आए 25 प्रवासियों को एक ट्रक में 4 दिन तक बंद रखा गया, की ऐथेन्स स्थित भारत के राजदूतावास द्वारा जांच करने पर यह पता चला कि एक यूनानी ट्रक एक विशिष्ट राशि के भुगतान पर गैर–कानूनी विदेशियों को ऐथेन्स से

ग्वामेनित्सा ले जा रहा था। इस अभियान में शामिल यूनानी पहले ही लापता हो गए, ताकि स्थानीय पुलिस उन्हें न पकड सके। यूनानी पुलिस ने लावारिस ट्रक का ताला तोड़ने के बाद यह पाया कि इन 25 व्यक्तियों को विशेष रूप से निर्मित गुप्त डिब्बे में कैद कर रखा था।

(ग) इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई कि लावारिस ट्रक में पाये गये 25 व्यक्तियों में से कोई भारतीय नागरिक है। अनौपचारिक पूछताछ से पता चला है कि यूनानी प्राधिकारी आरोप दर्ज किए बना इन व्यक्तियों को रिहा कर सकते हैं।

लोवर भवानी परियोजना कृषक संघ

4072. श्री ए. गणेशमूर्ति : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लोवर भवानी परियोजना कृषक संघ को संशोधित वित्तीय ढांचे के तहत किस तिथि को धनराशि जारी की गई अथवा जारी की जानी है;

(ख) संशोधित वित्त पोषण पैटर्न के संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या लोवर भवानी परियोजना कृषक संघ ने इस संबंध में सरकार को कोई प्रतिवेदन दिया है;

(घ) यदि हां, तो संघ सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस मामले में निर्णय कब तक किया जाना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) (क) केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है। सिंचाई, जल प्रबंधन में किसानों की सहभागिता को बढ़ावा देना ऐसी गतिविधियों में से एक है। जिसके लिए पहले दी जाती रही प्रबंध सब्सिडी के स्थान पर 1.4.1996 से पंजीकृत एवं कार्यपालक किसान संघों को 500 रुपये प्रति हैक्टे. की दर से (केन्द्र द्वारा 225.00 रु. प्रति हैक्टे. राज्य द्वारा 225.00 रु. हेक्टे तथा किसान संघों द्वारा 50 रुपये प्रति हैक्टे. की दर से वहन किया जाना है।) एक मुश्त कार्यात्मक अनुदान प्रदान किया जाता है। इससे पहले यह केन्द्रीय सहायता इस कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले सिंचाई कमानों को ही देय है। लोअर भवानी परियोजना के पंजीकृत एवं कार्यात्मक किसान संघ भी ऐसी सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

(ख) किसान संघों ने 1.4.1996 से प्रभावी संशोधित वित्तीय पद्धति के अनुसार अनुदान प्राप्त करने में गहरी रुचि दिखायी है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) राज्य सरकार से वर्ष 1998–99 के लिए केन्द्रीय सहायता संबंधी प्रस्ताव शीघ्र भेजने के लिए अनुरोध किया गया है जिसमें वे एकमुश्त कार्यात्मक अनुदान प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव भी शामिल कर सकते हैं।

एस.टी.डी. सुविधा

4073. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेष रूप से बिहार में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के सभी टेलीफोन एक्सचेंजों में एस. टी. डी. सुविधा उपलब्ध कराई गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्यवार उन तालुकों की संख्या कितनी है जहां यह सुविधा अब तक उपलब्ध नहीं है;

(घ) देश के सभी टेलीफोन एक्सचेजों में यह सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी; और

(ङ) वर्ष 1998–99 के दौरान यह सुविधा कितने टेलीफोन एक्सचेजों में दिये जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) और (ख) जी नहीं। देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की एक्सचेंजों में एसटीडी सुविधा प्रदान करने संबंधी राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ग) जिन तालुकों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है उनकी राज्यवार संलग्न विवरण–II में दी गई है।

(घ) मार्च 2000 तक देश के सभी टेलीफोन एक्सचेंज में एसटीडी सुविधा उपलब्ध कराए जाने की संभावना है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हो।

(ङ) वर्ष 1998–99 के दौरान 2648 टेलीफोन एक्सचेंजों को एसटीडी सुविधा प्रदान करने की योजना बनाई गई है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

विवरण-I

30.11.98 की स्थिति के अनुसार देश के शहरी तथा ग्रामीण एक्सचेंजों की एसटीडी की राज्यवार स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	एक्सचेंजों की सं.		एक्सचेंजों की संख्या जहां एसटीडी सुविधा उपलब्ध है	
		शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	306	1806	303	1363
2.	असम	81	238	81	238
3.	बिहार	205	650	205	629
4.	गुजरात	298	1175	298	964
5.	हरियाणा	126	669	121	335
6.	हिमाचल प्रदेश	66	545	66	416
7.	जम्मू एवं कश्मीर	116	139	84	39
8.	कर्नाटक	375	1808	375	1600
9.	केरल	187	635	187	635
10.	मध्य प्रदेश	355	2379	355	1631
11.	महाराष्ट्र	530	2384	509	1295
12.	गोवा	34	36	34	27
13.	अरुणाचल प्रदेश	10	65	10	31
14.	मेघालय	11	35	11	27
15.	मिजोरम	17	25	11	10
16.	त्रिपुरा	6	45	6	43
17.	मणिपुर	20	11	16	3
18.	नागालैंड	10	25	10	9
19.	उडीसा	134	630	133	618
20.	पंजाब	205	791	205	647
21.	चंडीगढ़	10	4	10	4
22.	राजस्थान	257	1408	251	837
23.	तमिलनाडु	522	1002	522	901
24.	पांडिचेरी	12	6	12	5
25.	उत्तर प्रदेश	820	1313	813	556
26.	पश्चिम बंगाल	286	573	283	441
27.	सिक्किम	9	16	9	15
28.	अंडमान एवं निकोबार	3	26	3	25
29.	दिल्ली	159	0	159	0

विवरण-II

30.11.98 की स्थिति के अनुसार देश में जिन तालुकों में एसटीडी सुविधा उपलब्ध नहीं है उनकी राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उन तालुकों की संख्या जहां एसटीडी सुविधा उपलब्ध नहीं है
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	7
2.	असम	कोई तालुका नहीं है
3.	बिहार	कोई तालुका नहीं है
4.	गुजरात	शून्य
5.	हरियाणा	कोई तालुका नहीं है
6.	हिमाचल प्रदेश	–वही–
7.	जम्मू एवं कश्मीर	–वही–
8.	कर्नाटक	शून्य
		शून्य
		कोई तालुका नहीं है
11.	महाराष्ट्र	13
12.	गोवा	शून्य
13.	अरुणाचल प्रदेश	कोई तालुका नहीं है
14.	मेघालय	–वही–
15.	मिजोरम	–वही–
16.	त्रिपुरा	–वही–
17.	मणिपुर	–वही–
18.	नागालैंड	–वही–
19.	उड़ीसा	–वही–
20.	पंजाब	–वही–
21.	चंडीगढ़	–वही–
22.	राजस्थान	–वही–
23.	तमिलनाडु	शून्य
24.	पांडिचेरी	शून्य
25.	उत्तर प्रदेश	कोई तालुका नहीं है
26.	पश्चिम बंगाल	–वही–
27.	सिक्किम	–वही–
28.	अंडमान एवं निकोबार	–वही–
29.	दिल्ली	–वही–

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय प्रचार इकाइयां

4074. श्री भगवान शंकर रावत : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय प्रचार इकाई निदेशालय का कार्यालय कहां पर है;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य के अन्य जिलों में ऐसी इकाइयां स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों के स्थान संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

(ख) और (ग) नौवीं योजना की शेष अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश के हरिद्वार में एक नया क्षेत्रीय प्रचार एकक स्थापित करने का विचार है जो इस प्रयोजनार्थ अपेक्षित संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

विवरण

उत्तर प्रदेश राज्य में क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के मौजूदा क्षेत्रीय प्रचार एककों की स्थलवार सूची।

1. लखनऊ
2. बांदा
3. झांसी
4. मैनपुरी
5. वाराणसी
6. गोण्डा
7. कानपुर
8. राय बरेली
9. इलाहाबाद
10. आजमगढ़
11. गोरखपुर
12. लखीमपुर खीरी
13. सुलतानपुर
14. देहरादून
15. अलीगढ़
16. मुरादाबाद
17. पौढ़ी

18. उत्तरकाशी
19. गोपेश्वर
20. मुजफ्फरनगर
21. बरेली
22. आगरा
23. नैनीताल
24. रानीखेत
25. पिथौरागढ़
26. मेरठ

टेलीफोन एक्सचेंज

4075. श्री शैलेन्द्र कुमार : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी, इलाहाबाद और फतेहपुर जिलों में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इस संबंध में की कई कार्रवाई निम्नलिखित हैं :

(i) एक टेलीफोन एक्सचेंज पहले ही खोला जा चुका है।

(ii) सात और एक्सचेंजों के लिए उपस्कर उपलब्ध है।

(iii) शेष दो एक्सचेंजों के लिए उपस्करों के लिए आदेश पहले ही दे दिए गए हैं और संभरण मार्च, 1999 तक हो जाने की आशा है।

(ग) उपर्युक्त पैरा (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्तमान स्थिति सहित उन टेलीफोन एक्सचेंजों की सूची जिन्हें 1998–99 के दौरान उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी, इलाहाबाद और फतेहपुर जिलों में स्थापित करने का प्रस्ताव है।

क्र.सं.	जिले का नाम	एक्सचेंज का नाम	स्तर
1	2	3	4
1.	कौशाम्बी	देवीगंज कारा	उपस्कर उपलब्ध है
2.	कौशाम्बी	पश्चिम सरीरा	एक्सचेंज खोला गया
3.	इलाहाबाद	मुथीगंज	उपस्कर के लिए आदेश दिया गया है
4.	इलाहाबाद	कर्नलगंज	उपस्कर उपलब्ध है
5.	इलाहाबाद	टैगोर टाउन	उपस्कर उपलब्ध है
6.	इलाहाबाद	सूबेदार गंज	उपस्कर के लिए आदेश दिया गया है।
7.	इलाहाबाद	मीरापुर	उपस्कर उपलब्ध है
8.	इलाहाबाद	मनसुराबाद	उपस्कर उपलब्ध है
9.	फतेहपुर	अमौली	उपस्कर उपलब्ध है
10.	फतेहपुर	भिटौरा	उपस्कर उपलब्ध है

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ. बूथ

4076. श्री वेंकटरामी अनन्त रेड्डी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के विभिन्न नगरों, शहरों विशेष रूप से अनन्तपुर, जिले में एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ. बूथों के आबंटन के लिए कुछ समय पूर्व विज्ञापन प्रकाशित किए गए थे;

(ख) क्या एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद इन बूथों का आबंटन नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ये आबंटन कब तक किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आंध्र प्रदेश सर्किल में 1.4.98 से 30.11.1998 के दौरान 3962 एस टी डी/पी सी ओ प्रदान किए गए हैं। अनन्तपुर मे 16.1.98 तक प्राप्त आवेदनों का निपटान कर दिया गया है और 194 एस टी डी/पी सी ओ प्रदान किए गए हैं।

(घ) अनन्तपुर में, आबंटन के लिए शेष आवेदनों पर आगामी एस टी डी/पी सी ओ आबंटन समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

राजस्थान में दूरसंचार सेवाएं

4077. श्री गंगाराम कोली : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के बयाना और भरतपुर–क्षेत्रों में टेलीफोनों की जीर्ण–शीर्ण स्थिति है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने राज्य में विशेष रूप से उक्त क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) विगत तीन वर्षों में उक्त क्षेत्रों में आधुनिकीकरण किए गए टेलीफोन एक्सचेंजों के नाम बताएं और उन टेलीफोन एक्सचेंजों के नाम भी बताएं, जो चालू वित्तीय वर्ष में आधुनिकीकरण के लिए प्रस्तावित हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी, नहीं। राजस्थान के बयाना और भरतपुर क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं पूर्णतः संतोषप्रद हैं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान बयाना सहित "भरतपुर गौण स्विचन क्षेत्र" में कार्यरत 28 टेलीफोन एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण/उन्नयन किया गया है। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। किसी भी एक्सचेंज का आधुनिकीकरण किया जाना लम्बित नहीं है।

विवरण

–क्षेत्र में गत तीन वर्षों के दौरान उन्नयन किए गए टेलीफोन एक्सचेंजों की सूची

क्रम सं.	एक्सचेंज	क्रम सं.	एक्सचेंज
1	2	3	4
1.	कंचनपुर	16	नागर
2.	अंगाई	17	सिन्सिनी
3.	बसेरी	18	बसईनवाब
4.	बंदसरेथा	19	धौलपुर
5.	बयाना	20	राजाखेड़ा
6.	धाडरेन	21	गोपालगढ़
7.	भरतपुर	22	जुरेहरा
8.	डेहरा	23	कमान
9.	कुमा	24	भुसावर
10.	पप्रोरा	25	निथार
11.	राराह	26	पथेना
12.	डीग	27	बी. पहारपुर
13.	जलुकी	28	रूपवास
14.	खोह		
15.	कोकर		

एम. ए. आर. आर. दूरभाष प्रणाली

4078. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन जिले में बहु–प्रयोजनीय ग्रामीण रेडियो (एम.ए.आर.आर.) के अंतर्गत श्रेणीवार कितने दूरभाष कनैक्शन प्रदान कराये गए हैं;

(ख) परियोजना की कुल लागत कितनी है; और

(ग) इस समय इनमें से कितने दूरभाष ठीक काम कर रहे हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) पश्चिमी बंगाल के सुन्दरवन जिले में एम ए आर आर प्रणाली के जरिए 253 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किए गए हैं।

(ख) 3.77 करोड़ रुपये।

(ग) 253 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों में से 159 टेलीफोन संतोषजनक ढंग से काम कर रहे हैं। शेष 94 सार्वजनिक टेलीफोन ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। दूरसंचार विभाग इनको ठीक करने के लिए कार्रवाई कर रहा है।

डाक कर्मचारियों की मांग

4079. श्री तथागत सत्पथी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरका ने डाकियों, मेल गार्डों और मेल वितरण कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके वेतनमान और अन्य सुविधाओं में वृद्धि की गई है; और

(घ) यदि हां, तो ये कब से प्रभावी होंगे?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) पोस्टमैन तथा मेल गार्ड के वेतनमान निम्नानुसार बढ़ाए गए हैं :–

पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर दिनांक 1.1.96 से वेतनमान		दिनांक 10.10.97 से बढ़ाए गए वेतनमान
प्रविष्टि पर समयबद्ध	2750–4400*	3050–4590 रु.
एक पदोन्नति (टीबीओपी)	3050–4590	3200–4900 रु.
द्विवर्षीय संवर्ग पुनरीक्षा (बीसीआर)	3200–4900	4000–6000 रु.

* (दो अग्रिम वेतन–वृद्धियों के साथ)

अन्य सुविधाएं बढ़ाने की कोई मांग नहीं की गई थी तथा ये वैसी ही हैं, जैसी पहले ग्राह्य थीं।

गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन

4080. श्री जोगेन्द्र कवाडे :

श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :

प्रो. रीता वर्मा :

श्री सुधीर गिरि :

श्री माधवराव पाटील :

श्री विठ्ठल तुपे :

श्री के. कृष्णमूर्ति :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, 1998 तक देश में राज्यवार, कुल कितने गांवों को दूरसंचार नेटवर्क में शामिल किया गया;

(ख) मार्च, 1999 तक, राज्यवार कुल कितने गांवों को शामिल किए जाने की योजना है;

(ग) 31 मार्च, 1998 की स्थिति अनुसार, देश में राज्यवार कुल कितने सार्वजनिक टेलीफोन कार्य नहीं कर रहे हैं;

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में काफी बडी संख्या में टेलीफोनों के कार्य न करने के क्या कारण हैं;

(ङ) गांव में एक सार्वजनिक टेलीफोन लगाने में औसतन कितना व्यय होता है;

(च) क्या देश में ग्रामीण टेलीफोन प्रणाली सफल नहीं रही है;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) वर्ष 1998–1999 के दौरान, खराब पड़ी दूरसंचार यूनिटों को सक्रिय करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) और (ख) 31.7.98 तक देश में 310,019 गांवों में दूरसंचार सुविधाएं प्रदान की जा चुकी हैं। अन्य 38,563 गांवों में मार्च, 1999 तक दूरसंचार सुविधाएं प्रदान किए जाने की आशा है। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं।

(ग) 31.3.98 की स्थिति के अनुसार देश में 22,403 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन खराब पड़े हुए थे। राज्यवार सूची संलग्न विवरण–II में दी गई है।

(घ) कुछ सार्वजनिक टेलीफोनों के काम न करने के कारण इस प्रकार हैं :–

(i) बिजली गिरने से एम ए आर आर उपस्कर का क्षतिग्रस्त होना।

(ii) खराब मौसम, तेज हवाओं, वर्षा और ओवरहैड लाइनों की चोरी के कारण ओवरहैड लाइनों में व्यवधान पैदा हो जाना।

(iii) एम ए आर प्रणालियां बहुत टिकाऊ भी नहीं पाई गई हैं।

(ङ) एक ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन लगाने पर औसतन लगभग 100,000 रुपये का खर्च आता है।

(च) और (छ) अनालॉग एम ए आर आर प्रौद्योगिकी ने अधिक संतोषजनक ढंग से काम नहीं किया है।

(ज) खराब उपस्कर को वर्कशाप में आपूर्तिकर्ताओं की सहायता से ठीक किया जा रहा है बहुत से मामलों में वार्षिक अनुरक्षण संविदाओं (एएमपी) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

जो क्षतिग्रस्त उपस्कर मरम्मत से ठीक नहीं हो सकते हैं, उन्हें उत्तरोत्तर रूप से बदल दिया जाएगा।

विवरण-I

राज्य का नाम	31.10.98 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन वाले कुल गांव	वे गांव जहां मार्च 99 तक ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा प्रदान कर दी जाएगी
1	2	3
1. अंडमान निकोबार	178	38
2. आंध्र प्रदेश	22933	305
3. असम	10568	2780
4. बिहार	19088	5096
5. गुजरात	13923	0
6. हरियाणा	6807	20
7. हिमाचल प्रदेश	6710	869
8. जम्मू और कश्मीर	2683	899
9. कर्नाटक	21544	1781
10. केरल	1530	0

1	2	3
11. महाराष्ट्र और गोवा	29269	2335
12. मध्य प्रदेश	39245	4000
13. अरुणाचल प्रदेश	557	230
14. मणिपुर	603	217
15. मेघालय	984	88
16. मिजोरम	577	108
17. नागालैंड	528	148
18. त्रिपुरा	549	38
19. उड़ीसा	19213	1771
20. पंजाब	11938	318
21. राजस्थान	21345	1789
22. तमिलनाडु	17648	132
23. उत्तर प्रदेश (पूर्व)	31254	6216
24. उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	16861	4793
सिक्किम	13291	4992
[illegible]	191	0
जोड़	310,019	38563

विवरण-II

1	2	3
1.	अंडमान निकोबार	2
2.	आंध्र प्रदेश	546
3.	असम	547
4.	बिहार	4601
5.	गुजरात	757
6.	हरियाणा	595
7.	हिमाचल प्रदेश	224
8.	जम्मू और कश्मीर	186
9.	कर्नाटक	574
10.	केरल	000
11.	महाराष्ट्र और गोवा	246
12.	मध्य प्रदेश	5126
13.	अरुणाचल प्रदेश	107
14.	मणिपुर	53
15.	मेघालय	66
16.	मिजोरम	48
17.	नागालैंड	40
18.	त्रिपुरा	211
19.	उड़ीसा	2958
20.	पंजाब	261
21.	राजस्थान	1019
22.	तमिलनाडु	319
23.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	1773
24.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	1697
25.	पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम	447
	जोड़	22,403

[अनुवाद]

भर्ती नियमों में संशोधन

4081. श्री सतनाम सिंह कैंथ : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि दिल्ली दुग्ध योजना के समूह 'क' और 'ख' के अधिकारियों/कर्मचारियों में असंतोष है क्योंकि पांचवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के बाद जिन भर्ती नियमों में संशोधन किया जाना था, अभी भी संशोधन नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) भर्ती नियमों में कब तक संशोधन किए जाने की संभावना हैं;

(घ) क्या दिल्ली दुग्ध योजना में समूह 'क' और 'ख' के सभी पदों को पदोन्नति वाले पद बना दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(छ) भर्ती नियमों में कब तक तदनुसार संशोधन किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) दिल्ली दुग्ध योजना के समूह 'क' और 'ख' के अधिकारियों में अब तक कोई असंतोष दिखाई नहीं दिया है। पांचवे वेतन आयोग की रिपोर्ट को स्वीकारने के परिणामस्वरूप जहां भी आवश्यक हुआ, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के पूर्णतया दिशा-निर्देशों के अनुसार स्टाफ के सभी वर्गों के लिए भर्ती नियमों में संशोधन के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

भर्ती नियमों में संशोधन के लिए कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, संघ लोक सेवा आयोग, विधि मंत्रालय आदि जैसे अन्य विभागों से परामर्श/अनुमोदन की आवश्यकता होती है इसलिए भर्ती नियमों में संशोधन के लिए किसी समयावधि के लिए कोई वचनवद्धता नहीं दी जा सकती है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) प्रत्येक पद के लिए भर्ती की पद्धति नोडल विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों द्वारा शासित होती है। विभाग को उन दिशा–निर्देशों का पालन करना होता है। इसलिए सभी 'क' तथा 'ख' पदों को पदोन्नति पद नहीं बनाया जा सकता।

(छ) चूंकि नियमों के संशोधन में कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग/संघ लोक सेवा आयोग/विधि मंत्रालय जैसे विभागों को शामिल करके अंतर–विभागीय परामर्श सन्निहित होता है, इसलिए इस तरह की कोई वचनवद्धता नहीं की जा सकती कि किस समय तक भर्ती नियमों को संशोधित किया जा सकेगा।

सिक्किम में दूरसंचार सुविधाएं

4082. श्री भीम दाहाल : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम राज्य की राजधानी में जिला और उपमंडलीय स्तरों पर विद्यमान दूरसंचार सुविधाओं को केन्द्र सरकार द्वारा पर्याप्त समझा गया है;

(ख) क्या राज्य सरकार से इस संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कब तक इनकी कमी को पूरा कर दिया जाएगा?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) अधिकांश पूर्वोत्तर राज्यों की तुलना में सिक्किम की दूरसंचार सुविधायें ज्यादा अच्छी हैं। तथापि, इसके सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। 30.11.98 को स्थिति के अनुसार सिक्किम की निवल स्विचन क्षमता 12976 लाइनों की है। जिसमें 11839 चालू कनैक्शन हैं। चालू वर्ष के दौरान 6000 नए टेलीफोन कनैक्शन प्रदान करने की योजना है।

(ख) और (ग) राज्य सरकार से निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है :–

1. गंगटोक में 10000 लाइनों वाला आई एन डी एन एक्सचेंज
2. सभी जिला मुख्यालयों और उप मंडलीय मुख्यालयों को नेटवर्क से जोड़ना।
3. 'वायरलैस इनलूप' और 'फाइबर इन लोकलशाप प्रौद्योगिकी'
4. गंगटोक में मोबाइल टेलीफोन।

(घ) सभी जिला मुख्यालयों और उप–मंडल मुख्यालयों में एसटीडी/आईएसडी सुविधा उपलब्ध है। निजी प्रचालकों द्वारा मोबाइल सेवाएं प्रदान की जानी हैं। अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए सक्रियता से विचार किया जा रहा है और वर्ष 2000 तक इनके उपलब्ध होने की आशा है।

भारतीयों का प्रवेश

4083. श्री फ्रांसिस्को सारदीना : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने बागा सीमा से भारतीयों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार को पाकिस्तान से कोई औपचारिक पत्र प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (घ) वाघा/अटारी भारत–पाकिस्तान के वीजा करार, 1974 के तहत निर्धारित एक सीमा चौकी है। भारतीय और पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को सामान्यतः केवल रेल द्वारा इस चौकी से होकर परस्पर सहमति से प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है।

इस व्यवस्था को प्रतिबंधित करने के लिए पाकिस्तान से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

मत्स्यन के लिए विश्व बैंक सहायता

4084. श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात, महाराष्ट्र और केरल में मत्स्यन उद्योग के विकास के लिए विश्व बैंक द्वारा प्रदान की जा रही सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) विश्व बैंक की सहायता से राज्यवार किन–किन स्थानों पर ये परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार विश्व बैंक से प्राप्त की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) विश्व बैंक द्वारा सहायत प्राप्त झींगा तथा मछली पालन परियोजना

पांच राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में क्रियान्वित की जा रही है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) उपर्युक्त परियोजना के लिए विगत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार प्राप्त की गई विश्व बैंक सहायता राशि नीचे दी गई है :–

(लाख रुपये में)

राज्य	1995–96	1996–97	1997–98
आंध्र प्रदेश	113.39	122.82	11.60
बिहार	4.19	72.89	2.97
उड़ीसा	397.47	368.27	248.63
उत्तर प्रदेश	9.54	64.51	4.19
पश्चिम बंगाल	318.69	1431.26	400.63
केन्द्रीय घटक	100.69	56.24	0.00
कुल	943.97	2115.99	668.02

विवरण

झींगा प्राप्त झींगा तथा मछली पालन
राज्यवार वितरण (सी आर 2329 इन)

झींगा पालन घटक

1. आंध्र प्रदेश – भिरावपालेम (जिला – पूर्वी गोदावरी)
2. उड़ीसा – जगतजोर – बानापाड़ा (जिला– केन्द्रपाड़ा)
3. पश्चिम बंगाल क. दीघा (जिला – मिदनापुर)
   ख. दादनपत्र (जिला – मिदनापुर)
   ग. दिघीरपार (जिला–24 परगना–साउथ)
   घ. कैन्निंग (जिला– 24 परगना–साउथ)

अंतर्देशीय मात्स्यिकी घटक

1. आंध्र प्रदेश

	जलाशयों की संख्या	42
	जिलों का नाम	**वितरण**
1.	करीमनगर	6
2.	मेडक	14
3.	निजामबाद	7
4.	खम्मम	9
5.	चित्तूर	4
6.	कृष्णा	2
	कुल	42

2. उड़ीसा

	जलाशयों की संख्या	43
	जिलों का नाम	**वितरण**
1.	गंजम	6
2.	अंगुल	1
3.	नयागढ़	2
4.	फूलबनी	1
5.	मयूरभंज	8
6.	ढेंकानल	2
7.	नौपुरा	2
8.	नवारागपुर	1
9.	सुन्दरगढ़	3
10.	बरगढ़	4
11.	देवगढ	1
12.	क्योंझर	3
13.	कालाहांडी	3
14.	मलकनगिरि	1
15.	सम्बलपुर	1
16.	कोरापुर	3
17.	झारसगुडा	1
	कुल	43

3. उत्तर प्रदेश

	क. जलाशयों की संख्या	6
	जिले का नाम	**वितरण**
1.	झांसी	1
2.	महोबा	1
3.	मिर्जापुर	2
4.	चन्दौली	2
	कुल	6
	ख. आक्स बो झीलों की संख्या	05
	जिले का नाम	**वितरण**
1.	बहराइच	1
2.	गोरखपुर	3
3.	सिद्धार्थनगर	1
	कुल	5

4. बिहार

आक्स बो झीलों की संख्या 27

	जिले का नाम	वितरण
1.	ईस्ट चम्पारन	16
2.	वेस्ट चम्पारन	3
3.	मुजफ्फरनगर	6
4.	समस्तीपुर	1
5.	बेगूसराय	1
	कुल	27

[हिन्दी]

बिहार में कम शक्ति ट्रांसमीटर

4085. श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में टी. वी. ट्रांसमीटरों का दायरा और इनकी क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का इन टी. वी. ट्रांसमीटरों का दायरा बढाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) वर्तमान में बिहार में 52 टी.वी. ट्रांसमीटर (उ.श. ट्रां. –5, अ. श. ट्रां.–45, अ.अ.श. ट्रां.–1 एवं ट्रांसपोजर–1) कार्य कर रहे हैं। स्थानवार ब्यौरा दर्शाते हुए एक विवरण संलग्न है। 1 किलोवाट से 10 कि.वा. के उच्च शक्ति ट्रांसमीटर का कवरेज क्षेत्र लगभग 50 से 100 कि.मी., 100 वा. से 300 वा. के अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों का कवरेज क्षेत्र 10 से 20 कि.मी. और 10 वाट के अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर/ट्रांसपोजर के मामले में यह लगभग 5 कि. मी. है।

(ख) और (ग) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, जमशेदपुर एवं अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (डी.डी.–2) पटना के उच्च शक्ति ट्रांसमीटर के रूप में उन्नयन संबंधी स्कीमें इस समय कार्यान्वयनाधीन हैं।

विवरण

बिहार में कार्यरत टी॰ वी॰ ट्रांसमीटर

उच्च शक्ति ट्रांसमीटर

डाल्टनगंज

कटिहार

मुजफ्फरपुर

पटना

रांची

अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

औरंगाबाद

बेगूसराय

बेतिहा

भागलपुर

बोकारो

बक्सर

चाईबासा

दरभंगा

दौडनगर

देवघर

धनबाद

दुमका

फारबेसगंज

गया

घाटशिला

गिरिडीह

गोड्डा

गोपालगंज

गुमला

हजारीबाग

जमशेदपुर

जामुई

खगड़िया

कोडरमा

लखीसराय

लोहारदागा

मधेपुरा

मधुबनी

मोतिहारी

मुंगेर

मुशाबनी

नवादा

अल्पशक्ति ट्रांसमीटर

नौमुंडी

फूलपारस

रेक्सोल

सहरसा

सराईकेला

सासाराम

शेखपुरा

सिकन्दरा

सिमरी बख्तियारपुर

सीतामढ़ी

सिवान

सुपौल

पटना (डीडी–2)

अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

~~[illegible]~~

रामगढ़ उच्च शक्ति ट्रांसमीटर

[अनुवाद]

पोस्ट शॉट ड्रिलिंग आपरेशन

4086. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या **प्रधानमंत्री** वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन के बारे में जुलाई, 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5078 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोखरन में 'पोस्ट शॉट ड्रिलिंग आपरेशन' पूरा कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो ड्रिलिंग आपरेशन से क्या तथ्य सामने आए हैं;

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) पोखरण में तीन सब–किलो टन युक्ति के प्रस्फोटनों के स्थलों पर 'पोस्ट शॉट ड्रिलिंग कार्य' पूरे कर लिए गए हैं। तापनाभिकीय युक्ति के प्रस्फोटन के स्थल पर ड्रिलिंग का काम किया जा रहा है और विखंडन युक्ति के प्रस्फोटन स्थल पर ड्रिलिंग का काम शीघ्र ही शुरू किया जाएगा।

(ख) पोस्ट शॉट ड्रिलिंग कार्यों से प्राप्त नमूनों का विश्लेषण किया जा रहा है जिसमें विकिरण क्रियता संबंधी विश्लेषण भी शामिल है। नमूनों से अब तक प्राप्त सभी परिणाम, परीक्षित युक्तियों के पूर्व घोषित आचरण के अनुरूप हैं और उसकी पुष्टि करते हैं।

आर्थिक सुधार कार्यक्रम

4087. श्री अशोक नामदेवराव मोहोल : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान गरीबी को दूर करने के संबंध में शुरू किए गए आर्थिक सुधार कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार ने इन कार्यक्रमों के अंतर्गत उक्त अवधि के दौरान राज्यवार कितनी धनराशि निर्धारित/जारी की है; और

(ग) गरीबी दूर करने में ऐसे कार्यक्रमों के अब तक क्या परिणाम निकले हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया, आर्थिक विकास की दर तेज करने के मूल उद्देश्य से शुरू की गई थी, जो दीर्घ काल में गरीबी का उन्मूलन करेगी। यद्यपि, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, तात्कालिक रूप से अनुपूरक रोजगार और परिणामस्वरूप गरीबों को क्षीण कृषि के मौसम के दौरान अतिरिक्त आय प्रदान करा रहे हैं। ये कार्यक्रम (1) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी) (2) जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई) (3) रोजगार आश्वासन स्कीम (ईएएस) (4) इन्दिरा आवास योजना (आईएवाई) (5) मिलियन वैल्स स्कीम (एमडब्ल्यूएस), और (6) स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) हैं। जबकि पहले 5 कार्यक्रम देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित किए जा रहे हैं, अन्तिम कार्यक्रम शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हैं। कार्यक्रमों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।

(I) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी): आई आर डी पी 1980 से देश के सभी ब्लाकों में क्रियान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य उत्पादक परिसम्पत्तियों तथा इनपुटों के अधिग्रहण के जरिए पहचान किए गए ग्रामीण गरीबों को स्व–रोजगार उपलब्ध कराना है, जिनसे सतत् आधार पर अतिरिक्त आय प्रदान करने और उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर आने में सहायता मिल सकती है। सरकार द्वारा अंश सब्सिडी के रूप में सहायता दी जाती है तथा शेष को वित्तीय संस्थाओं द्वारा आवधिक ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। इस स्कीम के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का देश के कुल ग्रामीण गरीबों और किसी राज्य/संघ क्षेत्र के ग्रामीण गरीबों के अनुपात के आधार पर केन्द्रीय निधियां आबंटित की जाती हैं।

(II) जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई) अप्रैल, 1989 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एनआरडीपी) और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आरएलईजीपी)

को मिला दिया गया था और जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई) के रूप में पुनः नामन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प–रोजगार प्राप्त लोगों के लिए लोक निर्माण कार्यों में अतिरिक्त आयदायक रोजगार का सृजन करना है, जिससे ग्रामीण आर्थिक आधार संरचना, सामुदायिक तथा सामाजिक परिसम्पतियों के सृजन में मदद मिल सके। इस स्कीम के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, को देश के कुल ग्रामीण गरीबों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में ग्रामीण गरीबों के अनुपात के आधार पर केन्द्रीय निधियां आबंटित की जाती हैं। राज्यों से जिलों को, पिछड़ेपन के सूचकांक के आधार पर निधियों का आबंटन किया जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत, ग्राम पंचायतों, माध्यमिक पंचायतों और जिला स्तरीय पंचायतों को 70:15:15 के अनुपात में निधियां आबंटित की जाती हैं।

(III) रोजगार आश्वासन योजना (ई ए एस) : ई ए एस को 2 अक्तूबर, 1993 को पहचान किए गए पिछड़े ब्लॉकों में शुरू किया गया था। इसके बाद इस योजना का देश में सभी ग्रामीण ब्लाकों को कवर करने के लिए 1.4. 1997 से सार्वभौमिकरण किया गया है। ई ए एस का प्राथमिक उद्देश्य, ग्रामीण क्षेत्रों में शारीरिक रूप से सक्षम सभी वयस्कों को जिन्हें काम की तलाश है और जो काम करने के इच्छुक हैं परन्तु काम मिल नहीं पाता, क्षीण कृषि के मौसम में शारीरिक श्रम संबंधी आयदायक रोजगार उपलब्ध कराना है। इसका दूसरा उद्देश्य सतत रोजगार और विकास के वास्ते आर्थिक आधारसंरचना और सामुदायिक परिसंपत्तियों का सृजन करना है। उक्त योजना मांग–संचालित है जिसमें किसी भी जिले या ब्लाक के लिए वार्षिक निधियां उद्दिष्ट नहीं की जाती इसके बदले, जिलों को प्रत्येक वर्ष के आरंभ में शुरूआती सांकेतिक आबंटन कर दिए जाते हैं तथा इसके बाद पूरक रोजगार की मांग तथा निधियों के वास्तविक उपयोग के आधार पर जिलों द्वारा अतिरिक्त निधियों के लिए अनुरोध किया जा सकता है।

(IV) इन्दिरा आवास योजना (आईएवाई) : ग्रामीण गरीबों की विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयासों के एक हिस्से के रूप में आईएवाई, मई, 1985 में शुरू की गई थी। यह कार्यक्रम, जो जेआरवाई की उपस्कीम के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा था, 1.1.1996 से एक स्वतंत्र स्कीम बन गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे गरीब परिवारों का मुफ्त आवास उपलब्ध कराना है। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आईएवाई निधियों के आबंटन का मापदंड गरीबी के प्रभाव क्षेत्र पर तैयार किया जाता है।

(V) मिलियन वैल्स स्कीम (एमडल्ब्यूएस) : एमडब्ल्यू एस को 1988 के दौरान एन आई ई पी/आर एल ई जी पी की एक उप स्कीम के रूप में शुरू किया गया था। यह स्कीम, जो जेआरवाई का एक भाग थी, 1.1.96 से एक स्वतंत्र स्कीम बन गई है। इस स्कीम का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रह रहे छोटे और सीमांत किसानों को मुफ्त खुले सिंचाई कुएं उपलब्ध कराना है। जहां भूगर्भीय कारणों की वजह से कुएं संभव नहीं है, वहां सिंचाई तालाब, जलोत्पादन निर्माण जैसे अन्य लघु सिंचाई कार्य और छोटे और सीमांत कृषकों से सम्बद्ध भूमि विकास कार्य भी शुरू किए जा सकते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ट्यूबवैल और बोरवैल की अनुमति नहीं दी जाती। एम डब्ल्यू एस के अंतर्गत, अन्तःराज्यीय आबंटन गरीबी के प्रभाव क्षेत्र पर किए जाते हैं। अच्छी सिंचाई की संभावना सहित असिंचित भूमि और गरीबों द्वारा धारित भूमि के सुधार के संदर्भ में राज्यों द्वारा अपने आबंटनों में से जिला–वार आबंटन किए जाते हैं।

(VI) स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एस जे एस आर वाई) : एसजेएसआरवाई नेहरू रोजगार योजना (एनआरवाई), गरीबों के लिए शहरी बुनियादी सेवाएं (यूबीएसपी) और प्रधान मंत्री के एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (पी एम आई यू पी ई पी) के प्रतिस्थापन के रूप में 1 दिसंबर, 1997 से चालू की गई थी। इस कार्यक्रम की दो स्कीमें हैं अर्थात् (1) शहरी स्व–रोजगार कार्यक्रम और (2) शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम। पूर्ववर्ती नेहरू रोजगार योजना (एन आर वाई) तथा प्रधान मंत्री के एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (पी एम आई यू पी ई पी) के स्व–रोजगार तथा मजदूरी रोजगार घटकों को इस एक कार्यक्रम के अंतर्गत पुनः संघटित किया गया है। इस स्कीम में गरीब महिलाओं को अधिकार प्रदान करने तथा उनकी उन्नति पर विशेष बल दिया गया है तथा एक विशेष कार्यक्रम, यानि शहरी क्षेत्र में महिला व बाल विकास शुरू किया गया है जिसके तहत स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने वाली शहरी गरीब महिलाओं के समूह, परियोजना लागत के 50 प्रतिशत तक सब्सिडी पाने के पात्र हैं।

(ख) इन कार्यक्रमों के अंतर्गत 1995–96 से 1997–98 के दौरान सरकार द्वारा जारी की गई निधियों के संबंध में सूचना संलग्न विवरण–I और II में दी गई है।

(ग) सरकार ने गरीबी को कम करने के लिए एक त्रिविध कार्यनीति अपनायी है– (1) रोजगार सघन क्षेत्रकों पर ध्यान केन्द्रित कर आर्थिक विकास को तेज करना, (2) न्यूनतम बुनियादी सेवाओं के माध्यम से मानव और सामाजिक विकास तथा (3) लक्ष्यबद्ध गरीबी–रोधी कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत लाखों व्यक्तियों को सहायता दी गई है, जिससे उनके रोजगार और आय में वृद्धि हुई है लेकिन गरीबी कम करने में गरीबी–रोधी योजनाओं के वास्तविक योगदान का मूल्यांकन करने के लिए अब तक कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है।

विवरण-I

वर्षवार केन्द्रीय रूप से जारी निधियां (1995–96, 1996–97 और 1997–98)

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जेआरवाई			आइएवाई*		एमडब्ल्यूएस*		ईएएस			आईआरडीपी		
		95-96	96-97	97-98	96-97	97-98	96-97	97-98	95-96	96-97	97-98	95-96	96-97	97-98
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	आंध्र प्रदेश	28746.57	14594.96	16685.84	11260.90	9603.38	3473.71	3424.74	14550.00	20110.00	16740.00	5055.01	4834.33	5434.85
2	अरुणाचल प्रदेश	243.58	103.88	102.06	159.82	103.21	20.45	22.89	1859.00	1701.00	1890.00	171.85	272.58	424.45
3	असम	7719.76	3186.93	5524.15	3157.45	2931.07	1050.14	1210.22	8020.00	10820.00	8592.00	1537.96	1304.77	1728.48
4	बिहार	54418.13	22856.07	29322.77	15737.76	15130.72	4649.58	4668.92	16230.00	21245.00	18234.00	3639.65	5378.67	4954.02
5	गोवा	284.87	116.88	104.38	71.82	51.46	19.26	10.50	0.00	80.00	140.00	50.97	49.03	53.97
6	गुजरात	11085.63	4419.33	5747.72	3308.95	3424.02	1154.16	972.94	6970.00	5850.00	4320.00	1613.76	1716.26	2097.64
	[illegible]	2988.62	1195.38	1624.75	698.28	758.55	213.61	180.63	3320.00	2680.00	2670.00	705.76	416.57	593.06
	[illegible]ज	977.02	388.12	403.46	269.16	467.78	89.72	96.34	450.00	1590.00	2550.00	152.90	113.74	225.68
	[illegible] कश्मीर	2043.49	1199.75	974.62	1071.39	607.12	235.81	192.94	6740.00	3860.00	4760.00	362.44	299.37	499.90
10.	कर्नाटक	19088.77	8873.18	10353.99	6883.89	5820.36	2108.51	2040.45	10970.00	11560.00	10600.00	2883.11	2285.61	2542.58
11.	केरल	7785.29	3286.60	3734.12	2351.03	2148.56	704.75	823.62	1850.00	2850.00	3989.00	1441.58	1121.46	1249.35
12.	मध्य प्रदेश	35283.66	15453.15	18977.15	11372.21	11695.62	3436.91	3377.12	22940.00	22670.17	21507.85	6026.02	5671.15	5316.69
13.	महाराष्ट्र	32701.36	14338.51	16816.09	7387.12	9968.74	3302.83	3277.17	11460.00	6730.00	11334.51	3991.26	4717.02	4586.80
14.	मणिपुर	275.83	129.92	248.52	285.32	56.69	41.80	27.01	900.00	1080.00	810.00	100.08	232.39	206.72
15.	मेघालय	332.20	106.95	159.58	46.70	46.73	30.14	33.68	250.00	490.00	220.00	225.10	187.86	186.29
16.	मिजोरम	183.20	84.21	102.87	54.78	54.47	22.53	22.55	1200.00	1200.00	800.00	142.13	100.91	140.97
17.	नागालैंड	599.49	210.66	243.13	275.31	435.83	49.41	57.33	2080.00	2786.00	2100.00	311.24	136.00	208.71
18.	उड़ीसा	22017.83	10709.94	13421.32	7943.55	7443.57	1898.68	2865.29	11460.00	16427.55	14721.58	3830.88	3375.19	3404.37
19.	पंजाब	787.97	809.26	892.79	582.29	478.32	195.07	86.17	0.00	980.00	1840.00	202.80	281.80	484.23
20.	राजस्थान	15060.74	7231.81	8351.86	4032.70	3888.40	1018.37	1304.78	14030.00	10390.00	9265.00	1969.62	2205.74	2080.12
21.	सिक्किम	442.52	81.37	96.78	27.42	41.21	17.36	20.87	330.00	220.00	220.00	76.99	33.43	49.92
22.	तमिलनाडु	29419.48	12088.51	14564.38	9222.31	8708.09	2767.77	3140.18	8410.00	14725.00	18720.00	2323.42	2930.16	4959.13
23.	त्रिपुरा	671.68	237.45	476.35	144.47	144.84	59.37	59.37	1560.00	2160.00	1440.00	387.70	531.87	429.01
24.	उत्तर प्रदेश	69536.78	32442.69	35894.15	23733.55	22995.15	6933.01	7735.53	15560.00	21304.75	31448.06	11610.46	11011.03	10077.72
25.	पश्चिम बंगाल	25496.47	9564.86	9066.99	7668.93	4547.01	2705.25	1736.71	9240.00	10170.00	7790.00	2555.00	1895.14	2383.83
26.	अ और नि. द्वीपसमूह	151.14	42.21	50.70	28.26	47.27	10.55	0.00	40.00	0.00	80.00		51.94	41.70
27.	दा. और न. हवेली	93.92	44.57	50.22	27.86	11.63	11.07	5.73	30.00	60.00	30.00	7.49	14.99	31.13
28.	दमन और दीव	59.28	26.99	16.21	7.54	7.49	3.38	0.00	20.00	20.00	0.00	13.98	13.98	28.91
29.	लक्षद्वीप	86.70	21.16	25.41	11.83	0.00	5.29	5.29	100.00	140.00	0.00	4.08	6.99	17.78
30.	पांडिचेरी	77.12	64.68	74.37	103.23	93.85	10.32	0.00	0.00	60.00	60.00	28.98	50.13	83.52
	अखिल भारत	368659.10	163909.98	194106.73	117925.83	111711.14	36238.81	37398.97	170569.00	193959.47	198872.00	51422.22	51240.11	54501.53

जेआरवाई – जवाहर रोजगार योजना, आईएवाई– इन्दिरा आवास योजना, एमडब्ल्यूएस – मिलियन वैल्स स्कीम, ईएएस– रोजगार आश्वासन स्कीम, आईआरडीपी– एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम

* आईएवाई और एमडब्ल्यूएस को जेआरवाई से अलग करके 1.1.1996 से स्वतंत्र स्कीमें बना दी गई थीं। 1995-96 के लिए आईएवाई और एमडब्ल्यूएस के लिए जारी निधियां कालम 3 में शामिल है।

विवरण-II

एसजेएसआरवाई के अंतर्गत 1997–98 के लिए केन्द्रीय रूप से जारी निधियां

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	1997–98
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	839.66
2.	अरुणाचल प्रदेश	50.99
3.	असम	540.38
4.	बिहार	506.09
5.	गोवा	20.94
6.	गुजरात	521.86
7.	हरियाणा	86.87
8.	हिमाचल प्रदेश	50.54
9.	जम्मू और कश्मीर	63.54
10.	कर्नाटक	736.46
11.	केरल	202.99
12.	मध्य प्रदेश	927.18
13.	महाराष्ट्र	1402.22
14.	मणिपुर	122.95
15.	मेघालय	73.24
16.	मिजोरम	69.63
17.	नागालैंड	53.33
18.	उड़ीसा	223.11
19.	पंजाब	68.33
20.	राजस्थान	329.91
21.	सिक्किम	20.51
22.	तमिलनाडु	919.56
23.	त्रिपुरा	93.98
24.	उत्तर प्रदेश	1181.03
25.	पश्चिम बंगाल	518.63
26.	अ. और नि. द्वीपसमूह	72.66
27.	चंडीगढ़	48.42
28.	दादर और नगर हवेली	12.50
29.	दमन और दीव	50.05
30.	दिल्ली	32.70
31.	पांडिचेरी	22.66
	जोड़	9862.92

एसजेएसआरवाई – स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना।

एस. टी. डी./आई. एस. डी. बूथ

4088. श्री बासवराज पाटील सेडाम : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नए एस. टी. डी./आई. एस. डी. बूथ खोलने का विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्ष 1998–99 के दौरान एसटीडी/पी सी ओ के लिए निर्धारित लक्ष्य सलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1999–98 के दौरान एसटीडी सार्वजनिक टेलीफोनों के लिए निर्धारित लक्ष्य

क्र.सं.	सर्किल/जिला का नाम	एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ
1	2	3
1.	अंडमान निकोबार	35
2.	आंध्र प्रदेश	6000
3.	असम	1500
4.	बिहार	6000
5.	गुजरात	4500
6.	हरियाणा	1715
7.	हिमाचल प्रदेश	750
8.	जम्मू और कश्मीर	750
9.	कर्नाटक	6000
10.	केरल	2250
11.	मध्य प्रदेश	6000
12.	महाराष्ट्र	7500
13.	उत्तर पूर्वी	750

1	2	3
14.	उड़ीसा	900
15.	पंजाब	3000
16.	राजस्थान	4500
17.	तमिलनाडु	7500
18.	उत्तर प्रदेश (पूर्वी)	7500
19.	उत्तर प्रदेश (पश्चिमी)	4500
20.	पश्चिम बंगाल	4500
21.	मुम्बई	4500
22.	कलकत्ता	5500
23.	दिल्ली	4500
24.	चेन्नई	3000
	जोड़	93650

[हिन्दी]

दूरसंचार सेवाओं का विस्तार

. . . प्रो. **रीता वर्मा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसा प्रावधान है जिसके अंतर्गत एक भारतीय कंपनी किसी बहु–राष्ट्रीय कंपनी के सहयोग के बिना दूरसंचार सेवाओं के विस्तार हेतु अपनी निविदा (टेंडर) नहीं दे सकती हो;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस प्रावधान के अंतर्गत 31 मार्च, 1998 तक स्थान वार कितनी निविदाओं को स्वीकृत किया जा चुका है;

(घ) अभी भी कौन–कौन सा कार्य किया जाना और पूरा किया जाना शेष है; और

(ङ) जिन निविदाओं को स्वीकृत किया गया, उनमें शामिल भारतीय तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम क्या हैं तथा ये कंपनियां किन–किन देशों की हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) और (ख) बुनियादी, सेल्यूलर सचल टेलीफोन तथा रेडियो पेजिंग सेवा की निविदाओं में इस आशय के उपबंध किए गए थे कि बोलीदाता कंपनी को संबंधित सेवा के लिए सेवा प्रदाता का अनुभव अवश्य होना चाहिए। बोलीदाता की सेवा विशेष के संचालन में तकनीकी तथा प्रचालन क्षमता सुनिश्चित करने के लिए अनुभव का खंड रखा गया था। चूंकि किसी भी भारतीय कंपनी को उक्त अनुभव नहीं था, अतः भारतीय कंपनियों ने अपेक्षित अनुभव प्राप्त विदेशी कंपनियों के सहयोग से निविदाओं की बोली प्रस्तुत की थीं।

(ग) जानकारी संलग्न विवरण–I में दी गई है।

(घ) बुनियादी टेलीफोन सेवा के 6 लाइसेंस प्राप्तकर्ताओं में से दो कंपनियों के मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के दो सर्किलों में वाणिज्यिक सेवा शुरू कर दी है। सेल्यूलर सेवा के लाइसेंस प्राप्तकर्ताओं में से, तमिलनाडु तथा उत्तर पूर्व सर्किल में एक–एक लाइसेंस प्राप्तकर्ता को छोडकर सभी ने वाणिज्यिक सेवा शुरू कर दी है। रेडियो पेजिंग के मामले में, सभी 27 बड़े शहरों में वाणिज्यिक सेवा शुरू कर दी गई है। सर्किलों के मामले में 19 सर्किलों में से 13 सर्किलों में यह सेवा शुरू कर दी गई है।

(ङ) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण–II में दी गई है।

विवरण

बुनियादी टेलीफोन सेवा के लिए जारी किए गए आशयपत्रों/लाइसेंसों के ब्यौरे

कंपनी का नाम	सर्किल जिन्हें आशयपत्र जारी किए गए	लाइसेंस पर हस्ताक्षर करने की तारीख
1	2	3
1. मै. भारती टेलीनेट लि.	मध्य प्रदेश	28.2.97
2. मै. रिलायंस टेलीकॉम लि.	गुजरात	18.3.97
3. मै. ह्यूजेस इस्पात लि.	महाराष्ट्र और कर्नाटक	30.9.97 (केवल महाराष्ट्र सर्किल के लिए)
4. मै. टाटा टेली सर्विसेज लि.	आंध्र प्रदेश	4.11.97
5. मै. इस्सार कामविजन लि.	पंजाब	7.11.97
6. मै. टेलीलिंक नेटवर्क लि.	राजस्थान	4.3.98

1	2	3
7. मै. टेक्नो टेलीकॉम लि.	बिहार	
8. मै. एच. एफ. सी. एल. बेजक टेलीकॉम लि.	दिल्ली, हरियाणा उत्तर प्रदेश (पश्चिम) और उड़ीसा	
9. मै. बेसिक टेली सर्विसेज लि.	तमिलनाडु	

सेल्यूलर मोबाइल सेवाओं के लिए (महानगरों व दूरसंचार सर्किलों) लाइसेंसधारक कंपनियों के सेवा–क्षेत्रों का विवरण

सेवा–क्षेत्र	कंपनी का नाम
क. महानगर	
मुम्बई	1. बीपीएल मोबाइल कम्यूनिकेशंस लि.
	2. हुचीसन मैक्स टेलीकॉम लि.
कलकत्ता	1. मोदी टेलेस्ट्र प्रा. लि.
	2. उषा मार्टिन टेलीकॉम लि.
दिल्ली	1. भारती सेल्यूलर लि.
	2. स्टर्लिंग सेल्यूलर लि.
चेन्नई	1. आरपीजी सेल्यूलर लि.
	2. स्काई सैल कम्युनिकेशंस प्रा. लि.
ख. प्रादेशिक दूरसंचार सर्किल	
सर्किल	कंपनी का नाम
असम	1. रिलायंस टेलीकॉम लि.
आंध्र प्रदेश	1. जे. टी. मोबाइल्स लि.
	2. टाटा कम्युनिकेशंस प्रा. लि.
बिहार	1. रिलायंस टेलीकाम लि.
	2. कोशिका टेलीकाम लि.
गुजरात	1. बिरला एटी एंड टी कम्युनिकेशंस लि.
	2. फास्सैल लि.
हरियाणा	1. ऐस्कोटैल मोबाइल कॉम प्रा. लि.
	2. एयरसैल डिजीलिंक इण्डिया लि.
हिमाचल प्रदेश	1. भारती टेलीनैट लि.
	2. रिलायंस टेलीकॉम लि.
कर्नाटक	1. मोदीकॉम नैटवर्क प्रा. लि.
	2. जे. टी. मोबाइल्स लि.
केरल	1. ऐस्कोटेल मोबाइल कम्युनिकेशंस प्रा. लि.
	2. बीपीएल यू एस वैस्ट सेल्यूलर लि.

1	2
मध्य प्रदेश	1. आरपीजी टेलकॉम लि.
	2. रिलायंस टेलीकॉम लि.
महाराष्ट्र	1. बिरला एटी एंड टी कम्युनिकेशंस लि.
	2. बीपीएल यूएस वैस्ट सेल्यूलर लि.
उत्तर पूर्व	1. रिलायंस टेलीकॉम लि.
	2. हैक्साकॉम इंडिया लि.
उड़ीसा	1. कोशिका टेलीकाम प्रा. लि.
	2. रिलायंस टेलीकाम लि.
पंजाब	1. जे.टी. मोबाइल्स लि.
	2. मोदीकॉम नेटवर्क प्रा. लि.
राजस्थान	1. हेक्साकॉम इंडिया लि.
	2. एयरसेल डिजिलिंक इंडिया लि.
	1. बीपीएल यूएस वेस्ट सेल्यलूर लि.
	2. श्रीनिवास सेलकॉम लि.
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	1. एस्कोटेल मोबाइल कम्युनिकेशन प्रा. लि.
	2. कोशिका टेलीकॉम प्रा. लि.
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	1. कोशिका टेलीकॉम प्रा. लि.
	2. एयरसेल डिजिलिक इंडिया लि.
पश्चिम बंगाल	1. रिलायंस टेलीकाम लि.

टिप्पणी : इस मामले में लाइसेंस करार पर तदनतर 31.3.98 को हस्ताक्षर किए गए थे।

27 शहरों में रेडियो पेजिंग सेवा हेतु लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करनी वाली कंपनियों के नाम की सूची

क्र.सं.	कंपनी का नाम	शहर
1	2	3
1.	मै. वेजप्वाइंट सर्विसेज (इंडिया) प्रा. लि. 29, बैंक स्ट्रीट फोर्ट, मुंबई–400023	मुंबई बंगलौर पुणे हैदराबाद
2.	मै. मैट्रिक्स पेजिंग (इंडिया) प्रा. लि. अनिल चैम्बर्स (निकट क्राउन मिल्स) अंधेरी कुर्ला रोड, साकीनाका मुंबई–400072	पुणे राजकोट बदोदरा सूरत मुंबई
3.	मै. टेलीसिस्टम (इंडिया) प्रा. लि. 23/1 11वां मेन रोड निकट डाकघर, वसंत नगर बंगलौर–560052	मद्रास एर्नाकुलम त्रिवेंद्रम बंगलौर, कोयम्बटूर, मदुरै

1	2	3
4.	मै. इजीकाल कम्युनिकेशंस (इंडिया) प्रा. लि. एलबी/5 अंसारी भवन 16, कस्तूरबा गांधी मार्ग नई दिल्ली–110001	कलकत्ता नागपुर भोपाल पटना हैदराबाद इंदौर विशाखापट्टनम
5.	मै. माइक्रोवेव कम्युनिकेशंस लि. एम 7 कमर्शियल काम्पलैक्स ग्रेटर कैलाश पार्ट–II नई दिल्ली–110048	मुंबई वडोदरा अहमदाबाद कलकत्ता राजकोट
6.	मै. ए.वी.सी. कम्युनिकेशंस (इंडिया) प्रा. लि. 44 बी नरीमन भवन नरीमन प्वाइंट, मुंबई–400021	दिल्ली, दिल्ली, जयपुर, वाराणसी अमृतसर, लुधियाना, चंडीगढ कानपुर
7.	मै. उषा मार्टिन टेलीकाम लि. ग्राउंड फ्लोर, घटाला टावर्स 19, एवेन्यु रोड, नुंगमबक्कम मद्रास–600034	मदुरै एर्नाकुलम कोयम्बटूर विशाखापट्टनम राजकोट इंदौर जयपुर
8.	मै. बीपीएल सिस्टम एंड प्रोजेक्टस लि. 64, चर्च स्ट्रीट बंगलौर–560001	एर्नाकुलम त्रिवेन्द्रम
9.	मै. हुचिसन मैक्स टेलीकाम 12वीं मंजिल, देविका टावर 6 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019	अहमदाबाद पुणे चंडीगढ़ हैदराबाद बंगलौर बडोदरा लुधियाना
10.	मै. आरपीजी पेजिंग सर्विसेज लि. संगम सिनेमा काम्पलेक्स सेक्टर 9, आर. के. पुरम नई दिल्ली–110022	दिल्ली अहमदाबाद मद्रास
11.	मै. मोदी कोरिया टेलीकम्युनिकेशंस लि. 210, ओखला इंडस्ट्रियल इस्टेट फेज–III, नई दिल्ली–110020	मद्रास, चंडीगढ़, इंदौर कानपुर, जयपुर, लखनऊ, वाराणसी, कलकत्ता

1	2	3
12.	मै. डी एस एस मोबाइल कम्युनिकेशंस लि. सी–22, सफदरजंग डवलपेमेंट एरिया, नई दिल्ली–110016	बंबई, कलकत्ता, बेंगलूर, कानपुर, मद्रास, दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद, लखनऊ, पुणे
13.	मै. वेस्टन पेजर्स प्रा. लि. 9 कार्शियल काम्पलेक्स, मस्जिद नार्थ ग्रेटर कैलाश–II नई दिल्ली–110048	कानपुर, जयपुर, बडोदरा, त्रिवेन्द्रम, नागपुर, सूरत, चंडीगढ़, राजकोट, लखनऊ, विशाखापट्टनम
14.	मै. बेल्ट्रान टेलीकम्युनिकेशंस लि. जे–189, पीपुल्स कोआपरेटिव लोहियानगर, पटना–800020	पटना, अमृतसर, लुधियाना, नागपुर, सूरत, वाराणसी
15.	मै. टेलीकॉम इन्फारमेटिक (आई) प्रा. लि. उषा हाउस, बी–2/100, मोहन को. आफ इंडस्ट्रियल इस्टेट दिल्ली, मथुरा रोड, बदरपुर, –110044	भोपाल, कोयम्बटूर, पटना
	ड इंडिया कम्युनिकेशंस इंटरप्राइजेज लि. ए–18, शिवालिक नई दिल्ली–110017	नागपुर, भोपाल
17.	मै. पनवायर पेजिंग सर्विसेज लि. बी–53 फेज–I, एस ए एस नगर चंडीगढ़–160018	अमृतसर
18.	मै. आइडर पी डब्ल्यू आई पेजिंग सर्विसेज लि. एससीओ–147–148 सेक्टर–8 सी, चंडीगढ़–160018	बंबई, कलकत्ता, दिल्ली
19.	मै. आइडर पी डब्ल्यू आई कम्युनिकेशंस लि. एससीओ 147–148 सेक्टर–8सी चंडीगढ़–160018	मद्रास, बेंगलूर, अहमदाबाद पुणे, चंडीगढ़, बडोदरा, जयपुर एर्नाकुलम

उन रेडियो पेजिंग कंपनियों की सूची जिन्होंने दूर–संचार सर्किलों के लिए लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

क्र.सं.	कंपनी का नाम	सर्किल
1	2	3
1.	मैसर्ज मैट्रिक्स पेजिंग (इंडिया) प्रा. लि. अनिल चैम्बर्स (निकट क्राउन मिल्स) अंधेरी, कुर्ला रोड, साकीनाका, मुंबई–400072.	अंडमान और निकोबार
2.	मै. टेलीसिस्टम (इंडिया) प्रा. लि. 23/1 XIवां मेन रोड निकट डाकघर, वसंत नगर बंगलौर–560052	उड़ीसा

1	2	3
3.	मै. इजीकॉल कम्युनिकेशंस (इंडिया) प्रा. लि. एलबी/5 अंसल भवन, 16, कस्तूरबा गांधी मार्ग नई दिल्ली–110001	उत्तर पूर्व असम पश्चिम बंगाल
4.	मै. माइक्रोवेव कम्युनिकेशंस लि. एम 7 कमर्शियल काम्पलैक्स ग्रेटर कैलाश पार्ट–II नई दिल्ली–110048	उत्तर पूर्व उड़ीसा उत्तर प्रदेश
5.	मै. ए.वी.सी. कम्युनिकेशंस (इंडिया) प्रा. लि. 44 बी नारीमन भवन, नारीमन प्वाइंट, मुंबई–400021	जम्मू एवं कश्मीर
6.	मैसर्ज मोदी कोरिया टेलीकम्युनिकेशंस लि. 210, ओखला इंडस्ट्रियल इस्टेट फेज–III, नई दिल्ली–110020	पश्चिम बंगाल मध्य प्रदेश राजस्थान
7.	मैसर्ज नीदरलैंड इंडिया कम्युनिकेशंस एंटरप्राइजेज प्रा. लि. ए–18, शिवालिक, नई दिल्ली–110017	जम्मू व कश्मीर अंडमान व निकोबार असम
8.	मै. पनवायर पेजिंग सर्विसेज लि. बी–53 फेज–VI, एस ए एस नगर चंडीगढ़–160055	हिमाचल प्रदेश पंजाब, हरियाणा
9.	मैसर्ज वी पी एल वायरलैस कम्युनिकेशंस सर्विसेज प्रा. लि., 1/1 पैलेस रोड, बंगलौर–560001	तमिलनाडु कर्नाटक केरल
10.	मैसर्ज पनवायर मोबाइल कम्युनिकेशंस लि. उद्योग भवन, सैक्टर–17 चंडीगढ़–160017	आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु मध्य प्रदेश
11.	मै. हत्चीसन मैक्स टेलीकॉम, 12वीं मंजिल, देविका टावर, 6 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019	पंजाब

विवरण-II

बुनियादी सेवा कपनियों के भारतीय और विदेशी साझेदारों का ब्यौरा

कंपनी का नाम	भारतीय साझेदार का नाम	विदेशी साझेदार का नाम
ह्यूज इस्पात लि.	इस्पात इंडस्ट्रीज लि.	ह्यूज इलैक्ट्रानिक कारपोरेशन यूएसए, अल्लेल यूएसए
	गोल्डन एजेंट प्रा. लि.	केल्लार टन बीपीआई
	रिम्बरा एजेंट प्रा. लि.	प्रथम एचएनएस (मारीशस) अल्लेल (मारीशस) होल्डिंग इंक
रिलायंस टेलीकॉम लि.	रिलायंय इंडस्ट्रीज लि.	नायनेक्स इंटरनेशनल (इंडिया) लि. (मारीशस) कोई अथवा एफ आई आई/एफ एफ आई/मल्टीलेट्रल एजेंसियों का काम्बीनेशन/अन्य विदेशी निवेशक
---र्क (इंडिया) लि.	श्याम टेलीकॉम लि.	हैरिस इंक यूएसए मै. लिंटेक लि. हांगकांग
भारती टेलीनेट लि.	भारती टेलीकॉम एंड एसोसिएट्स	स्टेट इंटरनेशनल नीदरलैंड एनबी
	भारती टेलीवेंचर्स लि.	स्टेट इंटरनेशनल एसपीए इटली
इस्सार कामविजन लि.	इस्सार इन्वेस्टमेंट लि.	वेल एरलांरिक आफशोर
	इस्सार स्टील लि.	मारीशस एशिया पैसिफिक
	इस्सार टेलीकॉम लि.	इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. मारीशस
टाटा टेलीसर्विसेज लि.	टाटा इंडस्ट्रीज लि.	बैल कनाडा इंटरनेशनल इंक,
	टाटा आयरन एंड स्टील कं. लि.	कनाडा
	टाटा इंजीनियरी एंड लोकोमोटिव	बैल कनाडा इंटरनेशनल (मारीशस
	कंपनी लि. टाटा कैमिकल्स लि.	ए आई जी) मारीशस एल एल सी
बेसिक सर्विसेज लि.	आरपीजी ग्रुप की सात कं.	एन टी टी जापान और इटोचू कारपोरेशन, जापान
टैक्नो टेलीकाम प्रा. लि.	उषा ग्रुप की चार कं.	मास्को स्थानीय टेलीफोन नेटवर्क रूस, एन आर आई कंसोरटियम
एच एफ सी एल बेजेक	एचएफसीएल	बेजेक इजराइल
टेलीकाम लि.	केजेएमसी फाइनेंशियल सर्विसेज लि.	इजराइल टेलीकॉम कार्पोरेशन
	कोटक महिन्द्रा	लि. इजराइल
	फाइनेन्स लि.	शिनवात्तरा इंटरनेशनल पब्लिक कं. लि. थाइलैंड

बोली लगाने के समय सेल्यूलर मोबाइल आपरेटरों के भारतीय और विदेशी भागीदारों के ब्यौरे दूरसंचार सर्किलें

बोली लगाने वाली कंपनी का नाम	भारतीय प्रवर्तक	विदेशी प्रवर्तक
1	2	3
1. एयरसेल डिजीलिंक इंडिया लि.	स्टर्लिंग कम्प्यूटर्स लि.	स्विस पीटीटी स्विटजरलैंड नेपोस्टल कंसलटेस बी वी नीदरलैंडस
2. फासेल लि.	हिमाचल फयूच्यूरिस्टिक कम्युनिकेशस लि., कोटेक महेन्द्र फाइनेंस लि.	बैंजिओ, इजराइल शिनावात्रा इंटरनेंशनल पब्लिक कं. लि. थाइलैंड
3. हैक्साकॉम इंडिया लि.	श्शाम टेलीकाम लि. टेलीकम्युनिकेशंस कंसलटेंटस इंडिया लि.	मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन्स कं. कुवैत पी सी एम पार्टनरशिप, यूएसए
4. जेटी मोबाइल्स लि.	सन्मार इलैक्ट्रानिक्स कार्पो. लि. यूनाइटेड टेलीकॉम लि. परसरामपुरिया क्रेडट एवं इन्वेस्टमेंट लि.	अली एंड फॉड एमटी कुवैत वेलिया ए बी स्वीडन टेलीफोन अर्गेनाइजेशन आफ थाइलैंड जेसमाइन इंट पब्लिक कं.लि. थाईलैंड
5. कोशिका टेलीकॉम प्रा. लि.	उषा इंडिया लि. गोरडन हरबर्ट (इंडिया) लि. वारेन फाइनेंशियंल सर्विस लि. होल्डिंग एंड जनरल फाइनेंस कं. (इंडिया) प्रा. लि.	फिलिपिनों टेलीफोन कंपनी फिलिपाइंस एन आर आई कंसोरटियम
6. टाटा कम्युनिकेशंस प्रा. लि.	टाटा इंडस्ट्रीज लि. टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लि.	बैल कनाडा इंटरनेशनल इंक, कनाडा
7. एस्कोटेल मोबाइल कम्युनिकेशंस प्रा. लि.	एस्कोर्टस लि.	फर्स्ट पेसिफिक कं. लि. हांगकांग
8. बीपीएल यूएसवेस्ट सेल्यूलर टेलीकॉम सर्विसेज प्रा. लि.	बीपीएल लि. बीपीएल सेल्यूलर होल्डिंग प्रा. लि. बीपीएल रेफ्रीजेशन लि. बीपीएल इंजी. लि.	यूएसवेस्ट सेल्यूलर इतेंस्टमेंट लि.
9. भारती टेलीनेट लि.	भारती टेलीकॉम लि. एपेक्स एन्टरप्राइजेज (आई) लि.	स्टेट इंटरनेशनल, इटली स्टेट इंटरनेशनल नीदरलैंड्स लि.
10. विड़ला एटी एंड टी कम्युनिकेशंस	हिंडालको इंडस्ट्रीज लि. ग्रासीम इंडस्ट्रीज लि. इंडियन रेयोन एंड इंडस्ट्रीज लि. इंडो गल्फ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स कार्पो. लि.	कम्काअ सेल्यूलर कम्यु. इंक (वाया एस्टी एंड टी सेल) (वाया ए टी एंड टी सेल प्रा. लि.)

1	2	3
11. सेल्यूलर कम्युनिकेशंस इंडिया लि. (अब आर पी जी सेलकॉम लि.)	आर पी जी टेलीकाम लि. हेरिसन माल्यालम लि. के ई सी इंटर लि. आर पी जी मोबाइल लि.	एयरटच इंटरनेशनल इंक
12. मोदी कॉम नेटवर्क प्रा. लि.	मोदी वेलवेस्ट प्रा. लि.	वैनगार्ड सेल्यूलर सिस्टमस इंक, यू एस ए, टेलीकॉम इंटर (इंडिया) के. लि.
13. रिलायंस टेलीकॉम प्रा. लि.	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	नाइनेक्स इंटर (इंडिया) लि. मारीशस
14. श्रीनिवास सेलकॉम लिमिटेड	श्रीनिवास कम्प्यूटर्स लिमिटेड	सेन्चुरी टेलीफोन इंटरप्राइजेज इंक, यू एस ए रेडिंग–टन प्रा. लि. सिंगापुर

बोली के समय सेल्यूलर मोबाइल सेवा के भारतीय तथा विदेशी भागीदारों का ब्यौरा– मेट्रो शहर

बोलीदाता कंपनी का नाम	भारतीय प्रवर्तक	विदेशी प्रवर्तक
[illegible] (पहले इसका नाम [illegible]ॉम प्रा. लि. था)	मोदी रबर लि. इंडिया इंडियन एम जी टी, एडवाइजर, इंड मोदी होल्डिंग, इंडिया, फाइल इंस प्रा. लि. इंड	ओ टी सी, आस्ट्रेलिया
2. स्टर्लिंग सेल्यूलर लिमिटेड	स्टरलिंग कम्प्यूटर्स इंड	सेल्यूलर कॉम इंटल, यूएसए
3. उषा मार्टिन टेलीकॉम लिमिटेड	उषा मार्टिन इंडस्ट्रीज	टेलीकाम मलेशिया, मलेशिया
हटचिसर मैक्स टेलीकॉम प्रा. लि.	मैक्स इंडिया लि.	हटचिसर वैम्पो एल
5. भारती सेल्यूलर लि.	भारती टेलीकॉम इंडिया	एमटेल लि. मारीशस एमएफआर फ्रांस (जनरल मोबाइल कं. यूके मोबाइल एस वाई एस यू के, एन आर आई के इंटरनेशनल फिनांस ग्रुप
6. बीपीएल सिस्टमस और प्रोजेक्ट लि.	9 बीपीएल कॉस के ग्रूप	एस सी सी, इंक, यू एस ए, फ्रांस टेलीकाम फ्रांस
7. आरपीजी सेल्यूलर लि. (पूर्व नाम मोबाइल टेलीकॉम सर्विस लि.)	सीएट लि. इंडिया अदर्स, इंडिया	वोडाफोन ग्रुप पीएलसी, यू.के. मिसटुबिशी कार्प. जापान
8. स्काईसेल कॉम (पी) लि.	क्राम्पटन ग्रिवस लि. डी एसएस एंटरप्राइजेज	बबेल साउथ इंटल, यू एस ए मिलिकॉम इंटरनल लक्सेमबर्ग

27 शहरों में रेडियो पेजिंग सेवा के लिए भारतीय तथा विदेशी भागीदारों का ब्यौरा

क्र.सं.	कंपनी का नाम	भारतीय प्रवर्तक का नाम	विदेशी प्रवर्तक का नाम
1		2	3
1.	मै. पेज प्वाइंट सर्विसेज (इंडिया) प्रा. लि. 29, बैंक स्ट्रीट फोर्ट, मुंबई–400023	आर्य कौम एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज प्रा. लि.	मोटोरोला इंटरनेशनल पेजिंग इंक, यूएसए
2.	मै. मैट्रिक्स पेजिंग (इंडिया) प्रा. लि. अनिल चैम्बर्स (निकट क्राउन मिल्स) अंधेरी कुर्ला रोड, साकीनाका, मुंबई–400072	टैक्नीकॉम सिस्टमस (इंडिया) प्रा. लि.	मेट्रिक्स टेलीकॉम लि. आस्ट्रेलिया
3.	मै. टेलीसिस्टम (इंडिया) प्रा. लि. 23/1 XIवां मेन रोड पोस्ट आफिस के निकट, वसंत नगर बंगलौर–560052	नेशनल टेलीकॉम ऑफ इंडिया लि.	टेलीसिस्टम एसडीएन वीएचडी, मलेशिया
4.	मै. इजीकॉम कम्युनिकेशंस प्रा. लि. एलबी/5, अंसारी भवन 16, कस्तूरबा गांधी मार्ग नई दिल्ली–110001	सिग्मा कॉम लि.	ईजी कॉल कम्युनिकेशन फिलीपीन्स इंक, फिलीपिन्स
5.	मै. माइक्रोवेव कम्युनिकेशंस लि. एम 7 कमर्शियल काम्पलैक्स ग्रेटर कैलाश, पार्ट–II नई दिल्ली	हिमाचल फ्युचरिस्टिक कॉम. लि. 2. एम के जे ग्रुप आफ इंडस्ट्रीज	थिनावात्रा इंटरनेशनल कंपनी लि. थाइलैंड सिलिकॉन वैली हांगकांग
6.	मै. ए.वी.सी. कम्युनिकेशंस (इंडिया) प्रा. लि. 44 बी नारीमन भवन, नारीमन प्वाइंट, मुंबई–400021	टेली डाटा इलेक्ट्रानिक्स प्रा. लि.	एवीसी कम्युनिकेशंस लि. हांगकांग
7.	मै. उषा मार्टिन टेलीकॉम लि. ग्राउंड फ्लोर, घटाला टावर्स, 19, एवेन्यु रोड, नंगमबक्कम मद्रास–600034	उषा मार्टिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड	टेलीकाम मलेशिया वीएचडी, मलेशिया अन्य
8.	मै. बीपीएल सिस्टम एंड प्रोजेक्ट लि. 64, चर्च स्ट्रीट बंगलौर–560001	बीपीएल सिस्टमस एंड प्रोजेक्स लि.	1. फ्रांस टेलीकॉम मोबाइल इंक फ्रांस 2. एलसीसी, इंक यूएसए
9.	मै. हटचिसन मैक्स टेलीकॉम 12वीं मंजिल, देविका टावर, 6 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019	मैक्स इंडिया लि. 1. मैक्स टेलीकॉम बेंचर लि. 2. लिक्विड इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी 3. हरचिशन मैक्स टेलीकॉम लि.	हरचियन टेलीकॉम लि. हांगकांग 1. हरचिशन टेलीकॉम लि. मारीशस 2. एडीआर आफ रिडंस के माध्यम से फौरन इंवेस्टर्स

1	2	3
10. मै. आरपीजी पेजिंग सर्विसेज लि. संगम सिनेमा काम्पलेक्स सेक्टर 9, आर. के. पुरम नई दिल्ली–110022	कर्नाटक टेलीकेबल्स लि.	1. एनटीटी इंटरनेशनल कार्पोरेशन, जापान 2. आईटीटीओसीएचयू, कारपोरेशन जापान
11. मै. मोदी कोरिया टेलीकम्युनिकेशंस लि. 210, ओखला इंडस्ट्रियल इस्टेट फेज–III, नई दिल्ली–110020	मोदी इंटरप्राइजेज	1. नाइनेक्स नेटवर्क सिस्टम कारपो. यूएसए 2. कोरिया टेलीकॉम कोरिया 3. सैमसंग इलैक्ट्रानिक्स कं. लि. कोरिया 4. सिओल मोबाइल टेलीकाम कारपोरेशन लि. कोरिया
12. मै. डी एस एस मोबाइल कम्युनिकेशंस लि. 210, ओखला इंडस्ट्रियल II नई दिल्ली–20	डालमिया ग्रुप आफ कंपनीज	1. स्टीमर टेलीफोन सिंगापुर 2. इलेक्ट कौम्स, एसडीएन बीडीएच मलेशिया 3. कोरिया मोबाइल टेलीकाम कोरिया
...स प्रा. लि. 9, कमर्शियल कॉम्पलेक्स, मस्जिद रोड़, ग्रेटर कैलाश–II नई दिल्ली–110048	वेस्टर्न इलेक्ट्रोनिक्ल लि.	हरालैला, कैनटोन टेलीकाम लि. हांगकांग
14. मै. बेल्ट्रान टेलीकम्युनिकेशंस लि. जे–189, पीपुल्स कोआपरेटिव लोहियानगर, पटना–800020	बेल्ट्रान टेलीकम्युनिकेशंस लि.	आई एस सी इंक, यूएसए
15. मै. टेलीकॉम इन्फारमेटिव (आई) प्रा. लि. उषा हाउस, बी–2/100, मोहन को–आप इंडस्ट्रियल इस्टेट दिल्ली, मथुरा रोड, बदरपुर, नई दिल्ली–110044	उषा (इंडिया) लि. एंड एसोसिएट्स	1. फिलिविन वायरलेस इंक फिलिपिन्स 2. डी सी के कंसोरिटियम, यूएसए
16. मै. नीदरलैंड इंडिया कम्युनिकेशंस इंटरप्राइजेज लि. ए–18, शिवालिक नई दिल्ली–110017	एसएम इलेक्ट्रानिक एंड सर्विसेज लि.	पीटीटी टेलीकॉम नीदरलैंड
17. मै. पुनवायर पेजिंग सर्विसेज लि. बी–53 फेज–VI, एस ए एस नगर चंडीगढ़–160055	पंजाब वायरलेस सिस्टम लि. एसोसियेट्स	टेलिया इंटल स्विडन
18. मै. ईडर बी डब्ल्यू आई पेजिंग सर्विसेज लि. एससीओ–147–148 सेक्टर–बी सी, चंडीगढ़–160018	ईडर इलेक्ट्रानिक इंडस्ट्रीज लि.	फिलिपिन्स वायरलेस इंक, फिलिपिन्स

1	2	3
19. मै. ईडर पी डब्ल्यू आई कम्युनिकेशंस लि. एससीओ 147–148 सेक्टर–8 सी चंडीगढ़–160018	ईडर टेलीकॉम लि.	फिलिपिन्स वायरलेस इंक फिलिपिन्स

सर्किलों में रेडियो पेजिंग सेवा के लिए भारतीय तथा विदेशी भागीदारों का ब्यौरा

क्र.स.	कंपनी का नाम	भारतीय प्रवर्तक का नाम	विदेशी प्रवर्तक का नाम
1	2	3	4
1.	मै. मैट्रिक्स पेजिंग (इंडिया) प्रा. लि. अनिल चैम्बर्स (क्राउन मिल्स के समीप) अंधेरी कुर्ला रोड, साकीनाका, मुंबई–400072	टैक्नीकॉम सिस्टमस (इंडिया) प्रा. लि.	मेट्रिक्स टेलीकॉम लि. आस्ट्रेलिया
2.	मै. टेलीसिस्टम (इंडिया) प्रा. लि. 23/1 XIवां मेन रोड डाकघर के समीप, वसंत नगर बंगलौर–560052	नेशनल टेलीकॉम लि.	टेलीसिस्टम एसडीएन वीएचडी, मलेशिया
3.	मै. इजीकाल कम्युनिकेशंस (इंडिया) प्रा. लि. एलबी/5, अंसल भवन, 16, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली–110001	सिग्मा कॉम. लि.	ईजी कॉल कम्युनिकेशन फिलीपीन्स इंक, फिलीपिन्स
4.	मै. माइक्रोवेव कम्युनिकेशंस लि. एम 7 कमर्शियल काम्पलैक्स ग्रेटर कैलाश पार्ट–II नई दिल्ली–110048	1. हिमाचल फ्युचरिस्टिक कम्यु. लि. 2. एम के जे ग्रुप आफ इंडस्ट्रीज	1. शिनावात्रा इंटरनेशनल कंपनी लि. थाइलैंड 2. सिलिकॉन वैली हांगकांग
5.	मै. ए.वी.सी. कम्युनिकेशंस (इंडिया) प्रा. लि. 44 बी नरीमन भवन नरीमन प्वाइंट, मुंबई–400021	टेलीडाटा इलेक्ट्रानिक्स प्रा. लि.	एवीसी कम्युनिकेशंस हांगकांग
6.	मै. मोदी कोरिया टेलीकम्युनिकेशंस लि. 210, ओखला इंडस्ट्रियल इस्टेट, फेज–III, नई दिल्ली–110020	मोदी इंटरप्राइजेज	1. नाइनेक्स नेटवर्क सिस्टम क. यूएसए 2. कोरिया टेलीकॉम कोरिया 3. समसुंग इलैक्ट्रानिक्स कं. लि. कोरिया 4. सिओल मोबाइल टेलीकॉम कारपोरेशन लि. कोरिया

1	2	3	4
7.	मै. नीदरलैंड इंडिया कम्युनिकेशंस इंटरप्राइजेज प्रा. लि. ए–18, शिवालिक नई दिल्ली–110017	एसएम इलेक्ट्रानिक एंड सर्विसेज लि.	पीटीटी टेलीकाम नीदरलैंड
8.	मै. पनवायर पेजिंग सर्विसेज लि. बी–53 फेज–I, एसएएसनगर चंडीगढ़–160055	पंजाब वायरलेस सिस्टम लि. एसोसियेट्स	1. टेलीकॉम डेनमार्क 2. टेलिया इंट. स्वीडन
9.	मै. बीपीएल वायरलेस टेलीकम्युनिकेशंस सर्विसेज प्रा. लि. 1/1 पैलेस रोड, बंगलौर–560001	बीपीएल ग्रुप आफ कंपनीज	1. टेलीकॉम डेनमार्क, डेनमार्क 2. टेलिया इंट, स्वीडन
10.	मै. पनवायर मोबाइल कॉम लि. उद्योग भवन, सेक्टर–17, चंडीगढ़–160017	पंजाब वायरलेस लि. एंड एसोसिएट्स	1. बीपय–ए–काल, इजराइल 2. डिजिटल टेलीकाम, यूएसए
11.	मै. हचिसन मैक्स टेलीकॉम देविका टावर, ...स, नई दिल्ली–110019	मैक्स इंडिया लि.	हुचिसन टेलीकाम लि. हांगकांग

बांध का निर्माण

4090. श्री अशोक प्रधान : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में खुर्जा के निकट यमुना नदी पर बने जेवर, याकूदपुर और हमीदपुर बांध पर केन्द्र सरकार द्वारा अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त क्षेत्र में एक अन्य बांध बनाने के लिए विशेष निधि जारी करने का प्रस्ताव किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (घ) इन परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मूल्यांकन के लिए केन्द्रीय जल आयोग को प्राप्त नहीं हुई है।

कच्छ में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

4091. श्री अरविंद काम्बले :

श्री हरिभाई चौधरी :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में कच्छ को सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया है;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम में इस जिले को शामिल करने के लिए क्या मानदंड अपनाया गया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात सरकार द्वारा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए निधियां मांगे जाने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कच्छ में इस कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किए जाने वाले कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(च) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित की गयी परियोजनाओं और चालू वर्ष के दौरान आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) पाकिस्तान, बंगलादेश और म्यांमार की सीमा से लगे राज्यों के सीमा ब्लाकों में क्रियान्वित किया जा रहा है। अतः गुजरात के कच्छ जिले के बार्डर ब्लाक, जिनकी पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, उस कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं।

(ग) और (घ) इस कार्यक्रम के अंतर्गत, किसी वर्ष विशेष के लिए आबंटन राज्य सरकार को सूचित किए जाते हैं। राज्य स्तरीय छानबीन समिति इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्कीमों को शुरू किए जाने के संबंध में निर्णय लेती है। बीएडीपी के अंतर्गत अतिरिक्त निधियों की मांग हेतु राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) और (च) राज्य सरकार को निधियां जारी की जाती हैं जो आगे स्थानिक और स्कीमवार आबंटन करती हैं। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि आठवीं योजना के दौरान स्वास्थ्य, जलापूर्ति, विद्युतीकरण, सड़कों, सिंचाई, सुरक्षा संबंधी स्कीमों आदि जैसे क्षेत्रकों में स्कीमें शुरू की गई थीं। नौवीं योजना के दौरान राज्य सरकार, आठवीं योजना के दौरान शुरू की गई स्कीमों के अतिरिक्त स्कूल भवनों के निर्माण, खेल और युवा सेवाओं तथा समाज कल्याण के लिए स्कीमों को शुरू कर रही है। चालू वित्त वर्ष, 1998–99 के दौरान बीएडीपी के अंतर्गत गुजरात को 8.88 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं।

बिहार में असिंचित भूमि

4092. श्री रामटहल चौधरी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में कितनी भूमि असिंचित थी;

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में राज्य में किस हद तक अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी;

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक राज्य की कितनी मुख्य और मझौली लंबित सिंचाई परियोजनाओं के पूरा हो जाने की संभावना है; और

(घ) इन परियोजनाओं के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) कृषि मंत्रालय द्वारा प्रकाशित भूमि उपयोग आंकड़े 1995–96 (नवीनतम) के अनुसार बिहार में 7321 हजार हेक्टेयर के निवल बुवाई क्षेत्र में से 3680 हजार हेक्टेयर निवल सिंचित क्षेत्र है तथा 3641 हजार हैक्टेयर भूमि असिंचित है।

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में 697.25 हजार हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता के सृजन का लक्ष्य है।

(ग) और (घ) बिहार की चल रही ऐसी वृहद तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के ब्यौरे जिनकी नौवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक पूरा होने की संभावना है तथा इन परियोजनाओं पर हुई प्रगति का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

विवरण

बिहार की चल रही ऐसी वृहद और मध्यम परियोजनाओं का ब्यौरा जिनकी नौवीं योजना के दौरान पूरा होने की संभावना है तथा उनकी प्रगति का ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजना का नाम	नौवीं योजना का परिव्यय (रुपये करोड़ में)	व्यय 3/97 तक	व्यय वर्ष 97–98 के दौरान (अनन्तिम)	सिंचाई क्षमता का सृजन (हजार हैक्टैयर में) आठवीं योजना की समाप्ति तक	सिंचाई क्षमता का सृजन (हजार हैक्टैयर में) वर्ष 1997–98 के दौरान	सिंचाई क्षमता का सृजन (हजार हैक्टैयर में) वर्ष 1998–99 के समाप्ति
वृहद परियोजनाएं							
1.	बाण सागर (अंतर्राज्यीय परियोजना)	180.00	57.96	3.50	–	–	–
मध्यम परियोजनाएं							
1.	बटाने	10.00	30.18	0.72	6.38	–	–
2.	बिलासी	6.50	13.19	4.25	–	–	4.00
3.	काटरी	13.00	26.55	6.40	–	–	4.97
4.	ओरनी	13.50	33.49	5.83	5.50	–	4.10
5.	सकरीगली	1.50	9.39	1.41	–	2.60	–
6.	सुरंगी	14.00	13.21	1.71	–	–	–
7.	तोराई	46.00	20.42	1.66	–	–	–

पूर्वाह्न 11.11 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 12.15 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 12.19 बजे

लोक सभा अपराह्न 12.19 बजे पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

(व्यवधान)

अपराह्न 12.20 बजे

इस समय श्री शैलेन्द्र कुमार, डा. शफीकुर्रहमान बर्क और कुछ माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

अपराह्न 12.20½ बजे

इस समय श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी और प्रो. जोगेन्द्र कवाडे आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खडे हो गए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर जाइए। मैं आपकी बात सुनूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों की बात सुनूंगा। कृपया अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुनूंगा। आप अपनी सीट पर जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर जाइए। मैं आपकी बात सुनूंगा।

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुनूंगा, आप अपनी सीट पर जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.23 बजे

(तत्पश्चात् लोकसभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

अपराह्न 2.01 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.01 बजे पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

अपराह्न 2.02 बजे

इस समय श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट फर्श पर खडे हो गए।

(व्यवधान)

अपराह्न 2.03 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

(एक) वायुयान अधिनियम, 1934 के अंतर्गत अधिसूचना

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 12क के अंतर्गत वायुयान (पहला संशोधन) नियम, 1998 जो 12 सितम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 182 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पणी।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2148/98]

(दो) सेंटर फार दि डेवलपमेंट आफ ग्लास इंडस्ट्री, फिरोजाबाद का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे और सरकार द्वारा उसके कार्यकरण की समीक्षा

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) (एक) सेंटर फार दि डेवलपमेंट ऑफ ग्लास इंडस्ट्री, फिरोजाबाद के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फार दि डेवलपमेंट ऑफ ग्लास इंडस्ट्री, फिरोजाबाद के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2149/98]

(2) (एक) खाड़ी और ग्रामोद्योग आयोग, अधिनियम, 1956 की धारा 23 की उपधारा (3) के अंतर्गत खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2150/98]

(3) (एक) खाड़ी और ग्रामोद्योग आयोग, अधिनियम, 1956 की धारा 24 की उपधारा (4) के अंतर्गत खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई के वर्ष 1997–98 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2151/98]

(तीन) एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे और सरकार द्वारा उसके कार्यकरण की समीक्षा आदि।

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): महोदय मैं, श्री रामकृष्ण हेगड़े की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(क) (एक) एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा–परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2152/98]

(ख) (एक) इंड़िया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2153/98]

(2) (एक) इंडियन इन्स्ट्रीटयूट आफ पैकेजिंग, मुम्बई के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इन्स्ट्रीटयूट आफ पैकेजिंग, मुम्बई के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2154/98]

(चार) नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे और सरकार द्वारा उसके कार्यकरण की समीक्षा आदि।

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : महोदय मैं श्री राम जेठमलानी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(क) (एक) नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रकशन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रकशन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा–परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2155/98]

(ख) (एक) हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1997–98 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा–परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2156/98]

(पांच) नेशनल काउंसिल फार प्रमोशन आफ उर्दू लैग्युएज, नई दिल्ली का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे और सरकार द्वारा उसके कार्यकरण की समीक्षा आदि।

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : अध्यक्ष महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) (एक) नेशनल काउंसिल फार प्रमोशन आफ उर्दू लैंग्युएज, नई दिल्ली के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल फार प्रमोशन आफ उर्दू लैंग्युएज, नई दिल्ली के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2157/98]

(3) (एक) नेशनल काउंसिल फार प्रमोशन आफ उर्दू लैंग्युएज, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल फार प्रमोशन आफ उर्दू लैंग्युएज, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2158/98]

(4) (एक) रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, तिरूचिरापल्ली के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, तिरूचिरापल्ली के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2159/98]

(5) (एक) नेशनल काउंसिल आफ एजूकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल आफ एजूकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2160/98]

[अनुवाद]

(छह) रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन, नई दिल्ली का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और सरकार द्वारा उसके कार्यकरण की समीक्षा।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : महोदय मैं श्री पी. आर. कुमारमंगलम की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ;

(दो) रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2161/98]

(सात) रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकॉनोमिक सर्विस लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा सरकार द्वारा कार्यकरण की समीक्षा।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : महोदय, मैं श्री नीतीश कुमार की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(क) (एक) रेल इंडिया टैक्नोलॉजी एंड इक्नोमिक सर्विस लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रेल इंडिया टैक्नोलॉजी एंड इक्नोमिक सर्विस लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1997–98 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2162/98]

(ख) (एक) इरकोन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इरकोन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1997–98 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2163/98]

(ग) (एक) कंटेनर कारपोरेशन आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कंटेनर कारपोरेशन आफ इंडिया, नई दिल्ली का वर्ष 1997–98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2164/98]

(घ) (एक) भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1997–98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2165/98]

(आठ) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा सरकार द्वारा उसके कार्यकरण की समीक्षा आदि।

इस्पात और खान मंत्री (श्री नवीन पटनायक) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(क) (एक) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सट्रेक्शन लिमिटेड कलकत्ता के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सट्रेक्शन लिमिटेड कलकत्ता का वर्ष 1997–98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2166/98]

(नौ) जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग)अधिनियम, 1987 के अंतर्गत अधिसूचनाएं

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का. आ. 1076 (अ) जो 15 दिसम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा यह निदेश दिया गया है कि उसमें उल्लिखित वस्तुए 15 दिसम्बर, 1998 से ऐसे न्यूनतम प्रतिशत में जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट है आपूर्ति तथा वितरण के लिए जूट पैकेज सामग्री में पैक की जाएगी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2167/98]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) काटन कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड मुम्बई के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) काटन कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1997–98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2168/98]

(3) (एक) परिधान निर्यात संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) परिधान निर्यात संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2169/98]

(4) (एक) केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2170/98]

(दस) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत अधिसूचनाएं

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): महोदय, मैं श्री यशवंत सिन्हा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) सीमा शुल्क अधिनियम अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) सा.का.नि. 384(अ) जो 10 जुलाई, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 2 जून, 1998 की अधिसूचना संख्या 23/98–सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 390(अ) जो 16 जुलाई, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 जून, 1998 की अधिसूचना संख्या 23/98–सी. शु. में संशोधन किए गए हैं।

का.नि. 419(अ) जो 1 अगस्त, 1998 के भारत के त्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें विभिन्न वस्तुओं पर विशेष अतिरिक्त शुल्क की प्रभावी दरों को शामिल किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 420(अ) जो 1 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भारत में आयातित साधारणतः पेट्रोल के रूप में जाना जाने वाले मोटर स्प्रिट को उस पर उद्ग्रहणीय इतने अधिक अतिरिक्त शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 421(अ) जो 1 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उसमें उल्लिखित कतिपय अधिसूचनाओं को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 566(अ) जो 8 सितम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कतिपय शर्तों के अध्यधीन लीनियर अल्कायल बेंजीन के निर्माता द्वारा एन. पैराफिन के निकर्षण हेतु आयातित मिटटी के तेल पर उद्ग्रहणीय सीमा शुल्क से पूर्ण छूट दी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 567(अ) जो 8 दिसम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 जून, 1998 की अधिसूचना संख्या 23/98–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 592(अ) जो 25 सितम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 जून, 1998 की अधिसूचना संख्या 23/98– सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 604(अ) जो 8 अक्तूबर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कैल्शियम कारबाईड पर अनन्तिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है जब यह चीन और रोमानिया में उद्भूत हुई हो अथवा वहां से निर्यात की गई हो, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 607(अ) जो 9 अक्तूबर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 जून, 1998 की अधिसूचना संख्या 23/98–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 608(अ) जो 9 अक्तूबत, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कारबन ब्लैक के सारे आयातों पर 28 फरवरी, 1999 तक 10 प्रतिशत की दर से रक्षोपाय शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 625(अ) जो 16 अक्तूबर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 जून, 1998 की अधिसूचना संख्या 23/98–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 652(अ) जो 2 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दालों पर उद्ग्रहणीय मूल सीमा शुल्क से पूर्ण छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 659(अ) जो 6 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 जून, 1998 की अधिसूचना संख्या 23/98–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा.का.नि. 661(अ) जो 9 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 जून, 1998 की अधिसूचना संख्या 23/98–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि. 363(अ) जो 29 जून, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 जून, 1998 की अधिसूचना संख्या 23/98–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि. 364(अ) जो 29 जून, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1997 की अधिसूचना संख्या 12/97–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा.का.नि. 365(अ) जो 29 जून, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 जून, 1998 की अधिसूचना संख्या 34/98–सी. शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा.का.नि. 343(अ) जो 13 जून, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 2.6. 1998 की अधिसूचना संख्या 29/98–सी. शु. का अधिक्रमण करना है तथा साथ ही विनिर्दिष्ट निर्यात संवर्धन योजना के अंतर्गत आयातित माल पर विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा.का.नि. 344(अ) जो 13 जून, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क की यथा मूल्य 8 प्रतिशत की सामान्य प्रभावी दर को कम करके यथा मूल्य 4 प्रतिशत करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2171/98]

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपध ारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) : –

(एक) सा.का.नि. 355(अ) जो 24 जून, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 जून, 1998 की अधिसूचना संख्या 05/98–के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 422(अ) जो 1 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 जून, 1998 की अधिसूचना संख्या 05/98–के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 423(अ) जो 1 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उसमें उल्लिखित कतिपय अधिसूचनाओं को विखंडित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 424(अ) जो 1 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की अनुसूची के अध्याय 48 के अंतर्गत वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए अखबारी कागज को परिभाषित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 664(अ) जो 10 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 जून, 1998 की अधिसूचना संख्या 05/98–के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 555(अ) जो 3 सितम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1998 की अधिसूचना संख्या 9/96– के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 493(अ) जो 12 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो किसी शत–प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाई अथवा फ्रीट्रेड जोन अथवा इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर टैकनोलोजी पार्क अथवा साफ्टवेयर टेकनालोजी पार्क इकाई में उत्पादित अथवा विनिर्मित सभी प्रकार के माल के जिसे घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बेचने की अनुमति है पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 568(अ) जो 8 सितम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 जून, 1998 की अधिसूचना संख्या 05/98–के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 587(अ) जो 21 सितम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 जून, 1998 की अधिसूचना संख्या 05/98– के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2172/98]

(3) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) : –

(एक) सा.का.नि. 359(अ) जो 26 जून, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणतंत्र से भारत में आयात किए जाने वाले आइसोबुटाइल बेन्जीन पर 12,465 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से पाटनरोधी शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 360(अ) जो 26 जून, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 31 अगस्त, 1998 की अधिसूचना संख्या 134/95– के.उ.शु. को विखंडित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 371(अ) जो 30 जून, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मलेशिया, कोरिया गणराज्य, ताइवान और जापान के आयात किए जाने वाले पालिस्टीरीन पर अनन्तिम पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 408(अ) जो 24 जुलाई, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भारत में आयात किए जाने वाले और जापान और चीन में उद्भूत अथवा वहां से निर्यात किए जाने वाले विटामिन सी पर अभिहीत प्राधिकारी द्वारा संस्तुत विनिर्दिष्ट दरों पर अंतिम पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 644(अ) जो 27 अक्तूबर, 1998 के भारत राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यात किये जाने वाले और भारत में आयात किए जाने वाले धात्विक कोक पर पाटन– रोधी शुल्क अधिरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 645(अ) जो 27 अक्तूबर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 6 मई, 1998 की अधिसूचना संख्या 22/98– सी.शु. को विखंडित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2173/98]

(4) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 93 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 624(अ) जो 16 अक्तूबर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो किसी कार्यरत चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सचिव अथवा कास्ट अकाउंटेंट द्वारा अपनी व्यावसायिक हैसियत के माध्यम से उल्लिखित कतिपय सेवाओं को छोड़कर कर योग्य सेवाएं अपने मुवक्किलों को दिये जाने पर उस पर संपूर्ण सेवा कर से छूट दिये जाने के बारे में है की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2174/98]

(5) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 29 की उपधारा (3) के अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति) नियम, 1998 जो 29 जुलाई, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 642(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा तत्संबंधी शुद्धि पत्र जो 15 दिसम्बर, 1998 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1073(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2175/98]

(6) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 49 की उपधारा (3) के अंतर्गत जीवन बीमा (संशोधन) विनियम, 1998 जो 9 मई, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. 81 (1)/आईएनएस–दो/97 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा तत्संबंधी शुद्धि–पत्र जो 12 दिसम्बर, 1998 की अधिसूचना संख्या एफ. सं. 81(1)/आईएनएस–दो/97 में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2176/98]

(7) 31 मार्च, 1998 को समाप्त हुए वर्ष के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन :–

(एक) बस्ती ग्रामीण बैंक, बस्ती (उत्तर प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2177/98]

(दो) का बैंक नोंगक्यांडोंग री खासी, जयन्तियां शिलांग (मेघालय)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2178/98]

(तीन) अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, पासीघाट (अरुणाचल प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2179/98]

(चार) श्री विशाखा ग्रामीण बैंक, श्री काकुलम (आंध्र प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2180/98]

(पांच) बलिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बलिया (उत्तर प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2181/98]

(छह) मिजोरम ग्रामीण बैंक, आइजोल (मिजोरम)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2182/98]

(सात) गौड़ ग्रामीण बैंक, मालदा (पश्चिम बंगाल)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2183/98]

(आठ) औरंगाबाद जालना ग्रामीण बैंक, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2184/98]

(नौ) मल्लाभूम ग्रामीण बैंक, बांकुरा (पश्चिम बंगाल)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2185/98]

(दस) मणिपुर ग्रामीण बैंक, इम्फाल (मणिपुर)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2186/98]

(ग्यारह) नाडिया ग्रामीण बैंक, कृष्ण नगर (पश्चिम बंगाल)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2187/98]

(बारह) सुबनसिरी गौंलिया बैंक, उत्तरी लखीमपुर (असम)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2188/98]

(तेरह) कछार ग्रामीण बैंक, सिल्चर (असम)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2189/98]

(चौदह) गिरीडीह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गिरीडीह (बिहार)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2190/98]

(पंद्रह) चन्द्रपुर गडचिरौली ग्रामीण बैंक, चन्द्रपुर (महाराष्ट्र)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2191/98]

(सोलह) निमाड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, खरगौन (मध्य प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2192/98]

(सत्रह) भंडारा ग्रामीण बैंक, भंडारा (महाराष्ट्र)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2193/98]

(अठारह) देवास शाजापुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, देवास (मध्य प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2194/98]

(उन्नीस) रत्नागिरी सिन्धुदुर्ग ग्रामीण बैंक, रत्नागिरी (महाराष्ट्र)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2195/98]

(बीस) राजगढ़ सिहोर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सिहोर (मध्य प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2196/98]

(इक्कीस) इंदौर उज्जैन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उज्जैन (मध्य प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2197/98]

(बाईस) बाराबंकी ग्रामीण बैंक, बाराबंकी (उत्तर प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2198/98]

(तेईस) सोलापुर ग्रामीण बैंक, सोलापुर (महाराष्ट्र)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2199/98]

(चौबीस) सिंहभूम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, चाईबासा (बिहार)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2200/98]

(पच्चीस) अवध ग्रामीण बैंक, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2201/98]

(छब्बीस) बैतरणी ग्राम्य बैंक, बारीपदा (उड़ीसा)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2202/98]

(सत्ताईस) फर्रुखबाद ग्रामीण बैंक, फर्रुखबाद (उत्तर प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2203/98]

(अट्ठाईस) जम्मू ग्रामीण बैंक, जम्मू (जम्मू कश्मीर)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2204/98]

(उनतीस) बेगूसराय क्षेत्रीय ग्रामीणस बैंक, बेगूसराय (बिहार)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2205/98]

(तीस) हावड़ा ग्रामीण बैंक, हावडा (पश्चिम बंगाल)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2206/98]

(इकतीस) भागलपुर बांका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भागलपुर (बिहार)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2207/98]

(बत्तीस) बालासोर ग्राम्य बैंक, बालासोर (उड़ीसा)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2208/98]

(तैंतीस) महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नरसिंहपुर (मध्य प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2209/98]

(चौंतीस) थार आंचलिक ग्रामीण बैंक, जोधपुर (राजस्थान)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2210/98]

(पैंतीस) बर्धमान ग्रामीण बैंक, बर्धवान (पश्चिम बंगाल)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2211/98]

(छत्तीस) मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुंगेर (बिहार)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2212/98]

(सैंतीस) जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक, जयपुर (राजस्थान)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2213/98]

(अड़तीस) कटक ग्राम्य बैंक, कटक (उड़ीसा)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2214/98]

(उनतालीस) दुर्ग राजनंदगांव ग्रामीण बैंक, राजनंदगांव (मध्य प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2215/98]

(चालीस) कच्छ ग्रामीण बैंक, भूज (गुजरात)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2216/98]

(इकतालीस) बनासकांठा मेहसाना ग्रामीण बैंक, पाटन (गुजरात)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2217/98]

(बयालीस) साबरकांठा गांधी नगर ग्रामीण बैंक, हिम्मत नगर (गुजरात)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2218/98]

(तैंतालीस) गोलकुण्डा ग्रामीण बैंक, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2219/98]

(चव्वालीस) श्री सतवाहन ग्रामीण बैंक, करीम नगर (आंध्र प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2220/98]

[illegible] ग्रामीण बैंक, निजामाबाद (आंध्र प्रदेश)

[illegible] न रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2221/98]

(छियालीस) श्री सरस्वती ग्रामीण बैंक, अदिलाबाद (आंध्र प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2222/98]

(सैंतालीस) चैतन्य ग्रामीण बैंक, तैनाली (आंध्र प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2223/98]

(अड़तालीस) रुसीकुल्य ग्राम्य बैंक, बेहरामपुर (उड़ीसा)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2224/98]

(उनचास) गोदावरी ग्रामीण बैंक, राजामुन्द्री (आंध्र प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2225/98]

(पचास) गोपालगंज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गोपालगंज (बिहार)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2226/98]

(इक्यावन) रतलाम मंदसौर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मंदसौर (मध्य प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2227/98]

(बावन) ग्वालियर दतिया ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक, दतिया (मध्य प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2228/98]

(तिरेपन) यावतमल ग्रामीण बैंक, यावतमल (महाराष्ट्र)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2229/98]

(चौवन) सरगूजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अंबिकापुर (मध्य प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2230/98]

(पचपन) सारन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छपरा (बिहार)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2231/98]

(छप्पन) बुलढाना ग्रामीण बैंक बुलढाना (महाराष्ट्र)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2232/98]

(सत्तावन) शहडोल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शहडोल (मध्य प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2233/98]

(अठावन) सिवान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सिवान (बिहार)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2234/98]

(उनसठ) हदोती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कोटा (राजस्थान)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2235/98]

(साठ) अकोला ग्रामीण बैंक, अकोला (महाराष्ट्र)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2236/98]

(इकसठ) चम्बल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मोरेना (मध्य प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2237/98]

(बासठ) मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मधुबनी (बिहार)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2238/98]

(तिरेसठ) मांडला बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मांडला (मध्य प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2239/98]

(चौंसठ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, होशगाबाद (मध्य प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2240/98]

(पैंसठ) छिंदवाडा सिओनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छिंदवाडा (मध्य प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2241/98]

(छियासठ) मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दरभंगा (बिहार)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2242/98]

(सड़सठ) इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इटावा (उत्तर प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2243/98]

(अड़सठ) वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर (बिहार)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2244/98]

(उनहत्तर) कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पूर्णिया (बिहार)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2245/98]

(सत्तर) लांघपी देहांगी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दिफू (असम)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2246/98]

(इकहत्तर) अलखनंदा ग्रामीण बैंक, पौड़ी गढवाल (उत्तर प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2247/98]

(बहत्तर) समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, समस्तीपुर (बिहार)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2248/98]

(तिहत्तर) गंगा यमुना ग्रामीण बैंक, देहरादून (उत्तर प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2249/98]

(चौहत्तर) रायगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रायगढ़ (मध्य प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2250/98]

(पचहत्तर) नागार्जुन ग्रामीण बैंक, खम्माम (आंध्र प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2251/98]

(छिहत्तर) कोरापुट पंचवटी ग्राम्य बैंक, जयपोर (उड़ीसा)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2252/98]

(सतहत्तर) बिलासपुर रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बिलासपुर (मध्य प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2253/98]

(अठहत्तर) दमोह पन्ना सागर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दमोह (मध्य प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2254/98]

(उन्यासी) शिवपुरी गुणा ग्रामीण बैंक, शिवपुरी (मध्य प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2255/98]

(अस्सी) कृष्णा ग्रामीण बैंक, गुलबर्ग (कर्नाटक)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2256/98]

(इक्यासी) कालाहांडी आंचलिक ग्राम्य बैंक, भवानीपटन (उड़ीसा)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2257/98]

(बियासी) संगमेश्वर ग्रामीण [illegible]क, महबूब नगर (आंध्र प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2258/98]

(तिरासी) पर्वतीय ग्रामीण बैंक, चम्बा (हिमाचल प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2259/98]

(चौरासी) बोलांगीर आंचलिक ग्राम्य बैंक, बोलांगीर (उड़ीसा)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2260/98]

(पचासी) गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2261/98]

(छियासी) बुन्देलखंड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, टीकमगढ़ (मध्य प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2262/98]

(सतासी) बस्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जगदलपुर (मध्य प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2263/98]

(अट्ठासी) संथाल परगना ग्रामीण बैंक, दुमका (बिहार)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2264/98]

(नवासी) ककठिया ग्रामीण बैंक, हनामकोंडा (आंध्र प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2265/98]

(नब्बे) पलामू क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, डालटनगंज (बिहार)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2266/98]

(इक्यानवे) मंजीरा ग्रामीण बैंक, संगारेड्डी (आंध्र प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2267/98]

(बानवे) नागालैंड ग्रामीण बैंक, कोहिमा (नागालैंड)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2268/98]

(8) सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत सिक्का निर्माण (मानक वजन और गुणवत्ता के अन्तर की सीमा से युक्त सिक्के) एक सौ रुपये (जिसमें पचास प्रतिशत चांदी, चालीस प्रतिशत तांबा, पांच प्रतिशत निकल और पांच प्रतिशत जिंक सम्मिलित है) पचास रुपये, दस रुपये और दो रुपये (जिसमें 75 प्रतिशत तांबा और 25 प्रतिशत निकल सम्मिलित है) तथा जिन्हें "श्री अरविन्द" स्मृति नियम, 1998 की स्मृति में निर्मित किया गया है, नियम 1998 जो 20

नवंबर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 696(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2269/98]

(9) (एक) इंडियन इंवेस्टमेंट सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंवेस्टमेंट सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2270/98]

(10) (एक) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 18 और 23 की उपधारा 5 के अंतर्गत भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, मुम्बई के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2271/98]

(11) (एक) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 की धारा 30 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक, लखनऊ के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक, लखनऊ के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2272/98]

(ग्यारह) इंडियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे और सरकार द्वारा समीक्षा आदि।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिल मलाई) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) (एक) इंडियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2273/98]

(2) (एक) गुजरात कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, अहमदाबाद के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गुजरात कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, अहमदाबाद के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2274/98]

(बारह) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा सरकार द्वारा उसके कार्यकरण की समीक्षा।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) : –

(क) (एक) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1997–98 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2275/98]

(ख) (एक) नेशनल बाईसकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 1997–98 के वार्षिक कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल बाईसकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 1997–98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2276/98]

(ग) (एक) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची का वर्ष 1997–98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2277/98]

(घ) (एक) साइकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1997–98 के वार्षिक कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) साइकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1997–98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा–परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2278/98]

(ङ) (एक) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 1997–98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2279/98]

(च) (एक) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 1997– 98 के वार्षिक कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 1997– 98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2280/98]

(छ) (एक) साम्भर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 1997– 98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) साम्भर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 1997– 98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2281/98]

(ज) (एक) टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1997–98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2282/98]

(झ) (एक) प्रागा टूल्स लिमिटेड, सिकन्दराबाद के वर्ष 1996– 97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) प्रागा टूल्स लिमिटेड, सिकन्दराबाद का वर्ष 1997–98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2283/98]

(ञ) (एक) माइनिंग एंड एलाईड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) माइनिंग एंड एलाईड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर का वर्ष 1997–98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) के (1) में उल्लिखित पत्र को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2284/98]

(तेरह) दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए विभिन्न आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए विभिन्न आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

दसवीं लोक सभा

1. विवरण संख्या 38, तीसरा सत्र, 1992

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2285/98]

2. विवरण संख्या 35, चौथा सत्र, 1992

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2286/98]

3. विवरण संख्या 25, नौवां सत्र, 1994

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2287/98]

4. विवरण संख्या 21, ग्यारहवां सत्र, 1994

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2288/98]

5. विवरण संख्या 19, बारहवां सत्र, 1994

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2289/98]

6. विवरण संख्या 17, तेरहवां सत्र, 1995

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2290/98]

7. विवरण संख्या 14, चौदहवां सत्र, 1995

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2291/98]

8. विवरण संख्या 12, पन्द्रहवां सत्र, 1995

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2292/98]

ग्यारवीं लोक सभा

9. विवरण संख्या 9, दूसरा सत्र, 1996

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2293/98]

तीसरा सत्र, 1996

ग्री गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2294/98]

11. विवरण सख्या 7, चौथा सत्र, 1997

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2295/98]

12. विवरण संख्या 5, पांचवां सत्र, 1997

ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2296/98]

छठा सत्र, 1997

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2297/98]

बारहवीं लोक सभा

14. विवरण संख्या 3, पहला सत्र, 1998

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2298/98]

15. विवरण संख्या 3, दूसरा सत्र, 1998

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2299/98]

(2) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) : –

(क) (एक) इंडियन रिन्यूऐवल एनर्जी डवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन रिन्यूऐवल एनर्जी डवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड का वर्ष 1997–98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2300/98]

(3) (एक) क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्र, कलकत्ता के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्र, कलकत्ता के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2301/98]

(4) इंडियन रिन्युएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड और अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के बीच वर्ष 1998–99 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2302/98]

(5) (एक) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2302क/98]

[हिन्दी]

(चौदह) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अंतर्गत अधिसूचनाएं आदि

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): महोदय, मैं डा. देवेन्द्र प्रधान की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) सा.का.नि. 354(अ) जो 23 जून, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा जवाहर लाल नेहरू पत्तन कर्मचारी (सेवा निवृत्ति) पहला संशोधन विनियम, 1998 का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा.का.नि. 357(अ) जो 25 जून, 1998 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (अंशदायी भविष्य निधि) विनियम, 1998 का अनुमोदन किया गया है।

(तीन) सा.का.नि. 366(अ) जो 29 जून, 1998 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा तूतीकोरिन पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) संशोधन विनियम, 1998 का अनुमोदन किया गया है।

(चार) सा.का.नि. 387(अ) जो 14 जुलाई, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मार्मुगाओ पत्तन न्यास कर्मचारी (छुटटी यात्रा रियायत) संशोधन विनियम, 1998 का अनुमोदन किया गया है।

(पांच) सा.का.नि. 470(अ) जो 19 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मार्मुगाओ पत्तन कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 1997 का अनुमोदन किया गया है।

(छह) सा.का.नि. 520(अ) जो 24 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विशाखापत्तनम पत्तन न्यास कर्मचारी (आवास आबंटन) विनियम, 1998 का अनुमोदन किया गया है।

(सात) सा.का.नि. 556(अ) जो 3 सितम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मार्मुगाओ पत्तन न्यास कर्मचारी (कल्याण निधि) संशोधन विनियम, 1998 का अनुमोदन किया गया है।

(आठ) सा.का.नि. 589(अ) जो 22 सितम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा तूतीकोरिन पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 1998 का अनुमोदन किया गया है।

(नौ) सा.का.नि. 658(अ) जो 5 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 1998 का अनुमोदन किया गया है।

(दस) सा.का.नि. 640(अ) जो 6 अक्तूबर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोची पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 1998 का अनुमोदन किया गया है।

(ग्यारह) सा.का.नि. 655(अ) जो 19 नवम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विशाखापत्तनम पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवा निवृति के बाद अंशदायी बाह्य तथा अंतरंग चिकित्सा लाभ) संशोधन विनियम, 1997 का अनुमोदन किया गया है।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2303/98]

(2) (एक) मारमुगांव पत्तन न्यास, गोवा के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मारमुगांव पत्तन न्यास, गोवा के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2304/98]

(3) (एक) मुम्बई पत्तन न्यास, मुम्बई के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मुम्बई पत्तन न्यास, मुम्बई के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2305/98]*

(4) (एक) कांडला पत्तन न्यास, के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कांडला पत्तन न्यास, के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2306/98]

(5) (एक) सीमेन्स प्रोविडेन्ट फंड आर्गेनाइजेशन (नाविक भविष्य निधि), मुम्बई के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सीमेन्स प्रोविडेन्ट फंड आर्गेनाइजेशन (नाविक भविष्य निधि), मुम्बई के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2307/98]

(6) (एक) मद्रास डॉक लेबर बोर्ड, चेन्नई के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मद्रास डॉक लेबर बोर्ड, चेन्नई के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2308/98]

(7) (एक) कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड, कलकत्ता के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2309/98]

(8) (एक) विशाखापत्तनम डॉक लेबर बोर्ड, विशाखापत्तनम के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

खापत्तनम डॉक लेबर बोर्ड विशाखापत्तनम के वर्ष –98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2310/98]

(9) (एक) मारमुगांव डॉक लेबर बोर्ड के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मारमुगांव डॉक लेबर बोर्ड के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2311/98]

(10) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(क) (एक) शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया, मुम्बई के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया, मुम्बई का वर्ष 1997–98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षित की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2312/98]

(ख) (एक) हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1997–98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षित की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2313/98]

(11) (एक) चेन्नई पत्तन न्यास के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) चेन्नई पत्तन न्यास के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2314/98]

(13) (एक) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2315/98]

(14) (एक) तूतीकोरिन पत्तन न्यास के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) तूतीकोरिन पत्तन न्यास के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2316/98]

(15) (एक) न्यू मंगलौर पत्तन न्यास, मंगलौर के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) न्यू मंगलौर पत्तन न्यास, मंगलौर के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2317/98]

(16) (एक) कलकत्ता पत्तन न्यास, कलकत्ता के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कलकत्ता पत्तन न्यास, कलकत्ता के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2318/98]

(17) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(क) (एक) कांडला पत्तन न्यास के वर्ष 1997–98 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) कांडला पत्तन न्यास के वर्ष 1997–98 के लेखा परीक्षा लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2319/98]

(ख) (एक) कोचीन पत्तन न्यास के वर्ष 1997–98 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा लेखे।

(दो) कोचीन पत्तन न्यास के वर्ष 1997–98 के वार्षिक लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2320/98]

(ग) (एक) मार्मुगाओ पत्तन न्यास के वर्ष 1997–98 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा लेखे।

(दो) मार्मुगाओ पत्तन न्यास के वर्ष 1997–98 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2321/98]

(घ) (एक) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के वर्ष 1997–98 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के वर्ष 1997–98 के वार्षिक लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2322/98]

(ङ) (एक) न्यू मंगलौर पत्तन न्यास के वर्ष 1997–98 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) न्यू मंगलौर पत्तन न्यास के वर्ष 1997–98 के वार्षिक लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2323/98]

(च) (एक) मद्रास पत्तन न्यास के वर्ष 1996–97 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) मद्रास पत्तन न्यास के वर्ष 1996–97 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

(18) उपर्युक्त मद (17) के (च) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।–

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2324/98]

(19) (एक) जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2325/98]

(पन्द्रह) सेन्टर फार डेवलपमेंट आफ टेलीमेटिक्स, नई दिल्ली का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा सरकार द्वारा कार्यकरण की समीक्षा, आदि।

[अनुवाद]

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) (एक) सेंटर फार डेवलपमेंट आफ टेलीमेटिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 1992–93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फार डेवलपमेंट आफ टेलीमेटिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 1992–93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2326/98]

(3) (एक) सेंटर फार डेवलपमेंट आफ टेलीमेटिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फार डेवलपमेंट आफ टेलीमेटिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2327/98]

(5) (एक) सेंटर फार डेवलपमेंट आफ टेलीमेटिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 1994–95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फार डेवलपमेंट आफ टेलीमेटिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2328/98]

(7) (एक) सेंटर फार डेवलपमेंट आफ टेलीमेटिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 1995–96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फार डेवलपमेंट आफ टेलीमेटिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 1995–96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2329/98]

(9) भारतीय तार अधिनियम, 1985 की धारा 7 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारतीय तार (दूसरा संशोधन) नियम, 1998 जो 12 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 494(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2330/98]

(10) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) एचटीएल लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एचटीएल लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 1997–98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2331/98]

[हिन्दी]

(सोलह) मार्डन फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा सरकार द्वारा समीक्षा, आदि।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): अध्यक्ष महोदय, मैं श्री सोमपाल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(क) (एक) मार्डन फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) मार्डन फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2332/98]

(ख) (एक) वाटर एंड पावर कन्सलटेंसी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) वाटर एंड पावर कन्सलटेंसी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1997–98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2333/98]

(ग) (एक) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1997–98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2334/98]

(घ) (एक) नार्थ–ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नार्थ–ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 1997–98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2335/98]

(ङ) (एक) लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड, अगांटी के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड, अगांटी का वर्ष 1996–97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त मद संख्या (1) के (ङ) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2336/98]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(क) केरल भूमि विकास निगम लिमिटेड, तिरूवनन्तपुरम के वर्ष 1991–92 से 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(ख) (एक) केरल भूमि विकास निगम लिमिटेड, तिरूवनन्तपुरम के वर्ष 1991–92 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2337/98]

(दो) केरल भूमि विकास निगम लिमिटेड, तिरूवनन्तपुरम के वर्ष 1992–93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2338/98]

(तीन) केरल भूमि विकास निगम लिमिटेड, तिरूवनन्तपुरम का वर्ष 1993–94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2339/98]

(चार) केरल भूमि विकास निगम लिमिटेड, तिरूवनन्तपुरम का वर्ष 1994–95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2340/98]

(ग) आंध्र प्रदेश राज्य सिंचाई विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1992–93 से 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(घ) (एक) आंध्र प्रदेश राज्य सिंचाई विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1992–93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा–परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2341/98]

(दो) आंध्र प्रदेश राज्य सिंचाई विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1993–94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2342/98]

(तीन) आंध्र प्रदेश राज्य सिंचाई विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1993–94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा–परीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2343/98]

(5) (एक) नेशनल कोआपरेटिव यूनियन आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल कोआपरेटिव यूनियन आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 का वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल कोआपरेटिव यूनियन आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2344/98]

(6) (एक) नेशनल कोआपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1997–96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल कोआपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1997–98 का

वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल कोआपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डवलपमेंट बैंक्स फ्रेडरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1997–98 कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2345/98]

(7) (एक) नेशनल काउंसिल फार कोआपरेटिव ट्रेनिंग आफ नेशनल कोआपरेटिव यूनियन आफ इंडिया, नई दिल्ली वार्षिक के वर्ष 1997–98 के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल फार कोआपरेटिव ट्रेनिंग आफ नेशनल कोआपरेटिव यूनियन आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 का वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

ल काउंसिल फार कोआपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली ... वर्ष 1997–98 कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय मे रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2346/98]

(8) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 508(अ) जो 16 जून, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा यूरिया, जिंकेटेड यूरिया और एनहाइड्रास अमोनिया, की कीमत निर्धारित की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2347/98]

(9) राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड अधिनियम, 1983 की धारा 20 के अंतर्गत राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड (दूसरा संशोधन) नियम, 1998 जो 22 अक्तूबर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 634(अ) में प्रकाशित हुये थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड नियम, 1984 के संशोधन का संक्षिप्त विवरण।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2348/98]

(10) नर्मदा कंट्रोल अथोरिटी के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2349/98]

(11) (एक) बेतवा नदी बोर्ड, झांसी के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बेतवा नदी बोर्ड, झांसी के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2350/98]

(सत्रह) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के अंतर्गत अधिसूचनाएं

[अनुवाद]

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1998 जो 14 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 674(अ) मे प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1998 जो 13 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 675(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय वन सेवा (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1998 जो 13 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 676(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2351/98]

(2) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ ओशन टैक्नोलोजी, चेन्नई के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ ओशन टैक्नोलोजी, चेन्नई के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2352/98]

(3) (एक) इलैक्ट्रानिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर आफ इंडिया के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) इलैक्ट्रानिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर आफ इंडिया के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2353/98]

(4) (एक) नेशनल सेंटर फार सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, मुम्बई के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल सेंटर फार सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, मुम्बई के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2354/98]

(5) (एक) सोसाइटी फॉर इलैक्ट्रानिक्स टैस्ट इंजीनियरिंग, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) सोसाइटी फॉर इलैक्ट्रानिक्स टैस्ट इंजीनियरिंग, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** सख्या एल.टी. 2355/98]

अपराह्न 2.05 बजे

राज्य सभा से संदेश

और

राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक

[अनुवाद]

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है। 1. "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 22 दिसम्बर, 1998 को हुई अपनी बैठक में पारित पेटेण्ट (संशोधन) विधेयक की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

2. महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा 22 दिसम्बर, 1998 को पारित पेटेण्ट (संशोधन) विधेयक सभा पर रखता हूं।

(व्यवधान)

अपराह्न 2.06 बजे

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने अपने पहले प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के आगे दर्शायी गई अवधि के लिए अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की जाए।

1.	श्री उदयलाल आजना	27.5.98 से 10.6.98
2.	श्री अभयसिंह एस. भोंसले	27.5.98 से 12.6.98
3.	श्रीमती विजयराजे सिंधिया	23.3.98 से 31.3.98
		27.5.98 से 12.6.98
		3.7.98 से 22.7.98
4.	श्री रामकृष्ण बाबा पाटील	17.7.98 से 5.8.98
5.	श्री मोनी कुमार सुब्बा	21.7.98 से 6.8.98
6.	श्री उमर अब्दुल्ला	15.7.98 से 6.8.98
7.	श्रीमती मालती देवी	30.11.98 से 23.12.98

क्या सभा की सम्मति समिति द्वारा सिफारिश किए गए अवकाश को प्रदान करने की है।

(व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : हां।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति प्रदान की गई। सदस्यों को तदनुसार सूचन दे दी जाएगी।

(व्यवधान)

अपराह्न 2.06½ बजे

बिहार पुनर्गठन विधेयक *

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मद संख्या 25 अर्थात् बिहार पुनर्गठन विधेयक, 1998 पर विचार करेगी श्री लाल कृष्ण आडवाणी

(व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वर्तमान बिहार राज्य के पुनर्गठन और उससे संबंधित मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।.....*(व्यवधान)*

---

* भारत के राजपत्र असाधारण भाग–2 खंड–2 दिनांक 23.12.98 में प्रकाशित।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वर्तमान बिहार राज्य के पुनर्गठन और उससे संबंधित मामलों का उपबंध करने वाला विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय अब विधेयक को पुरःस्थापित करें।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित* करता हूं। .....*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.07 बजे

अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

चीनी का आयात

अध्यक्ष महोदय : सभा अब मद संख्या 24, अर्थात् सरकार द्वारा चीनी के लगातार आयात के कारण उत्पन्न स्थिति के संबंध में ध्यानाकर्षण पर विचार करेगी।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी ।

(व्यवधान)

डा. सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापत्तनम) : महोदय, मैं सरकार द्वारा आयातित चीनी पर लेवी लगाए बिना चीनी के लगातार आयात किए जाने के कारण उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की ओर खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं जिससे घरेलू उत्पादकों में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ...*(व्यवधान)*.. महोदय, मैं खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री की प्रतिक्रिया चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री रघुवंश प्रसाद सिंह, कृपया अपने स्थान पर वापस जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थानों पर वापस जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 3 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

---

* राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

अपराह्न 2.08 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 3.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 3.00 बजे पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया एक मिनट प्रतीक्षा कीजिए। अभी दो प्रतिवेदनों को प्रस्तुत किया जाना है। मैं आपको उसके तुरंत बाद बुलाऊंगा।

मद संख्या 20 श्री मनोरंजन भक्त – अनुपस्थित।

श्री प्रभात कुमार सामन्तराय – अनुपस्थित।

श्री बूटा सिंह (जालौर) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है.. .*(व्यवधान)*

अपराह्न 3.01 बजे

बिहार पुनर्गठन विधेयक के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री मुलायम सिंह यादव बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का सवाल है....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें उकसाइये मत।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, नियम 72 के अनुसार मैं आपके सामने निवेदन कर रहा हूं कि कोई भी जब बिल आता है तो माननीय सदस्य उस संबंध में बिल आने से पहले अपनी बात रखना चाहते हैं कि बिल पेश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस संबंध में नियमानुसार माननीय रघुवंश प्रसाद सिंह जी, बसुदेव आचार्य जी और माननीय अजित मेहता जी आदि कई माननीय सदस्यों द्वारा बोलने के लिए नियम 72 के अनुसार विरोध की सूचना पहले दे दी गई है लेकिन उनको सुना नहीं गया,

वनांचल के बारे में उनको नहीं सुना गया। उसके बाद जब सदन अव्यवस्थित था, नियम का विरोध यह हुआ कि परंपराओं को बिल्कुल खत्म किया गया। इस मनमाने तरीके से सदन नहीं चलता। आपका पूरा सम्मान रखते हुए, यहां सभी माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, चेयर भी नियम के अनुसार बनी हुई है और संसद हमारे देश की सारी विधान सभाओं का आदर्श है। अगर संसद के अंदर नियमों का उल्लंघन करके बिल पेश किए जाएंगे और विरोध नहीं सुना जाएगा, पूरा सदन अव्यवस्थित है तथा उसके बाद भी बिल पेश किया गया जिसके बारे में सच्चाई से कोई भी स्वीकार कर ले कि किसी ने सुना नहीं है तो हमारा निवेदन है कि आज का वनांचल बिल जो पेश किया गया है और किसी ने सुना नहीं है, वह नियम के विरुद्ध है। अगर उसे कार्रवाई में लिखा गया है और नियमों का उल्लंघन किया गया है तो लोक सभा की मर्यादा रखने के लिए आपसे निवेदन है कि वनांचल बिल पेश नहीं हुआ है, उसको अगर कार्रवाई में लिखा गया है तो यह देश के लोकतंत्र के खिलाफ होगा। यह लोकतंत्र के खिलाफ ही नहीं, संसद के सामने सबसे बड़ा अपराध होगा। इसलिए अगर वनांचल बिल को कार्रवाई में लिखा गया है तो उसे कार्रवाई से निकाला जाए, यह हमारी मांग है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हमने दस बजे से पहले ही अपना नोटिस दे दिया था। बिहार राज्य पुनर्गठन बिल का विरोध करने के लिए हम खडे हुए थे।...*(व्यवधान)* हम इंट्रोडक्शन का विरोध करने के लिए खड़े हुए थे लेकिन आपने हमें मौका नहीं दिया। हम इसका विरोध करने के लिए खडे हुए थे क्योंकि हम नहीं चाहते कि बिहार का विभाजन हो जाए। जो बिल बिहार विधान सभा में पारित नहीं हुआ बल्कि रिजेक्ट हो गया है। बिहार विधान सभा ने प्रस्ताव को रिजैक्ट कर दिया है। बिहार की जनता बिहार का विभाजन नहीं चाहती है। कल मीटिंग में हम लोगों को कहा गया था कि सरकार इसके ऊपर विचार करेगी और विचार करने के बाद ही संसद में बिल को लायेगी, लेकिन मंत्री महोदय ने प्रैस के सामने हाजिर होकर कहा कि कल ही हम बिल लेकर आयेंगे। हम लोगों को कहा गया कि विचार करेंगे, लेकिन तुरंत बाद प्रैस के सामने बयान दे दिया कि सरकार कल ही लोकसभा में बिल को लेकर आयेगी। क्या सरकार इस तरह से सदन को चलाना चाहती है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य मैंने श्री रघुवंश प्रसाद सिंह को बोलने का अवसर दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : तमाम विरोधी दल के नेताओं के सामने आश्वासन दिया। हमने यह सुझाव दिया था कि किसी भी बिल को जबरदस्ती नहीं लाइए, हम लोगों के साथ चर्चा करनी चाहिए। चर्चा नही की ओर बिल सदन में लेकर आए तथा हम लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया। जिस बिल को बिहार विधान सभा ने रिजैक्ट किया, उसके बावजूद यह बिल इन्ट्रोड्यूस हुआ, जो इरेग्युलर हुआ है। सदन का अपमान किया गया है। हम चाहते हैं कि सरकार इसे वापिस ले। यह हमारी मांग है।...*(व्यवधान)* आप उत्तर प्रदेश का विभाजन कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का विभाजन कर रहे हैं। उधमसिंह नगर के बारे में सवाल पैदा हुआ है। इस बारे में समिति की कोई रिपोर्ट नहीं आई है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

....*(व्यवधान)* *

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया।

....*(व्यवधान)* *

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, नियम 72 के अधीन मैंने भी आइटम नं. 25–बिहार पुनर्गठन विधेयक, 1988– का विरोध करने के लिए सूचना दी थी। कल हमने इस आधार पर इसका घोर विरोध किया कि बिहार विधान सभा ने इस विधेयक के विरोध मे अपनी राय दी है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक और मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक की सहमति दी है। बिहार पुनर्गठन विधेयक को बिहार विधान सभा ने खारिज कर दिया है। इसलिए सरकार ऐसा कोई कदम न उठाए जिससे वहां की जनता में आंदोलन हो जाए और उपद्रव हो जाए। संसद तथा केन्द्रीय सरकार को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए।

महोदय, आर्टिकल–3 में प्रावधान है, यदि केन्द्रीय सरकार किसी भी राज्य की सीमा का पुनर्गठन करना चाहती है, तो उसे राष्ट्रपति जी के पास प्रस्ताव भेजना चाहिए और फिर राष्ट्रपति महोदय विधान सभा से राय लेंगे। उस राय को विधान सभा ने नामंजूर किया, प्रस्ताव को रिजैक्ट किया है। इस स्थिति में यह विधेयक संविधान के विरुद्ध है, बिहार की जनता की राय के विरुद्ध है। इसीलिए जब आपकी अध्यक्षता में सभी पार्टियों की मीटिंग हुई, जिसमें मुझे भी बुलाया गया था, उसमें हम लोगों ने उसका प्रतिवाद किया, प्रोटैस्ट किया। कल यह जब सवाल रखा गया था, तो सरकार ने कहा था कि इस पर पुनर्विचार करेंगे। लेकिन चार बजे

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

ही खुराना जी ने प्रैस कान्फ्रेस करके यह कह दिया कि हम कल ही इस विधेयक को लायेंगे। इससे ऐसा लगा कि सरकार वचन भंग कर रही है और हमारे मेम्बर्स उत्तेजित हो गए। इसी कारण से हम वहां आए और हमने प्रतिवाद किया।

महोदय, यह सदन सर्वोपरि है और इसकी मर्यादा भी सर्वोपरि है। इसकी मर्यादा कायम करने में सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है, हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि सरकार कोई ऐसा काम न करे,..(*व्यवधान*) जिससे सदन की मर्यादा भंग हो।...(*व्यवधान*) कल सदन कोई विधेयक लाए.....(*व्यवधान*) सदन को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है और विपक्ष के सदस्यों की भी होती है लेकिन इस सरकार ने जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया।....(*व्यवधान*) इसलिए हम आखिर में आसन पर छोड़ते हैं।....(*व्यवधान*) आसन के, सदन के सम्मान की रक्षा होनी चाहिए.....(*व्यवधान*) अगर सरकार कोई गलत काम करती है तो उसका हम प्रतिवाद करेंगे। उस गलत काम में.....*

इसलिए हमारा यह कहना है कि आइटम नम्बर 21 और 22 मूव नहीं हुआ है। आइटम नम्बर 23 में कुमारी ममता जी को नहीं पकारा गया है, आइटम नम्बर 24 में एक विधेयक ध्यानाकर्षण श्री टी. सुब्बारामी रेड्डी का नाम नहीं पुकारा गया म्बर 25 कैसे हो गया? इसलिए हमें आशंका है कि यह अभा हुआ नहीं है, इस पर सफाई होनी चाहिए, लोग कहते है कि वनांचल विधेयक 'ले' हो गया तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि सदन की परंपरा को, आसन के सम्मान को, नियम कायदे को और बिहार की जन–आकांक्षाओं की रक्षा के लिए, कि बिहार जले नहीं, बिहार को जलने से बचाने के लिए इसे अस्वीकार किया जाए और आइटम नम्बर 25 को 'ले' किया हुआ न माना जाए, इसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। इससे बड़ा भारी जन–आंदोलन होगा। इस पर नियमन दिया जाए कि आइटम नंबर 21, 22 और 23 कैसे हो गया?

[अनुवाद]

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार की विधायी सक्षमता के आधार पर बिहार पुनर्गठन विधेयक की पुरःस्थापना का विरोध करता हूं। संविधान में एक विशेष प्रावधान है और उस प्रावधान के अनुसार राष्ट्रपति ने इस मामले को बिहार विधान सभा को सौंपा है और बिहार विधान सभा ने राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए इस मामले को अस्वीकृत कर दिया है। वह वर्तमान बिहार राज्य के बंटवारे के पक्ष में नहीं है। इस प्रकार यह संवैधानिक प्रावधान का स्पष्ट उल्लंघन है। मैं भी राज्यों के किसी भी प्रकार के बंटवारे के विरुद्ध हूं क्योंकि इससे कई प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न होती है। इसे भानुमती का पिटारा खुल जाएगा और कई कठिनाइयां उत्पन्न होगी और यदि हम ऐसा करते है तो देश में अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।.. (*व्यवधान*)

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप नोटिस भी दे रहे हैं और गड़बड़ी भी कर रहे हैं, हम क्या करेंगे।

...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री वारकला राधाकृष्णन : इसीलिए मैं सभा की विधायी सक्षमता के आधार पर इस विधेयक की पुरःस्थापना का कड़ा विरोध करता हूं।

श्री राजबीर सिंह (आंवला) : अध्यक्ष महोदय, आपको सदस्यों की बात को भी सुनना चाहिए, हम भी बड़े परेशान हैं। मेरा निवेदन यह है, मुझे यहां रघुवंश प्रसाद जी पर दो आपत्तियां हैं। इन्होंने एक तो आसन पर आरोप लगाया, यह कार्यवाही में देखना चाहिए, ... (*व्यवधान*)

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, जब सवाल जवाब मंजूर कर दिए तो हम लोग भी तैयार हैं।....(*व्यवधान*)

श्री राजवीर सिंह : महोदय, मैं ओचित्य के सवाल पर बोल रही हूं....(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपका क्या कहना हैं?

(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, आसन की मर्यादा हम इनसे सीखें।....(*व्यवधान*) नोटिस वाले लोग बहुत हैं, ये कैसे खड़े हो जाते हैं, इनको कैसे इजाजत मिल जाती है....(*व्यवधान*)

श्री राजबीर सिंह : महोदय, यह मेरा आक्षेप आपके माध्यम से है। यह पीठासीन अधिकारी भी हैं और इस तरह से यहां पर व्यवहार करते हैं। मेरा औचित्य का सवाल है, क्या जब बिल इंट्रोडयूस करने के लिए गृह मंत्री जी खड़े हुए थे तो कौन सी नियमावली के अंतर्गत इन्होंने यहां शोर मचाया, वैल में गए और पार्लियामेंट का ऐसा चित्र प्रस्तुत किया, इस पर हमें बाहर जाकर शर्म आती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस .....* को रोकना चाहिए। .....(*व्यवधान*)

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष जी, घोर अव्यवस्था की स्थिति में बिल पास करा लीजिए और कहिये कि सदन की मर्यादा भंग होती है, यह सब तानाशाही हो रही है।,....(*व्यवधान*) इनके पक्ष के लोग भी ऐसा करते हैं...(*व्यवधान*) पढ़ते नहीं हैं, देखते नहीं हैं... (*व्यवधान*)

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

प्रो. अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इस सदन में स्थापित नियमों की अवहेलना कर एक नयी परंपरा की शुरूआत की जा रही है। विपक्ष अगर किसी चीज के विरोध में आपको नोटिस भी दे तो उस नोटिस को अनसुना कर दिया जाता है और जब हम डिवीजन के लिए चैलेंज करें, तो उसको भी अनसुना कर दिया जाए और उसको अनसुना करके सरकार एक्स्ट्रीम रोल...*(व्यवधान)* और मेजोरिटी के लोग सारे विरोध के स्वरों को दबा दें। अगर यही करना है तो जो भी नियम इस सदन ने बनाए हैं वे सारे व्यर्थ हो जाते हैं और सदन फिर फ्री फार ऑल हो जाता है।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री शैलेन्द्र कुमार, आपने सूचना नहीं दी है। आपका नाम सूची में नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): अध्यक्ष जी, बिल के बारे में यह जो कहा गया है कि विरोध करने के लिए उन्होंने नोटिस दिए थे।...*(व्यवधान)*

प्रो. अजित कुमार मेहता : अगर व्यवस्था को बनाए रखना है तो इसको कार्यवाही से निकाल देना चाहिए, नहीं तो अव्यवस्था के अनुसार चलेगा तो फ्री फार आल हो जाएगा और फिर जिसके मन में जो आएगा वह करेगा।

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, तीन मुद्दे इन्होंने उठाए हैं। एक में कहा है कि बिल के बारे में जो इन्होंने विरोध करने के लिए नोटिस दिए थे उनको नहीं सुना गया। अध्यक्ष जी, नोटिस सुने तब जाते हैं जब हाउस आर्डर में हो और हाउस को आर्डर में न रखने. ..*(व्यवधान)*

अपराह्न 3.17 बजे

इस समय श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप फिर वही तरीका अपना रहे हैं।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अभी–अभी आपने हाउस को चलाने के बारे में बात कही थी,.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है? आप सभा में मर्यादानुकूल आचरण की बात कर रहे थे और अब आप वही कर रहे हैं।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सभा में आपका यह आचरण है।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

....*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थानों पर वापस जाइए।

....*(व्यवधान)*

अपराह्न 3.20 बजे

[अनुवाद]

विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति
तीसरा प्रतिवेदन

श्री पी. शिवशंकर (तेनाली) : महोदय, मैं विदेश मंत्रालय की वर्ष 1998–99 की अनुदानों की मांगों के बारे में विदेश मामलों संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन (बारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की– गई–कार्यवाही के संबंध में समिति के तीसरे प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 3.21 बजे

[अनुवाद]

वित्त संबंधी स्थायी समिति
ग्यारहवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : महोदय, मैं विदेशी मुद्रा प्रबंधन विधेयक, 1998 के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

रेल संबंधी स्थायी समिति
की-गई-कार्यवाही संबंधी विवरण

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रतिवेदनों में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

---

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(1) "यात्री सुविधाओं" पर पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की–गई–कार्यवाही संबंधी सातवां प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा)।

(2) "कलकत्ता में रेल लाइन के दोहरीकरण और मेट्रो रेल परियोजना" पर दूसरी प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की–गई–कार्यवाही संबंधी आठवां प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा)।

(3) "भारतीय रेलवे में नई लाइनों के शुरू किये जाने" पर चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की–गई–कार्यवाही संबंधी नौवां प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा)।

(4) "उपनगरीय रेलवे" पर पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की–गई–कार्यवाही संबंधी दसवां प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा)।

(5) "भारतीय रेलवे में आमान परिवर्तन" पर तीसरे प्रतिवेदन मे अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की–गई–कार्यवाही संबंधी ग्यारहवां प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा)।

[illegible] की अनुदानों की मांगों" पर छठे प्रतिवेदन में [illegible]रिशों/टिप्पणियों पर की–गई–कार्यवाही संबंधी [illegible] प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा)।

(7) "रेल लाइनों के विद्युतीकरण" पर पन्द्रहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियो पर की–गई–कार्यवाही संबंधी सत्रहवां प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा)।

(8) "भारतीय रेलवे के उत्पादन एकक" पर बारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की–गई–कार्यवाही संबंधी अठारहवां प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा)।

(9) "1995–96 की अनुदानों की मांगों" पर चौदहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की–गई–कार्यवाही संबंधी बीसवां प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा)।

(10) "भारतीय रेलवे द्वारा वैगनों की आवश्यकता" अधिप्राप्ति और उपयोग पर सोलहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/ टिप्पणियों पर की–गई–कार्यवाही संबंधी इक्कीसवां प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा)।

(11) "रेलवे में परिसंपत्तियों के सुरक्षा उपाय और रखरखाव" पर उन्नीसवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की–गई–कार्यवाही संबंधी तीसरा प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा)।

(12) "रेलवे को बजटीय सहायता" पर पहले प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशो/टिप्पणियों पर की–गई–कार्यवाही संबंधी सातवां प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा)।

(13) "1996–97 की अनुदानों की मांगों" पर चौथे प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की–गई–कार्यवाही संबंधी आठवां प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा)।

अध्यक्ष महोदय : यदि सभा की सहमति है तो नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा गया माना जाए।

कई माननीय सदस्य : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री राम नाईक।

अपराह्न 3.23 बजे

नियम 377 के अधीन मामले *

(एक) सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते की अदायगी के लिए जामनगर शहर को बी-2 श्रेणी का दर्जा प्रदान किए जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री चन्द्रेश पटेल (जामनगर) अध्यक्ष महोदय, गुजरात के जामनगर शहर की पोपुलेशन अब करीब 6–7 लाख की होने के कारण जामनगर के सरकारी कर्मचारियों को एच. आर. ए. क्लास बी–2 के अनुसार नहीं दिया जाता जबकि एच.आर.ए. बी–2 का क्राइटीरिया पोपुलेशन का तीन लाख पचत्तर हजार है। जामनगर को स्पेशियिल केस गिनकर 1.1.1981 से सी. सी.ए. दिया जाता है। जब भी सांसद एवं संस्था केन्द्र को रीप्रेजेन्टशन करते हैं, तो जवाब दिया जाता है कि 1991 के सेन्सस के अनुसार जामनगर की बस्ती 3,75,000 है। अब 1991 नहीं है, अब 1998 है, 1999 आने वाला है, तो स्पेशल केस गिनकर बी–2 बनाकर एच.आर.ए. दीजिए।

मैंने एवं जामनगर के सरकारी यूनियन एसोसिएशन चेम्बर और कामर्स म्यूनिसिपल कार्पोरेशन गुजरात सरकार विभिन्न संस्थाओं ने सरकार को पत्र लिखे, प्रस्ताव किया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है।

रीलायंस इंडस्ट्रीज, एस. आर. उद्योग एवं अनेक उद्योग वहां अभी–अभी आए हैं। 40 हजार करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट उनके हुए जिससे उनके डेढ़ लाख मजदूर कर्मचारी बाहर से वहां आए। आर्मी, नेवी एवं हवाई जहाज कर्मी की संख्या भी एक लाख पच्चीस हजार की है, जो उपरोक्त 1991 के सेन्सस में गिनी नहीं क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से सेन्सस कर्मचारियों को गिनती करने अंदर नहीं जाने दिया। एशिया में सबसे बड़ी औद्योगिक बस्ती जामनगर है। गुजरात में सबसे ज्यादा मकान का किराया जामनगर का अब है। स्कवेयर फीट जगह का मकान का किराया करीब 12 रुपया है।

* सभा पटल पर रखे गए।

विश्व प्रसिद्ध यात्रा धाम द्वारका एवं कृष्ण भगवान सुदामा जी ने चावल जो दिया, वह ओखा बेट पवित्र स्थान पर देश–विदेश से हर साल यहां लाखों यात्री आते हैं इन सब प्रमाणों के बावजूद जामनगर को बी–2 सरकारी कर्मचारियों का एच.आर. ए. नहीं दिया जाता।

इसलिए अब पूरा शहर सारे कर्मचारी चैम्बर आफ कामर्स बगैरह द्वारा पूर्ण हड़ताल, भूख हड़ताल, धरना, घेराव, रास्ता रोको आंदोलन की संभावना है।

अतः केन्द्र सरकार से प्रार्थना है कि जामनगर को बी–2 स्पेशल गिनकर सबको एच.आर.ए. दिया जाए।

(दो) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के पुनरुद्धार के लिए उसका प्रशासनिक नियंत्रण उद्योग मंत्रालय से संचार मंत्रालय में अंतरित किए जाने की आवश्यकता

श्री तपन सिंकदर (दमदम) : 1952 में सबसे पहले स्थापित सरकारी क्षेत्र का उपक्रम हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड 1992 में तथाकथित उदार आर्थिक नीति अपनाने के समय से रूग्ण बन गया। हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड डीओटी/एम टी एन एल को पांच प्रतिशत कम मूल्य पर केबल्स बेचता हैं किंतु इसे न तो आई. टी. आई. और एच. टी. एल. की तरह पक्का आर्डर के लिए आरक्षित कोटा का लाभ मिलता है न ही इसे आई. टी. आई. और एच. टी. एल. की तरह कोई अग्रिम भुगतान मिलता है। तथापि हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, जिसकी हैदराबाद, रूपनारायणपुर और नैनी में तीन इकाइयां हैं, की दशा आसानी से सुधर सकती है बशर्ते डी. ओ. टी./एम. टी. एन. एल. अपनी वार्षिक आवश्यकता का मात्र तीस प्रतिशत हिन्दुस्तान केबल्स के लिए आरक्षित करे और आदेश राशि के पचास प्रतिशत का अग्रिम भुगतान करे। हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के पुनरुज्जीवन के लिए इसे उद्योग मंत्रालय से संचार मंत्रालय को हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता है जिसके लिए उद्योग मंत्रालय ने पहले ही सिफारिश कर दी है। सरकारी आश्वासनों संबंधी संसदीय समिति ने भी उक्त सुझाव को स्वीकार कर दिया है उसने भी यही सिफारिश की है। मैं संबंधित मंत्रालयों का ध्यान आकर्षित करता हूं कि वे इस संबंध में तत्काल कार्यवाही करे।

[हिन्दी]

(तीन) उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ क्षेत्र में आंवला पर आधारित उद्योग की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

डा. रामविलास वेदान्ती (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निर्वाचन क्षेत्र प्रतापगढ़ संभवतः विश्व का एक ऐसा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, जहां अच्छे किस्म के सबसे अधिक आंवला पैदा होता है। यहां का 25 प्रतिशत किसान आंवले की खेती पर आधारित है। इतना ज्यादा आंवला पैदा करने वाला किसान आज बडे व्यापारियों द्वारा दोहन का शिकार हो गया है, न तो उसके उत्पाद की पूरी कीमत ही उसे मिल पाती है और न ही समय से उत्पाद का उपयोग हो पाता है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि आंवले पर आधारित उद्योग कारखाना मेरे निर्वाचन क्षेत्र प्रतापगढ़ को प्रदान करने की व्यवस्था की जाए जिससे बड़ी मात्रा में पैदा हो रहे आंवले का उपयोग हो सके और किसानों को उनकी मेहनत की उपज का वाजिब दाम मिल सके। आंवले के उत्पाद संबंधी फैक्ट्री लग जाने से गरीब किसान एवं छोटे व्यापारी बड़े व्यापारियों के दोहन का शिकार होने से बच सकेंगे।

(चार) मध्य प्रदेश में आगर मालवा में दिल्ली दूरदर्शन के रिले केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री थावरचन्द गहलोत (शाजापुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र जिला शाजापुर के तथा पड़ोसी रतलाम जिला और झालावाड़ जिले के बहुत बड़े क्षेत्रफल विशेषकर शाजापुर जिले के आगर मालवा, बडोद, सुसनेर, नलखेड़ा, सौयतकला और बड़ागांव आदि तहसीलों के किसानों एवं आम नागरिकों को दिल्ली दूरदर्शन रिले केन्द्र के कार्यक्रम नहीं दिखाई देते हैं। कारणवश इस क्षेत्र के नागरिक अत्याधिक परेशान है। मैंने अनेक बार माननीय मंत्री, सूचना एवं प्रकाशन विभाग से आगर मालवा में दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने की मांग की। विभाग व तत्कालीन मंत्री महोदया ने आगर मालवा में दूरदर्शन रिले क. स्थापित करने की सिद्धांत सहमति भी दी थी तथा आर्थिक उपलब्धता की स्थिति में आगर मालवा में दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने का आश्वासन दिया था। किंतु आज तक इस विषय में कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जनहित में आगर मालवा में शीघ्र अतिशीघ्र दिल्ली दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान करे और कार्य पूर्ण करवाकर क्षेत्रवासियों को सुविधा उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

(पांच) कर्नाटक में कोलार में वाटर टैंकों से गाद निकालने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री के. एच. मुनियप्पा (कोलार) : महोदय, मेरा निर्वाचन क्षेत्र कर्नाटक में कोलार एक सूखा ग्रस्त क्षेत्र है। इस वर्ष कर्नाटक के उत्तरी भागों में बाढ़ और तूफान की विभीषिका के बावजूद इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा नहीं हुई है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में वर्षा की कमी एक स्थायी समस्या है। इस क्षेत्र के 80 प्रतिशत से अधिक लोग कृषक हैं। इस क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं के अभाव में किसानों और युवाओं में बेरोजगारी और गरीबी का सामना कर रहे हैं। कोलार की सोने की खानों के बंद होने से इस क्षेत्र में बेरोजगारी में काफी वृद्धि हुई है।

कृषकों की समस्याएं दिनोंदिन बढ़ रही हैं। गर्मियों के दिनों में मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को पेयजल भी उपलब्ध नहीं होगा। भूमिगत जल का स्तर भी 400 से 500 फुट नीचे चला गया है। असहाय किसानों की न तो हैंड पंप और न ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था सहायता कर सकती है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 3000 तालाब हैं। प्रतिवर्ष उनकी जल भंडारण क्षमता कम होती जा रही है। इस समस्या के बारे में मैंने भारत सरकार को कई बार अभ्यावेदन दिए हैं। अब तक केन्द्र ने इस समस्या के समाधान के लिए कोई उपाय नहीं किए हैं।

मैं माननीय वित्त मंत्री से आग्रह करता हूं कि वे कोलार में तालाबों की गाद साफ करने के लिए 2000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराकर लोगों को विशेष रूप से कोलार के किसानों को राहत उपलब्ध कराएं।

(छह) औरंगाबाद अथवा पूना से होते हुए नासिक और दिल्ली के बीच विमान सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री माधवराव पाटील (नासिक) : महोदय नासिक बरास्ता औरंगाबाद या पुणे और दिल्ली के बीच कोई विमान सेवा नहीं है। [illegible] विमान सेवा लेने हेतु लोगों को मुम्बई आना पड़ता [illegible] सभी जानते हैं कि नासिक देश का एक बड़ा [illegible] और कृषि केन्द्र है। केन्द्रीय सरकार के अनेक महत्वपूर्ण विभाग और उद्योग जैसे एच ए एल, करेंसी प्रिंटिंग प्रैस यहां पर है। देश के हर कोने के लोग व्यवसाय/शिक्षा या अन्य प्रयोजनों से नासिक आते हैं। कई बड़े उद्योगपतियों ने इस शहर में अनेक उद्योगों में अपनी पूंजी निवेश की है। किंतु दिल्ली के लिए विमान सेवा न होने के कारण इसका महत्व कम होता जा रहा है, उद्योग/शिक्षा और अन्य क्षेत्रों से जुड़े लोग अक्सर दिल्ली से नासिक जाते हैं, दिल्ली के लिए विमान सेवा लेने के लिए उन्हें मुम्बई पहुंचने में काफी समय व धन खर्च करना पड़ता है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि नासिक बरास्ता औरंगाबाद या पूना और दिल्ली के बीच तत्काल विमान सेवा शुरू की जाए।

[हिन्दी]

(सात) दिल्ली-कोटा-मुम्बई और दिल्ली-कोटा-इंदौर मार्ग पर विमान सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री रामनारायण मीणा (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, कोटा (राजस्थान) में एरोड्रम का नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा उपयोग में लिए जाने के लिए अभी तक कार्य योजना तैयार नहीं की गई है। मुम्बई से दिल्ली वाया कोटा तथा इन्दौर से दिल्ली वाया कोटा हवाई सेवा प्रारंभ की जाने पर व्यावसायियों, आम नागरिकों, उद्योगपतियों, पर्यटकों को लाभ मिल सकेगा तथा साथ ही राजस्थान में सम्मिलित की गई देशी रियायतों में सर्वाधिक पुरानी बून्दी रियासत के मुख्यालय बूंदी सहित पूरे हाड़ौती संभाग के विभिन्न पर्यटन स्थलों सूर्य मंदिर, झालावाड़, केलवाड़ा की गुफाएं, सूर्य छतरी बून्दी, रानी जी की बावड़ी सहित बून्दी में स्थित विभिन्न कुण्डों बावड़ियों चित्रशाला, शिकार बुर्ज, पुराने गढ़ पैलेस, किलो, बाणगंगा, हिन्डोली तालाब, गांधी सागर बांध, आर. ए. पी. पी. रामगढ़ (बूंदी) एवं सवाई माधोपुर वन्य जीव अभ्यारण आदि के अवलोकनार्थ पर्यटकों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हो सकेगी। कोटा एयरपोर्ट पर हवाई सेवा के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं।

अतः अनुरोध है कि जनहित में दिल्ली–कोटा–मुम्बई तथा दिल्ली–कोटा–इन्दौर के मध्य हवाई सेवा चालू की जाए।

[अनुवाद]

(आठ) त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों में राष्ट्र विरोधी विद्रोहियों के सीमा पार से आने-जाने को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री समर चौधरी (त्रिपुरा पश्चिम) : त्रिपुरा के साथ लगी भारत–बंगलादेश सीमा 839 कि.मी. लंबी है जो त्रिपुरा में विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह सीमा सभी ओर से खुली है जिससे सीमा पार से लोगों का आना–जाना आसान बन जाता है क्योंकि सीमा के दोनों ओर के लोग एक ही समुदाय के हैं। त्रिपुरा सरकार ने सीमा पर तार–बाढ़ लगाने की मांग की है किंतु केन्द्र सरकार ने अभी इसकी स्वीकृति नहीं दी है। सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों की संख्या राष्ट्र विरोधी विद्रोहियों की आवाजाही को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। सीमा चौकियां सात कि.मी. की दूरी पर है जिससे सीमा सुरक्षा बल की गश्त अप्रभावी बन जाती है। सीमा चौकियों के आस–पास भी सुरंगे बिछाई हुई हैं।

परिणामतः सुरक्षा बलों की वर्दी में और आधुनिक हथियारों से सुसज्जित आतंकवादी बंगलादेश में अपने छिपने के ठिकानों से राज्य में प्रवेश करते हैं और भारत की जनता व सुरक्षा बलों के विरुद्ध कार्यवाही कर बिना किसी नुकसान के अपने छिपने के ठिकानों में वापस चले जाते हैं। यह पता चला है कि त्रिपुरा सरकार ने आतंकवादियों के चिर–परिचित मार्गों से उनकी आवाजाही को प्रभावशाली ढंग से रोकने के लिए सीमा पर चौकियों के बीच के अंतर में 25 नई सीमा चौकियां स्थापित करने की मांग की है जिनमें से प्रत्येक में सीमा सुरक्षा बल के दो प्लाटून तैनात हों। किंतु केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है।

उल्लेखनीय है कि सशस्त्र या बिना हथियार वाले घुसपैठियों से सीमा की सुरक्षा करना केन्द्र सरकार और उसके सशस्त्र बलों का दायित्व है। त्रिपुरा के निर्दोष व शांतिप्रिय लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार से विद्रोही हिंसा के शिकार बन रहे हैं, पर्याप्त सुरक्षा बलों की तैनाती कर ऐसी घटनाओं को आसानी से टाला जा सकता है। किंतु त्रिपुरा के लोगों को हमेशा अपहरण और अन्य अत्याचारों का सामना करना पड़ रहा है।

इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि वह त्रिपुरा के लोगों की जान–माल की सुरक्षा और बंगलादेश के साथ लगी देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सशस्त्र विद्रोहियों की घुसपैठ को रोकने के लिए समुचित उपायों की घोषणा करे।

[हिन्दी]

(नौ) उत्तर प्रदेश के खीरी जिले में टेलीविजन पर 'सिटी हलचल' कार्यक्रम का प्रसारण बंद किए जाने की आवश्यकता

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : अध्यक्ष महोदय, जिला खीरी में सिटी हलचल के नाम से टेलीविजन पर एक अवैध प्रसारण ब्रोडकास्ट किया जा रहा है। प्रसारणकर्ताओं द्वारा अवैध तरीकों से अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए इस माध्यम का इस्तेमाल किया जा रहा है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार से इस संबंध में कोई भी अनुमति नहीं प्रदान की गई है और न ही उत्तर प्रदेश के स्तर पर कोई स्वीकृति ही इस प्रसारण को मिली है। इसके बावजूद भी पिछले कई महीनों से निरंतर इसका प्रसारण किया जा रहा है। मेरी सरकार से मांग होगी कि इसे तत्काल रोक कर संबंधित लोगों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाए।

[अनुवाद]

(दस) तमिलनाडु में उलुन्दुरपेट के निकट रेल ऊपरि पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री एम. सी. दामोदरन (कुड्डालोर) : महोदय तमिलनाडु में रेल नेटवर्क की जीवनरेखा, मेरूदंड चेन्नई और मदुरै के बीच व्यस्त बड़ी रेललाइन है। यह बड़ी लाइन उलुन्दुरपेट के निकट दो महत्वपूर्ण राजमार्गों से होकर गुजरती है। ये दो सड़कें हैं चेन्नई और त्रिची के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 और कुड्डालोर बरास्ता सलेम व कोयम्बटूर के बीच एक राज्य राजमार्ग। चूंकि इन सड़कों पर रेल समपार हैं। अतः इन दो मार्गों पर अक्सर यातायात अवरुद्ध हो जाता है। जिससे लोगों को भारी परेशानी होती है।

तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों से मद्रास और उसके आसपास के क्षेत्रों को कृषि उत्पादों की ढुलाई इस राष्ट्रीय राजमार्ग 45 से होते हुए ट्रक और लारियों के माध्यम से की जाती है। इसी तरह चेन्नई से राज्य के दक्षिणी जिलों के कुटीर, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए कच्चे माल और बिजली के उपकरणों की ढुलाई भी इसी मार्ग से की जाती है, यह सड़क तमिलनाडु के लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि यदि इस मार्ग पर यातायात कुछ घंटों के लिए अवरुद्ध हो जाता है तो इससे तमिलनाडु के कई भागों में दैनिक जीवन प्रभावित हो जाता है।

कुड्डालोर कोयम्बटूर मार्ग बरास्ता सलेम भी एक व्यस्त मार्ग है। क्योंकि केरल और कर्नाटक से तमिलनाडु को यात्रा और सामान का अन्तरराज्य परिवहन भी इसी मार्ग से होता है।

चूंकि कोयम्बटूर दक्षिण भारत का मानचेस्टर है और सलेम एक व्यावसायिक केन्द्र और ट्रैफिक जंक्शन है इसलिए इस मार्ग पर यातायात सामान्यतः भारी होता है। इसलिए इन दो मार्गों पर उलुन्दूरपेट के निकट इन दो सड़कों पर रेल क्रासिंग सुचारु यातायात के लिए स्वयं में एक समस्या है।

अतः यह सुझाव है कि इस समस्या के समाधान के लिए इस स्थान पर रेलवे लाइन को ऊंचा किया जा सकता हैं मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह उलुन्दुरपेट के निकट ऊपरिपुल के निर्माण के लिए सर्वेक्षण कराने और रेलवे क्रासिंग पर अविलंब उपरिपलु का निर्माण कराने का आदेश दे।

(ग्यारह) कलकत्ता में नहरों/नालों के समुचित रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्रीमती कृष्णाबोस (जादवपुर) : महोदय, कलकत्ता में और उसके आसपास अनेक संकरी नहरें या नालें हैं। इन नहरों को मूल गंगा है। यदि इन नहरों को संचालन योग्य बनाया जाए तो वे जलमार्ग के रूप में कार्य कर सकती हैं और इनमें यात्रियों और सामान की आवाजाही हो सकती है। इससे इस महानगर में यातायात में भीड–भाड को कम करने में भी सहायता मिलेगी। टॉली नाला के नाम से जानी जाने वाली नहर हेस्टिंग्स से गरिमा तक जाती है और इसे एक उपयोगी जलमार्ग में बदला जा सकता है। उससे पूर्व जल का उपचार व शोधन करना होगा। क्योंकि इस नहर के दोनों किनारों पर रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए यह एक खतरा बन रहा है।

इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि केन्द्रीय सरकार पर्यावरण मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय को इस नामले की जांच का निर्देश दे और इन नहरों के विकास के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएं। इससे कलकत्ता शहर और उसके आसपास के सैकड़ों यात्रियों को राहत मिलेगी।

(बारह) देश में बौद्ध स्मारकों की पवित्रता बनाए रखे जाने की आवश्यकता

प्रो. जोगेन्द्र कवाडे (चिमूर) : महोदय, भारत में अनेक बौद्ध स्मारक और गुफाएं हैं जिन्हें हम अपनी विरासत कहते हैं, ये स्मारक और गुफाएं बौद्ध मतावलम्बी देशों और विश्व के अन्य भागों से लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अधिकांश स्मारकों में बुद्ध का जीवन का बौद्धिसत्व दर्शाया गया है तथा एलीफेंटा और ध ारापुरी की दो गुफाएं विश्व दाय सूची में है। यह हमारी प्राचीन बौद्ध संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है और हमें इस पर गर्व है।

पिछले कुछ समय से निहित स्वार्थों द्वारा इन स्थानों पर हिन्दू देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित कर के भारतीय संस्कृति की मौलिकता को विकृत करने के सुनियोजित प्रयास किए जा रहे हैं फलतः भारतीय संस्कृति का मूल ताना–बाना ही प्रभावित हो रहा है। इसे रोका जाना चाहिए।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण स्मारकों के जीर्णोद्धार और उनकी पवित्रता और मौलिकता का संरक्षण करने वाली एजेंसी है।

इसलिए, मेरा अनुरोध है कि इन स्मारकों का रखरखाव, जीर्णोद्धार और उनकी पवित्रता व मौलिकता का दायित्व बौद्ध संगठनों को सौंपा जाए।

[हिन्दी]

(तेरह) उत्तर प्रदेश में चंदौली-सकलडिहा स्टेशन मार्ग पर रेल उपरि पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री आनन्द रत्न मौर्य (चंदौली) : महोदय, चंदौली–सकलडिहा स्टेशन मार्ग पर रेलवे उपरिपुल के निर्माण की बहुत समय से मांग की जाती रही है, लेकिन इस बारे में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। स्टेशन मार्ग पर अक्सर भारी भीड रहती है जिस कारण यातायात रुका रहता है। इस मार्ग से गुजरने में बहुत अधिक समय बर्बाद होता है। उपरिपुल न होने के कारण प्रायः दुर्घटनाएं होती रहती हैं। गाड़ियों के आने पर घंटों यातायात रुका रहता है जिससे लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः लोगों की लंबे समय से की जा रही मांग तथा उनको होने वाली कठिनाइयों और घंटों यातायात के रुके रहने की समस्या को देखते हुए चंदौली सकलडिहा स्टेशन मार्ग पर शीघ्र ही उपरिपुल के की जानी चाहिए जिससे वहां से गुजरने वाले हो सके तथा वहां उपरिपुल न होने के कारण नाओं को भी रोका जा सके।

प्रदेश में शिकोहाबाद में बटेश्वर, पर्यटन स्थल के विकास के लिए और अधिक धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रभुदयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : महोदय, मैं आपके माध्यम से सूचना देना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र शिकोहाबाद में आगरा के निकट बटेश्वर उत्तरी भारत का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। मान्यवर भारत सरकार ने सन् 1994–95 की स्कीम के तहत करीब 44 लाख रुपए स्वीकृत किए थे। भारत सरकार ने इसे पर्यटन स्थल भी घोषित कर दिया है। उस दृष्टि से भी इस स्थल का महत्व बहुत बढ़ जाता है क्योंकि आगरे में सारे विश्व का पर्यटक आता है जो धनराशि बाकी रह गई है उस धनराशि को तत्काल बटेश्वर में देने का कष्ट करे जिससे वह कार्य पूरा हो। आगरा के निकट होने के कारण यहां भी पर्यटक काफी मात्रा में आएंगे जिसमें भारत सरकार को भी काफी लाभ होगा।

[अनुवाद]

(पन्द्रह) महाराष्ट्र राज्य कपास उत्पादक सहकारी विपणन परिसंघ को कपास की कम से कम पांच लाख गांठों का निर्यात कोटा स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता

श्री अभयसिंह एस. भोंसले (सतारा): महाराष्ट्र राज्य कपास उत्पादक सहकारी विपणन परिसंघ कपास की गांठों के निर्यात में एक अग्रणी संस्था है और इसने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर दी है। परिसंघ को भारत सरकार द्वारा निर्यात कोटा में उचित हिस्सा नहीं दिया गया है। यदि परिसंघ को निर्यात कोटा का अच्छा हिस्सा मिल जाए तो उसे अपनी कपास से अच्छी प्राप्ति होगी और इससे राज्य के किसानों को लाभ मिलेगा। परिसंघ द्वारा अपनी योजना के अंतर्गत कपास की खरीद की मात्रा पर विचार करते हुए यदि केन्द्रीय सरकार कपास मौसम के आरंभ में कम से कम पांच लाख गांठों के निर्यात कोटा की स्वीकृति दे तो उसे सर्वोत्तम बाजार मूल्य मिलेंगे। इसलिए मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि कपास परिसंघ को कपास की कम से कम पांच लाख गांठों का निर्यात कोटा स्वीकृत किया जाए।

(सोलह) आंध्र प्रदेश में हैदराबाद और हैदराबाद शहर के 100 किलोमीटर की परिधि के भीतर उपनगरीय क्षेत्रों के बीच किए जाने वाले कॉलों को स्थानीय कॉल माने जाने की आवश्यकता

श्री एस. सुधाकर रेड्डी (नालगोंडा) : मैं संचार मंत्री का ध्यान हैदराबाद शहर की 100 किलोमीटर परिधि के भीतर के कस्बों और गांवों विशेष रूप से रंगारेड्डी जिला, नालगोंडा, महबूब नगर, मेडक, करीमनगर जिलों को अल्प दूरी की कॉलों वाले क्षेत्र में लाने की आवश्यकता की ओर आकर्षित करता हूं जिससे वास्तव में इन क्षेत्रों के स्थानीय कॉल होगी। इससे संचार व्यवस्था में सुधार करने में सहायता मिलेगी तथा हैदराबाद के आसपास के क्षेत्रों में स्थापित अनेक उद्योगों और राजधानी और उपनगरीय क्षेत्रों में कार्यरत अनेक लोगों को सहायता मिलेगी। छोटे व्यापारी भी त्वरित संचार प्रणाली की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं।

यद्यपि हैदराबाद राज्य की राजधानी है और इस शहर में अच्छी दूरभाष प्रणाली है कि उपनगरीय क्षेत्रों को यह सुविधा नहीं मिल रही है। शहरों से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कनुकूर, महेश्वरमेरम जैसे कस्बों में भी एसटीडी सुविधा नहीं है। अब टाटा जैसी निजी कंपनियां संचार विभाग से प्रतियोगिता कर रही है। इसलिए दूरसंचार विभाग के उपभोक्ताओं को सर्वोत्तम सेवाएं उपलब्ध कराना अत्यावश्यक है।

(सत्रह) उत्तर प्रदेश और दक्षिण के बीच एक्सप्रेस हाईवे में केरल को शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री पी. सी. थामस (मुवत्तपुजा) : प्रधान मंत्री द्वारा उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर तक एक्सप्रेस सड़कों के निर्माण की घोषणा एक स्वागत योग्य कदम है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक बनने वाली यह सड़क स्वाभाविक रूप से केरल और दक्षिण भारत के अन्य राज्यों से होकर गुजरेगी। किंतु यह पता चला है कि इस मार्ग में केरल को शामिल नही किया गया है। एक सांत्वना देने वाला बयान दिया गया कि कोचीन से सलेम तक इस एक्सप्रेस हाइवे को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण किया जाएगा किंतु उससे केरल की शिकायत दूर नहीं होगी। जिन अन्य तीन एक्सप्रेस हाईवे

की घोषणा की गई है उनमें भी केरल को शामिल नहीं किया गया है। भारत सरकार को इस एक्सप्रेस हाईवे का केरल से होकर निर्माण कराने के लिए कदम उठाने चाहिए। मेरा यह भी सुझाव है कि इस एक्सप्रेस हाईवे में रबराइज बिटूमेन पेवमेंट का उपयोग करने वाली प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाए।

(अठारह) राज्य सरकारों द्वारा सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक सेवा बनाए रखने संबंधी अधिनियम का अक्सर प्रयोग न किए जाने की आवश्यकता

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत) : राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक सेवाएं बनाए रखने का अधिनियम का दुरुपयोग इस अधिनियम के लागू होने के समय से ही चिंता का विषय रहा है। हरियाणा में नेशनल मंच आफ मास आर्गनाइजेशन द्वारा आम हड़ताल के आह्वान के अवसर पर इस कानून का प्रयोग कर जिस प्रकार उप नर्सों, हरियाणा पर्यटन निगम के 200 कर्मचारियों और अनेक नगर पालिका कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की गई हैं उसका कर्मचारियों ने पुरजोर विरोध किया है।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह राज्यों को सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध विशेष रूप से हरियाणा में इस अधिनियम का दुरुपयोग न करने के लिए उचित निर्देश दें।

(उन्नीस) पश्चिम बंगाल में सुन्दरवन और इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में तेल ब्लाकों की खोज किए जाने की आवश्यकता

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर) : महोदय, नई खोज लाइसेंसिंग नीति के अंतर्गत सरकार ने 48 अपतटीय, तटीय व गहरे समुद्र में तेल क्षेत्रो की खोज शुरू करने का निर्णय किया है। तेल सुरक्षा प्राप्त करने के लिए देश को अगले दस वर्षों में लगभग 1,00,000 करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता है।

इस संदर्भ में मैं सरकार का ध्यान तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा पश्चिम बंगाल मे सुन्दरवन और इसके आसपास के क्षेत्रों में किए गए विभिन्न सर्वेक्षणों की ओर दिलाता हूं। जिनमें भूमिगत स्तर के नीचे तेल क्षेत्रों के विद्यमान होने की पुष्टि हुई है। प्राधिकारियों द्वारा कुछ समय पूर्व खोज कार्य भी शुरू किया गया था किंतु इस खोज के किसी नतीजे पर पहुंचने से पूर्व ही यह कार्य रोक दिया गया है।

चूंकि सरकार नई खोज लाइसेंसिंग नीति के अंतर्गत 48 स्थानों पर खोज कार्य शुरू करने वाली है। अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि वह यह सुनिश्चित करे कि सुन्दरवन और इसके आसपास के क्षेत्रों जिन्हें पहले खोज कार्य के लिए चिन्हित किया गया था, वे तेल की खोज करने के लिए संभावित स्थानों की सूची में स्थान पाएं।

अपराह्न 3.23 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य *

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

[अनुवाद]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : महोदय, मैं प्रधानमंत्री की ओर से सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत राशि को 1 करोड़ रुपये से 2 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष बढ़ाने और कुछ अन्य प्रसुविधाओं, जिन्हें वर्ष 1998–99 से कार्यान्वित किया जाएगा, के बारे मे एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 2356/98]

लगभग सभी राजनैतिक दलों के संसद सदस्य कुछ समय से यह मांग करते रहे हैं कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत आबंटित धनराशि में वृद्धि की जाए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 1993 में जब यह योजना शुरू की गई थी, प्रत्येक संसद सदस्य को मार्गदर्शिकाओं के अनुसार एक करोड़ रुपए तक के विकास कार्य कराने का सुझाव देने का अधिकार दिया गया था।

यह लगातार महसूस किया जाता रहा है कि यद्यपि इस योजना की प्रभावोत्पादकता के बारे में कोई संदेह नहीं है, फिर भी सांसदों द्वारा उनके क्षेत्रों के विकास के लिए निधियों में बढ़ोतरी करने की मांगों तथा निवेशों की बढ़ती हुई लागत को ध्यान में रखते हुए 1 करोड़ रुपये की राशि को बढ़ाने की जरूरत है। लोक सभा के अध्यक्ष तथा राज्य सभा के सभापति की अध्यक्षता में अलग–अलग बैठकें आयोजित की गई जिनमें यह प्रस्ताव रखा गया कि सरकार को इस आबंटन राशि को बढ़ाकर प्रति सांसद 2 करोड़ रुपये कर देना चाहिए। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि मेरी सरकार ने इस सिफारिश को मान लिया है।

इसके अलावा, यह भी निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा निधियों पर प्राप्त होने वाले ब्याज को उसी प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किया जाए जिसके लिए मूल धनराशि आबंटित की गई है। यह भी निर्णय लिया गया है कि राज्य सभा के सदस्यों के बारे में, किसी विशेष राज्य में राज्य सभा के पूर्ववर्ती सदस्य द्वारा खर्च न की गई धनराशि उस राज्य विशेष के उत्तरवर्ती राज्य सभा सदस्य के बीच बराबर वितरित कर दी जाएगी। ये सभी परिवर्तन/संशोधन 1998–99 के वित्तीय वर्ष से प्रभावी होंगे।

हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बढ़ाये गये आबंटन तथा संशोधनों से संसद सदस्य लोगों की बेहतर सेवा कर सकेंगे।

(व्यवधान)

* सभा पटल पर रखा गया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थानों पर जाइए।

(व्यवधान)

अपराह्न 3.23½ बजे

राष्ट्रगीत

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब राष्ट्रगीत की धुन बजाई जाएगी। मैं सभी सदस्यों से अपने स्थानों पर वापस जाने का अनुरोध कर रहा हूं।

(राष्ट्रगीत की धुन बजाई गई)

अध्यक्ष महोदय : सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 3.24 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।